लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक है / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 25, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1977/29 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 25, Tuesday, December 20, 1977/Agrahayana 29, 1899 (Saka).

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	1-13
तारांकित प्रश्न संख्या 489 से 495	Starred Questions Nos. 489 to 495	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	14-164
तारांकित प्रश्न संख्या 496 से 508	Starred Questions Nos. 496 to 508	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 से 4766	Unstarred Questions Nos. 4567 to 4766.	
मंत्री महोदय का परिचय	Introduction of the Minister.	164
गृहमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against the Home Minister,	164-165
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Forty-Fourth) Amendment, Bill.	165-173
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended.	
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	165
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagasan	166
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	167
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	167
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara	168
श्री रागावलू मोहनरंगम	Shri Ragavalu Mohanarangam	168
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh	169
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	169
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	170
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	171
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jothmalani	172
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	172
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table,	174-176, 181-182
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee,	176

किसी नाम पर अंकित+यह इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
37वां, 39वां, 57वां, 59वां, 60वां और 61वां प्रतिवेदन	37th, 39th, 57th, 59th, 60th and 61st Reports.	176
विधेयक—पुरःस्थापित	Bills Introduced—	
(एक) विद्युत (पूर्ति) संशोधन विधेयक	(i) Electricity (Supply) Amendment Bill.	177
(दो) सीमा शुल्क टेरिफ (संशोधन) विधेयक	(ii) Customs Tariff (Amendment) Bill	177
उच्चतम न्यायालय (न्यायधीश संख्या) संशोधन विधेयक	Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill,	177-187, 196-200
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagasan	177
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	178
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	179
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	179
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	180
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	181
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	183
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	184
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	185
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1.	
पास करने के लिए प्रस्ताव	Motion to pass	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	198
प्रो० पी० जा० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	198
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	199
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	199
नियम 377 के अधीन मामला	Matter Under Rule 377,	
(एक) विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन	(i) Relay fast by employees of Willingdon Hospital.	188
(दो) मजदूरों के क्वार्टरों के लिए असम चाय बागानों के श्रमिकों की हड़ताल	(ii) Workers strike in Assam Tea Gardens for non-provision of Labour Quarters.	188
(तीन) गोवा के मछेरों की शिकायतें	(iii) Grievances of Goa Fishermen	189
(चार) बिहार में नमक की कमी और नमक के मूल्य में वृद्धि	(iv) Short Supply of Salt in Bihar and rise in price thereof	189
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance :	189-192
गुजरात में उकई के स्थान पर तापीय विद्युत संयंत्र में विस्फोट का समाचार	Reported explosion in the Thermal Power Plant at Ukai in Gujarat	189-192
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	189

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	190
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	191
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	191
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	192
सभा का अवमान	Contempt of the House,	192
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion,	194
जे० के० सिंथेटिक्स लि० के प्रेसिडेंट और चेयरमैन से आभूषण जब्त करना	Seizure of ornaments from President and Chairman of J & K Synthetics Ltd.	194
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	194
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	194
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	194
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	194
श्री अम्बिका प्रसाद पांडेय	Shri Ambika Prasad Pandey.	195
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal.	195

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 20 दिसम्बर 1977 / 29 अग्रहायण, 1899 (शक)

Tuesday, December 20, 1977/Agrahayana 29, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MEMORANDUM REGARDING THEFT OF COAL FROM PORBANDAR RAILWAY STATION YARD

*489. SHRI DHARAMASINGHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Porbander Coal and Coke Association has sent any memorandum to the Government in July, 1977 about the large number of thefts of coal from the Porbandar Railway Station yard in Gujarat, if so, the complaints made therein;

(b) whether Government have conducted any enquiry in this regard so far and if so, when and the action taken or proposed to be taken in this regard; and

(c) the measures taken to detect the thefts of coal and the number of thieves apprehended so far and when?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MADHU DANDVATE): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. A complaint dated 7-6-1977 addressed to Minister for Railways relating to theft of coal in Porbandar Railway Station Yard, was received which was forwarded to the Western Railway Administration for enquiry.

(b) An enquiry was conducted and surprise raids were also carried out by RPF officers of Western Railway in Porbandar Yard.

(c) Two hundred and thirteen cases of coal theft, valued at Rs. 3,831/-, were detected with the arrest of 246 outsiders and 18 Railway employees during this year. With the tightening of the security measures, theft of coal at Porbandar Yard has been brought under control. The President of the Coal and Coke Merchants Association, Porbandar, has also appreciated the timely action taken by the Western Railway Administration.

SHRI DHARAMSINH BHAI PATEL : In reply to part (a) of question you have stated that a complaint dated 6-7-1977 addressed to the Railway Minister relating to theft of coal in Porbandar Railway Station Yard was received which was forwarded to the Western Railway Administration for enquiry. But complaints relating to theft of coal were also made on 21-7-77 and 31-10-77. What action the Government has taken on them ?

PROF. MADHU DANDVATE : On the basis on complaint dated 7-6-77 which was forwarded to the Western Railways the Western Railway officers have unearthed 213 cases involving theft of coal worth 3,831/- in which 18 Railwaymen and 246 outsiders have been arrested. By adopting strict measures the cases regarding theft of coal of Porbandar Yard have been brought under check and a statement of President of Coal and Coke Merchants' Association has also been received in which he has expressed satisfaction that large quantity of coal has been seized as a result of raids by R.P.F. officers. I would certainly look into the subsequent complaints referred to by hon. Member.

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : What steps Government propose to take to eliminate the theft of coal and when these would be taken up ?

PROF. MADHU DANDVATE : The Railway Protection Force would make raids and take up preventive measures in doubtful cases and produce before the court such persons against whom specific charges could be brought. Such measures are taken against railway employees as well as outsiders. We have every hope that theft of coal can be minimized by these measures.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : The Hon. Minister has stated in his reply that he received the complaint on 7-6-77. I am surprised because the Hon. member had sent complaint on 28-9-77 and the Association on 21-7-77 and 31-7-77. It has been stated that 213 cases were brought to light. But it has not been specified as to how many railway employees were involved in these cases. The situation today is that on complaints the cases are detected and proved the persons involved are transferred and later on they manipulate to come back to some places. Due to these thefts railway Ministry have to pay claims worth lakhs of rupees. I want to know the number of railway employees and outsiders involved in these cases separately.

PROF. MADHU DANDVATE : This is part of the original question. The information has already been given in the statement laid on the Table. I repeat it :—

"Two hundred and thirteen cases of coal theft, valued at Rs. 3,831/-, were detected with the arrest of 246 outsiders and 18 Railway employees during this year. With the tightening of the security measures, theft of coal at Porbandar Yard has been brought under control. The President of the Coal and Coke Merchants Association, Porbandar, has also appreciated the timely action taken by the Western Railway Administration."

His second question is that he sent another complaint after the previous one. I can assure him that the matter would be properly investigated.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The tradition of thefts in railways is very old and it has been proved on various occasions that Railway Police is responsible for most of the thefts. Is it a fact that in the cases of thefts dedected and the cases brought before the courts the Railway Advocates take side of the thieves take up the cases lightly. The Hon. Minister has stated the number of persons held. How many of them have been punished and how many have been let off ? The statement of the Minister is that 213 persons have been arrested and strict security measures are being taken. Does it mean that in future there would be no thefts. But even today thefts take place. Will the Minister clarify the mis-statement.

PROF. MADHU DANDVATE : Questions of two kinds have been asked. He has asked that the officers of Railway Protection Force undertake raids to arrest the thieves. Our advocates who take over cases in courts indulge in corrupt practices. I can assure the hon. Members that we would look into the matter if specific cases are brought to notice and give severe punishment to the culprits.

The second question he has asked as to how many arrested persons belong to Railways and how many are outsiders. In regard to 246 outsiders cases are in courts which would give their decision. In regard to the cases relating to our employees we have suspended them in matters of theft and indiscipline and further action would be taken on receipt of decision of the courts. We would deal with these matters likewise.

SHRI RAMANAND TEWARI : May I know as to how many of the persons arrested have been charge-sheeted and how many have not been charge-sheeted ? How many of them have been convicted and how many have been acquitted ?

PROF. MADHU DANDVATE : I have just stated in reply to Shri Kachwai that these cases are pending in court.

SHRI RAMANAND TEWARI : Have they been charge-sheeted or not ?

PROF. MADHU DANDVATE : The cases are going on after they have been charge-sheeted 18 such employees have been suspended.

सल्फाडाइजीन बनाने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को आशयपत्र जारी किया जाना

***490. श्री चित्त बसु :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सल्फाडाइजीन और अन्य 14 मदों के निर्माण हेतु एक नये उपक्रम की स्थापना के लिये मैसर्स आई० डी० पी० एल० को 28 मार्च, 1974 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था ;

(ख) क्या आशय-पत्र जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तावित एकक के स्थान का निर्णय अन्तिम रूप से किया जाना था ;

(ग) यदि हां, तो स्थान निर्णय को अन्तिम रुप दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित एकक की स्थापना पश्चिम बंगाल में करने के लिये सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां आशय-पत्र 18 मदों के लिये दिया गया था।

(ग) से (ङ) आई० डी० पी० एल० के हैदराबाद प्लांट में उत्पाद मिश्रण के सुव्यवस्थीकरण करने पर जिसकी आवश्यकता सल्फाज के कम उठान के कारण हुई थी, यह अनुभव किया गया कि जिन मदों के लिये आशय-पत्र दिया गया था उनमें से कुछ मदें सरलतापूर्वक वर्तमान प्लांट में निर्मित की जा सकती हैं। फेथालाइल सल्फाथियाजोल, मैट्रोनिडाजोल, क्लोरोप्रोपाईमाइड, ग्लाईमैन-क्लामाइड, ट्राईमेथोप्रिम और डायाजपाम की प्रौद्योगिकी

हैदराबाद प्लांट में ही विकसित की गई थी और प्रथम तीन मदों का त्पादन पहले ही चालू किया जा चुका है और हैदराबाद प्लाँट में अन्य तीन मदों के उत्पादन का प्रस्ताव भी है । दुबारा पुनरीक्षण करने के पश्चात आई० डी० पी० एल० ने निर्णय किया है कि आशय-पत्र में शामिल मदों में से पांच मदों अर्थात् सल्फाडियाजीन, सल्फामेराजीन काफीन, थियोफिलीन और अमीनोफाइलीन का निर्माण न किया जाय। जहां तक शेष मदों और कुछ अन्य मदों जिनके लिये प्रौद्योगिकी विकासाधीन है या विदेशों से प्राप्त की जा रही है, के निर्माण के लिये नये उपक्रम के स्थान का प्रश्न है, आई० डी० पी० एल० का अस्थाई प्रस्ताव इसे पश्चिमी बंगाल में स्थापित करने का है । तथापि औषधों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में नये एकक की स्थापना का प्रश्न या दूसरी हालत में राष्ट्रीयकरण किये गये मैसर्स स्मिथ स्टनिस्ट्रीट एण्ड कं० लिमिटेड के उपक्रम में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है या उन सुविधाओं के अन्य ऐसे एककों जो सरकार के नियंत्रण में आ चुके हैं या आयेंगे, में उपलब्ध सुविधाओं से संकलन के प्रश्न पर सरकार द्वारा यथासमय विचार किया जायगा।

श्री चित्त बसु : वक्तव्य में दिये गये उत्तर का विषेतः भाग 2 के उत्तर का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है

आशय-पत्र के अनुच्छद 3 में कहा गया है कि आई० डी० पी० एल० का एक एकक पश्चिम बंगाल में खोला जायगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने साल्ट लेक क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन का आवंटन किया था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में एककन खोल कर हैदराबाद के एकक से कार्य चलाएगी ? क्या यह बंगाल के प्रति अन्याया का मामला नहीं है ? क्या इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण है।

श्री हमवती नन्दन बहुगुणा : प्रारम्भ में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है । यह सही है कि पश्चिम बंगाल में एकक खोलने का इरादा था । आशय-पत्र से सरकार का इरादा प्रकट होता है यह मामला जनवरी 1977 में उठा था । शायद एसा राजनीतिक कारणों से किया गया न कि पश्चिम बंगाल का भला करने के लिए । सत्ता में आने के बाद इस सरकार का इरादा हलदिया संयत्रों मिनी इस्पात सयंत्रों के प्रति रवैये से प्रकट हो जाता है । में माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि अधिकार में लिए गये एककों एवं नये एककों के लिए यदि आवश्यक हुआ तो पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका दी जायगी । इस बारे में हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री चित्त बसु : क्या मंत्री महोदय सहमत हैं कि बड़े औषधि निर्माताओं एवं नुस्खा निर्माताओं में बड़ा अंतर है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहुत हद तक ।

श्री चित्त बसु : यदि वह सहमत है तो एक मै मै प्रश्न पैदा होता है । देश के औषधि निर्माण का 30 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में होता था।मूलभूत दवाईयों की सप्लाई घट जाने के कारण यह 10 प्रतिशत रह गया है । क्या मंत्री महोदय सहमत है कि औषधि निर्माण में मूलभूत औषधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या वह मूलभूत औषधियों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र का एक पश्चिम बंगाल में स्थापित करेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे इस बारे में एक गलतफहमी दूर करनी है । भारत सरकार द्वारा स्थापित बड़ा औषधि निर्माण एकक उस क्षेत्र के लिए ही नहीं है । ऐसे एकक पूरे देश के लिए हैं । पश्चिम बंगाल के लिए स्थापित किया जाने वाला एकक भी पूरे देश के लिए होगा । पश्चिम बंगाल औषधि उद्योग को किसी प्रकार हानि में नहीं रहना पड़ेगा।

SHRI RAGHWANJI : Will an I.D.P.L. unit be set up in Madhya Pradesh

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से बाहर जा रहें हैं।

SHRI RAGHWANJI : The question is regarding I.D.P.L. Madhya Pradesh is a big state where no unit of I.D.P.L. exists. Will the Hon Minister consider the matter ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : This Government has the intention to set up a unit of I.D.P.L. in every state including Madhya Pradesh.

स्टेशनों पर विक्रेताओं और स्टालों से दिए जाने वाले खाद्य-पदार्थ

***491. श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी महत्वपूर्ण रेल स्टेशनों पर, विशेष रूप से पश्चिमी रेलवे के सौराष्ट्र क्षेत्र में, पेय पदार्थ, चाय, काफी और आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध किये जाते हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या व्यापारियों या ठेकेदारों द्वारा एकाधिकारी आधार पर इनमें से किसी वस्तु की बिक्री की जाती है : और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में प्रतियोगिता और विभिन्न किस्मों की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के जलपान गृहों और स्टालों पर शाकाहारी, मांसाहारी भोजन, नाश्ता, गर्म तथा ठंडे पेय, जिनमें आइसक्रीम भी शामिल है, की बिक्री की जाती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर 8 जलपान गृहों में और 300 बिक्री ठेकों पर इन वस्तुओं को बेचा जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बहुत साफ उत्तर दिया है इसके लिए मैं उनका आभारी हूं लेकिन यदि वह मेरे सभी प्रश्नों का विस्तार में उत्तर देते तो अधिक अच्छा रहता प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है । सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे कि स्टेशनों को महत्वपूर्ण मानता है । उनके लिए महत्वपूर्ण की कसोटी क्या है । मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे विशाल देश में कई ऐसे स्टेशन हैं जो ट्रैफिक अथवा यात्रियों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होंगे लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है और अगर मार्ग में कुछ भी खाने के लिए मिले तो भूखे यात्रा करना बहुत कष्टकर होगा मैं चाहता हूं कि दोनों मंत्री प्रो० मधु दण्डवते और श्री शिवनारायण

विशेषकर श्री शिवनारायण जी मेरे साथ सौराष्ट्र क्षेत्र की यात्रा, विशेष सेलून में नही बल्कि प्रथम या दूसरी श्रेणी में, करके देखें तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने उत्तर में जो 300 बिक्री ठेकों तथा 8 जलपानगृहों का उल्लेख किया है, वे वास्तव में वहां हैं अथवा नहीं। क्योंकि यह बिक्री ठके और जलपानगृह केवल कागजों पर ही हैं। प्रश्न यह है कि क्या वहा खाने को कुछ मिलता है। मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में खाद्य पदार्थ कम से कम चाय काफी और अच्छी डबलरोटी उत्पलब्ध है।

श्री शिव नारायण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं उन्हें इस क्षेत्र में चाय, काफी और अच्छा जलपान मिलेगा। मैं उन्हें मूंगफली की भी सप्लाई करूंगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप किन स्टशनों को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं।

SHRI SHEO NARAIN : The stations that have lot of traffic are considered as important stations.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि जलपान की सुविधा देश में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उपलब्ध है। मेरा प्रश्न यह है कि खाद्य पदार्थों जिनमें फल और आइस-क्रीम भी शामिल है, का ठेका क्या केवल किसी विशिष्ट ठेकेदार को ही दिया जाता है और क्या काफी क्षेत्रों में वही एकाधिकारी ठेकेदार माल सप्लाई करता है।

दूसरा मंत्री महोदय ने कहा है कि एकाधिकार नही है। क्या उन्होंने वास्तव में यह देखने की कोशिश की है कि इस क्षेत्र में एकाधिकार नहीं है। मुझे यह जानकारी मिली है कि ठेकेदारों का चयन अनियमित तरीकों से होता है काफी अरसे से नये ठेकेदारों को हटाकर दूसरी को लाया जा रहा है। कागजों में एकाधिकार नही है किन्तु असलियत यह है कि इस क्षेत्र में एकाधिकार व्याप्त है। क्या रेलव यह सुनिश्चित करेगा कि ठकेदारों का चयन और उनकी नियुक्ति कुछ विशेष प्रक्रियाओं के आधार पर की जाए ताकि यात्रियों के लिए भी कुछ अधिक वैराइटी हो।

श्री शिव नारायण : विभागीय जलपान की व्यवस्था के लिए चयन सी० एस० और डी० सी० एस० यह दो एजेंसियां करती हैं।

PROF. P. G. MAVALANKAR : I want to know whether contract is given to a specified contractor or it is given to different contractors.

SHRI SHEO NARAIN : We have made a policy in this regard. Contracts will be given only to Harijans, Cooperative Societies, backward classes and unemployed educated people.

श्री हुकम राम : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने काफी ठेके लेकर रेलवे लाइनों के पास अपना अधिकार बनाया हुआ है। यह ठेके वहां काम करने वाले लोगों को दिए जाने चाहिए। क्या मंत्री महोदय संसद सदस्यों से परामर्श करके बिक्री ठेकों के आवंटन के संबन्ध में अपनी नीति की पुनरीक्षा करेंगे।

श्री ओ० पी० अलगेशन : 1950 के शुरू के वर्षों में बड़ी मुश्किल से कई एकाधिकारी ठेकेदारों के ठेके कम किए गए और प्रायः अधिकांश रेल लाइनों पर विभागीय जलपान का

व्यवस्था शुरू की गई। पहले खान-पान का स्तर बहुत अच्छा था लेकिन अब यह स्तर बहुत गिर गया है और अब सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी बहुत घटिया खाना दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खान-पान के सामान की कोटि में सुधार हो।

श्री शिव नारायण : मैं दक्षिण भारत में स्वयं गया हूं और वहां जो भोजन दिया जाता है वह बहुत अच्छी किस्म का होता है.... **(व्यवधान)**

श्री अरविन्द बाल पजनौर : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मुझ यह समझ नही आता कि मंत्री महोदय यह कैसे कह रहे हैं कि दक्षिण में जो खाना दिया जाता है वह अच्छा होता है। इस बार मैं गाड़ी से यहां आया हूं। भोजन 7 बजे तैयार किया जाता है और 9 बजे बलारशाह पर सप्लाई किया जाता है और यात्रियों को यह भोजन 12 या एक बजे दिया जाता है इतनी देर तक भोजन गाड़ी में कैसे अच्छा और साफ-सुथरा हो सकता है। मैं प्रो० मावलंकर की तरह चाय काफी या आइसक्रीम की मांग नहीं कर रहा। जो लोग दक्षिण के दूर-दराज के क्षेत्रों में जाते हैं उन्हें दो दिन तक गाड़ी में सफर करना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय उनकी कठिनाईयों की ओर ध्यान देंगे तथा इस मामले की जांच करेंगे। क्या सरकार बिना का कोई पूर्व सूचना दिए रेलवे द्वारा साधारण आदमी-को सप्लाई किए जाने वाले खान-पान की समाग्री की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है।

श्री शिव नारायण : मैं मामले की जांच करूंगा।

DR. SUSHILA NAYAR : May I know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that very less attention is paid to the cleanliness of utensils. The cups and saucers are washed in wash basins of lavatory where people spit. Many a times insects have been found floating on the food supplied by the railways with the result many people do not take food from the railways. I want to know whether fruits and vegetables like tomatoes, carrots etc. will be supplied by the railways so that those people who do not eat their foodstuff can get at least something to eat.

SHRI SHEO NARAIN : I will look into the matter. If the hon. Member has got some specific complaint she should write to me. We will definitely do the needful.

वाराणसी-गोरखपुर तथा अन्य मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

*492. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका वाराणसी-गोरखपुर, शाहगंज-बलिया तथा जौनपुर-गाजीपुर मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) कानपुर-गोरखपुर और लखनऊ-आगरा मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कब कार्य प्रारम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

मऊ और इन्दारा के रास्ते वाराणसी से भटनी तक की मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन का काम एक अनुमोदित परियोजना है। भटनी और गोरखपुर के बीच की मीटर

लाइन बाराबंकी से समस्तीपुर तक की लाइन के आमान-परिवर्तन परियोजना का भाग है। बाराबंकी-समस्तीपुर परियोजना पर पहले से ही काम हो रहा है।

मऊ और शाहगंज के बीच तथा गाजीपुर और बलिया के रास्ते वाराणसी और छपरा के बीच की मीटर लाइनों के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करने की स्वीकृति हाल में ही दी गयी है और शीघ्र ही क्षेत्र-कार्य शुरू किया जायेगा। जौनपुर और औड़िहार के बीच तथा कानपुर के रास्ते लखनऊ और आगरा के बीच की मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कानपुर और लखनऊ के बीच तथा लखनऊ और बाराबंकी के बीच पहले से ही बड़ी लाइन मौजूद हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय ने विवरण में कहा है कि जौनपुर और औड़िहार के बीच तथा कानपुर के रास्ते लखनऊ और आगरा के बीच की मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं जब सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि यह मीटर गेज लाइनें बड़ी लाइनों में बदल दी जाएंगी तो फिर इन दो लाइनों, जिन पर काफी यातायात होता है, पर विचार क्यों नहीं किया गया। सरकार कब उन पर विचार करेगी और कब यह लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जाएंगी।

प्रो० मधु दण्डवते : हाल ही में हमने लाइनों के बदलने के कार्य तथा नई लाइनों के निर्माण कार्य के परिप्रेक्ष्य में हल्का हेर फेर करने की कोशिश की है। पहली सरकार ने कई नई लाइनों के निर्माण कार्य और कुछ लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्यों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई और कुछ आवंटन भी किए गए लेकिन यह सब कार्यवाही कागज पर ही सीमित रही। कई सदस्यों ने हमें इस बारे में शिकायत की इसलिए हमने नई परियोजनाओं को शुरू करने के बजाए जो योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं उन्हें पूरा करने का निर्णय लिया है। मैं सदन की सूचना हेतु बताना चाहता हूं कि हम 13 लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है और सारा रूट 3500 किलोमीटर का है। इस काम पर 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और योजना आयोग ने इस कार्य के लिए केवल 22.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है अगले वर्ष 27 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अतः इन वित्तीय कठिनाइयों में हम नई लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलने के बजाए उन्हीं लाइनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय ने कुछ वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि जिन लाइनों पर भारी यातायात होता है, जैसे कि जौनपुर और औड़िहार के बीच तथा कानपुर के रास्ते लखनऊ और आगरा के बीच की मीटर लाइन, जिन पर छुटपुट चोरियां भी बहुत अधिक होती हैं, को बड़ी लाइनों में बदलने की कोशिश करें। जौनपुर और औड़िहार लाइन केवल 26 मील लम्बी है मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस बात से सहमत हूं कि यातायात की दृष्टि से यह दो लाइनें जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इनकी जांच करेंगे। लेकिन जसा कि मैंने पहले बताया हमारा प्रयास यह है कि पहले जिन लाइनों पर कार्य चल रहा

है उन्हें पूरा किया जाए और फिर बाद में नई लाइनों को हाथ में लिया जाए । वित्तीय अभाव के कारण हम उन्हें शुरू नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री हरिकेष बहादुर : लखनऊ से गोरखपुर के बीच की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में बहुत विलम्ब किया जा रहा है । यद्यपि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य भूतपूर्व सरकार के शासन में शुरू हो गया था यह आज तक पूरा नहीं हुआ है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेंगे या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य की प्रगति उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करती है । इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ पक्का वायदा नहीं कर सकता । लेकिन हम इस मामले को योजना आयोग के समक्ष उठाने वाले हैं ताकि वे हमें कुछ अधिक धनराशि आवंटित करें और ऐसी लाइनों को शीघ्र पूरा किया जा सके ।

श्री वी० अरुणाचलम : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है यदि हां तो क्या मद्रास एग्मोर-तिरूनेवेली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा ।

श्री वयालार रवि : सलेम -बंगलौर लाइन भी ।

प्रो० मधु दण्डवते : रेल लाइनों के बदलने के कार्य हेतु हमने 300 करोड़ रुपए की मांग की थी । योजना आयोग से हमें केवल 25 करोड़ रुपया मिल रहा है और उस आधार पर मैं उन लाइनों, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, के बदलने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता ।

CH. HARI RAM MAKKASAR (Godara) : At present there is a meter gauge line between Bhatinda and Suratgarh. I want to know the time by when a meter gauge line will be constructed between Bhatinda and Bikaner. This line comes under Northern Railway. Bikaner is supplying raw materials to Sindri fertiliser factory. Therefore construction of meter gauge line is very necessary. An over-bridge should be constructed on the railway line. People are having lot of difficulty in crossing the lines. An over-bridge should also be constructed at Hunumangarh Junction. I also want to submit that a railway line should be constructed from Anupgarh to Phauladi. There production has gone up on account of Canal. Due to lack of transportation facilities people are facing lot ot difficulty. It is very necessary to construct a railway line for the development of this area.

PROF. MADHU DANDAVATE : As the question of the Hon'ble Minister does not concern the main question, I am unable to reply to it.

Shri NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Jabalpur-Gondia railway line linking Jabalpur with Nagpur, which is a narrow-gauge line, be also converted into the broad-gauge line ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I have referred to the schemes on which the work is in progress and the scheme mentioned by the Hon'ble Member is not included in the list of those schemes.

SHRI YUVRAJ : The conversion schemes which ought to have been taken in hand, have been ignored and those which were not very necessary, have been taken in hand. Scores of goods trains run on the Katihar—Barauni line daily and this line has a strategic importance as well. Will the Hon'ble Minister consider in terms of conversion of that line, in view of its importance ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Certain conversion schemes had been started before the Janata Government came to power. Therefore, it is obligatory on our part to complete them.

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों का वार्षिक उत्पादन

*493. **श्री नटवरलाल जी० परमार :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण तैयार किए गए 'फार्मूलेशनों' तथा 'बल्क' औषधियों का प्रतिशत वार्षिक उत्पादन में कितना है; और

(ख) क्या नए औषध उद्योगों को केवल सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1976-77 के दौरान देश में प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन का कुल अनुमानित मूल्य क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 700 करोड़ रुपए था । विदेशी फर्मों के उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्रमशः 63 करोड़ रुपए और 292 करोड़ रुपए है जो कुल उत्पादन का 42% और 41.7% के बराबर है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । जहां सरकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका सौंपी जा रही है वहां सरकारी क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र के लिए रखे गए क्षेत्रों तथा शेष क्षेत्रों, जो कि सभी क्षेत्रों के लिए है, को ध्यान में रखते हुए औषध उद्योग के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

श्री नटवरलाल बी० परमार : क्या विदेशी कम्पनियां प्रपुंज औषधों का ऊंचे मूल्य पर अपनी मुख्य कम्पनियों से आयात करती हैं ताकि उनके सूत्रयोगों की बिक्री बढ़ सके ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह एक विस्तृत प्रश्न है ? इस तरह के तथ्य हमारे ध्यान में आए हैं और पिछली सरकार के ध्यान में भी आए थे । हाथी समिति ने इस पर विचार किया था । सरकार शीघ्र ही इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए निर्णय लेगी ।

SHRI KALYAN JAIN: At present, the drug companies sell their names instead of the drugs. Aspro Company sells Aspro tablet for 10 paise whereas the same contents are sold by another company just for one paisa. Hathi Committee had also recommended that the companies should not sell their names but should sell the drugs. The multi-natural compains are earning crores of rupees by selling their names. The Hathi Committee had recommended that the drugs should bear the generic names with brand of the company indicated thereon. May I know the action being taken by Government in this regard ?

SHRI HEMVATI NANDAN BAHUGUNA: Hathi Committee had not recommended that every drug should bear the generic name but had stated that practice of giving generic names to some drugs should be introduced. This issue will be considered alongwith the other recommendations of the Hathi Committee. It is difficult to say today as to what will be the attitude of the Government in this regard.

श्री वयालार रवि : हाथी समिति ने निस्सन्देह भारतीय बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कार्य-करण के बारे में कई सुझाव दिए थे ।

इन पर वर्तमान सरकार और पिछली सरकार ने काफी विचार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लेंगे और क्या वह औषध निर्माण और उनके मूल्यों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हाथी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय की घोषणा की जाएगी। मैं मानता हूं कि पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी समय लिया। हम इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करेंगे।

DR. BALDEV PRAKASH: In view of the fact that the prices of life-saving drugs and basic drugs have gone up very high, will the Hon'ble Minister reduce the prices of these drugs which are manufactured by the public sector companies so that these drugs could be made available to the poor easily and at cheaper rates?

SHRI HEMVATI NANDAN BAHUGUNA: We shall bear all these points in mind at the time of formulating the pricing policy of these drugs. Regarding the imposition of execise duty, octroi duty, sales-tax etc., the State Governments shall also have to be consulted.

DR. BALDEV FRAKASH: When will the decision be taken?

SHRI HEMVATI NANDAN BAHUGUNA: I hope it will be taken within this year.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : हाथी समिति की सिफारिशें कब तक कार्यान्वित हो जाएंगी, क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री सभा को कोई आश्वासन देंगे ? हाथी समिति ने औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र का प्रवेश कराने की भी सिफारिश की थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र औषध उद्योग में कब तक प्रवेश कर सकेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सरकारी क्षेत्र औषध उद्योग में काफी आगे है। हाथी समिति ने 262 सिफारिशें की थीं। हमने उन पर विचार किया है। हम सम्भवतः इसी वर्ष में उन पर निर्णय कर लेंगे। मजदूरों की भागीदारी के बारे में हमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। यह एक पेचीदा मामला है और इस बारे में मैं अभी किसी नीति की घोषणा नहीं कर सकता।

गुजरात में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

*494. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी योजना अवधि में गुजरात राज्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आगामी योजना अवधि के दौरान विशिष्ट रूप से गुजरात में एक और तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

L 1028 LSS|77

SHRI AHMED M. PATEL : Has the State Government sent any proposal of any particular location for setting up the oil-refinery?

SHRI HEMVATI NANDAN BAHUGUNA : The Gujarat Government has written to us for the expansion of Koeli for the said refinery. The expansion programme is in progress and it is proposed to bring the capacity of the refinery upto 7 millions. Government have set up a Committee to find out as to where the refining capacity should be installed and the Gujarat Government have been apprised of it.

SHRI AHMED M. PATEL : Does the Hon'ble Minister propose to set up some other oil-rfinery as well or the present one is sufficient?

SHRI HEMVATI NANDAN BAHUGUNA : Koeli refinery is sufficient for the underground oil in Gujarat. Not only this, we propose to have oil from Bombay High also for Koeli. This will be the biggest refinery in the country. For refining the oil from Bombay High, the location in Gujarat is ideal.

श्री विनोदभाई बी० सेठ : बम्बई हाई में तेल की उपलब्धता, कांडला में खुदाई कार्य, सूरत और बड़ौदा के निकट पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स के विस्तार, गुजरात में औद्योगिक शान्ति और फारस की खाड़ी की निकटता को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री अगली योजना के दौरान गुजरात में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न सामने आएगा, तो इन सब बातों पर विचार किया जाएगा। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : It has been reported in the press that Mathura refinery is proposed to be shifted to Etawah. Does Government have any such proposal?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस प्रश्न को लेकर लोगों में काफी डर विद्यमान है। कुछ दिन पहले इस बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन मिला था और हम उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर निर्णय करने के बाद हम सभा को स्थिति से अवगत कराएंगे और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि ताज को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गुजरात कैम्बे आदि के आसपास और बम्बई हाई में भी तेल काफी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और कई वर्षों तक होता रहेगा, गुजरात या इसके आसपास एक तेल शोधक कारखाने की जरूरत है। तो क्या गुजरात सरकार के अधिकारी आजकल एक और तेल शोधक कारखाने या पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स के लिए यहां बातचीत कर रहे हैं? वे कल मेरे साथ ही विमान द्वारा दिल्ली आए थे। क्या इन प्रस्तावों पर मंत्रालय योजना आयोग और गुजरात प्रशासन के परामर्श से विचार कर रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमने बम्बई हाई और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से मिलने वाले तेल और गैस के इस्तेमाल के लिए एक कार्यकारी ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय भारत सरकार, योजना आयोग और गुजरात सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह ग्रुप इस मामले पर समग्र रूप से विचार कर रहा है और हमने अभी अपने अन्तिम विचार बताने हैं।

SHRI UGRA SEN : Is it a fact that in the report on the Mathura Refinery, it has been stated that a technocrat company of Italy and a prominent scientist of India have said that the refinery emits sulpher-oxide, which will effect the white and red stones of the Taj and therefore, the said refinery should be shifted therefrom?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं उस प्रतिवेदन में कही गई बातों के बारें में कुछ नहीं बता सकता । मैं केवल यह कह सकता हूं कि ताज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ।

EXTENSION OF 228 BRANCH LINES

†*495. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Ministry had asked for a report from the Planning Commission in connection with the extension of 228 branch lines; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : The matter regarding 288 branch-lines has been pending with the Planning Commission since the first session of this Parliament. When will the Planning Commission submit its final report thereon ?

PROF. MADHU DANDAVATE : The study group of the Planning Commission is examining the matters concerning the railway development, construction and new lines and we hope to get the final report of the group in December, from which we will get the exact position regarding allocation etc. The lines referred to are branch-lines and they are 208, and not 288. A branch-lines are linked to the main lines and we are suffering great loss on account of these branch-lines.

DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Etah—Tundla branch-line is running at a loss. Will this line be linked to Farrukhabad main line ?

PROF. MADHU DANDAVATE : We shall first complete the pending works in our hand and thereafter consider taking other lines in hand.

SHRI RAM MURTI : We have thousands of miles of meter-gauge lines in our country and lacs of passengers travel in them and thousands of tonnes of goods are transported thereby. Therefore, why can't we stop spending lacs of rupees on converting meter-gauge lines into broad-gauge lines and spend this money on the road development and on the development of rural areas ?

PROF. MADHU DANDAVATE : On the one hand, a demand is made for constitution of new railway lines in the backward areas and on the other, it is said that since these lines are running at a loss. These schemes should be scrapped and the money saved thereby, should be spent on rural development. Any way we shall keep both these points of view in mind while taking a final decision in the matter.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : What is the criteria for laying new lines or for linking branch-lines to the main-lines ?

PROF. MADHU DANDVATE : If railway lines are to be laid in the backward areas, there should be sufficient density of traffic. We consider in terms of increasing transport facilities and laying more railway lines only when we expect more return.

I give below the figures of the branch-lines and the loss incurred by them during the year 1972-73 to 1975-76 :

Year	*Branch lines*	*Loss*
1972-73	127	Rs. 11.39 crores
1973-74	139	Rs. 19.90 crores
1974-75	142	Rs. 26.14 crores
1975-76	132	Rs. 25.75 crores

We shall take a decision in the matter after taking into consideration all these factors.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUSTIONS

औद्योगिक अलकोहल का उत्पादन

*496. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक अल्कोहल का वार्षिक उत्पादन कितना है और इसके प्रमुख उत्पादक कौन-कौन सी कम्पनियां और राज्य हैं ;

(ख) इसके प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) देश में अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क),(ख) और (ग) कुछ वर्षों के दौरान देश में अल्कोहल का उत्पादन निम्न प्रकार रहा:—

वर्ष	मात्रा मिलियन लीटर में
1974-75	387.00
1975-76	408.19
1976-77	445.23
1977-78 (अनुमानित)	489.45

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और हरियाणा, अल्कोहल का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। संगठित क्षेत्र में औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने वाली 71 आसवनिजों की एक सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रख गई । देखिए संख्या एल० टी०-1437/77**] ।

(ख) अल्कोहल का प्रयोग करने वाले मुख्य उद्योग इस प्रकार हैं :—सिन्थेटिक रबड़, पोलीथिलीन, स्टाइरीन, पी० वी० सी०, एसेटिक एसिड, एसेटिक एनहाइड्राइड इथाइल एसिटेट और 2-इथाइल हेक्सानोल ।

(ग) सरकार ने औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपायें किए हैं । 60 रुपए प्रति मीटर टन शीरा के मूल्य में से शर्करा कारखानों को 20 रुपए प्रति मीटर टन की राशि शीरा और अल्कोहल के आसवन के लिए कच्चे माल के भंडार के निर्माण के लिए अलग रखनी पड़ती है । खांडसारी शीरे को केन्द्रीय शीरा नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत रखा गया है ताकि उसका प्रयोग आसवन के लिए किया जा सके । अल्कोहल के मूल्यों को उचित स्तर पर लाने के लिए टेरिफ आयोग द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर 1975 में अल्कोहल के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी । केन्द्रीय शीरा बोर्ड अल्कोहल और शीरा के उत्पादन की साथ-साथ पर समीक्षा करता है और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार से आवश्यक सिफारिश करता है ।

UNFINISHED OVER-BRIDGES

*497. SHRI GOVINDRAM MIRI : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state .

(a) the reason for which the unfinished over-bridges on many Railway stations such as Jayaram Nagar, Baradwar, etc., have not been completed, so far; and

(b) whether the present Government will complete them, if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Excepting those foot over-bridges which have been sanctioned recently and are under construction, there are no unfinished foot over-bridges at Railway stations including at Jayaraman Nagar and Baradwar.

(b) Does not arise.

MERGER OF P AND D DIVISION WITH FACT ENGINEERING AND DESIGN ORGANISATION

*498. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to constitute a separate company with headquarters at Delhi by merging the existing P and D Division with FACT Engineering Design Organisation; and

(b) if so, the justification for incurring infructuous expenditure on shifting of a well established institution like P and D Division from Sindri to Delhi.

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) No, Sir. A proposal for the setting up of the Planning and Development Division of Fertilizer Corporation of India into a separate Engineering company with its headquarters at Sindri is under active examination. The proposal does not envisage the merger of P and D of FCI and FEDO of FACT.

(b) Does not arise.

कम्पनी संशोधन अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नियमों का संग्रह-सार

*499. **श्री के० राममूर्ति : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के अधीन नियमों का संग्रह-सार कब तक प्रकाशित किया जाएगा, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में किया गया है ; और

(ख) उक्त संग्रह-सार को प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा लागू हुए संशोधनों के आवश्यक संग्रह-सार सहित, कम्पनी अधनियम, 1956 के अन्तर्गत नियमों का संग्रह-सार पहले ही प्रकाशित हो चुका है । अतः अलग से एक अन्य संग्रह सार प्रकाशित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे द्वारा माल परिवहन में रियायतें

500. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री पी० के० कोडियन } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को माल परिवहन में रियायतें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बड़े औद्योगिक गृहों को उक्त रियायतें देने की क्या कसौटी है और गत तीन वर्षों में इस कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में पदों का हस्तान्तरण

*501. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1977 से शोलापुर डिवीजन के मध्य रेलवे में विलय के परिणामस्वरूप उक्त रेलवे के पदों के हस्तान्तरण के पश्चात् दक्षिण-मध्य रेलवे के कुल कितने कर्मचारियों ने, श्रेणी-वार, मध्य रेलवे के लिए विकल्प दिया ;

(ख) विकल्प देने वाले कुल कितने कर्मचारियों के मध्य रेलवे में स्थानान्तरण के बारे में विचार किया गया ; और

(ग) क्या मध्य रेलवे में स्थानान्तरण के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टरों की व्यवस्था की जाती है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के फलस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि शाहबाद-बाडी-रायचूर खण्ड के कर्मचारियों को मध्य रेलवे के शोलापुर मण्डल तथा दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्तकल मण्डल के अलावा दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद बड़ी लाइन और मीटर लाइन मण्डलों को स्थानान्तरण के लिए पुनः विकल्प देने को कहा जाए । यह विकल्प 31-12-77 तक दिया जाना है । अतः दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या उक्त तारीख के बाद ही ज्ञात हो सकेगी । तब तक इस सम्बन्ध में सभी स्थानान्तरण स्थगित कर दिए गए हैं ।

(ग) क्वार्टरों का आवंटन प्राथमिकता वर्गों तथा रजिस्ट्रेशन की तारीख के आधार पर निर्धारित किया जाता है । ऐसे विकल्प देने वालों को भी वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो मध्य रेलवे पर उनके समतुल्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात किए गए कच्चे माल एवं बल्क औषधियां लघु एककों को देना

502. **श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेन्सियों के माध्यम के आयात किए गए कच्चे माल एवं बल्क औषधियां लघु क्षेत्र एककों, मध्य क्षेत्र एककों तथा बड़े एककों को देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या यह सच है कि लघु एककों को 'मेथिल डोपा' नहीं किया जाता जबकि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मर्क शार्प डाइन जैसी संगठित क्षेत्र की कम्पनियों को इस दिशा में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) नए लघु एककों को 'गोथिल डोपा' न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अपने 29 अक्तूबर, 1977 के परिपत्र में लघु पैमाने के एककों और संगठित क्षेत्र के लघु तथा मध्यम आकार के एककों को सारणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के बारे में नीति निर्धारित की है । यह नीति 1977-78 के दौरान सारणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के बारे में है । ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

1. लघु उद्योग क्षेत्र :

(क) 1977-78 और 1978-79 की कुल अतिरिक्त आवश्यकता 1976-77 के लिए सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के आवंटन के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ख) सप्लाई मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर होगी ।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के नए एककों को तभी पंजीकृत किया जाएगा जब वे सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रक द्वारा उनको जारी किए गए औषध निर्माण लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगे और अपने बैंक अथवा राज्य का केन्द्रीय वित्तीय संस्था, जो वित्तीय सहायता देते हैं, को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी उत्पादन योजनाओं को मांगी गई सामग्री की आवश्यकता है ।

(घ) जो एकक सप्लाई के लिए मांग करें, उनको सारणीबद्ध एजेन्सी को एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि उक्त कच्चा माल उनके अपने उत्पादन में कैप्टिव खपत के लिए अपेक्षित है ।

(ङ) वर्ष के अन्त में एककों को किसी सनदी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाण देना होगा कि इस कच्चे माल को वास्तव में उनके अपने एककों में सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए प्रयोग म लाया गया है ।

II. डी० जी० टी० डी० एकक :

(क) डी० जी० टी० डी० एककों को उनकी कच्चे माल की आवश्यकता के लिए 1977-78 के दौरान उनकी 1976-77 के दौरान प्रत्येक मद की सप्लाई के आधार पर अथवा सूत्रयोगों की लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार उनकी हकदारी, जो भी अधिक हो, के आधार पर कच्चे माल की सप्लाई की जाएगी। 1978-79 के लिए नीति की घोषणा बाद में की जाएगी ।

उपरोक्त नीति एल-वेस, स्ट्रैप्टोमाइसीन, एसिडोपाइरीन, डैक्सीसाइक्लीन और जैन्टामाइसीन की सप्लाई पर लागू नहीं होगी, जिसको अलग से नियमित किया जाएगा ।

(ख) 1976-77 तक संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को, कम्पनी की हैसियत, जटिल और नाजुक औषधों का निर्माण करने की उनकी योजना और मेथाइल डोपा की गोलियों का उत्पादन करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए मथाइल डोपाकी सप्लाई की जा रही थी, तथापि 1977-78 से इस प्रतिबन्ध को हटा दिया गया था और अब लघु पैमाने के एककों को भी कम से कम 25 किलोग्राम तक सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। भविष्य में विभिन्न एककों को मैथाइल डोपा की सप्लाई, उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई नीति के अनुसार की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि

*503. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान देश के बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, भारत में 20 बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों का मूल्य क्या है ; और

(ग) देश में औद्योगिक गृहों के विस्तार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या उन्हें बिल्कुल रोक दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

भाग (ख) : निम्नलिखित सारणी 30-9-1977 तक एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार 20 बड़े औद्योगिक घरानों के 1972 से 1975 तक के वर्षों की परिसम्पत्तियों का मूल्य तथा 1975 में परिसम्पत्तियों के मूल्य के अनुसार पद को प्रदर्शित करती है । वर्ष 1976 की तदनुरूपी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है :—

औद्योगिक धराने का नाम	परिसम्पत्ति (करोड़ रु० में)			
	1972	1973	1974	1975
1	2	3	4	5
1. टाटा . . .	634.84	667.22	774.71	909.68
2. बिड़ला .	572.17	627.00	721.90	858.81
3. मफतलाल*. .	183.74	224.56	232.98	244.23
4. जे० के० सिंधानिया	121.45	147.01	186.36	209.56
5. थापर . .	136.16	150.11	167.56	197.90
6. सिंधिया .	107.73	133.93	151.33	183.05
7. आई० सी० आई०	135.21	143.30	160.92	178.34
8. श्रीराम .	120.77	126.28	144.57	166.16
9. ए० सी० सी० .	134.36	139.90	140.96	160.05
10. बांगुर† . .	118.87	124.13	149.52	158.63
11. किर्लोस्कर .	97.93	105.45	128.67	148.65
12. लार्सन एण्ड ट्यूब्रो	79.03	93.68	119.35	137.69
13. वालचन्द .	99.47	116.35	121.85	126.78
14. खटाऊ (बम्बई)†	63.77	67.97	107.98	119.03
15. आई० टी० सी०	74.75	81.01	99.88	116.80
16. मैकनील एण्ड मगोर**	106.21	119.64	113.57	114.40
17. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	58.49	64.51	98.10	114.08
18. साराभाई . .	85.35	87.68	105.21	111.13
19. कस्तूरभाई लालभाई .	78.61	86.38	100.55	108.16
20. टी० वी० एस० आयंगर .	50.32	69.35	94.26	102.04
योग . .	3059.23	3375.46	3919.63	4465.17

टिप्पणी :—*एक कम्पनी अर्थात् एम० जी० कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड का प्रथम तुलन-पत्र 1975-76 के लिए है ।

**एक कम्पनी अर्थात् जे० थामस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध म 1973 की परिसम्पत्तियां 1974 में पुन: दिखलाई गई हैं।

बिन्नी लिमिटेड (1974 और 1975 वर्षों के लिए) की परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं करती हैं क्योंकि वह इस समूह से अब अन्त: सम्बन्धित नहीं है।

†एक कम्पनी अर्थात् श्रीनिवास ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 1974 की परिसम्पत्तियां वर्ष 1975 में पुन: नहीं दी गई है ।

‡चार कम्पनियों अर्थात् (1) केमिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड (2) मनी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, (3) फोमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और (4) प्रेसीशन प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में वर्ष 1974 की परिसम्पत्तियां वर्ष 1975 में पुन: दी गई हैं।

भाग (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम; 1969 के अध्याय 3 और 4 के उपबन्धों पर आकर्षित किया जाता है, जो सामान्य हानि और एकाधिकारिक एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं को निषिद्ध करने में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण के निवारण से सम्बन्धित हैं। इन उपबन्धों के कार्यकरण से सम्बन्धित सांविधिक वार्षिक रिपोर्टें समय-समय पर सदन के पटल पर रखी जाती रही हैं। एक उच्चाधिकार समिति जो हाल ही में सरकार द्वारा गठित की गई है इसके साथ-साथ एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की व्यापक संवीक्षा कर रही है इस दृष्टि से कि उन परिवर्तनों को सुझाया जाए जो उक्त अधिनियम की पद्धति, प्रशासन और परिचालन में किए जाने अपेक्षित हैं।

मूल्य नियंत्रण को आवश्यक 'बल्क' औषधियों तक सीमित करने का प्रस्ताव

*504. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य नियंत्रण को आवश्यक फार्मूलेशनों के उपयोग में आने वाली कुछ आवश्यक बल्क औषधियों तक ही सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषध उद्योग पर भविष्य की नीति में, अन्य बातों के साथ साथ अनिवार्य प्रपुंज औषधों के मूल्य नियंत्रण से सम्बन्धित नीति शामिल है और इस पर हाथी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस नीति पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

PRIORITY FOR INTRODUCTION OF NEW TRAINS IN BACKWARD AREAS

†*505. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to accord priority to provide new rail services in backward areas in the country;

(b) if so, the names of the States in which Government propose to implement this scheme; and

(c) whether Government are making efforts that the private sector should also set up industries in backward areas so as to utilise railway service?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDVATE): (a) to (c) Plans for introduction of new services during the year 1978-79 are yet to be finalised. While drawing up the plans, the needs of various areas for additional passenger services will be kept in view having regard to the traffic justification and availability of requisite resources.

'फ्राड ग्रान दि सिक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*506. **श्री अनन्त दबे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में 'फ्राड ग्रान दि सिक' शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि करोड़पति फार्मास्यूटिकल उद्योग को और कुछ महीनों के लिये देश के बीमार व्यक्तियों से धन लूटने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) हाथी समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें से कुछ सिफारिशों का संबंध विदेशी औषध कम्पनियों के कार्यकलापों को नियमित करने से है। मार्च, 1977 में मंत्री महोदय द्वारा कार्यभार सम्भालने के तुरन्त पश्चात नये अनुदेश जारी किये गये थे कि औषध निर्माताओं और अन्य सम्बद्ध संघों तथा व्यक्तिगत निर्माताओं से विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका, लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण नीति के बारे में प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये हाथी समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की शीघ्र जांच की जाय। निम्नलिखित औषध निर्माताओं और अन्य संगठनों के साथ अनेक बार चर्चाएं हुईं।

(1) आर्गनाइजेशन आफ फार्मस्यूटिकल प्रोडेक्शन आफ इंडिया (ओ० पी० पी० आई०)।

(2) आल इंडिया मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए० आई० एम० ओ०)।

(3) इंडियन फार्मास्यूटिकल मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई० पी० एम० ए०)।

(4) इंडियन ड्रग्स मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई० डी० एम० ए०)।

(5) फार्मास्यूटिकल एण्ड एलाइड मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन (पी० ए० एम० डी० एल०)।

(6) इंडियन मेडीकल एसोसिएशन (आई० एम० ए०) और

(7) आल इंडिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन।

सभी प्रश्नों की समीक्षा करने के लिये बाद में अनेक अन्तर-मंत्रालय बैठकें भी हुईं ।

हाथी समिति की सिफारिशों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिये 5-11-1977 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की विशेष बैठक भी बुलाई गई थी।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी सुझावों और विचारों पर अन्तिम रूप से विचार किया गया। अतः यह देखा जा सकता है कि इस विस्तृत रिपोर्ट पर, नये सिरे से जांच की जानी थी, जिसमें भारत के सम्पूर्ण औषध उद्योग पर अनेक जटिल सिफारिशें और उप सिफारिशें की गई हैं, और जिस पर भूतपूर्व सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी थी, अब शीघ्र ही इस पर निर्णय लिये जाने की आशा है।

पढ़ी न जा सकने वाली आरक्षण सूचियां

*507. **श्री लालजी भाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रियों को विभिन्न स्थानों पर लगी आरक्षण सूचियों में अपने आरक्षणों का पता लगाने में भारी कठिनाई होती है क्योंकि यह सूची साफ लिखी हुई नहीं होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस किस्म की कुछ शिकायतें रेल प्रशासन के ध्यान में आई हैं।

(ख) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर टाइप किये हुए आरक्षण चार्ट लगाये जाते हैं। कुछ महत्व-पूर्ण स्टेशनों पर ऐसे चार्टों को बड़े-बड़े अक्षरों वाले विशेष टाइप राइटरों पर तैयार करने की प्रणाली शुरू की जा चुकी है। यह प्रणाली यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी एवं सुविधाजनक साबित हुई है।

दूसरे स्टेशनों पर जहां आरक्षण का काम अधिक नहीं होता है, अच्छे और सुपठनीय हस्तलेख में स्वच्छ और स्पष्ट आरक्षण चार्ट लगाने के प्रयास किये जाते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इन हिदायतों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, अक्सर अचानक छापे मारे जाते हैं और जहां किसी प्रकार की ढील पायी जाती है वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है।

मूल औषधियों को फार्मलेशनों और गोलियों में बदलना

*508. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रयोग के तौर पर मूल औषधियों को फार्मूलेशनों और गोलियों में बदलने का काम तेज करने का निर्णय किया है ;

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के लिये मूल औषधियों को फार्मूलेशनों में बदलने का काम तेज करने के लिये क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है और क्षता में वृद्धि तथा उसका पूर्ण उपयोग सम्भवतः कब तक होने लगेगा या वह लक्ष्य प्राप्त हो गया है ; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्राइवेट औषध कम्पनियां, अधिकांश विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां सरकारी एजेन्सियों से कोई प्रभावी प्रतियोगिता न होने के कारण शोषण कर रही हैं और मुनाफाखोरी कर रही हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार सूत्रयोगों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र को सब प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है। सरकारी क्षेत्र के एकक सूत्रयोगों में परिवर्तन करने के

लिए अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का 60 प्रतिशत की खपत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्षेत्र के एककों को सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये उनके द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों के मूल्य के 10 गुना तक लाइसेंस दिये जा रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के बारे में अक्तूबर, 1977 में एक उदार नीति की घोषणा की गई है। इस सब उपायों के परिणामस्वरूप देश में सूत्रयोग उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

(ख) आई० डी० पी० एल० ने 1976-77 में 38.10 करोड़ रुपये के सूत्रयोगों की बिक्री की है। सरकार ने गुड़गांव और मद्रास में आई० डी० पी० एल० के अपने सूत्रयोग प्रायोजनाओं की स्थापना के लिये स्वीकृति दे दी है, जिनके 1978 के अन्त तक चालू होने की आशा है। सरकार ने लखनऊ में एक सूत्रयोग एकक की स्थापना के लिये भी स्वीकृति दे दी है जिसमें आई० डी० पी० एल० और प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल इनवैस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० साझेदार होंगे। इस प्रायोजना के 1979 के मध्य तक चालू होने की आशा है। पूरी क्षमता प्राप्त करने पर ये प्रायोजनाएं आई० डी० पी० एल० की सूत्रयोगों की बिक्री में 41 करोड़ रुपये की वृद्धि करेंगे।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषध निर्माता एकक अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक सूत्रयोगों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन यह आशा है कि सरकारी क्षेत्र की फर्मों के सूत्रयोग कार्यकलापों में वृद्धि होने से प्राईवेट औषध कम्पनियों द्वारा शोषण की आशंका समाप्त हो जाएगी।

जहां तक लाभ कमाने का सम्बंध है, विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों (उन मामलों को छोड़कर जहां घोषित मूल्य लागू हैं) और सूत्रयोगों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत उनको केवल उचित मल्य पर बेचने की अनुमति है। तथापि घोषित मूल्यों पर आधारित प्रपुंज औषधों के मूल्यों की समीक्षा का प्रश्न विचाराधीन है।

बर्थों का आबंटन

4567. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनों और मुख्यालय कार्यालयों के लिये निर्धारित एच० ओ० आर० कोटे से बर्थों के आबंटन के विशेषाधिकार का उपयोग करने के हकदार कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या इस सुविधा का उपयोग रेल अधिकारी, उनके सम्बन्धी और मित्र भी कर सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद, मुरादाबाद, नई दिल्ली और बीकानेर डिवीजनों में इस कोटे को नियंत्रित करने वाले अधिकारी इस सुविधा का दुरूपयोग कर रहे हैं तथा वे सामान्यतः अपने सहयोगियों के सम्बन्धियों और मित्रों को बर्थ आबंटित करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त डिवीजनों में इस प्रकार कितनी बर्थे अलाट की गईं तथा एच० ओ० आर० कोटे का दुरूपयोग बन्द करने के लिये क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) यह कोटा केन्द्रीय/राज्य मंत्रियों तथा उच्च पदाधिकारियों के प्रयोग के लिए है जो 'उच्च अधिकारी मांगपत्र' पर रेलों पर स्थान मांगने के पात्र हैं। जब यह कोटा इन पात्र अधिकारियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो उपयोग न किये गये कोटा का स्थान संसद सदस्यों, विदेशी पर्यटकों, सम्वाददाताओं, ड्यूटी पर यात्रा कर रहे सरकारी अधिकारियों तथा अन्य अनुकम्पा योग्य मामलों, जैसे मृत्यु, गम्भीर बीमारी आदि के सम्बन्ध में यात्रा करने वालों को दे दिया जाता है ।

(ग) और (घ) इस कोटे के उपयुक्त प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस पर निरन्तर निगाह रखी जाती है।

ईरान द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि किया जाना

4568. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान से कितने टन अशोधित तेल का आयात किया जाता है ;

(ख) ईरान से शाह की इस घोषणा का क्या प्रभाव पड़ेगा कि 'रियाध' से आपत्ति के बावजूद तेल के मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक है ; और

(ग) क्या ईरान के शाह द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि की धमकी दिये जाने के बावजूद भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977 के दौरान, ईरान से लगभग 6 मिलियन मी० टन क्रूड आयल का आयात किया जाएगा ।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओपेक देशों ने तेल मूल्यों के सम्बन्ध में अपने विचारों को अभी अन्तिम रूप देना है, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना असामयिक होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे प्रशासन की हिन्दी शब्दावली

4569. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे प्रशासन की हिन्दी शब्दावली के बारे में दिनांक 26 सितम्बर, 1977 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिये हिन्दी शब्द सुझाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) पत्र में जिस शब्दावली का सुझाव दिया गया था उस पर रेल मंत्रालय में विचार करने पर यह मालूम हुआ कि शब्दावली समझने में कठिन है और अप्रचलित है। अतः इसे रेलों पर न अपनाने का निर्णय किया गया है।

औषध अनुसंधान एककों के लिए सहायता

4570. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** और **उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध अनुसंधान एककों की स्थापना के लिए भारतीय औषध निर्माताओं को सहायता देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) स्वदेशी औषध निर्माताओं और औषध अनुसंधान यूनिटों को स्थापित करने के लिए सहायता देने संबंधी कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, औद्योगिक एककों को विकास और अनुसंधान सुविधाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं 1977-78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (खण्ड-1) के पैरा 144 से 163 तक में दिखाई गई हैं। औषध अनुसंधान सुविधाओं के प्रोत्साहन के लिए हाथी समिति ने सूत्रयोगों के भावी मूल्य निर्धारण नीति में यह सिफारिश की है कि जो निर्माण एकक अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगी हुई है, उनके लिए वसूली की अधिकतम दर बढ़ाई जानी चाहिए। यह सिफारिश अन्य सिफारिशों के साथ सरकार के विचाराधीन है।

इलाहाबाद में साइकिल स्टैण्ड का ठेका

4571. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेंडरदाताओं से यह अपेक्षा की जाती थी/है कि वे अपने टेंडरों के साथ आयकर 'बकाया-नहीं' प्रमाण-पत्र दें और इसके न होने पर उनके टेंडर एकदम अस्वीकार कर दिये जाते थे/हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के डीविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, इलाहाबाद ने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था और नवीनतम आयकर 'बकाया-नहीं' प्रमाण-पत्र के न होने पर भी उसने एक अवैध टेंडर को 1 सितम्बर, 1977 से शुरू होने वाले साइकिल स्टैंड ठेके के लिए स्वीकार कर लिया था ;

(ग) क्या डीविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को इस प्रकार के मनमाने अधिकार प्राप्त हैं कि वह विज्ञापित शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन कर सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इलाहाबाद के लिए 1 सितम्बर से शुरू होने वाले साइकिल स्टैंड ठेके के सफल ठेकेदार को किन परिस्थितियों में यह छूट दी गई थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ख) टेंडरदाताओं को दी गयी हिदायतों के अनुसार केवल आय-कर बेबाकी के प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इन हिदायतों में 'नवीनतम' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

सफल टेंडरदाता ने हिदायतों के अनुसार आयकर का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। अतः टेंडर की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

धनबाद और सिन्दरी के बीच गाड़ी चलाने के बारे में अभ्यावेदन

4572. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानख्ता से होकर धनबाद और सिन्दरी के बीच गई ब्रांच लाइन यात्री गाड़ी चलाने के बारे में डिवीजनल सेक्रेटरी, डिविजनल रेलवे एम्पलाइज को ऑर डिनेशन कमेटी, ईस्टर्न रेलवे, धनबाद से दिनांक 16 अक्तूबर, 1977 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो गाँवों और औद्योगिक समूह के इस बड़े क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से विद्यमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान खुंटा के रास्ते सिंदरी तक यात्री गाड़ियां चलाने के लिए, इन गाड़ियों के लिए प्रधान खुंटा से सिंदरी तक के मार्ग की व्यवस्था तथा सिंदरी में नये यात्री टर्मिनल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। सड़क यातायात की अच्छी उपलब्धता को देखते हुए, यात्रियों को सिंदरी तक यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए धनबाद से सिंदरी तक यात्री गाड़ियों का प्रस्तावित विस्तार करना आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

मिजोरम की कोलोडाइन नदी के जल में तेल और गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण

4573. **डा० आर० रोथुआम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण मिजोरम की कोलोडाइन नदी के जल में प्राकृतिक गैस और तेल की मात्रा बहुत अधिक है (इसके जल में से गैस और तेल की गंध आती है), इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस नदी में प्राकृतिक गैस और तेल होने की सम्भावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करेगी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

1975–76 और 1976–77 के दौरान पंजीकृत नई कम्पनियां

4574. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 और 1976-77 में अब तक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत हुई नई कम्पनियों की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : 1975-76 की अवधि में, 75 नवीन कम्पनियां पब्लिक सेक्टर में अर्थात् सरकारी कम्पनियां और 2937 नवीन कम्पनियां प्राइवेट सेक्टर में अर्थात् गैर सरकारी कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थीं। 1976-77 में 54 नवीन सरकारी कम्पनियां और 2645 नवीन गैर-सरकारी कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं।

ब्रांड नाम वाली औषधियों की सप्लाई में कमी

4575. **श्री गोविन्द मुंडा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उवर्रक** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ब्रांड नाम वाली औषधियों की सप्लाई कम है ;

(ख) इन सारणीबद्ध मदों को लघु उद्योग क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र को देने के बारे में क्या नीति है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों में पता लगाये गये फार्मुलेशनों में सुरक्षित उपयोग की जाने वाली बल्क औषधियों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन कितना था और सरकार ने देश के उन कानूनों के पालन के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिनका बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश के विभिन्न भागों से ब्रांड नामों वाली औषधों की अनियमित कमी सूचित की जाती है। ये रिपोर्ट समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। तथापि कई मामलों में सम-उत्पाद सामान्यतः उपलब्ध हो जाते हैं।

(ख) सम्बन्धित सूचना 20-12-1977 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 502 के भाग (क) के उत्तर में दी गई है।

(ग) विदेशी फर्म जिन्होंने अपने लाइसेंसीकृत क्षमताओं से प्रपुंज औषधों का अधिक उत्पादन किया है उनके नाम दिखाने वाला विवरण पत्र 13-12-1977 को पूछे गये लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3667 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत की गई है। विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों (फार्मूलेशनस) के अधिक उत्पादन को नियमन करने सम्बन्धी हाथी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

3—1028LSS/77

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये नियत पद

4576. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, जोनवार, प्रत्येक ग्रेड और श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये आरक्षित कोटे के पदों के रूप में कितने पद नियत किये गये ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा हो गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जहां तक अराजपत्रित सेवाओं का सम्बन्ध है, सूचना इस प्रकार है :–

	1975-76				1976-77			
	तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
रेलवे	अनु० जाति	अनु० ज० जाति	अनु० जाति	अनु० ज० जाति	अनु० जाति	अनु० ज० जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति
मध्य .	606	431	252	202	1205	981	278	266
पूर्व .	960	648	1128	1300	526	298	380	280
उत्तर .	351	1376	182	321	984	725	401	227
पूर्वोत्तर .	220	125	55	33	519	277	222	135
पूर्वोत्तर सीमा .	85	63	54	21	741	491	423	256
दक्षिण .	753	521	379	372	1158	852	549	366
दक्षिण मध्य .	365	333	239	300	507	361	315	283
दक्षिण पूर्व .	438	229	102	100	1260	738	363	238
पश्चिम .	624	334	424	270	800	435	314	164

राजपत्रित सेवाओं के सम्बन्ध में, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण यह कोटा भरा नहीं जा सका।

अमृतसर में एक्स-रे तकनीशियन के पद का दर्जा बढ़ाया जाना

4577. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे का चिकित्सा विभाग फिरोजपुर डिविजन के अन्तर्गत अमृतसर में एक्स-रे तकनीशियन के पद का दर्जा बढ़ाने और बीकानेर डिविजन के अन्तर्गत लालगढ़ अस्पताल में इस पद का दर्जा घटाने का इच्छुक है जबकि इन दोनों स्थानों पर काम की मात्रा तथा किस्म में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है ; यदि हां, तो चिकित्सा विभाग ऐसा क्यों चाहता है ;

(ख) यदि नहीं, तो अमृतसर तथा बीकानेर डिविजन में इन पदों के ग्रेड में भिन्नता होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के चिकित्सा विभाग ने फिरोजपुर डिविजन में निचले वेतन मान वाले एक्स-रे तकनीशियनों के अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे चिकित्सा विभाग रेलवे बोर्ड द्वारा एन० आर० क्रम सं० 3188 आफ 10/65 नोट (1) बिलो लैट नं० 940/ई०/ओ० III (ई०—IV) आफ 10/65 के अन्तर्गत घोषित नीति की उपेक्षा क्यों कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग), उत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन की सिफारिश पर 330-560 रु० (संशोधित वेतन मान) के रेडियोग्राफ (एक्स-रे तकनीशियन) का पद, जो बीकानेर मंडल के लिए स्वीकृत किया गया था, पदधारी के साथ अमृतसर को अन्तरित कर दिया गया और अमृतसर का निम्न वेतनमान का एक्स-रे तकनीशियन का पद पदधारी के साथ बीकानेर मंडल को अंतरित कर दिया गया।

(घ) और (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली छावनी के बरार स्क्वेयर रेलवे टर्मिनल स्टेशन

4578. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, तिलक नगर, राजोरी गार्डन, नारायणा, हरिनगर, आदि जैसी पश्चिम दिल्ली की कालोनियों के लाखों निवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये दिल्ली छावनी के बरार स्क्वेयर में तीसरा रेलवे टर्मिनल स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी और स्मिथ स्ट्रेनस्ट्रीट को जारी किये गये लाइसेंस

4579. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी और स्मिथ स्ट्रेनस्ट्रीट को कौन-कौन से औद्योगिक लाईसेंस एवं आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात किया गया कितना कच्चा माल सप्लाई किया गया ;

(ख) इस समय हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० का उत्पादन मदवार, क्षमता वार कितना है और सरकार उनके द्वारा उत्पादन के हित में स्वीकृत लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करना चाहेगी, और

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के प्रबन्ध में राजनीतिक दृष्टि से कुछ काम किये गये है जिनका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स सिमिथ स्ट्रेन स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० को औद्योगिक लाइसेंस के ब्योरे सारणीबद्ध कच्चे माल के आवंटन संलग्न विवरण पत्र में दर्शाए गए हैं। गत तीन वर्षों (1-1-75 से अब तक) के दौरान मैसर्स एच० ए० एल० को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान सारणीबद्ध कच्चे माल के आवंटन (केवल एच० ए० एल० के लिए) और उनके दिए गए आयात लाइसेंस के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान एच० ए० एल० द्वारा प्रपुंज औषधों का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

मद	एकक	उत्पादन		
		1974-75	1975-76	1976-77
पेंसिलिन	एम० एम० यू०	62.83	64.78	74.00
स्ट्रेप्टोमाइसिन	कि० ग्राम	66370	61789	85948
विटामिन सी०	कि० ग्राम	618.0	3943	1291
एम्पीसिलिन . .	कि० ग्राम	195	439	760

एच० ए० एल० के कार्यकुशलता में सुधार लाने और स्वीकृत क्षमताओं की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए अच्छे स्ट्रेनों और प्रौद्यौगिकी को जारी करने की स्वीकृति दी है। सरकार ने एच० ए० एल० के विटामिन 'सी०' संयंत्र के पुनः स्थापना के लिए मैसर्स रोश प्राडक्ट्स लि० द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रयोग को भी स्वीकार किया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस संख्या	उत्पादन के मद	यूनिट	क्षमता (वार्षिक)
		मिलियन	
1. सी० आई० एल० 29 (77) दिनांक 27-1-77	1. गोलिया क्लोराक्विन	250 एम० जी०	40.00
	2. गोलिया मैथल डोपा	बी० पी०/यू० एस० पी०	10.00
	3. गोलिया फ्रूसीमाइड	बी० पी० 40 एम० जी०	12.00
	4. गोलिया कोबसटन -6	बी० 1, बी० 6, बी० 12 एण्ड निसनामाइड	10.00
	5. कोबसटन-6 फोटे	बी० 1, बी० 6, बी० 12	10.00
	6. इन्डोमैथेसिन	बी० पी० 25 एम० जी० कैप्सूल्ज	20.00
2. सी० आई० एल० 49(77) दिनांक 5-2-77	**ए—कैपसूल्ज**		
	1. आक्सी टेट्रासाइकलीन	आई० पी० मिलियन 250 एम० जी०	10.00
	2. टेट्रासाइक्लीन	आई० 250 एम० जी० मिलियन	3.00
	3. क्लोराएमफैनीकोल	आई० 125 एम० जी० मिलियन	4.00
	4. क्लोराएमफेनीकोल	आई० 125 एम० जी० मिलियन	4.00
	5. एम्पीसिलिन	एन० एफ० II 250 एम० जी० मिलियन	4.00
	6. डोक्सीसाइकिलिन	बी० पी० 100 एम० जी० मिलियन	4.00
	7. क्लोक्सीसिलिन	बी० पी० 250 एम० जी० मिलियन	5.00
	8. स्ट्रेपटोमाइसीन क्लोरामफेलयकोस के साथ	125 एम० जी० एच० मिलियन	6.00
	बी—गोलियां		
	1. टेट्रोसाइकिलिन	500 एम० जी० मिलियन	1.00
	2. लैक्टोक्लोरा (लेक्टोबासिलस 100 मिलियन सपोर)		50.00
	3. पालीविटामिन थेराप्यूटिक एन० एफ० आई० II	मिलियन	50.00

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. विटामिन बी०-कम्पलेक्स विद विटामिन-बी काम्पलैक्स सहित विटामिन सी० और फालिक एसिड/एम० एफ० इ० II	मिलियन	30.00
	5. एनलजिन यू० एस० एस० आर०	मिलियन	50.00
	6. इराथरोमाईसिन स्ट्रीरेट यू० एस० पी० 250 एम० जी०	मिलियन	5.00
	7. टोल्यूक्यूटामाइड आई० पी० 500 एम० जी०	मिलियन	7.00
	8. ग्रीसयोकुलविन यू० एस० पी० 125 एम० जी०	मिलियन	7.00
	सी०—ओरल ससपेंशन		
	1. टेट्रासाईकलीन ससपेंशन 125 मि० ग्राम 5 एम० एल० प्रति	लीटर	10000
	2. टेट्रासाईकलीन ड्राप्स 100 मि० ग्राम प्रति एम० एल० 5 एम० एल०	लीटर	1000
	3. क्लोरफोनीकोल ईस्टर्ज़ सिरप 10 मि० ग्राम 5 मि० लि० प्रति	लीटर	5000

सी० पी० सी० से मैसर्ज़ स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा दिए गए और उठाये गये कच्चे माल का विवरण-पत्र ।

मद	अवधि (अप्रैल-मार्च) तथा (अप्रैल-दिसम्बर) 1975-76	1976-77	1977-78
	कि० ग्राम	कि० ग्राम	कि० ग्राम
विटामिन बी०-6	100	60	35
*क्लोक्विन फास	400	750	550
सिट्रिक एसिड	200	5029	2500
*विटामिन सी०	200	1140	1275
*यूरेथ्रीमाइसी एस्टीलेट . . .	870	1845	973
एम्पीसिलिन एनही/ट्रीह . . .	80	670	325
यरटरिक एसिड . .	50	200	—
क्लोरोएम्फनीकोल पाउडर . .	शून्य	375	100
इन्डोमेथसिन .	शून्य	शून्य	5
प्रीडनिसोलोन .	शून्य	शून्य	4
मेथाइल डोपा .	शून्य	25	300
इरेथ्रीमाइसीन स्टेरेट . . .	शून्य	5	50

*क्रमशः 200 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और 325 किलोग्राम के लिए पूर्ति आदेश प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

औद्योगिक लाइसेंस संख्या	निर्माण की मद	यूनिट	वार्षिक क्षमता
	डी—इन्जेक्टेबल		
	1. एरिथ्रोलेट आई० एम० 50 एम० जी० प्रति एम० एल० (एरिथ्रोमाइसी प्रोपियोनेट) इन्ट्रा-मस्कुलर 2 एम० एल० एमपल्स	मिलियन	1.20
	2. एनलजिन इन्ट्रामस्कुलर 2 एम० एल० एमपल्स	मिलियन	3.00
	3. एनलजिन इन्ट्रामस्कुलर 30 एम० एल० वायल्स	मिलियन	1.00
	4. ग्रोक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्ट्रामस्कुलर 50 एम० जी० प्रति एम० एल०-2 एम० एल० एम्पल्स	मिलियन	2.00
	5. आक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्ट्रामस्कुलर 50 एम० जी० प्रति एम० एल० 10 एम० एल० वायल्स	मिलियन	1.00
	ई—मरहम और क्रीम		
	1. ग्रोक्सीटेट्राइक्लीन ग्रोप्थलनिक मरहम 10 एम० जी० प्रति जी० एम०-35 ग्रामट्यूब	कि० ग्रा०	10000
	2. निट्रोफरेजोन मरहम 0.2 प्र० श०	कि० ग्रा०	40000

आई० डी० पी० एल० से मैसर्स सिमिथ स्टेनी स्ट्रीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा मुक्त और उठाए गए कच्चे माल का विवरण पत्र

मद	समय (अप्रैल-मार्च) और (अप्रैल-दिसम्बर) 1975-76	1976-77	1977-78
	किलो ग्राम	किलो ग्राम	किलो ग्राम
बिटामिन बी-1 एचसी एल० . . .	750	445	885
बीटामिन बी-1 मोनी . . .	शून्य	2	शून्य
बीटामिन बी 2	296	200	260
फौल्कएसिड	शून्य	23.5	5
सोडियम पी० ए० एस० . . .	7600	500	शून्य
पाइपराजाइन	5170	शून्य	4350
पाइपरा जाइन सीट्रर . . .	5340	2515	3000
टेडा माइकलिन एच सी एल . . .	540	425	505
सल्फा डी माइड	9320	21,101	14,800
सल्फामनीडाइड	4500	4700	5500
रिबोफिलेबिन 5 सोडा . . .	10	शून्य	शून्य
नवलजिन	110	100	40
आक्सी टेड्रासाइड कलिन एच सी एल . .	114	251	175

बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस

4580. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क औषधियों तथा फार्मूलेशनों के लिए 1970 से बाद में सी० ओ० बी० लाइसेंस किस आधार पर दिये गये हैं;

(ख) क्या किन्हीं कम्पनियों के लिए इस आधार में कोई अपवाद किया गया था और यदि हां, तो उन कम्पनियों तथा उन औद्योगिक लाइसेंस आदि का ब्यौरा क्या है तथा उनमें मंजूर की गई मदें और अनुमोदित क्षमताएं कितनी हैं; और

(ग) क्या यह अपवाद लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा किया गया था या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा और इसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आई० (डी० आर०) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में 'कारोबार चालू' रखने वाले औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है :—

(क) जहां कोई औद्योगिक उपक्रम, जिसको धारा 10 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना आवश्यक था, लेकिन जिसको निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया गया, उस अवधि के समाप्त होने के बाद अपना कारोबार जारी रखने का प्रस्ताव रखता हो [देखिए अधिनियम की धारा (क) खंड 13 उप-खण्ड (1)]

(ख) जहां कोई औद्योगिक उपक्रम, जिसके पंजीकरण को खण्ड 10क के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया हो, उसके बाद भी अपना कारोबार जारी रखने का प्रस्ताव-रखता हो [देखिए अधिनियम की धारा (ख) खण्ड-13 उपखण्ड (1)]

(ग) जहां कोई औद्योगिक उपक्रम, जिस पर अधिनियम के प्रावधान मूल रुप में लागू नहीं होते थे, लेकिन अधिनियम के आरंभ होने के बाद किसी कारण से ये प्रावधान लागू हो गये हों, प्रावधानों के लागू होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के पश्चात अपना कारोबार चालू रखने का प्रस्ताव रखता हो [देखिए अधिनियम की धारा (ग) खंड 13 उपखंड (1)]

(घ) जहां कोई औद्योगिक उपक्रम, जिस पर खंड 10, खण्ड 11, खंड 11 क अथवा अधिनियम की धारा (घ), खंड 13, उप खंड (1) के प्रावधान, मूल रूप में अधिनियम के खंड 29-ख के अन्तर्गत जारी किए गए छूट आदेश के कारण लागू नहीं होते थे, लेकिन बाद में छूट आदेश के रद्द हो जाने के कारण लागू हो गये थे, छूट आदेश को रद्द करने वाली अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद अपना कारोबार जारी रखने का प्रस्ताव रखता हो ?

(ख) केवल एक कम्पनी, अर्थात मैसर्स ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० (एक भारतीय कम्पनी) को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया है जिसको उपरोक्त नीति का एक अपवाद माना जा सकता है ।

मैसर्स ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० कलकत्ता को विविधीकरण नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए जुलाई, 1977 में डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत किया गया था :—

(1) क्लोरमफेनीकोल कैप्सूल्स,

(2) क्लोरमफेनीकोल स्ट्रेप्टोमाईसीन गोलियां/कैप्सूल्स

(3) टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० कैप्सूल्स/गोलियां

पार्टी ने 1975 के आरम्भ में उपरोक्त मदों का उत्पादन आरंभ कर दिया था। अक्तूबर, 1975 में इस कम्पनी ने उपरोक्त सूत्रयोगों के निर्माण के लिये अपेक्षित सरणीबद्ध कच्चे माल अर्थात क्लोरमफेनीकोल पाउडर और टैट्रासाईकलीन एच० सी० एल० के आवंटन के लिये सरकार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । तब यह देखा गया था कि पार्टी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना में निहित छूट नीति के अन्तर्गत इन मदों का उत्पादन करने के लिए पात्र नहीं थी, तथापि चूंकि पार्टी इन मदों का पहले से ही उत्पादन कर रही थी, अतः उनके निर्माण को नियमित करने का निर्णय लिया गया था और जनवरी, 1977 में उनको एक सी० ओ० वी० लाईसेंस दिया गया ।

इन मदों के लिये वार्षिक क्षमता निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :—

निर्माण के मद	वार्षिक क्षमता
1	2
(क) टेट्रासाइक्लीन-कैप्सूल्स (250 एम० जी०) गोलियां (250 एम० जी०)	एक मिलियन
(ख) क्लोरमफेनीकोल कैप्सूल्स (250 एम० जी०)	एक मिलियन
(ग) क्लोरमफेनीकोल-स्ट्रैप्टोमाइसीन कैप्सूल्स (125 एम० जी० जमा 125 एम० जी०)	एक मिलियन

(ग) सी० ओ० बी० लाइसेंस के आवेदन पत्रों को निपटाने के अधिकार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के पास हैं । अतः लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी ।

खुर्दा रोड स्थित कालेज तथा हाई स्कूल को वित्तीय सहायता

4581. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन मिला है जिसमें खुर्दा रोड पर जटनी में स्थित कालेज और हाई स्कूल के लिए सहायता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि कब मंजूर की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां । खोरधारोड (जटनी) में एक कालेज और खोरधारोड (रेतंग) में एक हाई स्कूल के अधिग्रहण करने तथा इस स्कूल की इमारत के विस्तार एवं फर्नीचर की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए भी दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन को एक ज्ञापन एवं एक आवेदन प्राप्त हुआ था ।

चूंकि सरकार की यह नीति नहीं है कि कालेज स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया जाये अथवा प्राइवेट रूप से प्रबन्धित शिक्षण संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाये, इसलिये रेल प्रशासन ने इस स्कूल के विस्तार एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए पहले से ही 1.25 लाख रुपए की रकम की स्वीकृति दे दी है ।

नई दिल्ली स्टेशन पर काम कर रहे पार्सल कुलियों का तबादला

4582. **श्री महमूद हसन खां :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन पर काम कर रहे कुछ पार्सल कुलियों का तबादला 1976-77 में नई दिल्ली से बाहर रेलवे बोर्ड की सी० आई० बी० की सिफारिशों के आधार पर कर दिया गया था क्योंकि वे यात्री माल की चोरी के मामले में अन्तर्ग्रस्त थे;

(ख) यदि हां तो क्या वे सभी कर्मचारी, जिनके बारे में ऐसी सिफारिश की गई थी, स्थानान्तरित कर दिये गये है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) तीन व्यक्तियों का स्थानांन्तरण कर दिया गया है । चौथे व्यक्ति को, जो नैमित्तिक श्रमिक था, बर्खास्त कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चलती गाड़ी में छात्राओं पर हमला

4583. श्री मुकुन्द मण्डल
श्री दिलीप चक्रवर्ती } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनको अपने विभाग के बारे में 23 नवम्बर, 1977 के आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित छात्रों तथा कर्मचारियों के संयुक्त वक्तव्य संबंधी रिपोर्ट की जानकारी है और यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है और जिन व्यक्तियों ने सुरक्षा तथा स्थान उपलब्ध नहीं कराया और जिनके बारे में यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार के दोषी हैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी हां । समाचारों तथा सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत के अनुसार, 30-10-77 को 61 अप जनता एक्सप्रेस से हावड़ा और देहरादून के बीच तथा 7-11-77 को 10 डाउन देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून और हावड़ा के बीच जोग माया देवी कालेज, कलकत्ता की छात्राओं का एक दल यात्रा कर रहा था तो छात्राओं को तब परेशानी उठानी पड़ी जब उनके डिब्बे में समाज विरोधी तत्व अनधिकृत रुप से घुस आये, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था न हो सकी और मार्ग में रेल कर्मचारियों ने उन्हें परेशान किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया ।

इसकी जांच की जा रही है तथा जांच के परिणामों के अनुसार दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी । इस बीच दो चल-टिकट परीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है । रेल प्रशासन ने प्रिंसिपल, जोगमाया देवी कालेज, कलकत्ता से इस घटना के लिए खेद भी प्रकट किया है । उक्त दल से रेल कर्मचारियों द्वारा तथाकथित ली गई 170 रु० की राशि लौटा दी गई है ।

CONVERSION OF NARROW GAUGE INTO BROAD GAUGE

†4584. SHRI AMARSINH RATHAWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to convert narrow gauge railways line from Miyagam to Chhotaudepur into broad gauge line; and

(b) whether there is a proposal to connect Khandwa railway line to Chhotaudepur and if so, when the work thereon is proposed to be started ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) On the recommendation of the Uneconomic Branch Line Committee, a traffic survey for the conversion of the Chhotaudepur-Chhuchhapura-Dabhoi-Pratapnagar and Chhuchhapura-Tankhala narrow gauge sections into broad gauge was ordered in November 1970. The survey report revealed that requirements of transport of the area can be fully met by the existing narrow gauge lines. Since the gauge conversion will be unremunerative, it was decided not to take up this project for the present. No survey has been carried out for converting the narrow gauge line between Miyagam and Dabhoi into broad gauge.

(b) No proposal for linking Khandwa to Chhotaudepur with a railway line is under consideration.

नैनी में दुर्घटनाग्रस्त डीलक्स गाड़ियों में 'बी' श्रेणी के ड्राइवर को लगाया जाना

4585. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बी' श्रेणी के ड्राईवर, श्री नन्द कुमार शर्मा को डीलक्स गाड़ी जो इलाहाबाद डिवीजन में नैनी में गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, चलाने के लिए 'ए' श्रेणी के वरिष्ठ ड्राइवर का काम दिया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि श्री नन्द कुमार शर्मा सवारी गाड़ी का ड्राइवर था और गाड़ी को मार्शलिंग यार्ड में निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चला रहा था; और

(ग) क्या 'ए' श्रेणी के ड्राइवरों की कोई कमी थी और यदि हां तो "ए" श्रेणी के ड्राइवरों के रिक्त स्थान पर 'बी' श्रेणी के कितने ड्राइवरों का उपयोग किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सामान्यत: डीलक्स गाड़ियों को 'ए' ग्रेड के ड्राइवर चलाते हैं। लेकिन 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों के छुट्टी पर जाने पर उनके छुट्टी एवजी के रूप में 'बी' ग्रेड के ड्राइवरों की व्यवस्था की जाती है। छुट्टी, बीमारी, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के कारण 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की अनुपस्थिति में 'बी' ग्रेड के ड्राइवर श्री नन्द कुमार शर्मा को डीलक्स गाड़ी चलाने पर लगाया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

इलाहाबाद डिवीजन में माल/सवारी गाड़ियों का दुर्घटनाग्रस्त होना

4586. **श्री शिव नारायण सरसूनियां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में कितनी माल/सवारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई;

(ख) सम्बद्ध अवधि में कितने व्यक्ति घायल हुए तथा मारे गये तथा उन्हें कितना मुआवजा दिया गया तथा रेल सम्पत्ति की क्षति हुई और कितनी हानि हुई; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गत एक वर्ष के दौरान अर्थात दिसम्बर, 1976 से नवम्बर, 1977 तक गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनायें तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 7 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 60 व्यक्ति मारे गये और 107 घायल हुए। रेलवे सम्पत्ति को लगभग 81,67,760 रु० की हानि होने का अनुमान है।

इन दुर्घटनाओं में हताहतों या उनके वारिसों को अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि क्षतिपूर्ति के दावे तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों की अदालतों में निर्णयाधीन हैं। रेल प्रशासन द्वारा अदालत द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर अविलम्ब भुगतान करने की व्यवस्था की जायेगी। उक्त दुर्घटनाओं में ड्यूटी करते हुए मारे गये 7 रेल कर्मचारियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन आवश्यक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रश्न रेल प्रशासन के सक्रिय विचाराधीन है। इन दुर्घटनाओं में जो आठ रेल कर्मचारी ड्यूटी करते हुए गम्भीर रूप से घायल हो गए थे उनका अभी डाक्टरी इलाज चल रहा है और उनके मामलों में उक्त अधिनियम के अधीन आवश्यक क्षतिपूर्ति का भुगतान उनकी उपार्जन क्षमता में हुई क्षति को निर्धारित करने के बाद किया जायगा।

(ग) चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाएं होने का एक सबसे बड़ा कारण है अतः गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी अधिक जागरूकता पदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न कर तथा लाधव विधि न अपनाएं, 24 अक्तूबर, 1977 से एक राष्ट्रव्यापी संरक्षा अभियान चलाया गया है। मानव तत्व पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न परिष्कृत साधनों, जैसे पहियों, धुरों, तथा पटरियों के लिए एल्ट्रासानिक फ्लप डिटेक्टर रेलपथ परिपथन, स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

प्रशिक्षुओं का रेलवे के क्लर्क ग्रेड में प्रशिक्षण

4587. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा 1976–77 में उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय में क्लर्क ग्रेड के कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) कितने प्रशिक्षुओं ने लिखित परीक्षा पास की है, जिन्हें रेलवे की नियमित सेवा म रख लिया गया;

(ग) कितने प्रशिक्षुओं ने व्यवसाय परीक्षा (ट्रेड टेस्ट) पास की है जिन्हें रेलवे की नियमित सेवा में अभी नहीं लिया गया है और उनके मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 664।

(ख) (ग) और (घ) : प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत नियोजकों के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है, किन्तु उन्हें सेवा में समाविष्ट कर लेने के लिए उसमे कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है प्रशिक्षुओं को समाहित करने के लिए उनकी क्षमता (1) रिक्तियों की कमी, (2) सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण सीमित है।

भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 664 प्रशिक्षुओं में से किसी ने भी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास नहीं की है फिर भी वे रेलवे पर समाहित किय जाने का अनुरोध कर रहे हैं। इस समस्या की जांच करने तथा उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात सरकार ने यह निर्णय किया कि 31-3-1978 तक होने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियों को इन प्रशिक्षुओं में से एक चयन बोर्ड द्वारा जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित रेल सेवा आयोग के चेयरमैन होंगे चयन करके भरा जायेगा। उत्तर रेलवे के लिए उम्मीदवारों का चयन अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है।

भारतीय तेल निगम, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये रोस्टर रखे जाने का ज्ञापन

4588. **श्री महीलाल**
श्री राम चरण : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री 28 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के मार्केटिंग डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण के बारे में कोई रोस्टर अलग रखा जाता है;

(ख) यदि हां तो इन जातियों/जनजातियों के कितने कर्मचारियों को इस बीच पदवार पदोन्नति दी गई है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस मामले में पूरी जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का है; और

(घ) अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र कर्मचारियों को आर० एन्ड पी० डिवीजन और चेयरमैन के कार्यालय सहित नई दिल्ली में ही पदोन्नति कब तक दी जायेगी जो लम्बे समय से उन्हें देय है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर की दृष्टि से अलग रोस्टर के आधार पर पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति के पूर्ण रूप से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को पहले से ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि अब से जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं होता, उनके पात्रों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण किया जाए।

उड़ीसा में मंजूरशुदा बड़ी रेलवे लाइनें

4589. **श्री गिरिधर गोमांगो :** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1977-78 के लिए उड़ीसा राज्य में सर्वेक्षण और निर्माण हेतु कितनी नई बड़ी रेलवे लाइनों की मंजूरी दी है;

(ख) क्या उन रेलवे लाइनों का काम आरंभ हो गया है; और

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिये अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) निम्नलिखित रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण-कार्य इस वर्ष बजट में शामिल कर लिये गये हैं :—

	1977-78 के बजट में की गई व्यवस्था।
1. तालचेर से सम्बलपुर तक नई बड़ी लाइन	2 लाख रुपए
2. कोरापुट से पार्वतीपुरम/सालर तक नयी बड़ी लाइन	2 लाख रुपए

इन दो परियोजनाओं के लिये सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जखापुर और बासपानी के बीच रेल-सम्पर्क के पहले चरण के रूप में जखापुर से दैतरी तक (33.5 किलोमीटर) नयी बड़ी लाइन के निर्माण की मंजूरी दें दी गयी है। इस परियोजना पर निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। मार्च, 1978 के अन्त तक इस परियोजना पर 1.30 करोड़ रुपए खर्च हो जायेंगे।

कुकिंग गैस की सप्लाई

4590. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरा कुकिंग गैस के लिए कितने लोगों ने आवेदन पत्र दिया था;

(ख) उनमें से कितने लोगों को गैस की सप्लाई की गई थी;

(ग) शेष लोगों को गैस के कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे; और

(घ) क्या गैस की सप्लाई में गड़बड़ी की जाती है और केवल प्रभावशाली लोगों को उनके विभिन्न स्त्रोतों से गैस के कनेक्शन मिलते हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) विशेष रूप से वर्ष 1973-74 के दौरान कुकिंग गैस कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन दिये और उनमें से कितनों को वास्तव में कुकिंग गैस कनेक्शन दिये गये, उनकी संख्या बतलाना संभव नहीं हैं क्योंकि वितरकों द्वारा बुकिंग रिकार्ड एक लगातार क्रम संख्या में रखा जाता है और समस्त तेल कंपनियों द्वारा पृथक रूप से वर्ष वार सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस समय तरल पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) की मांग, उत्पाद की उपलब्धता से कहीं अधिक है। बड़े पैमाने पर नए कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में दर्ज किये गये व्यक्तियों को लगभग 1979/1980 तक दिये जा सकेंगे, जबकि नई शोधनशालाओं को आरम्भ करके और वतमान शोधनशालाओं में एल० पी० जी० के उत्पादन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को प्रतिस्थापित करके बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से एल० पी० जी० पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध होने लगेगी।

(घ) जी, नहीं।

हिन्दी में टिप्पण लिखने तथा प्रारूप तैयार करने के लिए नकद पुरस्कार योजना

4591. **श्री वापूसाहिब परुलेकर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकदी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में टिप्पणी लिखने तथा प्रारूप तैयार करने के लिए गत दो वर्ष में पैट्रोलियम मंत्रालय के कितने कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये गये, और

(ख) गत दो वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई तथा उसके वर्ष बार आंकड़े क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

FOOT-BRIDGES ON RAILWAY STATIONS

*4592. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway stations in India having foot-bridges connecting the two parts of the city;

(b) the number of foot-bridges entirely financed by Railways and the number of foot-bridges in respect of which the State Governments or the local self Government have partially shared the expenditure; and

(c) whether any rules have been framed in this regard; if so, when were they framed and what are those rules?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 226.

(b) (i) Number of foot over-bridges entirely financed by the Railways—177.

(ii) Number of foot over-bridges in respect of which the State Govts. or local authorities have shared the cost—4.

(iii) Number of foot over-bridges constructed entirely at the cost of State Govt./ Local authority—51.

(c) The rules in this regard are based on Section 11 of Indian Railways Act 1890, as modified from time to time. In accordance with these rules, Railway Administration are required to provide "accommodation works" (which include foot over-bridges for the public to cross the tracks) at their cost only at the time of construction of a railway line (or within 10 years thereafter) to make good the interruption caused by the construction of the railway line. After this period, the cost of such foot over-bridges (both initial and recurring) is required to be borne by the State Govt./local authority requiring the facility.

इलाहाबाद में पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी कार्य

4593. श्री बटेश्वर हेमरम : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद में पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी कार्य के बारे में 5 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीनियर डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, ने जो, 'मुख्य नियोजक' है 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई, 1977 तक के दौरान काम पर रखे गये कामगारों को सोसाइटी द्वारा दिये गये कम भुगतान की राशि निर्धारित कर दी है ।

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सोसाइटी द्वारा दिये गये कम भुगतान की राशि उत्तर रेलवे मुख्यालय के कार्यालय द्वारा लिये गये नीति निर्णय के अनुसार वसूल कर ली गई है और मजदूरों में बांट दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो सोसाइटी के सचिव के साथ मिलीभगत करके इस भुगतान की राशि की वसूली करने में विलम्ब कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ) सोसाइटी द्वारा कम भुगतान से सम्बन्धित मामले में लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी (सेंट्रल) द्वारा जाच पड़ताल की जा रही है । उसके निर्णय की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

इलाहाबाद डिवीजन में कर्मशियल इन्सपेक्टर

4594. श्री एन० के० शेजवालकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में कर्मशियल इन्सपैक्टरों की मंजूरशुदा संख्या कितनी है;

(ख) क्या कर्मशियल इसन्पक्टरों को उनके कार्य के निष्पादन में उन्हें सहायता देने के लिए आउटडोर इनक्वायरी क्लर्क दिया गया था;

(ग) क्या आउटडोर इनक्वायरी क्लर्कों को अब आउटडोर इन्सपैक्टर (जांच) का पदनाम दिया गया है और कर्मशियल इन्सपैक्टरों के क्षेत्राधिकार को कम करके उन्हें स्वतंत्र कार्यभार दिया गया है ;

4—1028LSS/77

(घ) यदि हां तो क्या उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पांच ।

(ख) जी हां । इस उद्देश्य के लिए तीन पद सृजित किये गये थे।

(ग) उन्हें अब स्वतंत्र कार्य-भार सौंप दिया गया है । वाणिज्य निरीक्षकों के रुप में पदों को पुनः नामित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) चूंकि कार्यभार एक मंडल से दूसरे मंडल में भिन्न-भिन्न होता है अतः ऐसे मामलों म कोई एकरुपता संभव नहीं है ।

RENOVATION OF ALIGARH RAILWAY STATION

4595. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal regarding renovation of Aligarh Railway Station;

(b) when will it be implemented; and

(c) the reasons for slow progress in this work ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) The work of renovation of Aligarh Railway Station has been sanctioned and is now in progress.

(c) The work is being done in such a manner as not to dislocate the normal day to day working at the station and also according to the availability of funds.

23

मैसर्स होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स द्वारा लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों में गलत तथ्य दिया जाना

4596. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पाया गया है कि मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यिटिकल्स औद्योगिक/आयात/सी० ओ० बी० लाईसेंसों के लिये अपने आवेदन पत्रों में गलत तथ्य दे रही है; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : मैमर्स होचेस्ट ने कुछ तथ्यों और अनुमानों के आधार पर (1) कैंटीलेप कैप्सूल, (2) विटाहेक्स्ट, (3) होस्टाकोर्टिन 'एच' 10 मिलीलिटर, (4) टेटनेस ऐंटीटोक्सीन

(5) होस्टासाइलीक्न ड्राई सिरप और (6) पांव और मुंह की बीमारी के टीकों के उत्पादन को जारी रखने हेतु सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया था। नीति के अनुसार उनके आवेदन पत्र की जांच की गई और प्रथम 3 मदों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया। पांव और मुंह की बीमारी के टीकों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस देना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि उन्होंने अधिक क्षमता के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस पहले से ही प्राप्त कर रखा था जिसमें इस मद का निर्माण भी शामिल किया जाना था। शेष मदों अर्थात् टेटनस ऐंटीटोक्सीन और होस्टासाइक्लीन ड्राई सिरप के लिये उनके आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया था क्योंकि कम्पनी द्वारा भेजे गये तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार ने नीति के अनुसार उनको सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं समझा था। मैसर्स होचस्ट ने होस्टासाइक्लीन ड्राई सिरप और टेटनस ऐंटीटोक्सीन के लिये सी० ओ० बी० लाईसेंस की नामंजूरी के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया था और बम्बई उच्च न्यायालय में इन मदों के लिये भी सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये जाने के लिए एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये थे कि सरकार इस मामले में उचित आदेश देने के लिये नये सिरे से विचार करे।

अन्य औद्योगिक/आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये उन्होंने तथ्यों को तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत किया है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इस संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि इस प्रकार का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

अधिक पेट्रो रसायन परियोजनायें स्थापित करना

4597. श्री अहमद हुसैन : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अधिक पेट्रोलियम-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) देश में निकट भविष्य में कितनी पेट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है और आसाम में कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इसको अन्तिम रूप देने आदि का कार्य सम्भव्यतया किस तारीख तक हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : देश में पेट्रो-रसायन की कोई नई परियोजनाओं को स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और जब कभी भी अतिरिक्त पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय किया जाएगा, उसे स्थापित करने के स्थान के प्रश्न पर भी उसी समय निर्णय लिया जाएगा।

कटिहार डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक

4598. श्री हली मुद्दीन अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में 15 सितम्बर, 1977 तक विभिन्न इन्स्पैक्टरों के अधीन चौथी श्रेणी के रिक्त पदों पर सी० पी० सी० के वेतनामान में कार्य कर रहे अस्थाई नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने श्रमिकों की छटनी कर दी गई और उनको अचानक सेवा से निकाल देने के क्या कारण हैं;

(ग) उनमें से कितने श्रमिक 'ओपन लाइन' का कार्य कर रहे थे और लगातार चार महीने की सेवा पूरी कर ली थी और क्या उनको अस्थाई श्रमिकों का दर्जा दिया गया था तथा उन्हें नियमित वेतनमान में वेतन दिया गया था; और

(घ) चौथी श्रेणी के पदों पर 15 सितम्बर 1977 के पश्चात् कितने श्रमिकों की भर्ती की गई और क्या यह भर्ती पूंजी में उल्लिखित नैमित्तिक श्रमिकों में से की गई, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; जबकि चौथी श्रेणी के पदों को समन्यतः नैमित्तिक श्रमिकों में से और स्थानापन्न व्यक्तियों में से भरा जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 15-9-1977 को 370 कार्यरत थे।

(ख) कोई भी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर चतुर्थ श्रेणी के पदों को 50:50 के आधार पर भरा जाता है अर्थात 50 प्रतिशत अभ्यार्थी रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रयोजित व्यक्तियों में से लिये जाते हैं। 50 प्रतिशत को नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों में से लिया जाता है । 15 सितम्बर, 1977 के बाद कोई भी सीधी भर्ती नहीं की गयी।

अरियालूर से अतूर तक रेल मार्ग

4599. श्री ए० अशोकराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरियालूर से पेराम्बलूर और थुराइयुर होते हुए अतूर तक एक नये रेल मार्ग के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ;

(ग) यदि सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो क्या वह अब किया जायेगा; और

(घ) क्या जयन्कोन्डम से अरियालूर, पेराम्बलूर और थुराईयुर होते हुए अतूर तक एक नये रेल मार्ग के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में धन की तंगी होने के कारण प्रस्तावित रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण करना, फिलहाल कठिन होगा।

खाली गैस सिलिण्डरों को खोया गया बताया जाना

4600 श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा 2700 खाली गैस सिलिंडरों को कलकत्ता और गोहाटी के बीच यातायात के दौरान खोया गया बताया गया है;

(ख) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि नये गैस कनेक्शन बंद किये जाने के कारण इन खाली सिलिण्डरों को नियमित रूप से काले बाजार में बेचा जा रहा है और सरकार का इसके बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1976 और अप्रेल, 1977 के बीच गोहाटी में स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के एक वितरक द्वारा आठ अवसरों पर, दो स्वीकृत परिवहन ठेकेदारों द्वारा गोहाटी शोधन-शाला को 2700 खाली गैस सिलिण्डर भेजे गये थे और ये गोहाटी शोधनशाला को प्राप्त नहीं हुये थे, जबकि वितरक ने बतलाया था कि ये सिलिण्डर ठेकेदारों को सौंप दिये गये थे, परन्तु ठेकेदारों ने उन सिलिण्डरों को प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया था। जबकि अप्रैल, 1977 को वितरक के पास पड़ी हुई उपकरण सूची ली गई उस समय इन सिलिण्डरों को प्राप्त न करने का मामला आई ओ० सी० के ध्यान में आया था । इस मामले में प्रारम्भिक जांच करने के उपरांत आई० ओ० सी० द्वारा 1-9-1977 की गोहाटी स्थित आर्थिक अपराधों के जांच ब्यूरो के निदेशक को इस मामले की सूचना दे दी थी । खौए हुए सिलिण्डरों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(ग) खाली सिलिण्डरों की नियमित रूप से चोर बाजारी की कोई सूचना नहीं है । जब कभी किसी वितरक अथवा परिवहन ठेकेदार द्वारा सिलिण्डर खोने का मामला आई० ओ० सी० के ध्यान में आता है तो सम्बन्धित पार्टी से खोये हुए सिलिण्डर के लिये दण्ड की दर पर धनराशि वसूल की जाती है ।

खमगांवचिखली—जालना रेल लाइन

4601. श्री डी० जी० गवई : क्या **रेल** मंत्री खेमगांव चिखली से जालना तक रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण के बारे में 12 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 3203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमगांव चिखली से जालना जिला बुलडाना तक रेल लाइन को वर्ष 1977 के दिनों में अलाभप्रद समझा जाता है :

(ख) यदि हां तो क्या सरकार यह सोचती है कि इन 42 वर्षों के बाद भी उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि वर्ष 1935 में इस लाईन के निर्माण को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि यह अलाभप्रद रहेगी : और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेक्शन पर, यह पता लगाने के लिये कि क्या अब यह लाईन लाभप्रद है पुन: सर्वेक्षण कराने का है और यदि हां तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) (ख) और (ग) : माननीय सदस्य ने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जो सूचना मांगी थी, वह उन्हें 12 जुलाई, 1977 को उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 3203 के उत्तर में दे दी गई थी । वर्तमान परिस्थितियों में परियोजना की अर्थक्षमता का ठीक-ठीक ज्ञान का इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है । लेकिन संसाधन की अत्यधिक कमी होने के कारण इस परियोजना पर बेहतर समय आने के बाद ही विचार किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध सं-संसाधन पहले स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं ।

TRANSLATION OF PETITIONS IN HINDI IN SUPREME COURT

†4602. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court does not accept enclosure in Hindi attached with the petitions by some High Courts and a Department of the Supreme Court charges Rs. 45 per page for translating it into English which is paid by the applicant; and

(b) whether with a view to encourage Hindi, make the courts less expensive and provide justice at low cost and save time, Government propose to make arrangements to translate Hindi enclosures attached by the High Courts free of cost and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) & (b) A statement giving the information is attached.

(a) Article 348(i) of the Constitution *inter-alia* states that all proceedings in the Supreme Court shall be in the English language. Rule 2 of Order-X Supreme Court Rules, 1966 states as under :—

"2. No document in language other than English shall be used for the purpose of any proceedings before the Court, unless it is accompanied by :

(a) a translation agreed to by both parties; or

(b) a translation certified to be true translation by a translator appointed by the Court; or

(c) the said document is translator appointed or approved by the Court.

"Explanation—The provisions of this rule shall, so far as may be, apply to a document in English of which a part is in a language other than English."

As provided by the aforesaid provisions of the Constitution and the Supreme Court Rules, the language of this Court being English, no document in Hindi is circulated to the Judges of the Court. If any document, in Hindi or in any other language, recognised by the Constitution is filed in the Supreme Court, either the

translation agreed to by both the parties or a translation approved or done by an official Translator, is circulated to the Court. As regards the translation charges, the Schedule of translation charges, which are to be paid to the Official Translator, so appointed, is as follows :—

(1) Translation charges for the first 10 page @ 4/- per page.

(2) Translation charges for the next 10 pages @ 3.50/- per page.

(3) Translation charges for the next 30 pages @ 3.00/- per page.

(4) Translation charges for the next 49 pages @ 2.50/- per page.

(5) Translation charges for the 100th and onwards pages @ 2.00/- per page. (Minimum charges being Rs. 25/-).

The panel of the Official Translator consists of Advocates as well as members of the Staff of the Supreme Court, who are mostly law-graduates.

(b) Some facility is already given in this regard. All documents in Hindi which are received in the Supreme Court Registry from jail are being translated in the Registry free of cost. As provided in Clause (a) Rule 2, Order-X of the Supreme Court Rules 1966 a document whose translation is agreed to by both the parties or where it is a copy of the translation already done for purpose of the case before the High Court, is not required to be re-translated and it is also open to the parties concerned to make an application for exemption from having the documents translated by an Official Translator, by submitting the translation done by an Advocate or other responsible person together with a supporting affidavit.

मैसर्स होचेस्ट द्वारा क्लोरोमफिनिकोल कैपस्सूलों का उत्पादन

4603. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होचेस्ट ने कानून के किन उपबंधों के अन्तर्गत क्लोरोमफिनिकोल कैपस्सूलों का उत्पादन कब आरम्भ किया, इसका उत्पादन कब आरम्भ हुआ तथा वर्षवार इसका उत्पादन कितना होता है;

(ख) उस समय इसका उत्पादन किन उपबंधों के अन्तर्गत किया गया था;

(ग) क्या यह नीति के अनुसार था और यदि नहीं तो इस वस्तु तथा अनेक वस्तुओं जिनका उत्पादन उस समय प्रचलित नीति का उल्लंघन करके हुआ के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस क्यों दिये गए; और

(घ) क्या सरकार का विचार सी० ओ० बी० लाइसेंस वापस लेकर इस फार्म को गलत विवरण देने के लिए दंडित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : अक्तूबर, 1866 में घोषित और 6-12-67 को संशोधित स्वतन्त्र विविधीकरण नीति के अन्तर्गत मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स ने किलोरम फोनीकाल (केटलिन) का उत्पादन फरवरी, 1970 में आरम्भ किया था। इस नीति के अनुसार, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत बिना कोई लाइसेंस लिये औद्योगिक उपक्रमों को अपने उत्पादन का विविधीकरण

करने तथा नई वस्तुओं का उत्पादन करने की स्वतन्त्रता थी यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं :—

(1) स्वदेश में उत्पादित छोटे मोटे सन्तुलन संयंत्रों को छोड़कर कोई अतिरिक्त प्लांट और मशीनरी नहीं लगायी जायेगी।

(2) विदेशी मुद्रा में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(3) विविधीकृत उत्पादन कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और

(4) विविधीकरण में ऐसा कोई विशिष्ट उद्योग सम्मिलित नहीं है जिसमें लघु पैमाने के एककों की वास्तविक रुचि है।

7-12-1967 को उपरोक्त शर्त (ii) में रियायत दी गई थी और उपरोक्त शर्त (3) में दी गई सीमा तक विविधीकरण की स्वीकृति थी चाहे इससे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता हो बशर्ते कि विविध उत्पादन कच्चे माल के लिये लाइसेंस के लिये 'प्राथमिकता' उद्योग हो।

इस कम्पनी द्वारा जुलाई, 1970 से कैंटीलन कैंप्सूल्स (किलोरमफनीकोल) के उत्पादन की मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष		मात्रा	मूल्य
1970—71	सं०	3771800	1064024.78 रुपए
1971—72	सं०	11074580	3125328.81 ,,
1972—73	सं०	7171200	1737573.52 ,,
1973—74	सं०	17763000	4223013.40 ,,
1974—75	सं०	10284300	3410062.51 ,,
1975—76	सं०	12832700	3213371.51 ,,

(ग) और (घ) : उस समय प्रचलित विविधकरण नीति के अनुसार कम्पनी कैंटीलन कैंप्सूलों का उत्पादन स्थापित कर सकती थी। जुलाई 1970 में इस नीति में और संशोधन किये जाने से यह आवश्यक हो गया था कि विविधकरण नीति के अन्तर्गत उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में जहां कच्चे माल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात लेना होता हो वहां सी० ओ० बी० लाइसेंस लेना होगा। इस प्रकार इस कम्पनी को भी सी० ओ० बी० लाइसेंस की आवश्यकता थी।

इस बात का सत्यापन करने के बाद कि इन मदों का उत्पादन उस समय लागू नीति के बिना कोई उल्लंघन किये, आरम्भ किया गया था, मैसर्स होचेस्ट को दो अन्य मदों अर्थात् विटाहेक्स्ट तथा होस्टाकार्टिन 'एच०' 10 मिलीलीटर के लिये भी सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया है। दो अन्य मदों अर्थात् होस्टासाइक्लिन ड्राई सिरप तथा टेटनस के सम्बन्ध में यह मत लिया गया था कि इनक उत्पादन नीति के अनुसार नहीं स्थापित किया गया था। अतः उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था।

SAHARSA BACKWARD AREA OF BIHAR

†4604. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Distt. Saharsa in the State of Bihar is one of the most backward areas in the country and it was because of this that ex. Minister of Railways late Shri Lalit Narain Mishra had got various routes surveyed with the object of re-opening the devastated Railway lines and laying new lines and had even started work on some of them; and

(b) the time by which the existing Government propose to start work on those old and new lines already surveyed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). Surveys for the following new lines/conversions have been completed in Saharsa District in the State of Bihar :

(i) *Engineering-cum-traffic survey for a new metre gauge line from Beharigani and Simri Bakhtiarpur.*

The survey report indicated that the line would not be viable and hence the project is not being considered for construction at present.

(ii) *Nirmali-Saraygarh metre gauge link.*

A survey has been carried out for the link and the project is under consideration.

(iii) *Survey of railway line between Dauram Madhepura and Singheshwar Asthan.*

Examination of survey report has revealed that the territory can be adequately served by buses, trucks and other means of transport and hence the project is not being considered for construction at present.

(iv) *Preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of a new metre gauge line from Saharsa to Tarapith Mahisi.*

The survey report has been received on 3-12-1977 and is being examined from all angles.

भूतपूर्व सैनिकों को वर्ष 1977 में गैस एजेंसियों तथा पम्पों का आवंटन

4605. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में कितने भूतपूर्व सैनिकों को गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : वर्ष 1977 के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा 10 फुटकर बिक्री केंद्र (पेट्रोल पम्प) तथा 3 गैस एजेंसियों, अपंग रक्षा कार्मिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों आदि को दी गई थीं ।

NEW RAILWAY LINES IN BACKWARD AREAS OF M. P.

†4606. SHRI RAMESHWAR PATIDAR :

SHRI GOVINDRAM MIRI :

SHRI PERMANAND GOVINDJIWALA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government had sent some proposals for laying new railway lines in the backward areas of the state from the point of view of transport and whether these proposals have been turned down on grounds of their being uneconomic;

(b) if so, the action taken by Government of India on these schemes in accordance with the new declaration made by him that the schemes for laying railway lines in backward areas would not be rejected on grounds of their being uneconomic;

(c) whether Khargone District in Madhya Pradesh is one of such backward areas where forest produce is in abundance and there is no railway line in the district and whether Central Government propose to lay Khandwa-Dohad railway line for the alround development of Khargone district; and

(d) if so, the time by which construction work would commence there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). A statement is attached.

(c) and (d). It is not proposed to consider construction of the Khandwa to Dohad rail link at present in view of the severe constraint of resources.

STATEMENT

Recommendation for constructions of new railway lines/gauge conversions have been received from the State Government of Madhya Pradesh from time to time and the present position of the projects recommended by the State Government is given below :

S. No.	Name of the work	Present position
1.	Construction of a new broad gauge line from Dhalli Rajhara to Jagdalpur.	Survey completed and reoprts are under examination.
2.	Construction of a new broad gauge line from Hirdagarh to Damua.	Under examination.
3.	Construction of a new broad gauge line from Satna to Beohari via Rewa.	Survey carried out for the project revealed that the project will attract very little traffic. Reappraisal made recently for Satna-Rewa portion of the line also revealed that this section will attract very little traffic. However, final decision will be taken after the re-appraisal report is examined from all angles.
4.	Construction of a new broad gauge line from Mahoba to Khajuraho.	The project has not been found to be viable as it will attract very little traffic.
5.	Construction of a new broad gauge line from Ratlam to Banswara.	Surveys have recently been completed and the reports are under examination.
6.	Construction of a new broad gauge line from Ranchi to Korba.	Survey completed. The project will attract very little traffic.
7.	Construction of a new broad gauge line from Indore to Mhow.	Surveys carried out for the project revealed that the project will attract very little traffic.
8.	Construction of a new broad gauge line from Guna to Maksi.	The line has been completed and opened to traffic.
9.	Construction of a new broad gauge line from Jabalpur-Damoha-Tikamgarh-Lalitupr.	In view of the present difficult financial position of the Railways it may not be possible to take up the surveys for these rail links in the State of Madhya Pradesh at present.

1	2	3
10.	Construction of a new broad guage line from Tikamgarh-Chhatarpur-Khajuraho-Panna-Satna.	
11.	Construction of a new broad gauge line from Sagar-Kareli-Narsinghpur-Chhindwara.	
12.	Construction of a new line from Maksi to Shivpuri.	
13.	New broad gauge line from Khandwa to Dohad via Bhikangaon, Khargaon. Barwan.	In view of the present difficult financial position of the Railways It may not be possible to take up the surveys for these rail links in the State of Madhya Pradesh at present.
14.	Conversion of Ujjain-Agar and its further extension upto Kota via Nalkheda Sursar & Jhalawar.	wing to the very limited availability of funds it will be difficult to consider this proposal at present.
15.	Construction of a new broad gauge line from Indore to Dohad via Dhar and Jabhua.	Do.
16.	Construction of a new broad gauge line from Chirimiri-Barwadih-Baikhunthpur-Ambikapur.	Chirimiri-Karonji are already connected by a broad gauge rail link. The surveys for the extension from Karonji to Barwadih via Ambikapur carried out in 1948-49 revealed that the line would not attract sufficient traffic and would be unremunerative. The question of taking up a fresh survey for a new line from Barvadih to Karonji is under consideration.

गोरखपुर मुख्यालय के अधिकारियों के भ्रष्टाचारों के बारे में शिकायतों की संख्या

4607. श्री फिरंगी प्रसाद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये सरकारी राजस्व के दुविनियोग और अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में संसद सदस्यों तथा पत्नकारों से मार्च, 1977 से अक्टूबर 1977 तक उनके मंत्रालय को कितनी शिकायतें मिली हैं : और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और वृष्ट अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्थित मुख्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी । इनमें से दो शिकायतें संसद् सदस्यों से तथा एक शिकायत एक पत्नकार से मिली थी ।

(ख) संसद् सदस्यों से प्राप्त दोनों शिकायतों की जांच की जा रही है । पत्नकार से प्राप्त तीसरी शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए विशेष पुलिस स्थापना, लखनऊ, द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है । तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों, यदि कोई हैं, के नामों की जानकारी जांच पूरी हो जाने के बाद ही मिलेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

4608. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वर्तमान भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन करके उसमें से बनाई जाने वाली चार प्रस्तावित कम्पनियों के चार विपन संगठनों को सुदृढ़ तथा उन्हें युक्ति संगत बनाने के बारे में वार्ता की हैं; और

(ख) क्या इसके कर्मचारी बहुत अधिक नहीं हो जायेंगे और चारों उर्वरक कम्पनियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) एफ० सी० आई० तथा एन० एफ० एल० के पुनगर्ठन के फल स्वरुप नई कम्पनियों को नए सिरे से गठन के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित कार्यकारी ग्रुप ने विपणन पहलु पर भी सिफारिशें की हैं । कार्यकारी दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

SUPPLY OF ASPRIN BY SANJAY SILK CORPORATION, DELHI

4609. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Sanjay Silk Corporation, Delhi is supplying Asprin to Kunwar Ayurvedic Pharmacy, Kanpur, Sufia Pharmacy Oraiyan, Kashatharan Aushadhayala, Etawah, firms of Delhi, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh; and

(b) whether Government are aware that Bombay Alta Laboratories, where asprin is manufactured, is supplying asprin illegally directly to a firm of Etawah more than this firm's requirement ?

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir. Asprin is sold by M/s Hlta Labs. through M/s Sanjay Sales Corporation which is an inter-connected company of M/s Alta. M/s Sanjay Sales Corporation is supplying Asprin to Kunwar Ayurvedic Pharmacy P. Ltd., Kanpur. M/s Shubla Pharmacy, Auraiya, Etawah and M/s Kasht Haran Aushadhalaya, Etawah and to a number of firms in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana.

(b) M/s Alta Labs. have reported that they are not supplying Asprin directly to any party in Etawah.

रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की कुल संख्या

4610. **श्री राजकेश सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कुल कितने पुलिस कर्मचारी हैं और रेलवे सुरक्षा दल में कुल कितने कार्मिक हैं ।

(ख) क्या सरकार रेलवे में पुलिस दलों के नियंत्रण और कार्यकरण को केंद्रीकृत करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है : और

(ग) क्या श्री रुस्तम जी ने, जिन्हें शायद इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, इस दिशा में कोई कार्य किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य पुलिस द्वारा की जाती है अतः सरकारी रेलवे पुलिस सीधे राज्य पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है । अतः सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या के बारे में रेलें अलग आकड़े नहीं रख रही है । रे० सु० दल के कर्मचारियों की कुल संख्या 58,946 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) श्री के० एफ० रूस्तमजी को रेलों के पुलिस दलों के नियंत्रण तथा कार्य-संचालन के केन्द्रीयकरण की वांछनीयता की जांच करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था । उन्हें रेल सम्पत्ति विशेष अपराध विधेयक के पास किये जाने से सम्बधित समस्याओं पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था ।

गत लोक सभा चुनावों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों द्वारा किया गया मतदान

4611. श्री के० ओबुल रेड्डी : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गत लोक सभा चुनावों में कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बहुत से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि उन्हें सम्बद्ध तथा शक्तिशाली तत्वों द्वारा ऐसा करने से रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या वे हरिजन बस्तियों तथा अन्य स्थानों, जहां कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, में पृथक मतदान केंद्र खोलेंगे ताकि वे बिना डर और आतंक के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से हरिजन मतदाताओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के बारे में चुनाव आयोग को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) चुनाव आयोग द्वारा बनाये गये नये सिद्धांतों के अनुसार पहले की अपेक्षा काफी अधिक संख्या में मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। इससे अपने आप ही कुछ सीमा तक उन स्थानों पर मतदान केंद्रों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी जहां समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मतदाताओं का अधिक जमाव हो जाता है । चुनाव आयोग ने उन राज्य सरकारों से, जहां शीघ्र चुनाव होने वाले हैं, यह प्रार्थना भी की है कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य पुलिस की अपेक्षा केंद्रीय आरक्षण पुलिस को लगाया जाये ।

(ग) चुनाव आयोग के अनुसार केवल अनुसूचित जातियों या समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सबंधित मतदाताओं के लिये मतदान केंन्द्र स्थापित करना उपयुक्त नहीं होगा ।

FITTING OF LOUD SPEAKERS AT PLATFORM OF ETAWAH RAILWAY STATION

4612. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the permission for the construction of a dais and fitting loud speakers at all the poles at the platform at Etawah railway station in Northern Railway on 19th September, 1977 at the time of the tour of former Prime Minister, Smt. Indira Gandhi was given by a railway officer;

(b) if so, the name of the officer with whose permission all this was done; and

(c) if not, the action taken by the railway officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

कटिहार जंकशन पर उपलब्ध आरक्षित सीटों का कोटा

4613. **श्री युवराज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवध-तिरहुत मेल 1 अप और 2 डाऊन लखनऊ और आसाम के बीच में चलती है ;

(ख) क्या कटिहार यद्वपि मीटर गेज का इस देश में सबसे बड़ा जंक्शन है परन्तु कटिहार में पहले की तरह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में तथा 'टू टायर' और 'थ्री टायर' डिब्बे में सोटों का आरक्षण नहीं किया जाता है;

(ग) क्या आरक्षित कोटा अभाव में प्रथम और द्वितीय श्रेणी और टू टायर और थ्री टायर डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है; और

(घ) यह यदि हां, तो कब तक पहले की तरह कोटे का अरक्षण किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, ये गाड़ियां लखनऊ और गुवाहाटी के बीच चलती हैं ।

(ख) 1-5-77 से 1 डाऊन ए० टी० मेल (गुवाहाटी से) के लिए आरक्षण व्यवस्था कम्प्यूटर द्वारा शुरु की गयी है । इस समय इस गाड़ी के दूसरे दर्जे के 2 टियर यान अर्थात् 16 शायिकाओं और 48 सीटों का आरक्षण, पहले की तरह, कटिहार से ही किया जाता है । 1 डाउन मेल से पहले दर्जे में जिसमें पहले 2 शायिकाओं का कोटा था और दूसरे दर्जे में जहां मांग निर्धारित कोटा से बढ़ गई है आरक्षण अब मालीगांव में कम्प्यूटर द्वारा "पहले

आग्रो पहले पाग्रो" के ग्राधार पर किया जाता है । इस व्यवस्था से कटिहार के यात्रियों को पहले निर्धारित स्थान से ग्रब ग्रधिक स्थान मिल जाता है । यह एक नया परीक्षण है इसलिए इस पर निरन्तर नजर रखी जा रही है।

2 ग्रप ए० टी० मेल में दूसरे दर्जे में 6 शायिकाग्रो का कोटा पहले जैसा ही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान (42वां संशोधन) ग्रधिनियम

4614. श्री समर गुह : क्या **निधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस शासन के दौरान पारित किये गये संविधान (42वां सशोधन) ग्रधिनियम, 1977 ने संवैधानिक मुद्दों, भूमि सुधार ग्रधिनियमों तथा ग्रन्य मामलों के बारे में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ग्रौर उच्च न्यायालयों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत की ग्रधिकतर एसोसिएशनों ने संविधान (42वां संशोधन) ग्रधिनियम को निरसित करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; ग्रौर

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) ग्रौर (ख) : संविधान (42वां संशोधन) ग्रधिनियम, 1977 के, उन उपबन्धों के कारण जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय विधि ग्रौर राज्य की विधि की सांविधानिक वैधता को विनियमित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ग्रौर उच्च न्यायालयों को ग्रधिकारिता से ग्रौर न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तथा ऐसी विधियों के ग्रविधिमान्यकरण के लिए विशेष बहुमत की ग्रपेक्षा से है, सांविधानिक मुद्दों वाले ग्रनेक मामलों का निपटारा रुक गया है।

(ग) ग्रौर (घ) : जी हां।

(ङ) बार एसोसिएशनों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1977 लोक सभा में 16 दिसम्बर, 1977 को इस दृष्टि से पुरःस्थापित किया गया था कि ग्रन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या ग्रौर केन्द्रीय तथा राज्य विधियों के ग्रविधिमान्यकरण के लिए विशेष बहुमत की ग्रपेक्षाग्रों को समाप्त कर दिया जाए।

दुर्घटनाओं के बारे में आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के विचार

4615. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन ने यह कहा है कि हाल की रेल दुर्घटनाओं से यह पता चलता है कि वर्तमान सरकार और रेल कर्मचारियों को बदनाम करने तथा यात्रा करने वाली जनता के मन में भय की भावना उत्पन्न करने के लिए कुछ कुटिल शक्तियां इनके पीछे क्रियाशील हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस बारे में तथ्यों की जांच-पड़ताल भी की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 23 नवम्बर, 1977 को रेवाड़ी के निकट हुई दुर्घटना में राज्य सभा सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री सहित अन्य मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को सरकार ने कोई मुआवजा दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने, अभी हाल में पारित एक प्रस्ताव में यह कहा है कि उन्हें कुछ असामाजिक और अनैतिक तत्वों की गतिविधियों पर भारी चिन्ता है जो रेलों में दुर्घटनायें करने के लिए घिनौने ढंग अपना रहे हैं जिनमें रेल सम्पत्ति को होने वाली क्षति के अलावा निर्दोष यात्रियों और कर्मचारियों की मृत्यु होती है।

(ख) रेल पर अभी हाल में हुए तोड़-फोड़ और रेल पथ से छेड़छाड़ करने के मामलों की जांच-पड़ताल संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा की जा रही है। गृह मंत्रालय राज्य पुलिस को उनकी जांच-पड़ताल में सहायता कर रहा है।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत रेवाड़ी दुर्घटना में हताहत यात्रियों अथवा उनके आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इस दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न दावों पर विचार करने के लिए श्री आर० एस० गुप्ता, सेशन जज, भिवानी को दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायालय के निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान किया जायेगा।

बहुराष्ट्रीय औषधि फर्मों के लिए दो स्तरीय फार्मूला

4616. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु राष्ट्रीय फर्मों के लिए साम्य पूंजी की मात्रा में कमी करने के लिए कोई दो-स्तरीय फार्मूला तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या नये फार्मूला के अनुसार सभी औषधि कम्पनियों को अपनी साम्य पूंजी में 40 प्रतिशत तक कमी नहीं करनी होगी;

(घ) प्रत्येक फर्म के लिए विदेशी साम्य पूंजी की प्रतिशतता का किस प्रकार निर्धारण किया जायेगा; और

(ङ) सभी फर्मों के लिए एक ही फार्मूला न अपनाने के क्या विशेष कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (ङ) औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी औषध कम्पनियों की विदेशी साम्य पूंजी पर भावी नीति, सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में औषध एकक

4617. श्री के० ए० राजन : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में अनेक औषध एकक बड़ी खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों की स्थिति के और अधिक खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमव ी नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के आधार पर औषध और भेषज निर्माण करने वाली केवल दो कम्पनियां अर्थात् मैसर्स बंगाल केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि०, तथा मैसर्स इंडियन हेल्थ इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी लि० वित्तीय संकटों का सामना कर रही है। जहाँ तक उनके वित्तीय निष्पादन के ब्यौरे उपलब्ध हैं, वे निम्न प्रकार हैं :—

बंगाल कैमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्कस लि०

(रुपये लाख में)

वर्ष	विक्रय	हानियां
1974–75	598	0.1
1975–76	586	35
1976–77	502	103

इंडियन हेल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी लि० कलकत्ता

(रुपये लाख में)

वर्ष	विक्रय	हानियां
1972 .	60.56	0.44
1973 .	44.17	3.22
1974	39.04	11.32

(ग) जबकि सरकार ने औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 15-12-1977 को बंगाल केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० कलकत्ता के प्रबन्ध अधिग्रहण कर लिया है, 28 नवम्बर 1977 को आई० डी० आर० अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत इंडियन हैल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी लि० के मामलों की जांच करने के लिए आदेश दिये गये हैं।

ल्यूब तेल शोधक कारखाने

4618. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ल्यूब तेश शोधन कारखानों की संख्या कितनी है, वे क्या-क्या उत्पाद बनाते हैं, वे उसकी कितनी कीमत वसूल करते हैं, कितनी मात्रा में उत्पाद बनाते हैं और मूल्य निर्धारण का आधार क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के तुलनात्मक मूल्यों पर ल्यूब उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की सभी सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के तुलनात्मक मूल्यों सहित उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश में ल्यूब पर आधारित भंडार बनाने वाले हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बम्बई, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास, हल्दिया तथा बरौनी स्थित आई० ओ० सी० के तेल शोधक कारखाने और डिगबोई स्थित असम आयल कम्पनी का तेल शोधक कारखाना नामक 5 ल्यूब शोधक कारखाने हैं। इन तेल शोधक कारखानों द्वारा उत्पादित ल्यूब पर आधारित भंडार के विभिन्न वर्ग और उनकी मात्राएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। विपुल ईंधन उत्पादों की भांति हरेक तेल शोधक कारखाने के प्रत्येक ल्यब पर आधारित भांडार के लिए दिनांक 16-12-1977 से रिटेन्शन मूल्य तय कर दिये गये हैं। शोधनशाला बाह्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए ल्यूब आधारित भंडार के विभिन्न ग्रेडों की तीन मुख्य अर्थात् एल० वी० आई०

आधारित भंडार, एच० वी० आई० ब्राइट भंडार और टर्बाइन तेलों के वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। बेस तेलों के इन वर्गों के अवरोधन (रिटेन्शन) मूल्यों का महत्वपूर्ण औसत ही शोधनशाला बाह्य मूल्यों को तय करने का आधार बना है, जो निम्नलिखित हैं:—

ल्यूब आधार वाले भंडारों का वर्ग	शोधनशाला बाह्य मूल्य रुपये प्रति मी० टन
एल० वी० आई० ग्रेड	1540.00
एच० वी० आई० ब्राइट भण्डार	1890.00
टर्बाइन तेल	1090.00

(ख), (ग) और (घ): लूब्रीकैंटों की लगभग सभी आवश्यकताएं देशीय रूप से पूरी कर ली जाती हैं तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए ही लूब्रीकैंट थोड़ी मात्रा में आयातित किया जाता है। उन लूब्री कैंटों के लिए कोई मानक अन्तरराष्ट्रीय मूल्य नहीं है, जिन्हें व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न वर्गों में बेचा जाता है। अतः वास्तविक रूप से घरेलू मूल्यों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

विवरण

ल्यूब ग्रेड	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मात्रा (हजार मी० टनों में) 1976
150 मध्यम (न्यूट्रल)	11.11
500 मध्यम (न्यूट्रल) .	61.35
1300 मध्यम (न्यूट्रल) . .	26.03
100 औद्योगिक . .	12.56
1600 औद्योगिक	38.09
टी० ओ० बी० एस०	16.27
150 टर्बाइन तेल	2.24
500 वही	0.91
आर० पी० ओ०	3.27
धुरी तेल	7.25
योग	179.08

	मद्रास रिफाइनरीज लिमि० (मात्रा हजार मी० टनों में)
	1976-77
धुरी तेल	5.58
टी० ग्रो० वी० एस०	16.87
एस० पी० एल० ग्रो० ग्राई०	3.41
एस० पी० एच० वी० ग्राई०	3.74
एल० एन० एच० वी० ग्राई०	5.52
ग्राई० एन० एच० वी० ग्राई०	43.85
ग्राई० एन० एल० वी० ग्राई०	15.35
एच० एन० एच० वी० ग्राई०	46.65
एच० एन० एल० वी० ग्राई०	9.91
कुल	150.88

	हाल्दिया शोधनशाला की मात्रा (हजार मी० टनों में)
	1976-77
एच० वी० ग्राईस	10.00
कुल	10.00

	बरौनी शोधनशाला की कुल परिमात्रा (हजार मी० टनों में)
	1976-77
एल० वी० ग्राई०	1.00
कुल	1.00

	डिगबोई शोधनशाला की परिमात्रा (हजार मी० टनों में)
	1976-77
	(जनवरी से नवम्बर) 1977)
एल० वी० ग्राई० एस०	9.00
कुल	9.00

NUMBER OF X-RAY TECHNICIANS IN NORTHERN RAILWAY

†4619. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number and names of X-ray technicians in the Northern Railway who have been working at one place for more than ten years and the names of their places;

(b) the number and the names of the X-ray technicians in the Northern Railway who were transferred from one place to another during the period of their service of ten years and the names of the places in this regard; and

(c) the number of doctors in the Northern Railway who have been working at one place for the last ten years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Ten. They are working at places indicated below :

1. Shri S. K. Kohli
2. Shri L. S. Jain
3. Shri S. P. Madan

} At Central Hospital New Delhi.

4. Shri Pyare Lal Srivastava
5. Shri B. N. Mall At Lucknow.
6. Shri Amar Singh : At Ferozepore.
7. Shri B. S. Sharma : At Tundla.
8. Shri R. N. Prasad Saxena : At Delhi.
9. Shri Bhagwat Saroop Gupta : At Rewari.
10. Shri Sharaft Hussain Usmani : At Moradabad.

(b) Five. Their names and places to which they were transferred as under :

1. Shri B. M. Goswami from Delhi to Amritsar.
2. Shri B. M. Goswami from Amritsar to Lalgarh, Bikaner.
3. Shri Ramesh Kumar from Kanpur to Allahabad.
4. Shri V. P. Singh from Bikaner to Allahabad.
5. Shri K. R. Misra from Lalgarh, Bikaner to Amritsar.

(c) 24.

राज्यों में उच्च न्यायालयों की बेंच

4620. **श्री कैलाश प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी जनसंख्या कितनी है जिनमें उच्च न्यायालयों की बैंचे हैं;

(ख) ऐसे राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कितनी बैंचे हैं;

(ग) ऐसी बैंचों ने किन तारीखों से कार्य करना आरम्भ किया; और

(घ) नई बैंचों की स्थापना सम्बन्धी नीति क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) बैंचों की स्थापना के लिए राज्य प्राधिकारियों से जब प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब उन पर विचार किया जाता है। किन्तु विधि आयोग ने और उच्च न्यायालय की बकाया मामलों सबंधी समिति ने साधारणतया, बैंचों की स्थापना क विरोध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

विवरण

उन राज्यों के नाम जिनमें उच्च न्यायालयों की बैंचें हैं	1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ऐसे राज्यों की जनसंख्या	ऐसे राज्यों में बैंचों की संख्या	वह तारीख जिससे ऐसी बैंचों ने कार्य करना आरंभ किया
1. बिहार .	56,353,369	1	19-4-1976
2. महाराष्ट्र . . .	50,412,235	1	1-5-1960
3. मध्य प्रदेश . .	41,654,119	2	1-11-1956
4. राजस्थान . . .	25,765,806	1	31-1-1977
5. उत्तर प्रदेश . . .	88,341,144	1	तारीख 19 जुलाई 1948 के संयुक्त प्रान्त उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश के प्रख्यापन के फलस्वरूप बैंच ने कार्य करना आरंभ किया था।

ध्यान दें :—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 31(3) के उपबंधों के अनुसार गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खण्ड न्यायालय मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा में भी बैठते हैं। इन राज्यों की जनसंख्या संबंधी जानकारी नीचे दी जा रही है :—

राज्य का नाम	जनसंख्या (जनगणना रिपोर्ट 1971)
1. मेघालय	1,011,699
2. मणिपुर	1,072,753
3. नागालैण्ड	516,449
4. त्रिपुरा	1,556,342

CONVERSION OF JABALPUR-GONDIA NARROW GAUGE RAILWAY LINE INTO BROAD GAUGE

†4621. SHRI SHARAD YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Ministry have under their consideration a proposal to convert Jabalpur-Gondia, Gondia-Chanda and Nainpur-Nagpur narrow gauge section into broad gauge; and

(b) whether a survey has been conducted in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) & (b) Pursuant to the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee, a traffic survey for the purpose of converting the northern section of Satpura railway system consisting of the following lines was carried out in 1972-73 but the project was not found to be viable :

(i) Parasia—Chhindwara—Seoni—Nainpur—Mandlafort.

(ii) Jabalpur—Nainpur—Balaghat—Gondia and Balaghat—Katangi and;

(iii) Chhindwara—Nagpur.

A fresh survey for gauge conversion of Jabalpur—Gondia line to broad gauge is in progress at present. There is no proposal at present under consideration to convert Gondia—Chanda section into broad gauge.

सीधी कस्बे को रेलगाड़ी द्वारा जोड़ा जाना

4622. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीधी कस्बे की किसी कनेक्टिंग रेलगाड़ी से जोड़ने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और रेल लाइन के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के सिद्धी कस्बे को जोड़ने वाली किसी रेल लाइन के निर्माण के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की समिति उपलब्धता के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना फिलहाल सम्भव नहीं होगा।

DISPOSAL OF CASES OF SUSPENDED EMPLOYEES

†4623. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a time limit has been fixed for deciding the cases of suspended railway employees,

(b) if so, what is the time limit;

(c) the number of cases of the employees of N.E. Railway which are pending even after the expiry of the scheduled time; and

(d) the action proposed to be taken by Government for expeditious disposal of these cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c). Does not arise.

(d) It is not possible to fix a time limit for revoking suspension. However, the extent orders lay down that the period of suspension should be reduced to the barest minimum.

1972 के विधान सभा निर्वाचनों में धांधली के अभिकथन

4624. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस-विरोधी राजनैतिक पार्टियों ने तत्कालीन केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के विरुद्ध 1972 के विधान सभा निर्वाचनों में बड़े पैमाने पर धांधली करने के अभिकथन किए थे;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अभिकथन किए गए थे; और

(ग) क्या सरकार इन अभिकथनों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम के अधीन उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभिकथन यह था कि पश्चिमी बंगाल में उच्च स्तर पर चलाए गए पूर्व नियोजित षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण निर्वाचन में धांधली हुई है और यह कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों तथा मतपेटियों में हेराफेरी किए जाने और मतों की गणना में कपट किए जाने का पता चला है। यह भी अभिकथन किया गया था कि कुछ मामलों में पराजित उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया है।

(ग) इस प्रकार की कार्रवाई के लिए न तो संविधान में और न निर्वाचन विधि में कोई उपबन्ध है। संविधान के अनुच्छेद 329(ख) में यह उपबन्ध है कि संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन याचिका के बिना कोई आपत्ति की जाएगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधान-मण्डल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित है।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

4625. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री पी० के० कोडियन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह का कोई कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल में इस संयंत्र के बारे में वित्तीय सहायता तथा अन्य मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

(क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

RUNNING OF MANMAD-NIZAMABAD-ELLORA EXPRESS

†4626. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Manmad-Nizamabad-Ellora Express train used to go upto Nanded but now it is only upto Nizamabad and the reasons for this change;

(b) whether a bogey used to be attached with the train at Nanded but it has been discontinued now and the reasons therefor;

(c) whether the passengers at Nanded face great difficulties in the absence of the bogey attached with the train which comes full with the passengers from Nizamabad; and

(d) the action taken by the Railways to attach a bogey at Nanded, as per the demand of the people in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 95/96 Manmad-Nanded Ellora Express has been extended upto Nizamabad from 31-3-76.

(b) One general Second class coach on Nizamabad-Manmad Ellora Express was earmarked for Nanded passengers and this coach has since been replaced by a Second Class 3-tier cum 2-tier sleeper coach.

(c) & (d) The present accommodation set apart for Nanded is not fully utilised and no difficulty is being experienced by passengers travelling from Nanded.

मैसर्स हो चेस्ट को जारी किये गये लाइसेंस

4627. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स होचेस्ट को कितने आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये; तथा आशय पत्रों/लाइसेंसों की उत्पादन वस्तुएं क्षमताएं तथा शर्तें क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने आशयपत्रों/लाइसेंसों को पूर्णतः/अंशतः क्रियान्वित किया गया है और कितने अक्रियान्वित पड़े हैं; और

(ग) क्या आशयपत्रों को लाइसेंसों में बदलते समय उनकी शर्तों में कोई ढील दी गई थी यदि हां तो वह ढील किस प्रकार की है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान (1-1-75 से अब तक) मैसर्स होचेस्ट को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों के अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–143877**]।

(ग) लाइसेंस में परिवर्तन करते समय शर्तों में कोई छूट नहीं दी गई थी। तथापि एक आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने से पहले उस पर 10 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्तें को लाइसेंसिंग समिति की मंजूरी से समाप्त किया गया था।

आपात काल के दौरान तैयार किये गये विधेयक

4628. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विधेयकों के नाम क्या ह जो विधि मंत्रालय द्वारा आपात काल के दौरान या तो अपने आप तैयार किए गए थे या गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, निर्माण और आवास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर तैयार किये गये थे तथा उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त विधेयकों में से ऐसे विधेयकों के नाम क्या हैं जो सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये परन्तु उनके प्रारूप तैयार किये गये अथवा उन पर विचार किया गया;

(ग) उपरोक्त विधेयक सदन में प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आपात काल के दौरान संविधान में परिवर्तन करने के लिए विधि मंत्रालय को कौन-कौन से सुझाव दिये गये;

(ङ) क्या यह सच है कि संविधान में मूल परिवर्तन करने और भारत में राष्ट्रपति शासन पद्धति स्थापित करने का सुझाव देने वाले एक प्रारूप पर भी विचार किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) ऐसे विधेयकों को, जिनके प्रारूप आंतरिक आपात काल की अवधि (अर्थात् तारीख 25 जून, 1975 से 21, मार्च, 1977 तक) के दौरान विधि मंत्रालय द्वारा स्वयं अपनी ओर से या गृह, विदेश वित्त, रक्षा, सूचना और प्रसारण, निर्माण और आवास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा श्रम मंत्रालयों द्वारा विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाने पर तैयार किए गए थे और जिनको संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण 1)। [**देखिये संख्या एल० टी० ग्रन्थालय में रखा गया-1439/77**]। इन विधेयकों की विषय-वस्तु के लिए सुसंगत अधिनियमों को देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान भाग (क) में वर्णित मंत्रालयों द्वारा इस मंत्रालय को किए गए निर्देश पर जिन अन्य

विधेयकों के प्रारूप तैयार किए गए थे उनको दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (विवरण 2)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1439/77]**। ये विधेयक या तो इसलिए पुरःस्थापित नहीं किए जा सके क्योंकि विधान बनाने से संबंधित सभी कार्यवाही समय पर पूरी नहीं की जा सकी या संभवतः इसलिए कि संबंधित मंत्रालयों ने उनके संबंध में आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा था। विधेयकों के उद्देश्य विवरण 2 के अंतिम कालम में संक्षेप में बताए गए हैं।

(घ) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध मुख्य रूप से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर और अन्य मंत्रालयों के तथा कुछ व्यक्तियों और एसोसिएशनों से प्राप्त सुझावों पर आधारित थे।

(ङ) विधि मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों को जल सुविधाएं

4629 श्री पी०, राजगोपाल नायडु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुंटिकल में काम कर रहे रेल कर्मचारियों को जल सुविधा उपलब्ध कराने पर बहुत धनराशि व्यय की गई है :

(ख) वर्ष 1956 से अब तक इस प्रयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है :

(ग) क्या यह सच है कि अब तक इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को जल की सप्लाई 2–3 दिन में एक बार की जाती है; और

(घ) क्या सरकार का इस समस्या को स्थायी आधार पर हल करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों के लिए पेयजल की सप्लाई पर होने वाले खर्च का ब्यौरा स्टेशन-वार नहीं रखा जाता। इसलिए मुन्तकल्लु स्टेशन पर 1956 से अब तक इस सम्बन्ध में हुए खर्च के आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

(ग) इस स्टेशन पर पानी की सप्लाई की स्थिति के कारण एक समस्या पैदा हो गई है। इस समय कर्मचारियों को पानी की सप्लाई बोर करके बनाये गये कुओं और खुले कुओं में से की जाती है। अगस्त से फरवरी तक के महीनों के दौरान जब इन स्रोतों से पानी की प्राप्ति सामान्य होती है। कर्मचारियों, को प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जाती है। लेकिन, मार्च से जुलाई तक के महीनों के दौरान, जब पानी की मात्रा घट जाती है और अन्य स्टेशनों से पानी रेल द्वारा इस स्टेशन पर लाना पड़ता है, कर्मचारियों को पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर की जाती है।

(घ) इस समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए इस समय रेल प्रशासन स्वयं तथा राज्य सरकार और स्थानीय नगर पालिका के साथ परामर्श करके, विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रहा है।

बम्बई और हावड़ा के बीच श्रेणीहीन गाड़ी चलाना

4630. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और हावड़ा के बीच दूसरे दर्जे के गद्देदार 3-टायर वाली शयनयानों वाली एक नई 'श्रेणीहीन' अति तेज गाड़ी चालू की गई है :

(ख) जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है :

(ग) क्या अन्य मार्गों पर भी ऐसी गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह सेवा लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

(ग) और (घ) 1978—79 में नयी सेवाएं प्रारम्भ किये जाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और ऐसी गाड़ियों के चलाये जाने का ध्यान रखा जायेगा।

GRANT OF COOKING GAS AND PETROL PUMP AGENCIES

4631. SHRI CHHABIRAM ARGAL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of persons as on 21-11-77 who have been granted cooking gas and petrol pump agencies;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons, out of them, separately, who have allotted such agencies;

(c) whether for the betterment of the financial condition of the weaker sections of society, Government propose to allot petrol pump, cooking gas, natural gas and other agencies on the basis of proportionate reservation to the persons belonging to such weaker sections;

(d) if so, the reaction of Government thereto so far and the action proposed to be taken in future by Government in this regard; and

(e) the number of applications from the persons belonging to castes under consideration of Government and the time by which action would be taken thereon ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The Oil Companies have at present about 800 LPG distributors/sub-distributors and about 11000 retail outlet (petrol pump) dealers.

(b) Till recently, only Indian Oil Corporation Limited was following a policy of reservation of 25% of its agencies/dealerships for persons belonging to SC/ST since 1-1-1974. The numbers of Scheduled Castes dealers/distributors of retail outlet of Indian Oil Corporation and Indane Gas from 1-1-74 to 31-10-77 are 31 and 13 respectively and the numbers of Scheduled Tribe dealers/distributors of retail outlet and Indane gas are 2 and 5 respectively.

(c) and (d) According to the guidelines issued by Government on 23-9-1977, 25% of all types of agencies of all the public sector oil companies are reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(e) Since these allotments are normally made by the oil companies, there is no question of disposal pending with the Government of any application made in this connection.

रोजगार प्रधान योजनायें लागू करने का प्रस्ताव

4632. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आने वाले दो वर्षों में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रोजगार प्रधान योजनायें लागू करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजनायें अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) पेट्रोलियम उद्योग के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस उद्योग में रोजगार-प्रधान योजनायें आरम्भ करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का कार्यान्वियन

4633. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम बड़े व्यापारिक गृहों के विकास को रोकने तथा उनके हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के समाप्त करने के लिए 1969 में पुरःस्थापित किया गया था;

(ख) क्या यह भी आशा थी कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम से एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं को रोका जा सकेगा;

(ग) यदि हां, तो अधिनियम इस बारे में कहां तक सफल रहा है;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए मृतप्राय है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 का उद्देश्य यह प्राविधान करना है कि आर्थिक प्राणाली के संचालन का परिणाम आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के रूप में, जनहित के विरुद्ध न हो, एकाधिकार पर नियंत्रण करना एकाधिकारी तथा निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं तथा अन्य सभी इससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों का निषेध करना, है।

(ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की वृद्धि पर रोक लगाने में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण, ब्यौरेवार एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के निष्पादन से संबंधित पांच सांविधिक वार्षिक रिपोर्टों, जो समय समय पर, सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं, में वर्णित है। तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण के साथ-साथ एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों पर इस प्रतिफल के लिए पुनर्विलोकन करेंगी कि यदि किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो वे क्या होने चाहिये।

(घ) तथा (ङ) समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग "मृतप्राय" है। सरकार इन रिपोर्टों से सहमत नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण है कि आयोग को ऊपर यथा वर्णानुसार, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

सलाया/मथुरा पाइपलाइन का निर्माण

4634. **श्री विनोद भाई बी० शेठ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलाया/मथुरा पाइपलाइन का निर्माण कब पूरा होगा;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने पाइपलाइन के लिए जमीन का अर्जन बलपूर्वक और बिना समुचित पूर्व सूचना के किया और किसानों की खड़ी फसल को नष्ट किया;

(ग) क्या सलाया में इमारतों के निर्माण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं, जो कि विशिष्टियों के अनुसार नहीं हैं; और

(घ) सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) सलाया-वीरमगम-कोयाली खंड की पाइपलाइन का निर्माण कार्य अप्रैल, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है। वीरमगम से मथुरा खंड की पाइपलाइन के जनवरी, 1980 तक पूरा किये जाने की आशा की जाती है।

(ख) पेट्रोलियम पाइपलाइन अधिनियम, 1962 जिसको अब पेट्रोलियम तथा खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कहते हैं, के प्रावधानों के अनुसार, आई० ओ० सी० ने सलाया-वीरमगम-कोयाली पाइपलाइन के लिए, रास्ते के अधिकार का अर्जन कर लिया है। उचित रूप से गजट अधिसूचनाएं तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी करके, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, निर्माण कार्य करने के लिए, रास्ते के अधिकार का अर्जन कर लिया गया है। पाइपलाइन बिछाते समय यदि खड़ी फसलों को साफ करना आवश्यक होता है तो सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा, नियमों

के अनुसार हिसाब लगा कर, खड़ी फसलों को हटाने के कारण किसान को हुई हानि के बदले में, मुआवजा दिया जाता है।

जहां तक वीरमगम-मथुरा पाइपलाइन खंड का सम्बन्ध है, आई० ओ० सी० द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, रास्ते के अधिकार का अर्जन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे को दुर्घटनाओं के कारण हानि

4635. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से नवम्बर, 1977 के बीच रेलवे को इस अवधि में हुई दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : गाड़ियों की दुर्घटनाओं, अर्थात् टक्कर, पटरी से उतरने, समापार पर दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने, में लगभग 2,58,90,588/- रु० मूल्य की रेल सम्पत्ति को क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

कुछ रेलगाड़ियों की द्वितीय श्रेणी की क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

4636. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करने वाले सामान्य व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता से चलने वाली प्रमुख रेलगाड़ियों में वातानुकूलित सीट के सवारी डिब्बों तथा प्रथम श्रेणी में क्षमता को कम करके द्वितीय श्रेणी की क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) दूसरे दर्जे के एक ऐसे अधिक लम्बे प्रोटोटाइप शयनयान के निर्माण पर विचार किया जा रहा है जिसमें दूसरे दर्जे के अधिक स्थान होंगे। इसके अलावा, विभिन्न दर्जों में उपलब्ध स्थानों के उपयोग पर कड़ी निगाह रखी जाती है और जिन सवारी डिब्बों का कम उपयोग होता है उनके बदले दूसरे डिब्बे लगाने के बारे में कार्रवाई की जाती है।

FERTILIZER PLANT IN MATHURA

4637. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state : (a) whether he has changed the site of the proposed fertilizer plant to be set up in Mathura;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the background thereof, as the raw material was available therefor from Mathura refinery ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c) : A large sized fertilizer plant at Mathura was envisaged as one of the five fertilizer plants to be set up during the Fifth

Plan period. A Feasibility Report for setting up this project based on naptha as feedstock was also submitted to Government. However, the project could not be taken up for implementation due to the severe constraint on resources. In the context of availability of associate/free gas from the Bombay High and Bassein structures and in Assam, priority is now being accorded for setting up additional fertilizer capacity based on gas.

अप्रयुक्त पड़े हुए माल डिब्बे

4638. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राहकों के अभाव में पूर्वोत्तर रेलवे के 6000 माल डिब्बे अप्रयुक्त पड़े हुए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई; और

(ग) इन्हें कम दरों पर देते हुए इन माल डिब्बों के उचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) अगस्त से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान मांग से अधिक होने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रतिदिन औसतन 5790 माल डिब्बे (मीटर लाइन के) अप्रयुक्त खड़े रहे। हर वर्ष जुलाई से अक्तूबर तक के महीनों में ढुलाई के लिए सामान्य किस्म का माल कम आने तथा वर्षा ऋतु आदि के कारण माल डिब्बों की मांग घट जाती है। नवम्बर, 1977 के दौरान प्रतिदिन अप्रयुक्त खड़े रहे डिब्बों की संख्या घटकर 3830 रह गयी थी। नवम्बर में अप्रयुक्त माल डिब्बों में से अधिकांश डिब्बे गन्ना की ढुलाई के लिए बनाये गये विशेष प्रकार के माल डिब्बे थे, क्योंकि इसका मौसम इस वर्ष देर से शुरू हुआ है। नवम्बर, 1976 में प्रतिदिन पूर्वोत्तर रेलवे पर अप्रयुक्त खड़े रहे माल डिब्बों की औसत संख्या 4732 थी। कोई घाटा नहीं हुआ है क्योंकि यातायात में उतार-चढाव होने पर माल डिब्बों का उपयोग हो जाता है।

ALLOTMENT OF COOKING GAS AGENCIES TO EXX-SERVICEMEN

4639. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) Whether Government give preference to the ex-servicemen and their dependents in allotting cooking gas agencies;

(b) if so, the number of agncis given to the ex-servicemen so far;

(c) whether any person was refused the allotment of the agency; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N BAHUGUNA) : (a) After the hostilities in 1971, Indian Oil Corporation (IOC) had followed the policy of awarding its gas agencies/retail outlets etc. to disabled defence personnel, war-widows, ex-servicemen, etc. on the recommendations of the Director General of Resettlement (DGR), Ministry of Defence. This policy was introduced in December, 1971 initially for one year and then extended from year to year. The policy was discontinued with effect from 1-2-1975, as the target set for rehabilitation under the scheme had been exceeded.

(b) As at the end of October, 1977, 176 cooking gas distributorships have been allotted to the DGR nominees by IOC under the above policy.

(c) and (d) Since agencies were awarded on the recommendation of DGR, the question of refusal of allotment of agency by IOC does not arise.

विशेषाधिकार पास

4640. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के सेवारत रेलवे अधिकारियों को तीन सेटों की बजाए, जैसा कि चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने 67वें प्रतिवेदन तथा तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की गई है, प्रतिवर्ष छ: सेटों के विशेषाधिकार पास की अनुमति क्यों दी गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सुविधा पास या निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा एक स्वल्प लाभ है और पूरे विश्व में रेल कर्मचारियों को सुलभ है। भारतीय रेलों के अधिकारियों को दिये जाने वाले पासों में पहले ही कमी की जा चुकी है और इस समय उन्हें जितने पास मिलते हैं वह दूसरे देशों में मिलने वाले पासों की तुलना में बहुत कम हैं।

फ़िर भी, इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

बर्दवान तथा आसनसोल स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं

4641. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्दवान तथा आसनसोल स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) स्टेशनों के कार्य को कब प्रारम्भ किया जाना है एवं चरण-बद्ध रूप से पूरा करने की लक्षित तिथियां क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) बर्दवान : कार्य प्रगति पर है और मार्च 1981 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

आसनसोल : यद्यपि कोचिंग की और गाड़ियां खड़ी करने की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, तथापि वर्तमान कोचिंग साइडिंग आदि के विस्तार जैसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था को 1978–79 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है।

अलकोहल पर आधारित उद्योगों की प्रगति के बारे में सिफारिश करने के लिए समिति

4642. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी कुछ वर्षों में मद्य-निषेध लागू करने की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए पीने के काम आने वाली अधिक अलकोहल का औद्योगिक उपयोग किया जाना आवश्यक होगा;

6—1028LLS/77

(ख) यदि हां, को क्या यह सच है कि अलकोहल पेट्रोलियम फीड स्टावर्स काविकल्प है:

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अलकोहल पर आधारित उद्योगों की प्रगति की जांच करने और सिफारिशों करने के लिए एक समिति गठित की है,

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये हैं, और

(ङ) पैट्रोलियम उत्पादों के लिये अलकोहल का कहां तक उपयोग किया जायेगा;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री : श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) से (ङ) आगामी कुछ वर्षों में मद्य-निषेध के पूर्णरूप से लागू हो जाने के फल-स्वरूप, लगभग 150 मिलियन लिटर अल्कोहल औद्योगिक कार्य के लिए ओर उपलब्ध होगा। रसायन के क्षेत्र में कई उद्योगों के लिए अल्कोहल ही एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है तथा पेट्रोलियम कच्चे माल 'फीड स्टाक' के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकार ने अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की भावी योजना तथा विकास के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की थी उस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है। औद्योगिक कार्य के लिए अल्कोहल का प्रयोग अधिकांश तौर पर भविष्य में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की मांग तथा विकास पर निर्भर होगा।

VACANT POSTS OF HEAD CLERK IN IZATNAGAR DIVISION

†4643. SHRI RAM DHARI SHASTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of posts of head clerk lying vacant in the Izatnagar Division Mechanical Branch, N.E. Railway, and the number of posts among them reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) the reasons for not filling these posts so far and also not investigating into the conspiracy behind deliberate attempt to lower efficiency; and

(c) the reasons for not punishing so far the officers responsible therefor?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) None.

(b) & (c). Do not arise.

राजा-का-साहसपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित डिस्टिलरी पर बकाया राशि

4644. **श्री बृजराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में राजा-का-साहसपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित एक डिस्टिलरी के मालिक पर रेलवे को देय एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया थी;

(ख) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के कार्यालय में इस बकाया राशि से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों उपलब्ध होने के बाजजूद यह राशि वसूल नहीं की गई है; और

(ग) रेलवे को देय इस राशि को वसूल न करने के लिए जिम्मेदार स्टेशन मास्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यह राशि कब तक वसूल की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम, दिल्ली के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में असमानता

4645. श्री आर० बी० स्वामीनाथन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगमों के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ; जबकि समय अवधि का बताया जाना मुश्किल है, फिर भी निर्णय शीघ्र से शीघ्र लिया जायेगा।

CLASS III POSTS

†4646. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of persons of Bikaner and Jodhpur Division who have been appointed on class III posts by Northern Railway Service Commission Allahabad during the last five years and the number of persons who had applied for these posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : The Railway Service Commission, Allahabad receives a large number of applications usually lakhs of them against each advertisement. It is not feasible for the Commission to maintain statistics of the places from which candidates apply.

रेलवे मंत्रालय की तुलना में रेलवे बोर्ड के सांविधिक कृत्य

4647. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय और विभिन्न रेलवे के प्रबन्ध की तुलना में रेलवे बोर्ड के सांविधिक कृत्य क्या हैं और बोर्ड तथा उसके वैयक्तिक सदस्य इन कृत्यों को किस प्रकार निभा रहे हैं; और

(ख) रेलवे की कार्य-दक्षता तथा निर्णयों और कार्यवाहियों को जल्दी लागू करने में यह बोर्ड कहां तक सहायता करता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम 1890 भारत में रेलों से सम्बन्धित मूल विधि है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार से अनेक कार्यों का किया जाना तथा उनसे संबंधित आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना अपेक्षित है। रेलवे बोर्ड का भारत सरकार लोक निर्माण विभाग के 18 फरवरी, 1905 के प्रस्ताव से 256-जी द्वारा भारत में रेलों का प्रबंध करने के लिए पूर्ण प्राधिकार वाले निकाय के रूप में गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों को भारत सरकार के आदेशों के रूप में स्वीकार किया जाता था। भारतीय रेल अधिनियम 1905 (1905 का IV) 22 मार्च, 1905 से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के प्रस्तावना में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

> "चूंकि रेलवे बोर्ड का गठन भारत में रेलों के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए किया गया है और चूंकि इस बोर्ड को भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का IX) के अधीन कुछ विशेष शक्तियों या कार्य सौंपाना कालोचित समझा जाता है अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है"

अधिनियम के धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रेलवे बोर्ड को भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का IX) के अन्तर्गत सभी रेलों या किसी रेलवे के सम्बन्ध

में केन्द्रीय सरकार का सम्पूर्ण अथवा कुछ शक्तियों या कार्य निर्बाध रूप से या किन्हीं शर्तों के अधीन सौंप सकती है । इस का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का IX) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त शक्तियों का रेलवे बोर्ड में प्रत्यायोजन किया गया है ।

रेलवे बोर्ड को प्रत्योजित उक्त सांविधिक कार्यों/शक्तियों के अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद-77 के खण्ड 3 के अधीन बनाये गये भारत सरकार (कार्यों के आवंटन) नियमों के अधीन भारत सरकार के कार्य रेल मंत्रालय को सौंपे गये हैं । रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को जो कार्य आबंटित किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

"1. सरकारी रेलें—सभी मामले, जिनमें रेलवे राजस्व तथा व्यय सम्बन्धी मामले भी शामिल हैं किन्तु इनमें रेलवे निरीक्षालय तथा रेलवे लेखा परीक्षा शामिल नहीं हैं ।

2. गैर सरकारी रेलें—रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था भारतीय रेल अधिनियम या सरकार तथा इन रेलों के बीच हुए संविदाओं या किसी अन्य सांविधिक नियम अर्थात् संरक्षा, अधिकतम एवं न्यूनतम भाड़ा दरों एवं किराये आदि के सम्बन्ध में विनियमों के अधीन व्यवस्था से सम्बन्धित मामले ।"

इनमें भी अनेक कार्य करने पड़ते हैं तथा देश भर में फैली रेलों के दैनिक कार्य-संचालन से सम्बन्धित अनेक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड 3 के अधीन बनाये गये भारत सरकार (कार्यों के निष्पादन) नियमों में नियम 3 के अन्तर्गत रेल मंत्रालय को आबंटित कार्यों का निपटान कार्यभारी मंत्री द्वारा या उनके सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन किया जाना चाहिए । रेल मंत्रालय को आबंटित कार्यों को करने के लिए रेल मंत्री की सहायता रेलवे बोर्ड द्वारा तथा सीधे रेलवे बोर्ड के पर्यवेक्षक नियंत्रण में कार्य करने वाले विभिन्न तकनीक निदेशालयों द्वारा की जाती है ।

वर्तमान गठन के अनुसार रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वित्त आयुक्त तथा तीन अन्य सदस्य हैं । अध्यक्ष रेल मंत्रालय में भारत सरकार का पदेन प्रमुख सचिव होता है तथा वित्त आयुक्त एवं तीन अन्य सदस्य भारत सरकार के पदेन सचिव के स्तर के होते हैं । अध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों पर कार्मिक सिविल इंजीनियरी, परिवहन तथा यांत्रिक इंजीनियरी से सम्बन्धित मामलों का अलग अलग कार्यभार होता है । वित्त आयुक्त पर रेलों से सम्बन्धित वित्तीय मामलों का कार्यभार होता है ।

रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है । अतः यह बात आधारभूत महत्व की है कि उसकी प्रशासनिक मशीनरी को इस प्रकार ढाला जाय कि जिससे तीव्र आर्थिक विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के अनुकूल यह वृहत राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सके । रेलवे बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य व्यवहार-कुशल प्रशासकों के एक ऐसे निकाय की स्थापना करना है जिन्हें रेल परिचालन के क्षेत्र में विस्तृत एवं तरह-तरह का अनुभव हो और जिन्हें भारतीय रेलों के प्रबन्ध का पूर्ण प्राधिकार सौंपा जा सके । यह निकाय सीधे रेल मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हुए सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता है, अन्य मन्त्रालयों के साथ समन्वय करता है, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करता है । रेलवे बोर्ड रेलों के विकास तथा संचालन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाने में रेल मंत्री को अपनी विशेषज्ञ सलाह देता है । रेलवे बोर्ड के सदस्य, सरकार के सचिवों की हैसियत से संसद् की महत्वपूर्ण समितियों, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, रेलवे अभिसमय समिति आदि के सम्मुख उपस्थित होते हैं और साक्ष्य देते हैं । रेलवे बोर्ड रेल मंत्री द्वारा अनुमोदित रेलवे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए

तथा बजट एवं रेलवे की आय तथा व्यय के अन्य प्राक्कलन तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह मानक निर्धारित करता है, कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समान शर्तों को निर्धारित करता है तथा श्रमिक फेडरेशनों के साथ मंत्रालय स्तर पर वार्ता करता है।

संक्षेप में, एक विशाल रेल प्रणाली को कारगर ढंग से चलाने में एक उच्चतम तकनीकी संगठन के रूप में रेलवे बोर्ड का स्थान महत्वपूर्ण है। यदि रेलवे बोर्ड की तरह कोई केन्द्रीय संगठन न हो तो तकनीकी मामलों में शीघ्र निर्णय करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना सम्भव नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने रेलों की कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद की है क्योंकि रेल मंत्री को विभिन्न मामलों में सलाह देने वाले सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इसके कारण निर्णय तथा कार्रवाई भी शीघ्र होती है क्योंकि अन्यथा, रेल मंत्री को जिन्हें अन्य उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं, वे सारे कार्य स्वयं करने पड़ेंगे जिन्हें आज रेलवे बोर्ड किया करता है।

रेलवे के अंतर्गत नियुक्त नैमित्तिक श्रमिक

4648. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में डी० एस० टी०ई०/डब्ल्यू/टम्बरम के अंतर्गत ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं जो वहां तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं,

(ख) ऐसे कितने श्रमिक हैं जिन्हें सेवा की बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया है,

(ग) दक्षिण रेलवे की किसी अन्य परियोजना में उन्हें न रखने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या इन श्रमिकों की सेवावधि, को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे रेलवे की परियोजनाओं में इनके अनुभव का उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो सके, और

(ङ) क्या टम्बरम रेलवे मजदूर संघ से मंत्री महोदय को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) लगभग 230।

(ख) शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किये गये 20 नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी समाप्ति के नोटिस जारी किये गये थे। लेकिन उनमें से 19 ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसलिए उनमें से केवल एक को ही नौकरी से सेवा-मुक्त किया गया।

(ग) और (घ) नैमित्तिक श्रमिकों की वरिष्ठता उनके कार्य के यूनिट में ही सीमित रहती है, चूंकि नैमित्तिक श्रमिक सब जगह फालतू हैं अतः उनको स्थानान्तरित करके किसी दूसरी जगह रखने में कठिनाई है।

(ङ) जी हां। अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

बोंगईगांव तथा दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस किस्म की एक रेलगाड़ी चलाना

4649. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम, मेघालय तथा उत्तर बंगाल के यात्रियों की सुविधाओं के लिये बोंगईगांव तथा दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस किस्म की एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं।

कुर्सियोंग रेलवे प्रेस में प्लेटन मशीन

4650. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **रेल** मंत्री कुर्सियोंग रेलवे प्रेस में प्लेटन मशीन के बारे में 29 नवम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच कर रहे अधिकारी का नाम क्या है ?

(ख) प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जांच समिति के सदस्य सर्वश्री एन० बी० मलिक, वरिष्ठ यांत्रिक निरीक्षक (डीजल), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, सिलीगुडी जं० एस० पी० मलहोत्रा, कारखाना अधीक्षक (गाड़ीबती), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे न्यू बोंगाई गांव और ज़ैड आलाभ फोरमैन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस कुर्सियोंग थे ।

(ख) चूंकि दुर्घटना की जांच के लिए जिसमें मशीन मैन को चोट लगी थी। यह एक संयुक्त जांच थी । इसलिए इसमें कुछ समय लगा ।

(ग) समिति ने 6-12-77 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ।

रेलवे में दीर्घावधि सेवा वाले अधिकारियों को स्थायी किया जाना

4651. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेल** मंत्री रेलवे में दीर्घावधि सेवा वाले अधिकारियों को स्थायी किया जाने के बारे में 26 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर में दिये गये आंकड़ों को देखते हुए, जिनम 317 अधिकारी स्थायी किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वार्षिक कोटा मार्च 1947 का है, सभी अस्थायी अधिकारी लगभग अगले दस वर्षों में प्रथम श्रेणी में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किये जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वार्षिक कोटे में वृद्धि करने का है ताकि स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्दी हो सके ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कुछ अन्य अस्थायी सहायक अधिकारी स्थायी किये जा चुके हैं और उनमें से केवल 303 को श्रेणी I अवर वेतनमान में स्थायी किया जाना शेष है । सरकार ने हाल ही में सिविल इंजीनियरी विभाग के अस्थायी सहायक अधिकारियों को श्रेणी-I अवर वेतनमान में स्थायी करने का वार्षिक कोटा 29 से बढ़ाकर 33 कर दिया है । सभी विभागों के सम्बन्ध में समाहरण का वार्षिक कोटा अब प्रतिवर्ष 51 है, इसके अलावा, इन अधिकारियों में से कुछ को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में स्थायी रूप से समाहित करने का भी प्रस्ताव है ।

भारतीय विधि संस्थान के कार्यपालक अध्यक्ष का पद

4652. **श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतंत्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विधि संस्थान के कार्यपालक अध्यक्ष का पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय विधि संस्थान की शासी परिषद् ने इस पद को भरने के लिए सर्वसम्मति से सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पद को प्रास्थगित रखने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय विधि संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसकी शासी परिषद् ने तारीख 21 अप्रैल, 1976 को हुई अपनी बैठक में कार्यपालक अध्यक्ष के पद का सृजन करने का विनिश्चय किया था। उसके अनुसरण में इस पद के लिए, जिसका वेतनमान 2500–50–2550–100–2750 रु० है, समाचार-पत्रों में खुले विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

शासी परिषद् ने तारीख 23 अप्रैल, 1977 को हुई अपनी बैठक में पहले वाली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि नहीं की बल्कि इसकी बजाए उसने संस्थान के वर्तमान नियमों, विनियमों और उप-विधियों के संशोधनों पर और कार्यपालक अध्यक्ष के पद का सृजन करने की वांछनीयता या अन्यथा पर विचार करने के लिए पांच व्यक्तियों की एक समिति गठित करने की शक्ति संस्थान के अध्यक्ष को प्रदान की। तदनुसार एक समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. न्यायमूर्ति श्री पी० एम० भगवती, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
2. न्यायमूर्ति श्री वी० एस० देशपाण्डे, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
3. डा० आनन्द प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
4. प्रोफेसर उपेन्द्रा बक्षी, संकायाध्यक्ष (डीन), विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5. डा० एस० एन० जैन, संस्थान के निदेशक।

ऊपर बताई गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि संस्थान के कार्यपालक अध्यक्ष का पद इस समय अस्तित्व में नहीं है। अतः इसे रिक्त रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

STOPPAGE OF TRAINS AT KALANA STATION

†4653. SHRI BEGA RAM CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether only two trains stop at Kalana station and whether there are a large number of villages situated near Kalana station;

(b) whether there is a village named Kalana near the Kalana station, which is bigger than even a town and why all the trains do not stop there;

(c) whether there is large sale of railway tickets there but even then the railway trains do not stop there and the reasons therefor; and

(d) whether he will issue orders for the stopping of trains there, if so, by what time and whether a copy thereof will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). Two pairs of passenger trains namely 1SH/2SH & 3SH/4SH are scheduled to stop at Kalana Railway Station, which are considered adequate. Stoppage of additional trains at Kalana station is not justified.

आई० डी० पी० एल० हैदराबाद यूनिट का विस्तार

4654. श्री जी० एस० रेण्डी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० हैदराबाद यूनिट का अग्रेतर विस्तार किया जायेगा;

(ख) यदि हां तो क्या उस यूनिट में आगे विविधीकरण तथा अधिक सिन्थेटिक औषधियों के उत्पादन के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आई० डी० पी० एल० के सिन्थेटिक ड्रग प्लांट हैदराबाद के विस्तार जिससे 1988.5 मी० टन से 3386.5 मी० टन की क्षमता प्रतिवर्ष बढ़ेगी, के लिए परियोजना पहले ही कार्यान्वयनाधीन है । इस को 1979-80 तक चालू किया जाना है ।

(ख) और (ग) इस यूनिट के और भी विस्तार किये जाने की संभावना है । सम्भाव्य अध्ययन से तैयार किये गये विस्तृत प्रस्तावों का गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य में नोटरी और शपथ आयुक्त

4655. श्री आर० एल० कुरील : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में नोटरी और शपथ आयुक्तों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नोटरियों और शपथ आयुक्तों की कुल संख्या कितनी है और क्या उनके लिए आरक्षित कोटा पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटा को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 256 नोटरी तथा 3219 शपथ आयुक्त हैं । इनमें से, 2 नोटरी तथा 116 शपथ आयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ।

नोटरी अधिनियम, 1952, और नोटरी नियम, 1956 में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है , उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों में शपथ आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति द्वारा, और जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों द्वारा, वकीलों में से की जाती है । शपथ आयुक्तों के मामले में भी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं । किन्तु सरकार का राज्य प्राधिकारियों तथा उच्च न्यायालयों को, इस संबंध में अपर्याप्ता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हुए पत्र लिखने का विचार है जिससे कि इस विषय में आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

REOPENING OF BIHPUR-MAHADEV GHAT RAILWAY LINE

†4656. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Bihpur-Mahadev Ghat railway line on the N.E. Railway which was closed for railway operation due to the last floods, would be opened again; and

(b) if so, the time by which rail services would be resumed on it and the expenditure involved in the resumption of rail service thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There are no such plans at present. However, for the use of the passengers, a more economical ferry service has been introduced between Narayanpur & Barari Ghat, as result of which there is no need to reopen the fair-weather branch line between Thanabihpur and Mahadeopur Ghat and the connecting ferry service between Mahadeopur Ghat to Barari Ghat.

(b) Does not arise.

रेलवे का कार्य

4657. श्री एस० आर० दामाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान रेलवे के निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में उसकी क्या स्थिति है,

(ख) क्या किराया तथा माल-भाडा के ढांचे का पुनर्विलोकन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है अथवा नियुक्त की जाएगी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान रेलों की उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अप्रैल से सितम्बर तक		कमी-बेशी
	1976—77	1977—78	
(i) प्रारंभिक यात्रियों की संख्या (दस लाख में)	1,617.9	1,738.0	+120.1
(ii) यात्रियों से आमदनी (करोड़ रुपयों में)	278.54	312.04	+33.50
(iii) प्रारंभिक टन-भार से राजस्व की आमदनी (दस लाख में)	99.30	103.39	+4.09
(iv) माल यातायात से आमदनी (करोड़ रु० में)	630.21	666.41	+36.20

(ख) और (ग) : एक रेल दर-सूची जांच समिति गठित की गयी है जिसके अध्यक्ष डा० एच० के० परांजपे हैं और सदस्य सर्वश्री के० टी० मीरचन्दानी और वी० के० स्थाणुनाथन हैं। यह समिति यात्री किरायों, मालभाड़ा दरों तथा सार्वजनिक यातायात और डाक-तार सेवाओं, सैनिक यातायात से संबंधित अन्य प्रभारों की संरचना और अन्य आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों की व्यापक जांच करेगी तथा उनमें अपेक्षित आशोधनों की सिफारिश करेगी।

RAILWAY PASSES

†4658. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether new railway passes for railway journey have been issued during the period from July to November, 1977;

(b) if so, the names of the persons who have been issued such passes; and

(c) the criterion for issuing railway passes to such persons ?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) A statement is attached.

(c) Government have laid down the following broad guide-lines for the issue of complimentary passes :—

(1) Institutions and Organisations devoted to social, cultural, scientific, literary. sports and educational activities and whose work is of an all-India character.

(2) Organisations devoted to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward and neglected sections, women, blind and handicapped persons. etc.

(3) Eminent persons engaged in work of national importance for which they are required to undertake frequent journeys.

STATEMENT

Statement showing the names of persons/organisation who have been issued *new* railway passes from 1-7-1977 to 30-11-1977

FIRST CLASS

1. President, Dr. Ambedkar Memorial Society.
2. One office bearer of National Society for equal opportunities for handicapped.
3. One office bearer of Swami Ram Tirtha Mission.
4. One Commissioner of Triennale of World Art, Lalit Kala Academy of Art.
5. One Commissioner of Triennale of World Art, Lalit Kala Academy of Art.
6. One Member of Triennale of World Art, Lalit Kala Academy of Art.

} Only for a limited period up to 31-1-78.

7. One office bearer of Iswar Saran Ashram.

SECOND CLASS

1 One worker, Bhartiya Kushtha Niwarak Sangh.

2 One office bearer of National Leprosy Organisation.

स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाना

4659. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड, गाजियावाद द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के दुरुपयोग करने के बारे में गम्भीर शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में शिकायतों में लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) साधारणतया आरोप लगाते हुए शिकायत प्राप्त हुई हैं कि प्रबन्ध निदेशक और उसका पुत्र

(1) कम्पनी के कार्य में कुप्रबन्ध कर रहे थे

(2) अविश्वास फैला रहे थे जबकि वर्ष 1974-75 के लेखाओं में उनके छलसाधन के कारण भारी हानि दिखाई गई थी

(3) शेयर धारियों के हितों में अहितकर गलत कारणों द्वारा भारी धन एकत्र करना

(4) काला बाजारी

(5) अपने स्वयं प्रयोग के लिए कम्पनी के व्यय पर रजत पात्रों की खरीद करना

(6) करापवंचना का प्रयोग करना

(7) छः बहुमूल्य कारों का रखरखाव

(8) निधियों को बिक्री वृद्धि व्यय के वेष में मोड़ना

(ग) कम्पनी की लेखा—बहियों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण का आदेश कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत दे दिया गया है । कम्पनी अधिनियम की धारा 408 का अनुप्रयोग विचाराधीन है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा पुरस्कृत रेल अधिकारी

4660. श्री मूलचन्द वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने पुरस्कार दिया तथा प्रशंसा पत्र दिये,

(ख) क्या जिन अधिकारियों को पुरस्कार के लिये चुना गया था उन्हें अपने वरिष्ठ सहयोगियों से पहले पदोन्नति भी दी गई और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ वाणिज्यिक अधिकारियों को, जिन्हें तत्कालीन रेल मंत्री ने इलाहाबाद डिवीजन में उनकी सर्वोत्तम सेवाओं के लिये सम्मानित किया था और पुरस्कार दिया था, उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने पुरस्कार और/अथवा प्रशंसा के योग्य नहीं माना था,

(घ) क्या यह सच है कि तत्कालीन मंत्री ने उन्हीं अधिकारियों को चुना था जो उनके प्रति निष्ठावान तथा वफादार थे तथा उनकी बारी से पूर्व उनकी पदोन्नति की भूमिका तैयार करने के लिये उन्हें पुरस्कृत किया था, और

(ङ) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें अपनी बारी से पूर्व पदोन्नति मिली तथा इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल मंत्री के रूप में श्री कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान 1975 और 1976 में जिन रेल अधिकारियों को रेल मंत्री का पुरस्कार दिया गया था उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) चूंकि, ये पुरस्कार चुने हुए रेल कर्मचारियों को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं इसलिए वरिष्ठता को चयन का मापदण्ड नहीं माना जाता। अतः वरिष्ठता के अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि इन पुरस्कारों के प्रयोजन के लिए महाप्रपंधकों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है फिर भी रेल मंत्रालय इन पुरस्कारों को देने के लिए विशेष मामलों में अधिकारियों का चयन कर सकता है। एक मामले में एक अधिकारी को पुरस्कार देने के बारे में महाप्रबंधक ने सिफारिश नहीं की थी, लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री ने यह निर्णय किया था कि उस अधिकारी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

(घ) सामान्यतः पुरस्कार विजेताओं के नामों का अनुमोदन सम्बन्धित महाप्रबंधक की सिफारिश के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन, तकनीकी रूप से ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस विषय में मंत्री जी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते यद्यपि विवेक का इस प्रकार प्रयोग कभी कभार ही किया जाता है। इस के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अधिकारी को चुना गया है वह रेल मंत्री पुरस्कार के लिए निर्धारित प्राथमिक मापदंड को पूरा करता है या नहीं।

(ङ) कोई नहीं।

विवरण

1975

1. श्री सी० आर० श्रीनिवासन
   सहायक वाणिज्य अधिकारी (खान-पान)
   मध्य रेलवे, बम्बई।
2. श्री जसबीरपाल सिंह
   मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल)
   उत्तर रेलवे।
3. श्री एस० आर० शाह
   महाप्रबंधक के सचिव
   उत्तर रेलवे

4. श्री रवीन्द्र शर्मा
कारखाना प्रबन्धक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ।

5. श्री डी० आनन्दमूर्ति
सहायक सुरक्षा अधिकारी, दक्षिण रेलवे ।

6. श्री डी० जी० गंगोली,
वरिष्ठ इंजीनियर (अभिकल्प)
रेलवे विद्युतीकरण, दक्षिण मध्य रेलवे ।

7. डा० (श्रीमती) मन्जू कुमार
सहायक चिकित्सा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे ।

8. श्री एन० ए० गज्जर
सहायक इंजीनियर, पश्चिम रेलवे ।

9. श्री जे० एन० श्रीवास्तव,
सहायक कारखाना प्रबन्धक,
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ।

10 श्री शान्ति नारायण
उपनिदेशक, यातायात परिवहन (कोचिंग)
रेलवे बोर्ड ।

11. श्री पी० एल० पोपली,
अनुभाग अधिकारी,
रेलवे बोर्ड ।

1976

1. श्री केवल कृष्ण मनराय
सहायक इंजीनियर (रीलेइंग), मध्य रेलवे ।

2. डा० एस० सी० कुंडू
चिकित्सा अधीक्षक, बी० आर० सिंह अस्पताल, पूर्व रेलवे ।

3. श्री एस० पी० बिस्वास
मंडल परिचालन अधीक्षक (टी), पूर्व रेलवे ।

4. श्री वी० के० कौल
सहायक इंजीनियर, उत्तर रेलवे ।

5. श्री ओ० एन० कक्कड़
स्टेशन अधीक्षक, उत्तर रेलवे ।

6. श्री डी० सी० मिश्रा
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे ।

7. श्री एस० एल० काव
उप मुख्य परिचालन अधीक्षक उत्तर रेलवे ।

8. श्री हीरक दास
सहायक पुल इंजीनियर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

9. श्री राजू नायडू पुरुषोथमन,
सहायक उत्पादन इंजीनियर, एस० ई० टी० कारखाना, दक्षिण रेलवे ।

10. श्री लक्ष्मीनारायण मलवल्ली नरसिमैय्या,
निजी सहायक/मुख्य इंजीनियर (एस० एण्ड सी०), पश्चिम रेलवे ।

11. श्री एस० आर० गुप्ता
उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ।

12. श्री के० एस० दस्थागीर
स्थानापन्न कार्यपालक इंजीनियर,
सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर ।

13. श्री आर० एन० सक्सैना,
संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्य, रेलवे बोर्ड ।

14. श्री बी० बी० सिंह
अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड ।

15. श्री एम० एल० उप्पल,
अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड ।

श्री० के० के० शर्मा द्वारा पोषित भ्रष्टाचार

4661. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे एम्पलाईज कोआर्डिनेशन् कमेटी, पूर्व रेलवे, धनबाद के डिवीजनल सेक्रेटरी की ओर से दिनांक 1 मई, 1977 को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि श्री के० के० शर्मा आई० ओ० डब्लू (सी), पूर्व रेलवे, धनबाद द्वारा पोषित व्यापक भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्रीय राजकोष में भारी हानि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस गम्भीर आरोप पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार युनियन, सिन्द्री की ओर से अभ्यावेदन

4662. **श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्द्री स्थित सन्यन्त्रों के आधुनिकीकरण के बारे में सिविल कार्यों अथवा मैकेनिकल कार्यों के ठेके की शर्तों और सामान्य निदेशों के सम्बन्ध में विभिन्न अनियमितताओं और उनके उल्लंघन के बारे में फर्टिलाइजर कारपोरेशन, कामगार यूनियन, सिन्द्री के एसिस्टेंट सेक्रेटरी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां तो उठाये गये प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

विदेशी औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा विदेशों को धनराशि भेजा जाना

4663. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा कितनी धनराशि विदेशों को भेजी गई ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि विदेशों में भेजे जाने पर किस प्रकार रोक लगाने का सरकार का विचार है; और

(ग) इन कम्पनियों ने इस अवधि में वर्षवार, विदेशों को लाभ की राशि भेजने के बाद भारत में कितनी आस्तियां बना ली हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन वहुगुणा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना 13-12-1977 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7338 के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत की गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना 6-12-1977 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (ग) के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत की गई है ।

औषधियों के मूल्य में वृद्धि का मूल्यांकन

4664. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में औषधियों के मूल्य में हुई वृद्धि का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या मूल्यों में यह परिवर्तन महत्त्वपूर्ण व आय प्रयोग की जीवनरक्षक औषधियों से अधिक हुआ हैं; और

(ग) यदि हां तो उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्यों को कम करने विशेष कर उन औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने ब्राण्ड के नाम के अधीन बनाई जाती हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जबकि गत दो वर्षों में औषधों के मूल्य में वृद्धि का मूल्यांकन नही किया गया है परन्तु औषधों के थोक मूल्य सूचक अंक अन्य वस्तुओं के मुकाबले (1970-71 में 100 के मूल्य के साथ) धीरे धीरे बढ़े हैं जबकि अन्य वस्तुओं के सूचक अंकों में तीव्र वृद्धि हुई है।

वर्ष	अन्य वस्तुएं	औषधियों और दवाइयां
1974-75	174.9	108.2
1975-76	1730	118.7
1976-77	176.6	133.9

1-10-76 से 31-3-77 तक औषध निर्माताओं को औषध सूत्रयोगों के मूल्यों में दी गई वृद्धि के व्यौरे लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 295 के उत्तर में 14 जून, 1977 को दिये गये थे।

इस अवधि के दौरान दिये गये संशोधनों के विश्लेषण यह देखा जायेगा कि औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 की अनुसूची-1 में दी गई प्रपु० ज औषधों अर्थात् आवश्यक औषधों वाले विभिन्न सूत्रयोगों के 97 पैकों पर वृद्धि दी गई है। यह वृद्धि 0.04 प्र० श० से 62.88 प्र० श० के बीच में है। इस अवधि से इस श्रेणी के 160 पैकों के मूल्यों में कमी भी हुई है और यह कमी 0.29 प्र० श० से 116.8 प्र० श० के बीच में है।

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 की अनुसूची-1 में दी गई प्रपुंज औषधों के अतिरिक्त अन्य प्रपुंज औषधों पर आधारित के 158 पैकों में भी वृद्धि दी गई और यह वृद्धि 0.02 से प्र० श० से 71 प्र० श० तक के बीच में है । 94 पैकों के लिए मूल्यों में कमी भी हुई है और यह कमी 0.22 प्र० श० से 55.37 प्र० श० के बीच में है।

(ग) सेरा टीकों निश्चेतकों और औषधीय ग्रेड के आक्सीजन आदि पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है।

प्रजातिगत नामों के साथ विक्रय किये जाने वाले सभी सूत्रयोगों पर केवल 1 प्र० श० की रियायती दर पर उत्पादन शुल्क लगता है।

10 मई, 1977 तक 16 प्रपुंज औषधों की पेटन्ट तथा स्वाम्य दवाईयां उत्पादन शुल्क के ढाई प्र० श० की रियायती दर के लिए योग्य थीं जबकि सामान्य उत्पादन शुल्क 12.5 प्र० श० है। 10 मई, 1977 को सरकार ने निम्नलिखित प्रपुंज औषधों वाली पेटेन्ट तथा स्वाम्य दवाईयों पर उत्पादन शुल्क साढ़े बारह प्र० श० से घटा कर 2 प्र० श० किया है।

1. किलोरोक्विन फास्फेट
2. अमोडिया क्विन

3. टालव्यूटा माईड
4. मेट्रोनीक जोत
5. पिप्राजीन तथा उसके साल्ट
6. रिफामपिसिन
7. टेट्रासाईकिलीन हाईड्रोकिलोराईड
8. डाईएथाईल कारबामाजीन पाईट्रेट
9. किलोफाजीमीन

उत्पादन शुल्क में कमी के फलस्वरूप मूल्यों में कमी को लागू कर दिया गया है। और विदेशी कम्पनियों के ब्रांड नामों वाले उत्पादों के मूल्यों में भी कमी की गई है।

75 जीवन रक्षात्मक औषध मूल्योगों के सीमा शुल्क से बिलकुल मुक्त रखा गया है, चाहे उनका आयात वास्तविक उपभोक्ता द्वारा किया गया हो। इन उपयोगों के फलस्वरूप कुछ औषध सूत्रयोगों के मूल्य कम हो चुके हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक अप्रत्यक्ष कर जांच समिति का गठन किया है और यह समिति औषधियों सहित सभी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों की जांच कर रही है। इस समिति की सिफारिश पर आधारित अप्रत्यक्ष करों में किसी भी कमी से औषधियों के मूल्यों में कमी होगी।

औषध एवं भेषज उद्योग पर हाथी समिति ने भी औषधियों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है कि अन्य शिफारिशों के साथ साथ सामति ने यह शिफारिश की है कि 16 प्रपुंज औषधों के सूत्रयोगों के ब्रांड नाम समाप्त किये जायें। इस समिति की सिफारिशें विचार के अन्तिम चरण में हैं।

खान-पान तथा विक्रय (केटरिंग एण्ड वेण्डिंग) प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार तथा कदाचारों का उन्मूलन

4665. श्री शिव सम्पति राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-पान तथा विक्रय प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के उन्मूलन हेतु तथा सेवा के स्तर में भी सुधार करने हेतु उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गई थीं,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समितियों द्वारा क्या विशिष्ट सिफारिशें की गई और उन्हें किस हद तक क्रियान्वित किया जा चुका है,

(ग) क्या समितियों ने ऐसी भी कोई सिफारिश की थी कि किसी एक ही स्टेशन पर विगत तीन वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्य कर रहे मैनेजरों/इन्सपैक्टरों का स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए,

(घ) यदि हां, तो इन्सपैक्टरों/मैनेजरों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जो इलाहाबाद, कानपुर तथा टुण्डला स्टेशनों पर पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और जब भी उनका स्थानान्तरण किया जाता है वे अपने स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करवा लेते हैं, और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

7—1028 LSS/77

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) खान-पान सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए दो समितियां अर्थात् खान-पान समिति (1954) तथा रेलवे खान-पान एवं यात्री सुविधा समिति, 1967 नियुक्त की गयी थी। इन समितियों के विचारार्थ विषय रेलों पर खान-पान सेवाओं में सुधार तक ही सीमित थे।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति (1953–55) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, खान-पान सेवाओं के सम्बन्ध में 8 सिफारिशें की थीं।

(ख) एक विवरण [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1440/77] संलग्न है जिसमें रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति द्वारा खान-पान के सम्बन्ध में की गयी आठ सिफारिशें और उन पर की गयी कार्रवाई दी गयी है।

(ग), (घ) और (ङ) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने यद्यपि यह सिफारिश की थी कि यात्री जनता के सम्पर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानान्तरण किया जाये। यह सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से अधिक्रमित हो गयी। वर्तमान समय में कर्मचारियों को तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता जब तक उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत न हो।

कानपुर में साइकिल स्टैण्ड

4666. श्री शिव सम्पति राम : क्या **रेल** मंत्री वर्ष 1975 के दौरान कानपुर में साइकिल स्टैण्ड के लिये नये टेंडर आमन्त्रित करने में विलम्ब के बारे में 2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5787 के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेंडर दाताओं के लिये मसौदा करार तथा उन्हें दिये गये निदेशों में निर्धारित शर्तों के आधार पर अपनी दरों का उल्लेख करना अपेक्षित था ;

(ख) क्या इस टेंडर सम्बन्धी दस्तावेज में कतिपय इंजीनियरों के कामों को पूरा करने के बारे में कोई विशिष्ट शर्तें थीं और यदि नहीं, तो सफल टेंडरदाता मैसर्स दिनेश एण्ड कम्पनी के बयाने की राशि को जब्त न करने के क्या कारण हैं जबकि उन्होंने 15 मई, 1977 से काम करना शरू नहीं किया ;

(ग) क्या डिवीजनल अधिकारियों ने उक्त कम्पनी के बयाने की राशि को जब्त करने के लिए जान-बूझ कर मई, 1975 के दौरान तुरन्त कार्यवाही नहीं की ताकि वर्तमान ठेकेदार को विशेष लाभ पहुंचाया जा सके जिसको रेलवे के वित्तीय हितों को हानि पहुंचाते हुए बहुत ही कम मूल्य पर अपना काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने रेलवे के हितों के विरुद्ध कार्य किया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) कतिपय इंजीनियरी निर्माण कार्यों को पूरा करने के बारे में टेंडर प्रलेख में कोई विशेष शर्त नहीं थी। फिर भी, यह तब आवश्यक हो गया जब ठेका देने के बाद, मेसर्स दिनेश एंड कम्पनी ने

इस ओर ध्यान दिलाया कि साइकिल स्टेंड के लिए टेंडर प्रलेखों में उल्लिखित स्थान की अपेक्षा मौके पर उपलब्ध स्थान कम है। जब इस बारे में जांच करवायी गयी तो यह पता चला कि छतदार स्थान टेंडर प्रलेख में विर्वाणित स्थान के अनुसार था परन्तु खुला स्थान प्रलेख में विर्वाणित स्थान से कम था। तदनुसार, कतिपय इंजीनियरी निर्माण कार्यों की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया ताकि साइकिल स्टेंड का स्थान टेंडर में विर्वाणित स्थान के बराबर हो जाये। अपेक्षित इंजीनियरी काम के पूरा हो जाने के बाद ठेकेदार से काम शुरू करने के लिए कहा गया। परन्तु उसने ऐसा करने से मना कर दिया और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली गयी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नैनी माल गोदाम में विभागीय कार्यकरण

4667. श्री शिव सम्पति राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1-7-77 से माल चढ़ाने-उतारने के लिए नैनी माल-गोदाम में विभागीय कार्यकरण आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो जुलाई से अक्तबर, 1977 के बीच महीने-वार कितने नैमित्तिक मजदूरों की स्वीकृति दी गई और उन्हें कितना भुगतान किया गया ;

(ख) क्या जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन नैमित्तिक मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाता है;

(ग) क्या वाणिज्यिक अधिकारी इस विशेष प्रकार की कार्य पद्धति में काफी अनुभवी सोसाइटियों की अपेक्षा एक रेलवे कार्य में अनुभवहीन नई सहकारी समिति को यह ठेका दिये जाने में साधारण तत्परता दिखा रहे हैं; और

(घ) जून, 1976 से जून, 1977 तक महीनेवार इस सोसाइटी का कितनी रकम का बिल बना और उसे कितना भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 13-7-1977 से नैनी माल गोदाम में माल सम्हलाई के लिए विभागीय कार्यप्रणाली शुरू कर दी गयी है। दैनिक मजदूरी दरों पर छः नैमित्तिक श्रमिकों को रखने की मंजूरी दी गयी है। महीनेवार जितनी राशि का भुगतान किया गया, वह इस प्रकार है :—

महीना	भुगतान की राशि रुपये
जुलाई	741.00
अगस्त	1001.00
सितम्बर	1157.00
अक्तूबर	1202.50

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) हर एक महीने जितनी राशि का बिल तैयार किया गया और जितनी राशि का भुगतान किया गया, वह इस प्रकार है :—

महीना	जितनी राशि का बिल बनाया गया	जितनी राशि का भुगतान किया गया
	रु०	रु०
जून, 1976	1,444.00	1,062.00
जुलाई, 1976	2,148.00	1,251.00
अगस्त, 1976	1,696.00	1,486.00
सितम्बर, 1976	2,008.00	1,730.00
अक्तूबर, 1976	1,980.00	1,594.00
नवम्बर, 1976	1,998.00	1,576.00
दिसम्बर, 1976	1,253.00	999.00
जनवरी, 1977	833.00	644.00
फरवरी, 1977	1,597.00	1,305.00
मार्च, 1977	2015.00	1,671.00
अप्रैल, 1977	1,132.00	1,029.00
मई, 1977	1,212.00	1,192.00
जून, 1977	1,148.00	1,049.00

मुगलसराय पर माल उतारने-चढ़ाने का काम

4668. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय में रेलवे स्टेशन पोटर्स कोपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड को माल उतारने-चढ़ाने के काम की पृथक्-पृथक् मदों की क्या दरें निर्धारित की गई थीं ;

(ख) ये दरें किस आधार पर निर्धारित की गई थीं और उनका क्या औचित्य है; और

(ग) महीने-वार इस सोसाइटी ने गत वर्ष में कितने औसत मजदूर काम पर लगाये; और

(घ) सोसाइटी द्वारा इन मजदूरों को किन दरों पर भुगतान किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अलग-अलग कामों की दरों, जिनमें विभिन्न कार्यों के लिए एक मुश्त रकम भी शामिल है, का निर्धारण कार्य-निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की कुल संख्या काम पूरा करने में लगने वाले समय और उस क्षेत्र की स्थानीय नैमित्तिक मजदूरी की दरों को ध्यान में रख कर किया गया था। इस प्रकार निकाली गयी दरों में 10 प्रतिशत ऊपरी खर्च के लिए और 4 प्रतिशत बोनस के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है।

(ग) इस सोसायटी ने 1-11-76 से 30-9-77 तक 11 महीनों के लिए ठेका रखा था और इसने काम की मात्रा के अनुसार प्रतिदिन औसतन 110 व्यक्ति काम पर लगाये थे।

(घ) 4/- रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

विवरण

मुगलसराय पर माल चढ़ाने-उतारने के ठेके सम्बन्धी कार्यों एवं दरों की स्वीकृत अनुसूची

क्रम सं०	कार्यों की अनुसूची	स्वीकृत दरें
1.	करार के खण्ड 2(1) में दिये गये कार्यों सहित शेडों से माल डिब्बों में माल लादना	10 रुपये प्रति 100 क्विटल
2.	करार के खण्ड 2(1) में दिये गये कार्यों सहित माल-डिब्बों से शेड में माल उतारना	5 रुपये प्रति 100 क्विटल
6.	सड़क वाहनों का पुनर्पैकिंग जिसमें छंटाई, पुनर्छंटाई, स्टेकिंग, पुनर्स्टेकिंग, जांच, पुनर्जांच ऐसे स्थानों पर करना या रुके वाहनों में रेलवे पदाधिकारियों के निर्देशानुसार माल के भंडारण सहित माल उतारना-लादना तथा अन्तिम रूप से माल भेजे जाने से पूर्व जरूरी समझे जाने वाले कार्य चाहे वहन दूरी, लदान ऊंचाई तथा लगने वाला समय कितना भी हो।	
11.	क्षतिग्रस्त माल डिब्बे से माल का यानान्तरण	40 रुपये प्रति बड़ी लाइन माल डिब्बा
12.	क्षतिग्रस्त माल डिब्बे से कोयला, खनिज पदार्थ थोक माल तथा अन्य भारी पैकेजों का यानान्तरण	50 रुपये प्रति बड़ी लाइन माल डिब्बा
22.	करार के खण्ड 2(2ii) में उल्लिखित कार्यों के लिए एकमुश्त दर	प्रति माह 3,000 रु०
24.	दोषयुक्त, सील वाले माल डिब्बों के सामान की जांच करने के लिए छंटाई तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसे आंशिक रूप से उतारना तथा लादना	5 रुपये प्रति बड़ी लाइन माल डिब्बा
25.	असम्बद्ध या गलत भेजे गए माल डिब्बों के सामान को उतारना जिसमें ऐसे काम भी शामिल हैं जो कार्य को कारगर रूप से करने के लिए आवश्यक हो	24 रुपये प्रति बड़ी लाइन माल डिब्बा
26.	असम्बद्ध या गलत भेजे गये माल डिब्बों के सामान को लादना जिसमें ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो कार्य को कारगर रूप से करने के लिए आवश्यक हों	30 रुपये प्रति बड़ी लाइन माल डिब्बा
31.	बाक्स माल डिब्बों से माल का यानान्तरण	11 रुपये प्रति 100 क्विटल
32.	बाक्स माल डिब्बों से कोयले, खनिज पदार्थ तथा अन्य थोक माल का यानान्तरण	9 रु० प्रति 100 क्विटल

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध 'बंद और रोक' (सीज एण्ड डसिस्ट) आदेश जारी करना

4669. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जून, 1975 के पश्चात् एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने 'बन्द और रोक' (सीज एण्ड डेसिस्ट) आदेश जारी किये ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री शान्ति भूषण) : उन कम्पनियों के नाम देता हुआ एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1441/77]

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों पर खर्च

4670. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्यक पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है, और

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में इन संयंत्रों में से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

(क) और (ख) कोयले पर आधारित तीन उर्वरक परियोजना पर व्यय निम्न प्रकार है:—

कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना का नाम	1977 अक्तूबर तक हुआ व्यय (रुपये लाखों में)	1976-77 में हुआ व्यय (रुपये लाखों में)	1977-78 के दौरान प्रस्तावित व्यय (रुपये लाखों में)
1. रामगुण्डम	13770	1834	1700
2. तलचर	13036	1104	2009
3. कोरबा	1913	543	300

विदेशी औषध निर्माण कम्पनियों में परस्पर सम्बन्ध डाइरेक्टर

4671. **श्री गोविन्दमंडा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों में परस्पर सम्बन्ध डायरक्टर पद्धति का होना एक आम बात है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों को जिनके डायरेक्टर परस्पर सम्बन्ध हैं, ईक्विटी बिक्री आदि के मामले में एक साथ लेने का है या उन्हें एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत रखते हुए एकाधिकारी प्रवृत्ति रोकने और बड़ी कम्पनियों को न पनपने देने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) 26 प्रतिशत ईक्विटी वाली विदेशी औषध निर्माता फर्मों के डायरेक्टरों का ब्यौरा क्या है और परस्पर सम्बन्ध डायरेक्टर वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ग) इस बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

2. तथापि कम्पनी कार्य विभाग जो केवल ऐसी कम्पनियों के बारे सूचना एकत्र करते रहते हैं, जो विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां हैं (यानि ऐसी कम्पनियां जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी एक एकाकी सामूहिक संस्था द्वारा नियंत्रित है) ने केवल 17 कम्पनियों के निदेशकों के नामों का उल्लेख किया है जैसा कि अनुबन्ध में बताया गया है। यह देखा गया है कि निम्नलिखित निदेशक एक से अधिक कम्पनियों में हैं :

1. श्री एन० एस० फातरफेकर
2. श्री ए० एच० तोबाकोवाला
3. श्री आर० ए० शाह

(ख) अन्तः सम्बद्ध संस्थान की परिभाषा एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के खण्ड 2 की धारा (छ) में दी गई है। इस परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि क्या निदेशक अन्य अन्तः सम्बद्ध संस्थानों में भी काम करता है। यदि कम्पनी एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हो तो उन्हें एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और इसमें पर्याप्त विस्तार के लिये पूर्व अनुमति लेना भी शामिल है।

हाथी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में विदेशी फर्मों के बारे भावी नीति पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पर निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

विवरण

औषध उद्योगों का निर्माण कर रही विदेशी कम्पनियों की सहायक भारतीय कम्पनियों के निदेशक

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निदेशकों के नाम
1	2	3
1.	दि बूटस कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	श्री एन० एस० फातरफेकर, अध्यक्ष श्री एच० आर० मलहोत्रा, प्रबन्ध निदेशक श्री एल० ए० बूम्बा, निदेशक श्री जे० एन० गुजदेर, निदेशक

1	2	3
		श्री इ० सी० वास्वर्थ, निदेशक
		श्री वी० एम० पोनप्पा, निदेशक
		श्री एस० रंगराजन, निदेशक
2.	ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड	श्री एस० वूथलिंगम, अध्यक्ष
		श्री जी० जे० मिडले, प्रबन्ध निदेशक
		श्री एफ० ए० एक्स, निदेशक
		श्री एच० वी० ढोंडी, निदेशक
		श्री डी० जे० आर० फरण्ट, निदेशक
		श्री जे० एस० खम्बता, निदेशक
		श्री एस० सी० खन्ना, निदेशक
		श्री डी० टी० मोडी, निदेशक
		श्री जी० आई० पोरीरा, निदेशक
		श्री शान्ति प्रकाश, निदेशक
		डा० डब्ल्यू० जी० इ० अण्डरवुड, निदेशक
		श्री एन० एम० वागले, निदेशक
3.	सी० इ० फुलफोर्ड (इंडिया) प्रा० लि०	श्री ए० आर० वाडिया, निदेशक
		श्री एन० जे० पावरी, निदेशक
4.	मर्क शार्प डोहमे आफ इण्डिया लिमिटेड	श्री हस्कल इकाइजेव, अध्यक्ष
		श्री एस० पी० दादाचांजी, प्रबन्ध निदेशक
		श्री जी० जे० मीलपाइन, निदेशक
		श्री एम० एच० मोदी, निदेशक
		श्री ए० आर० मोताफार्म, निदेशक
		श्री एन० एस० पताराफेकर, निदेशक
		श्री ए० एन० तोबाकोवाला, निदेशक
5.	साइनामिड (इंडिया) लिमिटेड	श्री विलियम एलबर्ट लिफफरज, अध्यक्ष
		श्री सिसिर कुमार मित्रा, प्रबन्ध निदेशक
		श्री हेरी फर्डिनन ब्लिस, कनिष्ठ निदेशक
		श्री सिद्धार्थ कस्तूरभाई लालभाई, निदेशक
		श्री जार्ज पिल्सवर्ग बाइवाटर, निदेशक
		श्री राघवईया सेतलर (श्री एच० एफ० ब्लिस कनिष्ठ के स्थान पर निदेशक)
		श्री नारायन महाबलेशवर पालेकर (श्री डब्ल्य० ए० लिफफर्ज के स्थान पर निदेशक)

1	2	3
6.	सीबा गेगी ग्राफ इंडिया लिमिटेड	श्री जी० सहगल, प्रबन्ध निदेशक श्री एम० एन० कर्णी, निदेशक श्री एम० वी० म्हातरे, निदेशक श्री एस० वेंकटेश्वरन, निदेशक
7.	एबट लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि०	श्री डी० जी० स्मिलिस, निदेशक श्री डेविड वेनोरोरतलीह (जी० डब्ल्य० कांग के स्थान पर) श्री क्रिक राह (सी० एस० ब्राउन के स्थान पर) श्री रूसी नम्भाभाय लंगराना, प्रबन्ध निदेशक श्री रामभाई नारायणभाई पटेल, निदेशक (जी० क्रिक राव के स्थान पर निदेशक नियुक्त)
8.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड	श्री एस० सी० बन्ता, अध्यक्ष श्री ग्रार० एन० कपूर, मुख्य प्रबन्धक ग्रौर निदेशक श्री के० सी० चटर्जी, निदेशक श्री टी० एस० मेगवीरे (बी० के० मेहरा के स्थान पर) श्री टी० एम० प्लोवडेन (कनिष्ठ स्टीरगर के स्थान पर) श्री ग्रार० ए० शाह, निदेशक श्री प्रो० एम० एस० ठक्कर (पदम भूषण निदेशक)
9	से ण्डोज (इंडिया) लिमिटेड	श्री एस० रंग नाथन, अध्यक्ष डा० ग्रार० ए० विवेसानर, निदेशक श्री जे० पी० हेयाज, निदेशक डा० वाई० दनन्त, निदेशक श्री ए० डब्ल्यू० बी० हेवर्ड, निदेशक श्री एम० हेडिगर, निदेशक डा० एम० मोरेट (मार्च 1976 से) श्री डी० एस० पटेल, निदेशक डा० ए० जोका, निदेशक डा० जे० एन० बेनर्जी, प्रबन्ध निदेशक डा० एस० के० भट्टाचार्य, निदेशक

1	2	3
10.	फाइजर लिमिटेड	श्री एस० वी० पिल्ले, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर० ए० शाह, उपाध्यक्ष श्री आर० नीमथ, निदेशक डा० एम० सी० सेन गुप्ता, निदेशक श्री एस० पी० पिल्ले, निदेशक डा० के० के० दाते, निदेशक श्री एन० आई० कुरीन, (मि० आर० नीमथ के स्थान पर) श्री सी० सी० शाह (प्रशासनिक निदेशक एवं सचिव)
11.	रोश प्रोडेक्ट्स लिमिटेड	श्री आर० डब्ल्यू० लेवसुरन, कालाघन, प्रबन्ध निदेशक श्री आर० सेतलर, निदेशक श्री ए० एच० तोबाकोवाला, निदेशक
12.	मैसर्स बुरोज वेलकम एण्ड कं० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड	श्री सारादिनडु दत्ता, प्रबन्ध निदेशक श्री नरेन्द्र एम० जावेरी (निदेशक एवं सचिव) श्री रुस्तम डी० चाकसी, निदेशक श्री विष्णु आत्माराम पोडवाल, निदेशक श्री गजनम एम० राडवे, निदेशक श्री कीथ गे, निदेशक
13.	वेथ लेबोरेटरीज लिमिटेड	श्री अमर सिंह, प्रबन्ध निदेशक श्री के० जी० महेश्वरी, निदेशक श्री एम० जी० महेश्वरी, निदेशक श्री आर० ए० शाह, निदेशक श्री टी० एल० कृपलानी, निदेशक श्री ए० जी० भवनानी, निदेशक
14.	इण्डियन शेयरिंग लिमिटेड	श्री जहांगीर पस्तोनोजी पटेल, निदेशक श्री राजेन्द्र अम्बालाल शाह, निदेशक श्री अनन्त सिवन्द, प्रबन्ध निदेशक श्री डेविड मोरदान्त पे, निदेशक श्री माइकेल डेविड बेकर, निदेशक

1	2	3
15.	ग्रिफन लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड	श्री एस० पोस्टल, प्रबन्ध निदेशक श्री टी० के० आर० मेनन, प्रबन्ध निदेशक
16.	एंग्लो फ्रेंच ड्रग कं० (इस्टर्न) लि०	श्री टी० के० आर० मेनन, प्रबन्ध निदेशक डा० एडोल्फ वाल्टर जान, निदेशक श्री एस० एफ० कारका श्री रोबर्ट विलफरड, अध्यक्ष
17.	पारकेडेविस (इंडिया) लिमिटेड	श्री सी० एम० हतनगदी, प्रबन्ध निदेशक श्री वी० आर० कारमिकल, निदेशक श्री सी० आर० पारदीवाला, निदेशक श्री एच० सी० एशर, निदेशक श्री चार्लेज, टी० सी० टीएसई, निदेशक

विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त लाइसेंस

4672. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांशतः विदेशी पूंजी वाली कितनी औषध निर्माता कम्पनियों ने लाइसेंस प्राप्त किय और कितनी कम्पनियां लघु उद्योग एककों अथवा मान्यता प्राप्त आयातकों की श्रेणियों के अन्तर्गत कच्चे माल का आयात कर रही हैं ;

(ख) वे कौन सी मदों का उत्पादन करती हैं, उनकी क्षमतायें कितनी-कितनी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें किन-किन मदों तथा कितनी-कितनी क्षमताओं के लिये लाइसेंस दिये गये; और

(ग) बिना वैध लाइसेंस लिये लघु उद्योग एककों के रूप में अपने उत्पादों का विपणन करने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा अब सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान अधिकांश विदेशी पूंजी वाली 8 औषध निर्माता कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। औषध उद्योग के गैर-संगठित क्षेत्र में अधिकांश विदेशी पूंजी वाली 6 औषध निर्माता कम्पनियों और उनकी शाखाएं इस आधार पर कार्य कर रही हैं कि वे आई० टी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं और उनके लिये अधिसूचनाएं भी जारी नहीं की गई हैं।

इन कम्पनियों को जारी किये जाने वाले आयात लाइसेंसों के ब्योरे जैसे, आयातकर्त्ता का नाम और पता, आयात लाइसेंस का मूल्य, माल आदि के ब्यौरे नियमित रूप से "औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस और निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं", जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

शेष सूचना, अर्थात् लघु उद्योग की श्रेणी अथवा स्थायी आयातकर्ताओं के रूप में कच्चे माल का आयात करने वाली कम्पनियों की संख्या और उनके द्वारा उत्पादित मदों की संख्या और उनकी श्रेणी के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) गैर-संगठित क्षेत्र के 6 विदेशी औषध निर्माता एककों के कार्य-कलाप (औद्योगिक विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति ने अपनी एक सिफारिश में यह कहा है कि लघु उद्योग क्षेत्र विदेशी कम्पनियों के लिये प्रतिबंधित होना चाहिए। इस सिफारिश पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जंजीर खींचने के मामले

4673. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में प्रति मास जंजीर खींचने के मामलों की औसत संख्या क्या रही, और

(ख) कितने मामलों में जंजीर खींचने का मामला उचित था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) छः महीनों अर्थात् मई, 1977 से अक्तूबर, 1977 के दौरान खतरे की जंजीर खींचे जाने के मामले एक महीने में औसतन 7782 हुए जिसमें से प्रतिमास औसतन 266 मामले औचित्यपूर्ण पाये गये।

इस बुराई को रोकने के लिए अचानक जांच करने की कार्रवाई तेज कर दी गयी है और बदनाम खंडों पर अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस से सहायता की मांग की गयी है।

FREIGHT FORWARDER SCHEME INTRODUCED IN ZONAL RAILWAY

4674. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the zonal railways in which Freight Forwarder Scheme was introduced and indicating the names of the places covered by it as also the freight rates thereof and on which dates it was introduced and the objectives thereof;

(b) whether after the introduction of this scheme the retail goods transported on the Railways on higher rates have declined considerably; and

(c) whether it has resulted in large profits to the freight forwaders and heavy losses to Railways due to short-fall in the retail goods ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) a statement is attached. [Placed in the Library. See No. LT-1442/77]

(b) No.

(c) Does not arise.

कम भाड़ा दरें लेना

4675. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रेट फारवर्डरों से कम भाड़ा दरें लेकर उन्हें अवैध लाभ पहुंचाने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार और फ्रेट फारवर्डरों के साथ

सांठ-गांठ होने के मामलों की सूचना मिली है, और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दो मामले नोटिस में आये हैं। एक मामले में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की गयी थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, कार्यविधि में त्रुटि के लिए अधिकारी को दोषी ठहराया गया था। भविष्य में मार्ग-दर्शन के लिए त्रुटि को अधिकारी के ध्यान में ला दिया गया था। इसमें कोई कदाशयता नहीं थी। दूसरे मामले में जो उसी अधिकारी के विरुद्ध है, जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) दोनों मामलों में दक्षिण–पूव रेलवे के तत्कालीन विपणन तथा विक्रय अधीक्षक को दोषी पाया गया है। दूसरे मामले में जांच-पड़ताल शीघ्र ही पूरी होने की आशा है।

पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन से ज्ञापन

4676. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पत्र संख्या एम० आर०/2292ए/77 दिनांक 2 जुलाई, 1977 के अनुसरण में नैमित्तिक श्रमिकों और गैंगमैनों को खपाने के बारे में पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन की ओर से प्राप्त ज्ञापन पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो धनबाद डिवीजन विशेषकर ग्रांड कोई सेक्शन में 1964 से मई 1974 तक कार्यरत नैमित्तिक गैंगमैनों की कुल संख्या कितनी है तथा इस समय कार्यरत नैमित्तिक गैंगमैनों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) पूर्व रेलवे में विशेषकर धनबाद डिवीजन में मतीसा प्लाजा और पी० क्यू० आर० एस० मशीनों का उपयोग आरम्भ करने के कारण कितने गैंगमैन कम किये गये; और

(घ) हजारों छंटनी किये गये नैमित्तिक गैंगमैनों और बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को देखते हुए नैमित्तिक गैंगमैनों को नियमित करने और मशीनों का उपयोग आरम्भ करने के बारे में सरकार की क्या नीति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस सदन के दो माननीय सदस्यों द्वारा अग्रेषित ज्ञापन में जो मांगे की गयी हैं, वे सामान्य मांगें हैं जो सामान्यतः नैमित्तिक श्रमिको/गैंगमैनों द्वारा की जाती हैं। रेल मंत्रालय में उन पर निरन्तर विचार किया जाना है। हाल ही में मियाभाय पंचाट ने नैमित्तिक श्रमिकों की मांगों पर विचार किया था और पंचाट द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(i) लगातार चार महीने तक एक ही प्रकार का काम करते रहने के बाद, चालू लाइन पर नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी ओहदा दे दिया जाता है। इससे वे

प्राय: वे सभी सुविधाएं जैसे छुट्टी, पास डाक्टरी सुविधाएं इत्यादि पाने के पात्र बन जाते हैं जो अस्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं।

(ii) परियोजनाओं में लगे नैमित्तिक मजदूर जब छः महीने तक एक ही प्रकार का काम कर चुकते हैं, तब उन्हें वेतनमान की दरों के हिसाब से (मंहगाई भत्ते सहित) वेतन दिया जाता है, चाहे उन्हें अस्थायी ओहदा न दिया गया हो।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) धनबाद मंडल में प्लासमैटिक टाई-टेम्पिंग मशीन और कंक्रीट स्लीपर लगाने के लिए पी० क्यू० आर० एस० उपस्कर का इस्तेमाल शुरू किये जाने के फलस्वरूप गैंगमैनों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष कटौती नहीं की गयी है। लेकिन, स्थायी गैंगों में सामान्य संघर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है।

(घ) जहां तक विनैमित्तिकीकरण का सम्बन्ध है, नैमित्तिक गैंगमैनों को नियमित गैंगमैनों के रूप में समाहित करने के लिए उनकी छानबीन की जाती है। यन्त्रीकरण आदि के संदर्भ में गैंगमैनों के नियमित पद भरने के प्रश्न पर श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और यह मान लिया गया है कि $87\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक खाली स्थानों को भर दिया जाये।

मैसर्स सेण्डोज द्वारा धनराशि भेजना

4677. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सेंडोज द्वारा स्वामित्व, लाभांश, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा अन्य शीर्षों के अन्तर्गत धनराशि भेजना किन आधारों पर बन्द किया था तथा इस फर्म को पुनः इन शीर्षों के अन्तर्गत धनराशि भेजने की अनुमति देने के क्या कारण हैं : और

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स सेंडोज ने विविधीकरण के उपबन्धों के अन्तर्गत सैन्ना तथा अन्य रसायनों के उत्पादन की अनुमति मांगी थी किन्तु उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस कम्पनी को उससे पूर्व किये गये लाइसेंसों में कैंसरनाशी औषधियों के सक्रिय सिद्धांतों (एक्टिव प्रिंसीपल्स) के उत्पादन के लिये मद सम्मिलित कर दी थी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) फरवरी 1974 में मैसर्स सैन्डोज (इण्डिया) लिमिटेड से यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपने पक्ष में जारी कराये गये औद्योगिक लाइसेंस द्वारा स्वीकृत ग्लैको साइड फ्रेक्शन और ऐगलीकान फ्रेक्शन का उत्पादन आरम्भ किया है और क्या उन्होंने इन फ्रेक्शनों के आधार पर इसोलेट्स का उत्पादन आरम्भ किया है। इसकी जांच करने तक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग से अनुरोध किया गया था कि इस प्रायोजना से सम्बन्धित बाहर जाने वाले तकनीकी शुल्क को रोका जाये। तदनुसार वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को आदेश दिये थे।

मैसर्स सेन्डोज (इण्डिया) लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्हें पोडोफीलम के सक्रिय तत्वों के निर्माण के लिये अपने मुख्य कम्पनियों से तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई है और उन्होंने दवाइयों के मदों के क्रमबद्ध फसल के लिये कई फार्म स्थापित किये हैं और पोडोफीलम के सक्रिय तत्वों के निर्माण के लिये पाइलाट प्लांट उत्पादन को भी आरम्भ किया है। क्लीनीकल अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नये निष्कर्षों और उत्पादों के बाजार में घटती हुई मांग के अनुसरण में उन्हें मालूम हुआ कि एक्स्ट्रेक्टों के निर्माण के लिये यह वाणिज्य रूप से अनुचित था।

इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विधि मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग, सी० एस० आई० आर० और डी० जी० टी० डी० के परामर्श से जांच की गई है। 1975 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी ने 4.36 करोड़ रुपये तक के उपत्पादों का निर्यात किया था। यह विभिन्न निर्यात दायित्वों के अन्तर्गत अपेक्षित से अधिक था। सरकार ने उनके निर्यात के संदर्भ में कम्पनी के सारे कार्य संचालन को ध्यान में रखकर संबंधित प्राधिकारियों को सलाह दी कि बाहर जाने वाले राशि, जो रोक कर रख दी गई थी, को स्वीकृति दी जाये।

(ख) जनवरी, 1967 में कम्पनी ने सरकार को सूचित किया था कि वे संयंत्र डिज़ाइन का संशोधन करना चाहते हैं ताकि पोडोफीलम ढक्स्ट्रेक्ट्स के अतिरिक्त कुछ और मदों का उत्पादन कर सकें और उन्हें सैन्डोज वासले ने, 1963 में सरकार द्वारा पहले स्वीकृत शर्तों के अलावा किसी अन्य शर्तों के बिना अतिरिक्त मदों अर्थात् (i) सेना के सक्रिय तत्व (ii) वेलाडोना के सक्रिय तत्व (iii) ओनीट्रोफनोल और पी नीट्रोफनील के सिन्थैसिस (iv) ओ एमीनोफनोल के सिन्थेसिस (v) 8-हैड्राक्सी क्यूनोलाइन और (vi) 1-हैड्राक्सी क्यूनोलाइन के निर्माण के लिये जानकारी, तकनीकी सहायता और नक्शे उपलब्ध कराये थे।

लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति से पार्टी के उपर्युक्त प्रस्ताव को 1967 में मंजूर किया गया था।

मैसर्स सैन्डोज और ग्लेक्सो को ओद्योगिक लाइसेंस

4667 श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसर्स सैन्डोज और ग्लेक्सो को गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ओद्योगिक लाइसेंसों, अनुमति पत्र आदि का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से किसी लाइसेंस/अनुमति पत्र पर सहयोग की कोई शर्त लागू होती से ;

(ग) यदि हां, तो सहयोग करारों की मुख्य बातें क्या हैं वे किन मदों के लिए अनुमोदित है और क्या सहयोगकर्त्ताओं के साथ किए गए करारों में हाल ही में कोई सशोधन हुआ है, यदि हां, तो किस प्रकार का तथा उक्त संशाधन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लाइसेंसों आदि के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक मद पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और गत तीन वर्षों के दौरान उनका कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (घ) 1975, 1976 और 1977 के दौरान औषधों और भेषजों के निर्माण के लिये मैसर्स ग्लेक्सो तथा मसर्स सेन्डोज को दिये गये औद्योगिक अनुमति पत्रों के ब्यौरों सम्बन्धी एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस संख्या और तिथि	उत्पादन की मद	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मै० सैंडोज लिमिटेड	(1) सी:आईएल: 212 (75) तिथि 24-6-75	1. बरिनार्डेन टेबलैट्स	50 लाख सं०
			2. इन्टैस्टोपेन फार्मूलेशन	20 किलोग्राम
			3. पेनीपेन टेबलैटस	150 लाख सं०
			4. सैंडोसाईक्लीन पैडीएटिक सस्पैंनशन	50,000 लिटर
2.	मै० ग्लैक्सो लैबज	सी:आईएल:नं० 299 (75) तिथि 12-8-75	सबस्टांशल एक्सपैनशन आफ कैलशियम ग्लकोनेट	2. मी० टन से 5 टन तक
3.	मै० ग्लैक्सो लैबज	सी:आईएल: 74 (77) तिथि 24-2-77	मैक लोजाईन हाईड्रोक्लोराईड	400 किलोग्राम

*सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण-पत्र के दौरान उत्पादन 1974	1975	1976	तीन वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा व्यय आई एफ (रुपये लाख)
6	7	8	9
—	—	—	20.21 (जनवरी–सितम्बर 1977 तक)
—	—	—	—
—	—	—	—
5.41 (मी० टनों में)	2.65	—	—

अभी उत्पादन आरम्भ करना है।

SLEEPER FACTORY NEAR ALLAHABAD

†4679. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether expenditure to the tune of lakhs of rupees was not incurred on bricks transported, buildings constructed, railway line laid etc. in the sleeper factory in village Subedar near Allahabad city;

(b) whether the construction work in the said factory was suspended because private sector, which used to charge arbitrarily for the supply of rails so far, are suffering loss therein; and

(c) whether the officers, who got the said work suspended in connivance with the private sector, are getting political protection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A total expenditure of Rs. 18.38 lakhs approximately has so far been incurred on the Project.

(b) & (c). No.

मद्य-निषेध का पालन करने के बारे में न्यायधीशों से घोषणा-पत्र लिया जाना

4680. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मद्य-निषेध परिषद् के अध्यक्ष ने विधि मंत्री से यह आश्वासन ले लिया है कि वह अबसे नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों से यह घोषणापत्र लेंगे कि वे शराब को नहीं छुयेंगे;

(ख) यदि उक्त घोषणा-पत्र का उल्लघंन किया गया तो क्या कार्यवाही की जाएगी ;

(ग) क्या इस उपबंध को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में सम्मिलित किया जाएगा; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मद्य-निषेद परिषद् के अध्यक्ष को किन परिस्थितियों ने विधि मंत्री से आश्वासन लेने के लिए बाध्य किया ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शन्ति भूषण) : (क) जी नहीं। फिर भी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति से इस प्रस्ताव के संबंध में परामर्श किया जा रहा है कि उच्चतर न्यायपालिका में नई नियुक्तियों के मामले में, उस व्यक्ति से जिसे नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है, इस आशय का घोषणा-पत्र या परिवचन लिया जाना चाहिए कि वह (यथास्थिति) मादक पेय नहीं लेता है या न्यायाधीश के रूप में अपनी पदावधि के दौरान नहीं लेगा। इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ACCIDENTS IN ALLAHABAD DIVISION

†4681. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eleven serious accidents took place between September and November, 1977 in the Allahabad Division of Northern Railways;

(b) whether it is also a fact that all these accidents took place due to mismanagement, inexperience and irresponsibility of the officers; and

(c) if so, whether Government propose to transfer the guilty officers and employees to the South India to teach them a lesson and bring about improvements in the management if so, when and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. The number of train accidents on Allahabad Division during the current year *i.e.* April to November, 1977, was 4 against 6 during the corresponding period of 1976.

(b) & (c). No. However, reshuffling of officers in various Divisions has been effected recently to streamline the administrative machinery.

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी पुणे (महाराष्ट्र) को हुई हानि

4682. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी पुणे (महाराष्ट्र) को गत चार वर्षों की अवधि में लगभग दस करोड़ रुपए की भारी हानि हुई है और उसने सरकार से ऋण मांगा है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त उपक्रम के लिए एक नया स्थाई प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया है जो उसके लिए पूरा समय दे सकता है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब तक नियुक्त किया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक एक तदर्थ व्यवस्था है और यह कब से है; और

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स पनवेल (महाराष्ट्र) के चैयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (पिम्परी) के कार्य को भी देखना पड़ता है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1973-74 से 1976-77 वर्ष के दौरान हुई कुल हानियां नीचे दिखाई गई हैं:—

	कुल हानियां
1973-74	148.21
1974-75	327.96
1975-76	291.65
1976-77	67.74

धन सम्बन्धी संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ऋण दिये गये थे।

(ख) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० के लिए श्री सी० एन० चारी प्रबन्ध निदेशक के छुट्टी पर चले जाने/यू० एन० आई० डी० ओ० में नियुक्ति हो जाने पर उन के स्थान पर श्री ए० स्वामीनाथन को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में 17 अक्तूबर 1977 से नियुक्त किया है। श्री स्वामीनाथन हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल लि० के भी अंशकालिक

अध्यक्ष हैं, परन्तु वे हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० के पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक के रूप में काम करते रहेंगे। यह प्रबन्ध कोई तदर्थ आधार पर नहीं बल्कि नियमित रूप से किया गया है।

AMRITSAR RAILWAY HOSPITAL

†4683. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the action taken so far or being taken by Government on the memorandum submitted to the DMO/ASR, Railway Hospital on the 18th April, 1977 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : A Memorandum dated 18-4-77 from one Shri B. M. Goswami, X-Ray Technician of Northern Railway, working at Amritsar Railway Hospital, was received by the Northern Railway Administration. The main point contained in the Memorandum is in connection with his transfer from Amritsar to Bikaner. Shri Goswami had to be shifted from Amritsar to Lalgarh on administrative grounds. The post of X-ray Technician at Bikaner was a higher grade post and that at Amritsar was a lower grade one. Therefore, the incumbent, alongwith the post, was shifted from Amritsar to Bikaner and *vice versa.*

There are other points regarding his not getting promotion, deduction from his salary bills of penal rent and non-issue of a wagon pass. These are administrative details and have been looked into by the Northern Railway.

बम्बई में पाइप डालने की परियोजना के लिये ब्राउन एण्ड रुट्स फर्म को ठेका

4684. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म ब्राउन एण्ड रुट्स को बम्बई हाई में 7 करोड़ 50 लाख डालर की लागत वाली पाइप डालने की परियोजना के लिए ठेका दिया गया था ;

(ख) क्या टेंडर देने वाली अन्य कम्पनियों ने विश्व बैंक के समक्ष उस अनुचित ढंग का विरोध किया है जिस ढंग से अमरीकी कम्पनी के पक्ष में टेंडर स्वीकृत किया गया; और

(ग) क्या बम्बई हाई के प्लेटफार्म 'ए' तथा प्लेटफार्म 'एच' को बसीन होकर मुख्य भूमि से मिलाने की 15 करोड़ डालर की शेष परियोजना को निष्पादन के लिए ले लिया गया है और क्या इसे अमरीकी कम्पनी करेगी अथवा कोई अन्य भारतीय कम्पनी या सरकारी क्षेत्र की कम्पनी करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एंव उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, हां। यह ठेका 68.44 मिलि० अमेरीकी डालर का है।

(ख) निविदाकर्ताओं द्वारा विश्व बैंक को प्रकट किये गये किसी प्रकार के विरोध की जानकारी सरकार को नहीं है। फिर भी विश्व बैंक ने ओ० एन० जी० सी० को सूचित किया है कि न्यूनतम मूल्यांकित बोली देने वाली ब्राउन एण्ड रूट्स नामक कम्पनी को ठेका दिये जाने में बैंक को कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) काम के इस चरण में पाइपों पर कोटिंग और उनको लपेटना, यूरान और ट्राम्बे के बीच में पाइपों को बिछाना तथा लाइन पाइपों आदि की खरीद जैसे अन्य अनेक ठेके सम्मिलित हैं। ये ठेके अन्य विभिन्न विदेशी कंपनियों तथा इंजीनियरी इंडिया लिमि० को दिये गये हैं।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धक

4685. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **तेट्रोलियमि तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

[क्या भारतीय उर्वरक निगम लि० के असंतोषजनक प्रबन्ध के लिए वर्तमान प्रवन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई है; और यदि नहीं तो क्यों ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का असन्तोषजनक प्रबन्ध के बारे में सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, इस लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध कारवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सरकार कारपोरेशन की कार्यकुशलता में निरन्तर सुधार लाने के लिए सचेत है।

मलेरिया निवारक औषधियों के मूल्य

4686. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुनेन पर आधारित सभी मलेरिया निवारक औषधियों के मूल्य बढ़ाने के लिए औषध फर्मों को अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) क्विनीन साल्ट का निर्माण तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकार की विभागीय फैक्ट्रियों द्वारा किया जाता है जिनके कि सिनकोना के अपने खेत हैं। इन सरकारों की यह शिकायत रही है कि मई, 1975 में निर्धारित स्वदेशी मूल्य विश्व बाजार में निर्यात करने से प्राप्त होने वाले मूल्यों की अपेक्षा लाभकारी नहीं है और इन से उत्पादन लागत भी पर्याप्त रूप से पूरी नहीं होती । राष्ट्रीय मलेरिया अन्मूलन कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में क्विनीन साल्ट की अधिक उपलब्धि को बनाये रखने के लिये 28-9-1977 को यह निश्चय किया गया था कि विस्तृत तकनीकी तथा लागत जांच होने तक देश में इन के अधिकतम विक्रय मूल्य इन विभागों द्वारा प्राप्त किये गये न्यूनतम निर्यात मूल्यों के 75 प्रतिशत पर निर्धारित किये जायें।

2.पहले के विक्रय मूल्य और भी मूल्य अब निर्धारित किये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार हैं:—

क्रम सं०	औषध का नाम	28-9-77 से पूर्व विक्रय मूल्य (रु० प्रति किलो ग्राम)	अब निर्धारित किये गये विक्रय मूल्य (रु० प्रति किलो ग्राम)
1.	क्विनीन स: फेट	420	788
2.	क्विनीन एच० सी० एल०	479	1088
3.	क्विनीन डाई हाईड्रोक्लिोराईड	518	974

3. क्विनीन साल्ट पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य संशोधित मूल्य के आधार पुनः निर्धारित किये जायेंगे।

4. क्विनीन साल्ट का उपयोग मलेरिया के प्रतिरोधी केसों के इलाज के लिये किया गया है और स्वदेशी उत्पादन का अधिकांश भाग का राष्ट्रीय मलेरिया अन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया से बचने के लिये प्रयोग किया जाता है।

5. क्लोरोक्विन फास्फेट जो कि एक चयन औषध है संभावित मलेरिया के इलाज के लिये उपयोग की जाती है। इस औषध के लिए सी सी आई ई के फारमूले के अनुसार भारतीय राज्यकीय रसायन तथा भेषज निगम के 475 से प्रति किलोग्राम के वास्तविक मूल्य की अपेक्षा इसका वितरण 428 रुपये प्रति किलोग्राम के पूल्ड मूल्य पर किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को यह मूल महत्व की औषधि सस्ते दामों पर मिल सके।

RAILWAY LINE FROM SHAHJAHANPUR TO MAILANI

†4687. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

whether he is aware that there was a railway line from Shahjahanpur to Mailani which was dismantled and sent to Sahara during the World War and whether the then Government gave an assurance that the same would be laid again after the end of war; if so, the reasons for not laying the same uptil now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): A survey has been carried out for construction of a new railway line from Farrukhabad to Gola Gokarannath and Shahjahanpur. As a part of this survey, a reconnaissance-cum-traffic survey has also been carried out for restoration of the abandoned steam tramway which existed between Shahbaznagar near Shahjahanpur and Mailani as an alternative to laying a new railway line between Shahjahanpur and Gola Gokarannath. The survey reports have recently been received. According to which the proposed line is estimated to cost Rs. 33.03 crores. Further consideration to this project will be given after the survey reports have been examined from all angles and depending upon the availability of resources. The Government are not aware of any assurance having been given by the then Government regarding the restoration of the line.

पाइप लाइन आयोग का प्रतिवेदन

4688. **श्री अनन्त देव:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाइप लाइन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा): (क) तथा (ख) पाइप लाइन जांच आयोग की रिपोर्ट में सन्निहित निष्कर्षों के सम्बन्ध में, सरकार को अभी अन्तिम निर्णय लेना बाकी है, जिसकी इस समय जांच पड़ताल सम्बन्धी कार्रवाई काफी आगे बढ़ चुकी है।

CONSTRUCTION OF GODOWN AT MANAVADAR RAILWAY STATION

†4689. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in August 1977 Manavadar Chambers of Commerce, Manavadar in Junagarh district in Gujarat had demanded the construction of another godown opposite Manavadar railway station and if so, the details nature of the demand;

(b) when this godown is proposed to be constructed there and the action taken so far or proposed to be taken in this regard; and

(c) whether Government realise the necessity of another godown at Manavadar railway station and if so, the steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. The demand was for repairing the existing Goods-shed and providing a new Goods-shed with a suitable platform.

(b) & (c). The goods traffic offering at present does not justify provision of additional Goods-shed and platform. Necessary action is, however, being taken to repair the existing Goods-shed.

PROVISION OF ADDITIONAL SLEEPERS ACCOMMODATION IN TRAINS

4690. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the action taken so far for providing three additional sleepers in Viramgam-Bombay 335-6 Up, four sleepers in 35/23 Up Somnath, six sleepers in Ahmedabad-Bombay Gujarat Express, two sleepers and two sitting coaches in via Ahmedabad-Delhi coach, two sleepers and two sitting coaches in Ahmedabad-Howrah train, two sleepers in 337/29 Veraval-Bhavnagar and four sleepers in Viramgam-Howrah from Upleta railway station for the people of Upleta city in Rajkot district in Gujarat State; and

(b) the time by which these demands will be acceded to?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). With effect from 1-1-78, it is proposed to increase the quota from 2 to 3 berths in second sleeper by 6 Up Saurashtra Mail, from 1 berth and 1 seat to one berth and two seats in 133 Up Ahmedabad-Howrah bi-weekly Express and also to provide a quota of one second sleeper berth and 4 second class seats in Veraval-Bhavnagar coach running by 337/30 Passenger trains for passengers from Upleta. Allotment of quota or increase in existing quota by other train services has not been found justified and feasible, for the present.

EXPENDITURE ON SALAYA-MATHURA PIPELINE PROJECT

4691. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the total expenditure involved in the Salaya Pachinar (Jamnagar)—Koli-Mathura crude oil pipeline and the project thereof;

(b) the length of pipeline in kilometres proposed to be laid from Salaya to Viramgam and from Viramgam to Koili and Viramgam to Mathura; the length of pipelines laid so far and the names of places joined thereby as also the work yet to be done and when it will be completed; and

(c) the expenditure incurred on this project so far and the nature thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The total project cost sanctioned at the feasibility stage in August, 1973 was Rs. 119.9 crores. The revised cost estimates are under preparation by Indian Oil Corporation Ltd.

(b) The length of the Pipeline from Salaya to Viramgam is 275 kms. approximately, from Viramgam to Koyali 141 kms. approximately and from Viramgam to Mathura 803 kms. approximately.

The full length of Viramgam-Koyali section other than part of a river crossing has already been laid and is under testing. About 250 kms. out of 275 kms. of Salaya-Viramgam section have been laid. It is expected that the work on Salaya-Viramgam and Viramgam-Koyali section would be completed before April, 1978.

The work on Viramgam-Mathura section is likely to commence by March-April, 1978 and this section is expected to be ready by January, 1980.

(c) An amount of Rs. 59.96 crores has been spent on Salaya-Viramgam-Koyali section of the SMPL project upto November 1977 which includes Rs. 45.97 crores on land pipeline, Rs. 5.39 crores on tankage and Rs. 8.60 crores on offshore terminal. On viramgam-Mathura section of the pipeline project, IOC have spent a sum of Rs. 13.45 crores on land pipeline mainly on purchase of 24" pipes upto November, 1977.

तेल के मूल्य सम्बन्धी समिति

4692. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में गठित की गई तेल के मूल्य सम्बन्धी समिति को तेल कम्पनियों के विक्रेताओं के लिये पेट्रोल, एच० एस० डी० मिट्टी के तेल तथा पेट्रोलियम के अन्य उत्पादों के लिये अदा की जाने वाली छूट का निर्धारण करने का निदेश दिया गया था और क्या इस बारे में जून, 1976 में कोई सिफारिश की गई थी; और

(ख) क्या जून, 1976 में की गई सिफारिशों को पूर्णतया अव्यावहारिक पाया गया और क्या तेल के मूल्य सम्बन्धी समिति को मंत्रालय द्वारा निदेश दिया गया था कि वह फैडरेशन आफ आल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स द्वारा किये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनर्विचार करें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मार्च 1974 में गठित तेल मूल्य समिति द्वारा पेट्रोल, एच० एस० डी० आयल, मिट्टी के तेल तथा लाइट डीजल आयल के विक्रेताओं के लिए कमीशन की दर का निर्धारण करना, समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय था। इस समिति ने दिसम्बर, 1975 में इस विषय पर अपनी अंतरिम सिफारिशें दीं।

(ख) समिति की सिफारिशों को दिनांक 26-6-1976 के सरकारी संकल्प द्वारा लागू किया गया था। अभ्यावेदनों को दृष्टि में रख कर समिति से इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।

पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान ओरगेनिक कैमिकल्स का यूनिट

4693. **श्री चित्त बसु**
श्री रेणुपद दास : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में **हिन्दुस्तान ओरगेनिक** कैमिकल्स का प्रस्तावित दूसरा यूनिट स्थापित करने के बारे में अनुरोध किया **है, और**

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही **की है ?**

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय को अक्तूबर 1976 को पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान ओर्गेनिक कैमिकल्स लि० द्वारा बेसिक केमिकल्स एकक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था।

प्रस्ताव पर, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एच० ओ० सी० अधिकारियों के दल द्वारा विचार विमर्श किया गया था और यह महसूस किया गया था कि कुछ ऐसी प्रायोजनाएं हैं जिन पर छटी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए एच० ओ० सी० द्वारा विचार किया जा सकता है।

अगले पांच वर्षों के लिए एच० ओ० सी० के प्रस्तावों पर विचार करते समय पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

बम्बई हाई गैस के लिये पाइप लाइनों का निर्माण

4694. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई गैस के लिये पाइप लाइनों आदि का निर्माण कार्य अब आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित लागत, पाइप लाइन मार्गों के निर्माण सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरे सहित पूर्ण तथ्य क्या हैं और इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या सरकार ने मार्ग निर्धारित करने और लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई छोटे अथवा बड़े परिवर्तन किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सभी तकनीकी-आर्थिक आदि के पहलुओं पर अत्यन्त ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि बम्बई हाई तथा उत्तर बसीन अशोधित तेल और सम्वद्ध गैस को लाने-ले-जाने के लिए बरास्ता बसीन तथा यूरान से ट्राम्बे का रास्ता अत्यधिक कारगर और उपयुक्त पंक्तिबंधन है और मात्र इसी पंक्ति बन्धन के लिए ही लागत प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अद्यतन प्राक्कलनों के अनुसार, ट्राम्बे तक की पाइप लाइन की लागत 184 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है, जिसमें सीमा शुल्क, इंजीनियरिंग तथा निर्माण पर्यवेक्षण सम्बन्धी खर्चे सम्मिलित हैं। गैस पाइप लाइन के लिए इस लागत का लगभग 50 प्रतिशत संविभाजनीय है। बम्बई हाई से यूरान तक पाइप लाइनों का निर्माण कार्य नवम्बर, 1977 से आरम्भ हो गया है तथा मई, 1978 तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (घ) यूरान से ट्राम्बे के बीच पाइप लाइन के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मूल प्रस्ताव में यूरान से धवन गांव के समीप वाले एक प्वांइट तक भूमि पाइप

लाइनें तथा वहां से बरास्ता न्हावा द्वीप से ट्राम्बे तक उप-सागरीय और भूमि पर पाइप लाइनें बिछाना सम्मिलित है। इसकी समीक्षा की गयी थी तथा अन्य तीन वैकल्पिक मार्गों की जांच-पड़ताल की गई थी और न्हावा तथा शेवा द्वीपों की पूर्वी ओर वाले सीमा प्रदेश तथा अन्तः सागरीय लाइन वहां से ट्राम्बे तक और यूरान से मोरा तक के मार्ग को पाइप लाइनों के लिए अन्तिम रूप से चुना गया।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच चल रही गाड़ियों के इंजन ड्राइवर

4695. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे जोन में अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों में भी एक डिवीजन से अधिक इंजन ड्राइवर होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या बम्बई जोन के इंजन ड्राइवर सूरत से आगे और बड़ौदा तक गाड़ियां चलाने में समर्थ हैं जबकि अहमदाबाद और बड़ौदा डिवीजन के इंजन ड्राइवरों को अपनी निर्धारित स्टेशन सीमा, बम्बई तक जाने की अनुमति नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त विभद के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए उक्त ड्राइवरों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साबरमती में रेलवे कालोनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों के लिये सुविधाएं

4696. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबरमती, अहमदाबाद की रेलवे कालोनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों को पेय जल, बच्चों के लिये प्राथमिक और हाई स्कूल शिक्षा, खाद्यानों, और चीनी तथा खाद्य तेलों के लिए उचित दर दुकानों, कम्युनिटी हाल, मनोरंजन केन्द्र आदि की व्यवस्था जैसी पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और ऐसी सुविधाएं कब तक दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, एक हाईस्कूल को छोड़-कर।

(ख) दोनों स्थानों पर पर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था है। अन्य उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं:—

	साबरमती	अहमदाबाद
1. प्राइमरी स्कूल . . .	6	5
2. उपभोक्ता सहकारी भण्डार/सोसाइटी	2	1
3. कल्याण केन्द्र	1	1
4. संस्थान .	1	1
5. सामुदायिक हाल	1	—

(ग) इन कालोनियों के अन्तर्गत यद्यपि कोई हाईस्कूल नहीं है तथापि यह सुविधा साबरमती और अहमदाबाद के शहरों में पहले से ही उपलब्ध है, जो रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

स्टेशन मास्टरों की शिकायतें

4697. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल 15 सितम्बर, 1977 को उनसे मिला था और उन्हें निम्नलिखित के बारे में एक ज्ञापन दिया था ; (एक) परेशान करने को बन्द किया जाना (दो) संचार चैनल (तीन) स्टेशन मास्टर की श्रेणी में अन्तर्वेशन बन्द किया जाना (चार) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों का ग्रेड-वार एल० आर० तथा आर० जी० (पांच) अधिक फिट वर्दी की सप्लाई (छः) मिया भाई न्यायाधिकरण निर्णय, 1969 का क्रियान्वयन और (सात) स्थानान्तरणों के बारे में एक समान नीति ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त लम्बे समय से चली आ रही और उचित मांगों पर सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 15-9-1977 को रेल मंत्री से ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला।

भदोई, जौनपुर और मिर्जापुर क्षेत्र में नई लाइनें

4698. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कालीनों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, भदोई, जौनपुर, और मिर्जापुर क्षेत्रों में, जो कालीन बुनने और निर्यात के केन्द्र हैं, नई लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त क्षेत्र का विकास हो सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : संसाधनों की तंगी और भारी संख्या में पहले ही स्वीकृत निर्माण कार्यों का विचार करते हुए इस समय, प्रस्तावित नयी लाइनों के सर्वेक्षण या निर्माण का काम सम्भवतः शुरू न किया जा सकेगा।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

4699. **श्री नटवरलाल वी० परमार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उनमें से कितने लाइसेंसों को क्रियान्वित किया जाता है ; कितनी वस्तुओं क्षमता के लिये मंजूरी दी गई और प्रत्येक मामले में कितनी क्षमता प्राप्त हुई ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा वस्तुवार, क्षमता-वार कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं; और

(घ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० अभी किन-किन वस्तुओं का आयात कर रही हैं, उनकी मात्रा और लागत-बीमा भाडा मूल्य क्या है और उनके लिये पूल (संगृहीत) मूल्य क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना 6-12-1977 को पूछे गए लोक सभा अता० प्रश्न सं० 2802 के उत्तर में पहले ही प्रस्तुत की गई थी।

(ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1443/77**]

(घ) सारणीबद्ध सूची में शामिल केवल दस औषध जो आई० डी० पी० एल० के उत्पादन क्षेत्र में आते हैं, सी० सी० सी० द्वारा आयातित किए जा रहे हैं और उनको आई० डी० पी० एल० द्वारा उनके अपने देशी उत्पादन सहित वितरित किया जाता है। सलंग्न विवरण पत्र- II में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित और सी आई० एफ० आयात और पूल्ड मूल्यों के बारे में इन 10 मदों पर सूचना दी गई है।

मैसर्स सीवा गोगी (आई०) लि० द्वारा उत्पादन

4700. **श्री नटवरलाल वी० परमार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ससीवा सीवागोगी (आई) लि० ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने द्वारा निर्मित किये जाने वाले विभिन्न उत्पादों का कितना उत्पादन किया कितनी वस्तुओं के लिए मंजूरी दी गई लाइसेंस/मंजूरी की संख्या क्या है तथा बिक्री मूल्य क्या है ;

(ख) संविदे का आधार क्या है अथवा संविदे में क्या परिवर्तन किये गये हैं और सरकार से ली जाने वाली उत्तरवती मंजूरी किस उत्पादन पर आधारित है तथा स्विटजरलैंड में मैसर्ससीवा गोगी को कितनी धनराशि अदा की जाती है भुगतान किस प्रकार किया जाता है और उन्हें ऐसा न करने देने के क्या कारण हैं ;

(ग) निदेशकों के नाम क्या हैं उनके वेतन और परिलब्धियां क्या हैं ; और

(घ) क्या इस कम्पनी ने मूल समझौते का उल्लंघन किया है और बिना वैध लाइसेंस के नई वस्तुओं का विपणन किया है यदि हां तो वे उत्पादन कौन-कौन से हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उरर्वक मन्त्री (श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1974-75 और 1976 के लिए आवश्यक सूचना दिखाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1444/77]

(ख) मैसर्स सिवीगोगी आफ इंडिया ने मैसर्स सिबागोगी लि० स्विटजरलैंड के साथ निम्नलिखित दो समझौते किये थे जिनमें मुख्यालयों को भुगतान सहित उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं के लिए अदायगी की व्यवस्था है:—

(i) कीटनाशी दवाइयों (फास्फमिनडन, डी० डी० बी० पी० जिंक डाइमिथाइल डिथोकार्बेमेट) के उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग समझौता। इसका अनुमोदन इस मंत्रालय के दिनांक 7-4-1973 के पत्र संख्या ए० एण्ड० आई०-32(7)/64-पी० टी० द्वारा किया गया।

(ii) भारत से बाहर औषधों रसायन मध्यवर्ती पदार्थों पेकिंग/सामग्री रंजक पदार्थों, कपड़ा उद्योग में काम आने वाले उत्पादों, कृषि रसायन : सिन्थेटिक रिजिन्स हार्डनरस के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए मैसर्स सिवागोगी लि० स्विटजरलैंड की निर्यात एजेंट के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी समझौता। इसका अनुमोदन रिज़र्व बैंक के दिनांक 1-1-1974 के पत्र सं० /बी० सी० बी० वाई० एक्स0 सी० ओ० एस०-सी० 2/जी० (1) 3281-74 द्वारा किया गया था । उपरोक्त समझौतों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समझौते (1) की शर्तों के अनुसार मैसर्स सिवा गोगी (आई), मैसर्स सीवा गोगी स्विटज़लैंड को तकनीकी जानकारी, तकनीकी परामर्श तथा कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने और फास्फामीडान तथा मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी और संयंत्रों के लिए स्विटज़रलैंड में एस० एफ० आर० 85,000 की राशि देगा।

उपरोक्त समझौते (ii) के अनुसार मैसर्स सिवा गोगी (इंडिया) लि० सिवा गोगी के द्वारा प्राप्त आर्डरों पर एफ०ओ०वी० मूल्य का 2% कमीशन के रूप में देगा।

(iii) निदेशकों के नाम उनके वेतन तथा परिलब्धियां दिखाने वाला विवरण पत्र-II संलग्न है।

(घ) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

लाइसेंसिंग कमेटी के चेयरमैन की मैसर्स सेंडोज (आई०) लि० के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति

4701. **श्री नटवरलाल वी० परमार :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाइसेंसिंग कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन को सेंडोज (आई) लि० के चैयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) सेंडोज के चैयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति की शर्तें, वेतन और परिलब्धियां क्या हैं, और

(ग) इस मामले में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1975 में लोक सभा के उत्तर से संबंधित एकत्र की गई सूचना के आधार पर यह पता लगा है कि श्री एस रंगानाथन की मैसर्स सैन्डोज से कोई भी वेतन नहीं लेते हैं परन्तु प्रत्येक बोर्ड अथवा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें 250 रुपये शुल्क के रूप में मिलते हैं। किराया, पानी, बिजली तथा टेलीफोन प्रभार जैसी अन्य सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध हैं। परिलब्धियों की सही आकार तथा मात्रा के बारे में सूचना की पुनः जांच की जा रही है।

(ग) लागू नहीं है।

गुजरात में मिट्टी के तेल की आवश्यकता

4702. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिये राज्य के लिये मिट्टी के तेल की कोई आवश्यकता बताई है ;

(ख) उक्त वर्ष के लिये राज्य ने महीनेवार कितनी मात्रा की मांग की है ; और

(ग) अप्रैल से अक्तूबर के दौरान प्रत्येक महीने में कितनी मात्रा की सप्लाई की गई।

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) समय-समय पर, गुजरात सरकार अपनी मिट्टी के तेल की अपेक्षित मात्रा को मासिक आधार पर सूचित करती रही है। प्रत्येक राज्य का मासिक आवंटन विभिन्न तथ्यों को जिनमें पिछली खपत, मौसमी आवश्यकताएं, यदि कोई हों और अन्य सम्बन्धित तथ्य शामिल हैं, को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तेल कम्पनियों को राज्य की

मिट्टी के तेल की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए कहा गया है और इस वर्ष के दौरान गुजरात राज्य से मिट्टी के तेल की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किये गये आवंटन आदि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(मी० टनों में आंकड़े)

माह	गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल का किया गया आवंटन	राज्य सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की मांगी गई मात्रा	गुजरात में मिट्टी के तेल की वास्तविक बिक्री
अप्रैल, 1977	23743	28500	22484
मई, 1977	23081	28000	23245
जून, 1977	26083	—	24533
जुलाई, 1977	23575	26084	23669
अगस्त, 1977	26452	26452	26703
सितम्बर, 1977	26436	24900	27426
अक्तूबर, 1977	25810	24900	25658 (अस्थायी)

दानापुर डिवीजन में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

4703. **डा० महादीपक सिंह शक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में दानापुर डिवीजन के तृतीय श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों को वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या उन्हें बिना किसी आरोप और बिना किसी आरोप-पत्र के सेवा से निकाल दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

AGRA-FARRUKHABAD MG LINE

†4704. **DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the Agra-Farrukhabad metre gauge line on the N. E. Railway into broad gauge line; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). There is no proposal presently under consideration for converting the Agra-Farrukhabad MG line into BG.

TERMINATIONS AND TRANSFERS MADE DURING EMERGENCY

†4705. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he has received representations from many railway employees in which complaints have been made against the terminations and transfers made during the emergency; and

(b) if so, the number thereof and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रिवाड़ी और अकोला के निकट हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में तोड़-फोड़ करने वालों की गिरफतारियां

4706. **श्री डी० बी० चन्द गौड़**
श्री एस० एस० सोमानी
श्री के० मालन्ना
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री राजकेशर सिंह
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
} क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिवाड़ी और अकोला में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ तोड़-फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच भी की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रिवाड़ी के निकट रेल दुर्घटना के मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी रेलवे पुलिस, रिवाड़ी (हरियाणा) ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 206 पर एक मामला दर्ज कर लिया और पुलिस की छानबीन अभी जारी है।

अकोला के निकट हुई दुर्घटना में सिविल पुलिस, माना (जिला अकोला) महाराष्ट्र द्वारा 22-11-1977 को 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है।

रेलवे अधिकारियों की रेलवे सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

4707. **श्री एस० के० सारदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों की रेलवे सेवा आयोग के चैयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के सीनियर डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट श्री डी० सी० मिश्रा की आपात स्थिति के दौरान रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद के चैयरमैन के पद पर नियुक्ति, नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप थी ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सीनियर डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेन्डेंट की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति तत्कालीन रेल मंत्री ने उनके विशेष सहायक द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिये की थी तथा इस बारे में विरोध किये जाने पर श्री मिश्रा को वापस सीनियर डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेन्डेंट के पद पर आना पड़ा : और

(घ) पुनः ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद को भरने के लिए भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से बनाये गये ह। नियमों के अनुसार, यह पद नामों की उस सूची में से भरा जाता है, जिसे रेल मंत्रालय तैयार करता है और संघ लोक सेवा आयोग को भेजता है जो अन्तिम रूप से उनमें से एक व्यक्ति का चयन करता है और उसकी सिफारिश करता है। नामों की सूची बनाने के लिए पसन्द का क्षेत्र निम्नलिखित होता है :—

(i) सेवारत अथवा सेवा-निवृत रेलवे/सरकारी अधिकारी;

(ii) भूतपूर्व संसद् सदस्य; और

(iii) ख्यातिप्राप्ति व्यक्ति, जैसे शिक्षाविद्, प्रख्यात वकील आदि।

जब कभी रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष का कोई पद रिक्त होता है, तब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन होने तक रेल सेवा आयोग का कार्य चलाने के लिए अस्थायी तौर पर किसी रेल अधिकारी को उस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है।

(ख) श्री डी० सी० मिश्र, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे को नियमित अध्यक्ष का चयन होने तक केवल तदर्थ आधार पर 17-5-1976 से 16-8-1976 तक की अवधि के लिए रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नियमित अध्यक्ष ने 16-8-1976 (अपराह्न) को कार्यभार सम्भाल लिया था।

(ग) और (घ) जब रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद रिक्त हों और उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन न किया गया हो, तब इन पदों पर साधारणतः रेल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, जब रेल सेवा आयोग, मद्रास के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ तो 7-1-1977 से 7-10-1977 तक की अवधि के लिए एक अन्य रेल अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार, एक रेल अधिकारी को अध्यक्ष रेल सेवा आयोग, कलकत्ता में अध्यक्ष का नियमित चयन होने तक 5-8-1977 से अस्थायी तौर पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री डी० सी० मिश्र की नियुक्ति के बारे में कोई विरोध-पत्र नहीं मिला था।

EMPLOYEES OF NORTHERN RAILWAY REMOVED FOR PARTICIPATION IN 1974 STRIKE

†4708. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees of Northern Railway who were removed from service due to their participation in the Railway Strike in 1974, reinstated so far;

(b) the number of employees yet to be reinstated; and

(c) the reasons for not reinstating them and the time by which they will be re-instated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 1,388.

(b) 1.

(c) The individual did not report for duty, although the order of reinstatement was sent to him.

EMPLOYEES IN EASTERN RAILWAY REMOVED FROM SERVICE DURING 1974 STRIKE

†4709. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees of Eastern Railway since reinstated out of the employees removed from service for taking part in 1974 strike;

(b) the number of the employees yet to be reinstated; and

(c) the reasons for not reinstating them and when they will be taken back in service ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 2,848.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

EMPLOYEES IN WESTERN RAILWAYS REMOVED FROM SERVICE FOR PARTICIPATION IN 1974 STRIKE

†4710. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of those employees in Western Railway who were removed from service for participation in the railway strike in 1974, reinstated so far;

(b) the number of the employees remaining to be reinstated; and

(c) the reasons for not reinstating them and the time by which they will be re-instated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 3,507.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

EMPLOYESS IN WESTERN RAILWAYS REMOVED FROM SERVICE DURING EMERGENCY

†4711. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees in the Western Railways who were removed from service during the emergency;

9—1028LSS/77

(b) the number of employees reinstated and the number of employees yet to be reinstated, out of them; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in future to reinstate such employees ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) 118 employees were removed/dismissed during the Emergency under special powers of the Railway Administration, *i.e.* where it was not practicable to hold an enquiry. 463 others were removed/dismissed under the normal operation of the Discipline and Appeal Rules, 1968, for specific charges which were proved after enquiry.

(b) 92 out of 118 employees removed/dismissed under special powers have since been reinstated and 26 have not yet been reinstated. In respect of the other 463 cases, on receipt of appeals/review petitions, the competent authorities have reinstated 127 employees; 336 of such employees have not been reinstated.

(c) Railways have been asked to review the remaining cases of removal/dismissal under special powers. In the case of those removed/dismissed from service under the normal operation of Rules, there is no proposal to review them, but according to the normal rules, appeals/review petition from the affected employees will be considered by the competent authority.

भारत में विदेशी औषध कम्पनियों का पूंजी-निवेश

4712. श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह वर्षों के दौरान विदेशी औषध कम्पनियों ने भारत में कुल कितना पूंजी निवेश कर रखा था, इन कम्पनियों ने कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं का कुल कितना आयात किया और विदेशों को कुल कितना निर्यात किया और कितनी पूंजी बाहर भेजी ;

(ख) क्या यह सच है कि ये कम्पनियां इस देश में पूंजी लगाने में रुचि नहीं रखती हैं और गैर-अनुसूचित उद्योगों तथा अन्य लाभप्रधान वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो अन्य कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये कम्पनियां लगी हुई हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध एवं भेषज के संगठित क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों के निवेश तथा बाहर भेजी गई राशि से सम्बंधित गत तीन वर्षो के लिये जानकारी लोक सभा अतः प्रश्न संख्या 3738 के उत्तर में 13-12-1977 को दी जा चुकी है। पूछी गई शेष सूचना जहां तक सरकार के पास उपलब्ध है निम्न प्रकार है :—

1. आयात	1974	1565.09 लाख रुपये
आयातित	1975	1826.00 लाख रुपये
सरणीबद्ध		
(कच्चा माल)	1976	उपलब्ध नहीं हैं।
2. निर्यात	1974	983.00 लाख
	1975	850.460 लाख
	1976	उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) गत एक वर्ष में मौजूदा विदेशी कम्पनियों से औषधों के उत्पादन के लिये औद्योगिक अनुमोदन के लिये 38 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और इससे यह नज़र आता है कि विदेशी कम्पनियां अब भी इस देश में औषध एवं भेषज क्षेत्र में और अधिक निवेश करने के लिये तैयार हैं।

मैसर्स होचस्ट और फाटूको

4713. **श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों को औषधियों और महत्वपूर्ण रसायनों के आयात लाइसेंस सम्बन्धी घोटाले में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था और ऐसा एक सम्पर्क मैसर्स होचस्ट और फाट्को के बीच था ;

(ख) फाट्को को किस आधार पर इस देश में अपना व्यापार समाप्त करने के लिये कहा गया जबकि अन्य कम्पनी को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी को कितना आयात करने का अधिकार था और कम्पनी को वास्तव में कितना आयात करने की अनुमति दी गई और किन-किन आधारों पर ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

औषध फर्मों को अनुमति पत्र जारी करना

4714. **श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक**, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध फर्मो को कितने आवेदन पत्र जारी किये गये थे, इसके अन्तर्गत कौन-कौन से मद आते हैं गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ और उक्त उत्पादन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया ;

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत उक्त अनुमति पत्र दिये गये थे, क्या उक्त पत्र भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा लगभग औषध की आधी बिक्री के लिये जिम्मेवार हैं ;

(ग) क्या उक्त अनुमति पत्र जारी किये जाने के परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की स्थिति पर पड़े प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया है और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जारी किये गये अनुमति पत्र तथा उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के ब्यौरे हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 के परिशिष्ट II में दिये गये हैं, जिसकी एक प्रति पहले ही 8-5-1975 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई है।

अन्य अपेक्षित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि 1976 के दौरान अनुमति पत्रों के अन्तर्गत आने वाली प्रपुंज औषधों का उत्पादन 18.64 लाख रुपयों के मूल्य का था।

(ख) से (घ) अनुमति पत्र स्वतः स्पष्ट थे क्योंकि आई० डी० आर० एक्ट में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत 'न्यू आर्टिकल' के अर्थ के अनुसार था। पार्टियों के अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्रों तथा लाइसेंसों के अनुसार पार्टियों को उपलब्ध प्राधिकरण के प्रसंग में इन पत्रों की उन्हें व्याख्या की गई है कि वे अतिरिक्त मदों का निर्माण कर सकते हैं। यदि कुछ शर्तें पूरी की गई हों।

अनुमति पत्रों के अन्तर्गत किये जाने वाले उत्पादन पर तथा विदेशी मुद्रा कार्यकलाप पर ऐसी गतिविधि के प्रभाव पर कोई अलग से अध्ययन उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना सम्भव नहीं होगा कि क्या इस कार्यकलाप से सम्बन्धित विदेशी कम्पनियों को अधिक लाभ आदि हुये अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 की सिफारिश संख्या 13 तथा 14 को ध्यान में रखते हुये, सरकार का पूरी तरह जांच करने तथा उपलब्ध स्थिति का एक लेखा तैयार करने का विचार है जिससे अन्तिम कार्रवाई की जा सके।

बालासोर रेलवे स्टेशन पर फाटक

4715. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० टी० रोड पर बालासोर रेलवे स्टेशन पर और कटक स्टेशन पर कटक-भुवनेश्वर रोड को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे फाटक के निर्माण के बारे में और कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बालासोर रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर वर्तमान फाटक के निकट निचला पुल बनाने की और वर्तमान निचले पुल को चौड़ा करने की तथा दोनों को एक सड़क से जोड़ने की वैकल्पिक योजना की जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी जिसकी लागत उपरि पुल बनाने के वर्तमान प्रस्ताव से बहुत कम होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फिलहाल बालासोर और कटक स्टेशनों पर समपार मौजूद हैं। इन दोनों स्टेशनों पर अतिरिक्त समपारों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निचले सड़क पुल के निर्माण अथवा उसे चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन रेमुना रोड, बालासोर में वर्तमान समपार के बदले में एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव था। इस निर्माण कार्य का अनुमान जून, 1976 में राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया था लेकिन अभी तक उनसे कोई उत्तर न मिलने के कारण इस प्रस्ताव को रेलों के निर्माण-कार्य कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(ङ) जी हां।

रुप्सा–बांगरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4716. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूप्सा—बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा उसको बढ़ाने के बारे में आगे कोई कार्यवाही की गयी है ताकि दक्षिण पूर्व रेलवे के गोरूमाटी-सानी-टाटा अथवा टाटा-खड़गपुर रेल लाइन से कहीं इसे जोड़ा जा सके ;

(ख) क्य उड़ीसा सरकार ने उक्त रेल लाइन का विस्तार करने तथा उसे बड़ी लाइन में बदलने के बारे में अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रुपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1972-73 में एक सर्वेक्षण किया गया था परन्तु इस परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया। पूर्वोत्तर रेल प्रशासन ने इस वर्ष के आरम्भ में उड़ीसा सरकार से इस लाइन द्वारा सेवित क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग धन्धों और दूसरे वन एवं खनिज संसाधनों के विकास की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। राज्य सरकार ने मई, 1977 में इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले यातायात का विस्तृत विवरण दिया था और यह मामला अभी विचाराधीन है।

उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराना

4717. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि विभिन्न स्तरों पर मुनाफाखोरी और जमाखोरी समाप्त की जा सके ; और

(ख) क्या सरकार पुराने और नये एककों तथा छोटे पैमाने के एककों द्वारा तैयार की गयी किसी बल्क औषधियों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों की पद्दति आरम्भ कर और खरीद कर और उन्हें एक समान पूल मूल्य पर फार्मुलेशन निर्माताओं को बेच कर बल्क औषधियों के निर्माण के लिए नया पूंजी निवेश आकर्षित करने की सम्भावना का पता लगायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) औषधों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियमित किये जाते हैं। सरकार द्वारा एक बार मूल्य निर्धारित / स्वीकृत किये जाने के बाद उनमें संशोधन करने और नये मैका नये सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि औषधों को उचित मूल्यों पर बेचा जाये, कारोबार के स्थान पर मूल्य सूची लगाने और फुटकर मूल्यों को दर्शाने संबंधी प्रावधानों को आदेश में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आदेश के पैरा 15 में 1 मई 1975 से संशोधन किया गया है ताकि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी भी सूत्रयोग सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची में उस सूत्रयोग के फुटकर मूल्य अथवा उस सूत्रयोग के डिब्बे पर दर्शाये गये मूल्य, जो भी कम हो और स्थानीय कर से अधिक मूल्य पर ग्रांहक को न बेच सके।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि औषधों की जमाखोरी न हो, आदेश के पैरा 19 में यह व्यवस्था की गई है कि औषध और कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अलावा कोई भी डीलर किसी भी औषध को जो उसके पास उपलब्ध हो, ग्राहक को बेचने से इनकार नही करेगा।

उक्त आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत फुटकर/थोक विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन और निर्धारित कर दिया गया है।

इसके अलावा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत औषध निर्माता एककों को, उनके द्वारा निर्मित नये प्रपुंज औषधों के मूल्यों की उत्पादन आरम्भ होने से 14 दिन के अन्तर्गत घोषणा करनी पड़ती है ।

इस समय 45 प्रपुंज औषधों को स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के माध्यम से आयात के लिये सरणीबद्ध किया गया है। 17 प्रपुंज औषधों का विवरण आई० डी० पी० एल० द्वारा किया जाता है और शेष 28 प्रपुंज औषधों का विवरण स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा किया जाता है, जिन प्रपुंज औषधों के आयात के अतिरिक्त देशीय उत्पादन भी शामिल है उनके लिये पूल मूल्य निर्धारित किये गये हैं। इस समय निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के लिये पूल मूल्य लागू है :—

1. अमिडोपाइरीन।
2. अनलजिन।
3. मेट्रोनिडाजोल।

4. फैथेलाइल सल्फाथियाजोल।

5. फेनोबारबिटोन।

6. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट।

7. रिबमेफ्लेबिन।

8. विटामिन बी-1।

9. क्लोरमफेनीकोल पाउडर।

10. क्लोरोक्विन फोस्फेट।

11. फसीमिड।

औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सम्पूर्ण औषध मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा की जा रही है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है।

M/S. CIBA (I) LTD. AND CIBA, SWITZERLAND

4718. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the initial equity participation of M/s. Ciba (I) Ltd., by Ciba Switzerland and broad features of the agreement entered into between the two firms;

(b) what are the items of manufacture envisaged initially by Ciba (I) Ltd. and what are the changes made afterwards;

(c) whether their agreement was approved by the Foreign Investment Board or any other agency; and

(d) if not reasons thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d). The initial equity participation in Ciba (I) Ltd. (Now Ciba Geigy of India Ltd.) by Ciba Switzerland had been Rs. 3 lakhs.

M/s. Ciba Geigy of India entered into the following two agreements with M/s. Ciba Geigy Ltd., Switzerland.

(i) Technical Collaboration Agreement for manufacture of pesticides (Phosphamidon, DDVP, Zinc Dimethyl Dithic Carbamate). This was approved vide this Ministry's letter No. A&I-32(7)/64-Pt dated 7-4-73.

(ii) Agreement to appoint CIBA-GEIGY Limited, Switzerland, as export agents outside India for securing orders of Drugs, Chemical Intermediates, Packaging Materials, Dyestuffs & Textile Auxiliary products, Agrochemicals, Synthetic Resins, Hardeners and Ancillaries.

This has Reserve Bank's approval vide their letter No. EC.BYX.COMC./G(i) 3281.74 dated 1-1-1974.

No change has so far been effected in the above agreements.

In accordance with the terms of Agreement (i) above, M/s. Ciba-Geigy (I) Ltd. are to pay in Switzerland to Ciba-Geigy SFr. 850,000 to provide know-how and technical advice, technical training to their employees and necessary machinery and equipment for manufacture of Phosphamidon and intermediates.

According to Agreement (ii) above, M/s. Ciba-Geigy (I) Ltd. are to pay a commission fo 2% of the FOB value of any order for the products procured through CIBA-GEIGY.

उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या

4719. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उच्च न्यायालय वर्ष में केवल लगभग 220 दिन काम करते हैं ; और

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में बकाया मामलों की भारी संख्या को देखते हुए क्या कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) यह प्रत्येक उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया गया है कि वह दीर्घावकाश की अवधियां इस प्रकार से नियत करें कि यह सुनिश्चित हो जाए कि एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या 210 से कम नहीं रहती है।

(ख) उच्च न्यायालयों ने बकाया मामलों के निर्णय में शीघ्रता लाने के प्रयोजन से वार्षिक दीर्घावकाश की अवधि को 6 सप्ताह से घटाकर 4 सप्ताह करके कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

STOPPAGE OF DELHI-BOMBAY RAJDHANI TRAIN AT KOTAH

†4720. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi-Bombay Rajdhani train does not stop at Kota junction, though Kota is a famous industrial centre of the country and many passengers want to board the train from here in connection with their business; and

(b) if so, whether Government will consider the question of stopping the Rajdhani train at Kota Junction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Having regard to the fast characteristics of 151/152 Bombay Central-New Delhi Rajdhani Express, it is not proposed to provide stoppage of this train at Kota.

CONVERSION OF DELHI-AHMEDABAD LINE

†4721. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the work for the conversion of Delhi-Ahmedabad railway line into broad gauge line has commenced;

(b) if so, the number of years to be taken in its completion; and

(c) the estimated expenditure on conversion of this line into broad gauge line ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). The project for conversion of Delhi-Ahmedabad metre gauge line into broad gauge is estimated to cost about Rs. 108 crores and has already been included in the current year's budget with a token outlay. No target date has been fixed for the completion of the project on account of very limited availability of resources at present.

LATE RUNNING OF CHETAK EXPRESS

†4722. SHRI LALJI BHAI
SHRI BHANU KUMAR SHASTRI } :Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chetak Express is arriving always late at Delhi Station for the last six months;

(b) how many times this train arrived late during the last six months and the reasons therefor; and

(c) whether Government are taking any remedial action in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) & (c). 216Dn Chetak Express arrived Delhi late on 35 occasions during the period of June to November 1977. Late arrival of this train was mainly due to engine defects, alarm chain pulling etc. Performance of this train is closely watched and all possible efforts are being made to ensure its punctual running.

विदेशी औषध फर्मों द्वारा मदों का अधिक उत्पादन किया जाना

4723. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी औषध कम्पनियाँ अपनी पसन्द की मदें अधिक मात्रा में निर्मित करती रही हैं और उन्हें कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गयी हालांकि उन्होंने औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी अपने आवेदन पत्रों में इन मदों की विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां तो उनके अधिक उत्पादन करने पर नियंत्रण न लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी फर्मों के नाम, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, अधिक उत्पादन की जाने वाली मद के लिए कच्चे माल की आयात मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है ; और

(घ) क्या उन्होंने इस अवधि के दौरान उनके द्वारा अधिक उत्पादित फार्मूलेशनों के लिए प्रयोग में लाये जाने के लिए कोई बल्क औषधि निर्मित की है और यदि हां तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ग) प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए विदेशी औषध कम्पनियां जहां वे अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से बढ़ गई है के द्वारा प्रयोग किए हुए आयातित कच्चे माल का सी० आई० आफ० मूल्य और मात्रा को छोड़कर अपेक्षित सूचना पहले ही 13-12-1977 को पूछे गए लोक सभा अ० प्र० सं० 3667 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी। शेष सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) अधिक उत्पादन पर की जाने वाली कार्रवाई की नीति पर हाथी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर सक्रिय रूप से सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) यद्यपि विदेशी कम्पनियों द्वारा औषध सूत्रयोगों के अधिक उत्पादन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं परन्तु इस संबन्ध में अब तक कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है । औषध सूत्रभोगों के उत्पादन के लिए दिए गए औद्योगिक लाइसेंस में समान्यता गोलियां, तरल कैप्सूल्स, आदि जैसे श्रेणीवार क्षमताएं अंकित की गई हैं। इसलिए औषध कम्पनियों द्वारा उनकी लाइसेंसीकृत क्षमताओं में अधिक निर्मित किए हुए किसी विशेष औषध सूत्रयोग के वारे में बताना संभव नहीं है।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० के उत्पादन में कमी होना

4724. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० में गत एक वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) क्या गत पांच वर्ष की तुलना में हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता और कदाचार बढ़ रहे हैं ;

(ग) क्या उत्पादन में कमी और बढ़ती हुई अनुशासन हीनता का कारण प्रबंध निदेशक को जबरन छुट्टी पर भेजा जाना हो सकता है ; और

(घ) यदि हां तो सरकार इस स्थिति को किस प्रकार सुधारेगी ; यदि नहीं, तो इसके अन्य कारण क्या हैं क्या समाधान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० द्वारा हुआ प्रपुंज औषधों का उत्पादन नीचे दिखाया गया है :—

(रुपये/लाख)

	1975-76	1976-77
पेनीसिलिन (एम० एम० यू०)	64.78	74.00
स्ट्रेपटोमाईसिन (किलो ग्राम)	61789	85948
विटामिन सी (किलो ग्राम)	3943	1291
एम्पिसिलिन (किलो ग्राम)	439.00	760.00

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता विटामिन सी का उत्पादन कम था क्योंकि संयंत्र को मैसर्स रोश प्रोडेक्टस लि० की सहायता से पुनः स्थापित किया जा रहा है। अनुशासन, औद्योगिक सम्बन्ध तथा उत्पादिकता को बढ़ाने सम्बन्धी सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० को लाइसेंस जारी किया जाना

4725. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० को दिये गए औद्योगिक लाइसेंसों आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने इस संबंध में क्या क्षमताएं तथा लक्ष्य प्राप्त किए है ;

(ख) इस समय हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० का मदवार क्षमता-वार उत्पादन कितना है ; और सरकार उपभोक्ताओं के हित में उनसे अनुमोदित लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करायेगी, और

(ग) इस समय विटामिन सी, पेनीसिलिन और जापान से प्राप्त इसके स्टेन्स का उत्पादन कितना है समझौते का ब्यौरा क्या है, गत एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ और यदि कोई हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आई० डी० पी० एल० को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस और उसके कार्यान्वयन के ब्यौरे पहले 6-12-1977 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के उत्तर में दिए गए थे। गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स एच० ए० एल० को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया था।

उनको दिए गए आयात लाइसेंस के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान एच० ए० एल० द्वारा प्रपुंज औषधों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

मद	एकक	उत्पादन		
		1974-75	1975-76	1976-77
पेंसिलिन	एम० एम० यू०	62.83	64.78	74.00
स्ट्रेप्टोमाइसिन	किलोग्राम	66.70	61789	85948
विटामिन सी	किलोग्राम	618.0	3943	1291
एम्पीसिलिन	किलोग्राम	195	439	760

एच० ए० एल० की कार्यकुशलता में सुधार और स्वीकृत क्षमताओं की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, पेंसिलिन और स्ट्रेटरोमाइसिन के उत्पादन के लिए अच्छे स्ट्रेनों और प्रोद्योगिकी को जारी करने की अनुमति दी है। सरकार ने एच० ए० एल० के विटामिन सी प्लांट की पुनः स्थापना के लिए मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि० द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रयोग को भी स्वीकार किया है।

पेंसिलिन स्ट्रेनों और ओद्योगिकी के लिए एच० ए० एल० का जापान के मैसर्स टोयो जोजो के साथ सहयोग की शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(i) 200,000 यू० एस० डाबर का भुगतान स्ट्रेनों और ओद्योगिकी की सप्लाई और उससे संबंधित दस्तावेजों के लिए कर सहित।

(ii) 210,527 यू० एस० डाबर का भुगतान एच० ए० एल० संयंत्र पिम्परी में विदेशी फर्म द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए कर सहित।

1976-77 के दोरान एच० ए० एल० को कुल 67.74 लाख रुपये की हानि हुई थी जब कि 1975-76 के दोरान 291.65 लाख रुपये की थी। प्रपुंज स्ट्रेप्टरोमाइसिन, वायल्स, सूत्रयोग, गोलियों तथा कैपसूल्स के बारे में अधिक क्षमता उपयोग, और वर्ष 1976-77 के उत्तरार्ध में नए अधिक उत्पादनयुक्त पेंसिलिन स्ट्रेनों और प्रोद्योगिकी के प्रथम चरण में सफलता पूर्वक परिचालन के कारण हानि में कमी हुई थी।

अप्रैल, नवम्बर 1977 में पेंसिलिन का 47.7 एम० एम० यू० उत्पादन हुआ है जबकि अप्रैल नवम्बर 1976 में 40.7 एम० एम० यू० हुआ था।

विटामिन सी० सयंत्र की पुनः स्थापना की जा रही है।

एच० ए० एल० में अन्तिम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार टोयो जोजो प्रोद्योगिकी से पेंसिलिन के बारे में वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) पैलट प्लांट में पेंसिलिन —Vका औसत 197.9 घंटे की औसत गति पर अन्तिम दस बैचिज़ के लिए 31,000 यू०/एम० एल० है। 209.25 घंटे की औसत गति पर अन्तिम चार बैंचिज के लिए औसत 33,663 है।

(ii) पैलट प्लांट पेंसिलिन जी का, 175.2 घंटों की औसत गति से गत दस बैंचिज़ के लिए औसत 25,465 यू०/एम० एल० है। टोयो की सिफारिशें पूरी होने पर 179.3 घंटों की औसत गति पर गत चार बैचिज़ का औसत 30,138 यू०/एम० एल० है।

(iii) टोयो आवश्यकताओं के लिए मुख्य प्लांट में एक फरमेन्टल का पहले ही संशोधन किया गया है। एच० ए० एल० ने 191.5 घण्टे की दर से पेंसिलिन जी 30,800 यू०/एम० एल० प्राप्त किए हैं।

(iv) मुख्य प्लांट में पेंसिलिन (V) के लिए एच० ए० एल० ने अब तक बैचों की तुलना में 30,000 यू०/एम० एल० प्राप्त किया है।

मराठे समिति की सिफारिशें

4726. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उर्वरक कारखानों के लिए मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी मराठे समिति की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है जिसके अनुसार प्रत्येक फर्म को किसी सीमा तक क्षमता उपयोग के हिसाब से कर अदायगी के बाद शुद्ध लाभ की अनुमति दी गई थीं, और

(ख) यदि हां, तो फास्फेतिक उर्वरक मूल्यों के प्रश्न सहित अन्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्रा) : (क) और (ख) श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में उर्वरक मूल्यों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग I में 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक यूनिटों के लिए मूल्य निर्धारण पद्धति (सिस्टम) की तथा कच्चे माल, उपयोगिताएं और अन्य निवेशों देख-रेख तथा अन्य लागतों के उपभोग के सम्बध में मानदण्डों तथा वास्तविकताओं (एक्चुअल्स) का मिश्रण, कर के पश्चात् शुद्ध मूल्य पर 12 प्रतिशत की प्रति-प्राप्ति की व्यवस्था की सिफारिश की थी। समिति ने मूल्य निर्धारण पद्धति और भावी उर्वरक संयंत्रों की लागत कम करने के कुछ वित्तीय (फिस्कल) तथा अन्य उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एक उर्वरक उद्योग समन्वय समिति की स्थापना की भी सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर सरकार के फैसले नवम्बर, 1977 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प में हैं, जिसकी एक प्रति दिनांक 15-11-1977 को पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत की गई है।

फास्फेटिक उर्वरकों से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट भाग II की प्रतिक्षा है।

COACHES ATTACHED TO RADHIKAPUR-MANIHARI GHAT TRAIN

†4727. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether compared with the rush of passengers, insufficient number of coaches is attached to Radhikapur-Manihari Ghat train on N.E.F.R. which operates between Katihar and Manihari Ghat and starts from Katihar in the afternoon, with the result that passengers are greatly inconvenienced and

(b) if so, the time by which the number of coaches will be increased and in case it is not proposed to do so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) The loads of 123/124 Radhikapur-Manihari Ghat Passenger has been augmented by two second class coaches from 12-12-1977.

ATTACHMENT OF BOGIES WITH TINSUKIA MAIL

†4728. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no provision for attaching upto Kumedpur, where Tinsukia Mail train halts one bogie of 1st Class and one of 2nd class to the trains going towards Katihar-Malda or Katihar-Barsoi; for journey to Delhi by the residents of Forbesganj, Jogbani Purnea and Katihar; and

(b) if so, the time by which provision therefor will be made and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Introduction of through/sectional coaches between New Delhi and Kumedpur/Katihar by 155/156 Tinsukia Mail is not operationally feasible for want of room. The passengers from Katihar and Jogbani area can avail of fast connected services *via* Lucknow, the shortest route and also the connected MG and BG Assam Mails *via* Barauni.

†RAILWAY ACCIDENTS FROM AUGUST TO-DATE

4729. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of railway accidents occurred from August to-date and the loss suffered as a result thereof;

(b) the number of persons therein and the amount of compensation paid by Government in this regard;

(c) whether Government propose to appoint an additional Minister of State or Deputy Minister in order to improve the working of the Ministry;

(d) if not, the steps taken by Government to control the Railway administration; and

(e) if so, when the appointments are likely to be made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) During the period August to November, 1977, there were 294 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways. The cost of damage to railway property involved in these accidents has been estimated at approximately Rs. 1,74,07,384.

(b) In these accidents, 106 persons were killed. No compensation has been paid so far to the victims or their legal heirs, of these train accidents, under Indian Railways Act, 1890, as claims for compensation received so fare are pending with the *ad-hoc* Claims Commissioners/ex-officio Claims Commissioners. Payments will be arranged by the Railway Administrations on the basis of the verdict of the court.

Nine Railway employees were killed in these accidents while on duty and it the case of one of them a sum of Rs. 27,000 due under the Workmen's Compensation Act. 1923 has been deposited with the Commissioner for Workmen's Compensation. The remaining cases are under active consideration of the Railway Administration.

(c) to (e). Appointment of Ministers is made at the discretion of the Prime Minister.

Since failure of railway staff is the largest single factor responsible for accidents, a nation-wide safety drive has been launched to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules and indulge in short-cut methods. In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track circulating, automatic warning system etc. are being introduced progressively. It has also been decided recently to track circuit run through lines on all trunk routes by 1981. and provide track circuiting from fouling mark to the Advanced Starter at 100 vulnerable stations within the next two years.

प्रतीक्षा सूची के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को बर्थो/सीटों का आबंटन

4730. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतीक्षा सूची में दर्ज प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को बर्थों/सीटों का आबंटन करने के बारे में नियम क्या हैं ;

(ख) उन यात्रियों के नाम क्या हैं जो 22-10-1977 को 39 अप जनता एक्सप्रेस में इलाहाबाद से थ्री टायर स्लीपर कोच में बर्थों के आबंटन के लिए दर्ज थे ;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को इलाहाबाद में नम्बर बार खाली बर्थ आबंटित किये गये थे और यदि हां, तो इलाहाबाद में कितने खाली बर्थ प्राप्त हुए और प्रतीक्षा सूची में दर्ज तथा अन्य कितने यात्रियों को आबंटन किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि बर्थों के आबंटन में भष्टाचार व्याप्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रमुख गाड़ियों की चैकिंग करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करेगी ताकि वास्तविक यात्रियों को परेशानी न हो ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को स्थान का आबंटन चार्ज बनाते समय उनकी अनापवादिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अन्तिम समय में आरक्षण रद्द करवा दिये जाने के कारण या, मध्यवर्ती स्टेशनों के मामलों में वहां गाड़ी पहुंचने पर, सुलभ होने वाले स्थान प्रतीक्षा सूची में सही क्रमानुसार ऐसे यात्रियों को आवंटित किये जाते हैं तो वहां उपस्थित हों। यदि प्रतीक्षा-सूची पर दर्ज यात्रियों को स्थान का आरक्षण हो जाने के बाद भी स्थान सुलभ रहता है तो उसे अन्य उपस्थित यात्रियों को आबंटित कर दिया जाता है।

(ख) निम्नलिखित यात्री प्रतीक्षा सूची में थे :—

1. श्रीमती भगत सिंह
2. श्री एन० वी० राय,
3. श्रीमती एन० बी० राय,
4. श्री हरीश चन्द्र,
5. श्रीमती जुगनू सिन्हा,
6. श्री एल० आर० गौतम,
7. श्री एस० वी० उपाध्याय,
8. श्री नाजमल हुसैन,
9. श्री अमीर अनवी।

(ग) जब गाड़ी इलाहाबाद पहुंची तब 12 शायिकाएं आबंटन के लिए सुलभ थीं। प्रतीक्षा सूची की 9 यात्रियों में से जिन 5 ने सहायता केन्द्र पर आरक्षण ड्यूटी के कर्मचारियों से सम्पर्क किया था उन्हें विधिवत् स्थान आवंटित कर दिया गया। शेष 7 शायिकाएं दूसरे उपस्थित व्यक्तियों को आवंटित कर दी गयीं।

(घ) और (ङ) शायिकाओं/सीटों के उचित आवंटन पर कड़ी नज़र रखने और सदाशयी यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न होने देने के लिए मुख्य-मुख्य स्टेशनों पर अधिकारियों और पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा लगातार अचानक जांच की जाती है। भीड़-भाड़ की अवधियों के दौरान इस प्रकार की जांच तेज कर दी जाती हैं। जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता ध्यान में आती है तो उसे ठीक करने के लिए तत्काल कारवाई की जाती है।

जन सम्पर्क वाले स्थानों पर परिवर्तन

4731. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये गये हाल के संशोधित कार्यालय आदेश में सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक, इलाहाबाद ने जन सम्पर्क वाले स्थानों पर किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जिन स्थानों पर क्लर्क पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(ख) इलाहाबाद मण्डल के मंडलीय अधीक्षक के कार्यालय की वाणिज्यिक शाखा में क्लर्कों/हैड क्लर्कों की सीटों को बदलने की योजना के पीछे क्या उद्देश्य है :

(ग) क्या जन सम्पर्क के स्थानों अर्थात् विलम्ब शुल्क/घाट शुल्क सम्बन्धी सीटों पर काम करने वाले क्लर्क उनके द्वारा अर्जित गैर कानूनी धन में से वाणिज्यिक अधिकारियों को नियमित रूप से हिस्सा देते हैं और केवल इसी कारण उन्हें लगातार वहीं पर काम करने दिखा जाता है और कुछ मामलों में वे 5 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) कार्य-कुशलता में सुधार करने की दृष्टि से 27-7-1977 से मंडल अधीक्षक कार्यालय, इलाहाबाद की शाखा में प्रधान लिपिक प्रणाली, लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत प्रधान लिपिकों को सीधे वाणिज्यिक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। वाणिज्य शाखा में कुछ कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप कुछ सीटों पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किये गये थे। यद्यपि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिये जाने के परिणाम-स्वरूप जनता के सम्पर्क में आने वाली सीटों पर आवधिक स्थानान्तरण की योजना बन्द कर दी गयी है, तथापि केवल एक व्यक्ति हो ऐसा है जो जनता के सम्पर्क में आने वाली सीट पर पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा है। वह विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क वाली सीट पर काम नहीं कर रहा है तथा उसका काम संतोषजनक समझा गया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घाट शुल्क/विलम्ब शुल्क की वसूली

4732. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर मंडलीय वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद की मंजूरी के साथ सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक द्वारा हाल में जारी किये गये कार्यालय आदेश के अनुसार वाणिज्यिक शाखा की संशोधित कार्य पद्धति लागू की गई है।

(ख) क्या सहायक अधीक्षक (वाणिज्यिक) को सामान्य कार्यकरण और वाणिज्यिक शाखा के अधीक्षक के लिये और महत्वपूर्ण कार्य देखने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है;

(ग) क्या उक्त अधीक्षक को घाट शुल्क/विलम्ब शुल्क के मामले में देखने से निषिद्ध किया गया है और फाइलें कार्यालय अधीक्षक द्वारा सम्बद्ध क्लर्क को, जो कि अधीक्षक से कम श्रेणी का कर्मचारी है, दे दी जाती हैं;

(घ) क्या इस नई पद्धति से सहायक अधीक्षक के अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासनहीनता पैदा हो गई है जिसके कारण घाट शुल्क/विलम्ब शुल्क के मामलों को देखने वालों में भ्रष्ट प्रक्रियाओं को बल मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) वाणिज्य शाखा में काम का शीघ्र निपटान करने तथा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए, एक संशोधित प्रक्रिया लागू की गयी है जिसमें विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क की माफी से सम्बन्धित आवेदन पत्र कार्यालय अधीक्षक द्वारा एकत्रित किये जाते हैं और वाणिज्य शाखा में सम्बन्धित मुख्य लिपिक को सौंप दिये जाते हैं। मुख्य लिपिक उन्हें सक्षम अधिकारी के पास निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। सहायक अधीक्षक (वाणिज्य) इस शाखा में अन्य मुख्य कार्यों का प्रभारी होता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषध फर्मों के बीच हुआ करार

4733. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स लेडरले लैब्स, बूटस्, बी० डी० जी०, ड्यूमेक्स प्राइवेट लि०, टिफजर तथा साइनेमाइड में उनकी मुख्य कम्पनियों द्वारा आरम्भ में कितने इक्विटी शेयर लिये गये;

(ख) उपरोक्त फर्मों की मुख्य कम्पनियों तथा इन कम्पनियों के बीच भारत में अपना कार्य करने के सम्बन्ध में हुए करारों की मुख्य बातें क्या हैं;

10—1028 LSS/77

(ग) प्रारम्भ में किन-किन मदों का उत्पादन होता था और तदुपरान्त उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए ; और

(घ) क्या इन करारों का विदेशी निवेश समिति/बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (1) मैसर्स लेडरल लेन (इ) आई० लि०, अब मैसर्स सीनामाइड आई० लि० रुपये 1.50 लाख।

(2) मैसर्स बूट्स कम्पनी (आई०) लि०, रुपये 10.00 लाख।

(3) बी० डी० एच० अब ग्लेक्सो लेब (आई०) लि०, रुपये 1.50 लाख।

(4) ड्यूमेक्स प्राइवेट लि०, अब फाईजर लि०, रुपये 2.00 लाख।

(ख) से (घ) सम्बन्धित सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए सं० एल० टी० 1445/77)।

मेल गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें

4734. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरगामी मेल गाड़ियों में खान-पान की व्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन गाड़ीयों में भोजन की किस्म और वितरण व्यवस्था में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) उन गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें अभी भी भोजनयानों की व्यवस्था है;

(ङ) विभिन्न मेल गाड़ियों से भोजनयानों को हटाने के बाद खर्च में कितनी कमी हुई;

(च) मेल गाड़ियों में इस समय भोजन सप्लाई कर रही एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(छ) इन एजेंसियों द्वारा भोजन की किस्म और वितरण की जांच और उस पर नियन्त्रण के लिये क्या प्रणाली अपनाई जाती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दूरगामी डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों की खान-पान व्यवस्था के संबंध में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) यात्रियों की खान-पान की आवश्यकताएं रास्ते के स्थायी खान-पान प्रतिष्ठानों से पूरी की जाती हैं।

(छ) स्थायी खान-पान प्रतिष्ठानों में भोजन की किस्म तथा सेवा के मानदंड पर बारम्बार निरीक्षणों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(घ) निम्नलिखित डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन यान/पेंट्री यान/उपाहार यान/रसोई यान चल रहे हैं:—

1. 3 डाउन/4 अप फ्रंटियर मेल।
2. 25 डाउन/26 अप ए० सी० एक्सप्रेस/पश्चिम एक्सप्रेस।
3. 151 डाउन/152 अप देहली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस।
4. 21 डाउन/22 अप फ्लाइंग रानी।
5. 1 अप/2 डाउन अहमदाबाद-देहली मेल।
6. 31 अप/32 डाउन जयंती जनता एक्सप्रेस (अहमदाबाद-अजमेर)।
7. 171 डाउन/172 अप बम्बई-जम्मू-तवी सुपर एक्सप्रेस।
8. 501 अप/502 डाउन पिंक सिटी एक्सप्रेस।
9. 1 अप/2 डाउन बम्बई-हावड़ा मेल।
10. 13 अप/14 डाउन हवड़ा-टाटा स्टील एक्सप्रेस।
11. 11 अप/12 डाउन हवड़ा-राउरकेला इस्पात एक्सप्रेस।
12. 21 अप/22 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस।
13. 1 अप/2 डाउन गोलकुंडा एक्सप्रेस।
14. 5 अप/6 डाउन कृष्णा एक्सप्रेस।
15. 123 डाउन/124 अप आंध्र एक्सप्रेस।
16. 16 अप/15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस।
17. 39 अप/40 डाउन वृन्दावन एक्सप्रेस।
18. 153 अप/154 डाउन चोलन एण्ड मैसूर एक्सप्रेस।
19. 131 अप/132 डाउन देहली-मंगलौर जयंती जनता एक्सप्रेस।
20. 122 अप/121 डाउन तमिलनाडु एक्सप्रेस।
21. 140 अप/139 डाउन गंगा-कावेरी एक्सप्रेस।
22. 142 डाउन/141 अप कोरोमंडल एक्सप्रेस।
23. 13 डाउन/14 अप बम्बई-मद्रास जनता एक्सप्रेस।
24. 153 अप/154 डाउन देहली-मुजफ्फरपुर जयंती जनता एक्सप्रेस।

25. 119 अप/120 डाउन गोमती एक्सप्रेस ।

26. 81 अप/82 डाउन हवड़ा डीलक्स एक्सप्रेस ।

27. 103 अप/104 डाउन हवड़ा डीलक्स एक्सप्रेस ।

28. 101 अप/102 डाउन देहली-हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस ।

29. 305 अप/306 डाउन हवड़ा-आसनसोल एक्सप्रेस ।

30. 307 अप/308 डाउन ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ।

31. 309 अप/310 डाउन कोल-फील्ड एक्सप्रेस ।

32. 155 अप/156 डाउन तिनसुकिया मेल ।

33. 167 अप/168 डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस ।

34. 5 डाउन/6 अप बम्बई-पंजाब मेल ।

35. 301 डाउन/302 अप दक्कन क्वीन ।

36. 79 डाउन/80 अप ताज एक्सप्रेस ।

37. 305 डाउन/306 अप दक्कन एक्सप्रेस ।

38. 309 डाउन/310 अप जनता एक्सप्रेस ।

39. 201 डाउन/202 अप पंचबटी एक्सप्रेस ।

40. 1 अप/2 डाउन कालका-हवड़ा मेल ।

41. 57 अप/58 डाउन बम्बई-अमृतसर एक्सप्रेस ।

42. 91 अप/92 डाउन बीकानेर मेल ।

43. 93 अप/94 डाउन जोधपुर मेल ।

44. 89 अप/90 डाउन बीकानेर एक्सप्रेस ।

45. 9 अप/10 डाउन कानपुर एक्सप्रेस ।

46. 3 अप/4 डाउन आसाम मेल (मीटर लाइन) ।

47. 15 डाउन/16 अप गुहाटी-लखनऊ एक्सप्रेस ।

48. 59 अप/60 डाउन कामरूप एक्सप्रेस (बड़ी लाइन) ।

49. 5 अप/6 डाउन कामरूप एक्सप्रेस (मीटर लाइन) ।

50. 15 डाउन/16 अप सौराष्ट्र एक्सप्रेस ।

51. 11 डाउन/12 अप गुजरात एक्सप्रेस ।

52. 37 अप/38 डाउन बीरमगांव मेल ।

53. 33 अप/34 डाउन जनता एक्सप्रेस फास्ट पैसेंजर (मीटर लाइन) ।

54. 23 अप/24 डाउन बम्बई-देहली जनता एक्सप्रेस ।

55. 59 अप/60 डाउन गीतांजलि एक्सप्रेस ।

कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये विधि विशेषज्ञों की समिति

4735. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को शीघ्र न्याय सुलभ करने की प्रणाली बनाने के लिए कानूनों प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कोई नया विधि आयोग अथवा विधि-विशेषज्ञों की समिति गठित करने का विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) और (ख) आठवां विधि आयोग तारीख 1 सितम्बर, 1977 से 31 अगस्त, 1980 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोजित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(क) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और किफायती रूप से निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए,

(ख) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे,

(ग) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए,

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(2) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें सुधार के उपायों के सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

(3) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(4) विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी अन्य विषय पर जो उसे निर्देशित किया जाए, बिचार करना और उस पर अपने विचार सरकार को बताना।

2. उपर्युक्त मद (1) और (4) में उल्लिखित विचारार्थ विषयों से पता चलता है कि विधि आयोग जनता को त्वरित न्याय, प्रदान करने की प्रणाली का विकास करने के लिए विधिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रश्न पर विचार करेगा।

3. आयोग में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विधि विशेषज्ञ, विधिवेत्ता या भारत के किसी विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर होंगे। सदस्य-सचिव वह व्यक्ति होगा जो केन्द्रीय विधि सेवा के ग्रेड-1 का अधिकारी हो। उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हंस राज खन्ना को आयोग के अवैतनिक अध्यक्ष के रूप में तथा केन्द्रीय विधि सेवा के ग्रेड-1 के सदस्य श्री पी० एम० बख्शी को सदस्य -सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग के दो अन्य सदस्य यथासंभव शीघ्र नियुक्त किए जाएंगे।

4. ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए विधि विशषज्ञों की कोई समिति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल डिब्बों का रख रखाव

4736 **श्री ईश्वर चौधरी ::** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल डिब्बों विशेषकर मीटर गेज की गाड़ियों के डिब्बों का रख रखाव अधिक खराब स्थिति में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यहां तक कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में पंखे तथा बत्तियां आम तौर पर गायब रहती है ; और

(ग) क्या यह भी सच है, कि डिब्बे तथा गाड़ियां इस हालत में गत दो वर्षों से चल रही हैं और उनकी मरम्मत करने तथा उन्हें नया बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों पर सवारी डिब्बों, जिनमें मीटर लाइन के डिब्बे शामिल हैं, के अनुरक्षण का आम स्तर संतोषजनक है।

(ख) असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी करने के कारण कभी-कभी पहले दर्जे के डिब्बों में पंखों तथा बिजली की कमी हो सकती है। लेकिन इस फिटिंग को यथा शीघ्र फिर से लगाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है।

(ग) दोषों को सुधारने और कमियों को दूर करने जैसे रोज-मर्रा के अनुरक्षण कार्यों के अलावा सभी सवारी डिब्बों का आवधिक ओवरहाल, मरम्मत और नवीनीकरण किया जाता है।

रिगों का आयात

4737. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि सरकार का विचार देश में तेल की खोज के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए रिगों का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) देश में भूमि पर तेल की खोज के कार्य में तेजी लाने के लिये, उन रिगों को छोड़ कर जिनके लिए पहले से ही आर्डर दिये जा चुके हैं, और रिगों को आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि जहाँ तक समुद्र के भीतरी क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली रिगों का सम्बन्ध है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है कि और नई रिगें खरीदी जाये अथवा नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनायी गयी औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने के लिए समिति

4738. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनायी गयी इन्टरमीडिएट औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) विस्तृत रूप से औषधों के मूल्य निर्धारण की नीति का हाथी समिति की सिफारिशों के प्रसंग में सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। औषधों के मूल्यों को बनाये रखने के लिए विभिन्न निवेशों की लागत का, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों द्वारा निर्मित मध्यवर्ती तथा आयातित मध्यवर्ती के मूल्यों भी शामिल हो सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जाना होगा। तत्सम्बन्धी विषय पर निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

रेवास तथा नोबा शेवा में उर्वरक परियोजनायें

4739. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवास के स्थान पर विशाल उर्वरक परियोजनाओं की तैयारियों हेतु कार्यवाही करते समय निवेश अनुमोदन वोर्ड की उपेक्षा कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है, कि यहां तक कि परियोजना के लिये अन्तिम संभाव्यता प्रतिवेदन भी अभी तैयार नहीं है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा उनके मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारी, जिनका बम्बई-उरान सबमेरीन पाईपलाईन परियोजना में स्पष्टतः ही निजी स्वार्थ पैदा हो गया है, इस पाईप लाईन परियोजना को जल्दी-जल्दी पूरा करके राष्ट्र पर थोपने के लिये रेवास उर्वरक परियोजना के कार्य में जल्दी मचा रहे हैं; और

(घ) क्या यह सच है, कि इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार तथा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने नोवा शेवा में एक उर्वरक परियोजना के प्रस्ताव का इस आधार पर कड़ा विरोध किया था कि इससे बम्बई के लिये प्रदूषण की गंभीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के प्रभाव के बारे में विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की राय ले ली है अथवा इसकी उपेक्षा करना बेहतर समझा है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। प्रायोजना पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है और अपेक्षित निवेश मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। बम्बई हाई कार्यक्रम का चरण III जिसमें गैस के परिवहन के लिए बम्बई हाई से उरान तक समुद्र के अन्दर पाइपलाईन बिछाना शामिल है, सरकार द्वारा मंजूर किया गया है।

(घ) पहला प्रस्ताव फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए नोवा शेवा में संयंत्र स्थापित करने के बारे में किन्तु इस समय रिवास में नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नाइट्रोजन्स उर्वरक संयंत्र में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए संयंत्र की तुलना में कम प्रदूषण समस्याएं हैं।

किए गए अध्ययन के अनुसार रिवास में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र से निस्सारी की मात्रा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत होगी और बम्बई शहर में कोई भी प्रदूषण समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सरकार अपेक्षित निवेश स्वीकृति देने से पहले, प्रदूषण सहित सभी पहलुओं की सावधानी से जांच करेगी।

बम्बई हाई में तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

4740. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि बम्बई हाई तेल क्षेत्र का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो रहा है, यह तेल इस क्षेत्र में तेल की और आगे खोज के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा;

(ख) यदि नहीं, तो ऋण पर ली गयी निधि से अग्रेतर कितनी खोज होगी; और

(ग) तेल के बढ़े हुए देशी उत्पादन से उपभोक्ता को कितना लाभ हो रहा है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तटीय और अपतटीय दोनों प्रकार के उसके कुल कार्यक्रमों के स्तर तथा इसके आन्तरिक संसाधनों की सीमा पर आधारित ओ० एन० जी० सी० को वर्षानुवर्ष सरकार द्वारा कुल मिलाकर बजट सहायता दी जाती है। सरकार से बजट सहायता आंशिक रूप से अनुदान (साम्य पूंजी) और आंशिक रूप से ऋण के रूप में दी जाती है। ओ० एन० जी० सी० तेल उद्योग विकास बोर्ड से भी ऋण लेता है। विशेष रूप से बम्बई हाई के विकास के लिय ओ० एन० जी० सी० ने 150 मि०ली० डालर के ऋण के लिये विश्व बैंक से तथा 50 मि०लि० के लिये यूरो डालर बैंक संघ से करार किये हैं।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अब देशी अशोधित तेल तथा आयातित अशोधित तेल के महत्व दिये गये औसत मूल्यों पर आधारित हैं। अपतटीय तेल सहित अशोधित तेल का जिस सीमा तक देशीय उत्पादन किया जायेगा तो यह आयातित तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के प्रभाव को बराबर कर देगा और यह उपभोक्ता के लिये यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक मूल्य को बनाये रखने में सहायक होगा।

तेल मूल्य निर्धारित समिति की सिफारिशें

4741. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल मूल्य निर्धारण समिति की किसी सिफारिश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कब तक पूरी तरह क्रियान्वित किया जायगा; और

(घ) इन सिफारिशों को लम्बी अवधि तक क्रियान्वित न करने के कारण तेल उत्पादों के उपभोक्ताओं को यदि कोई हानि होती तो कितनी होगी?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) तेल मूल्य समिति ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ 14-7-1975 से लागू किया। समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों पर सरकारी निर्णय दर्शाने वाला दिनांक 16-12-1977 का सरकारी संकल्प दिनांक 16-12-1977 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) अन्य सिफारिशों पर निर्णय यथा समय लिया जाएगा। इन सिफारिशों का उपभोक्ता मूल्यों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानियां होने का प्रश्न नहीं उठता है।

भदरा-नदियाद सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

4742. श्री डी० डी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भदरा-नदियाद सेक्शन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा और कब;

(ख) क्या इसी प्रकार साबरमती विरमगाम-ओखा सेक्शन को भी बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय भी लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिवर्तन कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भद्रा-नाडियाड छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां, साबरमती बड़ी लाइन द्वारा पहले से ही वीरामगांव के साथ सम्बद्ध है। वीरामगाम-ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है और इस पर लगभग 60 करोड़ रुपयें की लागत आयेगी। परियोजना की अद्यतन प्रगति 42.9 प्रतिशत है और चालू बजट वर्ष में इसके लिए 5.50 करोड़ रुपयें की लागत की व्यवस्था की गयी है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के उद्देश्य तथा दायित्व

4743. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के उद्देश्यों और दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं पर सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार श्वेत-पत्र को प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आई डी० पी० एल० ने उद्देश्यों/दायित्वों का एक विवरण पत्र तैयार किया है जिसको सरकारी उद्यम ब्यूरों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है औंर सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मैसर्स स्मित स्टेनस्ट्रीट लि०, कलकत्ता के पास कार्यकारी पूंजी की कमी

4744. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकारी पूंजी की कमी की वजह से मैं स्मिथ स्ट्रेनस्ट्रीट लिमिटेड कलकत्ता के लिए पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इसके भावी विस्तार के प्रस्तावों का व्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार, मैसर्स स्मिथ स्ट्रेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिये उनकी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं की व्यवस्था करती रही है । 1977-78 के दौरान उनको 30.70 लाख रुपये की कार्यकारी पूंजी दी गई है । 1975-76 में 341.6 लाख रुपये का उत्पादन 1976-77 में बढ़कर 423.6 लाख रुपये हो गया था ।

(ख) अधिग्रहण की अवधि के दौरान नई परिसम्पत्तियां बनाने अथवा पुरानी परिसम्पत्तियों को बदलने के लिए कोई पूंजी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि इस प्रकार की पूंजी लगाने का निर्णय तभी लिया जा सकता था जब आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की अवधि के बाद उपक्रम के भविष्य के बारे में फैसला हो जाता ।

(ग) उपक्रम ने सूत्रयोगों की क्षमता में विस्तार के लिए हाल ही में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है और संबंधित निवेश के प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट का पुनःस्थापन

4745. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट, कलकत्ता के पुनः स्थापन के लिए सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से सलाह मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सलाह की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को पुनः स्थापित करने की गुंजाइश के बारे में सलाह देने के लिए आई० आर० सी० आई० ने एक परामर्शदाता की नियुक्ति की थी । उस रिपोर्ट के आधार पर आई० आर० सी० आई० ने यह महसूस किया कि पर्याप्त विस्तार के विविधीकरण किये बिना एकक की स्वाभाविक अव्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उनको वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता था । किसी भी विस्तार/विविधीकरण योजना के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती, जो सरकार द्वारा पूंजी का पुनर्गठन करने और पर्याप्त निवेश नहीं था ।

इस कम्पनी का अब 1 अक्तूबर, 1977 को राष्ट्रीयकरण किया गया है ।

औषध फार्मूलेशन का वार्षिक उत्पादन

4746. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर पूंजी वाली फर्मों द्वारा औषध फार्मूलेशनों का वार्षिक कितना उत्पादन किया गया तथा उनके नाम क्या हैं तथा फर्मवार उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है और वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर पूंजी वाली फर्मों के साथ समय-समय पर हुए करारों का ब्यौरा क्या है, उनमें से कितती क्रियान्वित की गई हैं और उनमें से कितनी क्रियान्वित नहीं की गयी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे करारों/औद्योगिक लाइसेंसों को रद्द करने के लिए कार्यवाही की है अथवा कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) निश्चित आयातित कच्चे माल की खपत कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान पृथक रुप से इन सभी फर्मों के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय कितना हुआ ;

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) मांगी गई अपेक्षित विस्तृत सूचना के तैयार करने के लिए अभी कोई प्रणाली (सिस्टम) नहीं है । ऐसी सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरुप नहीं होगा ।

औषधि उद्योग में बहु राष्ट्रीय फर्मो का एकाधिकारिक नियंत्रण

4747. श्री के० मालन्ना : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधि उद्योग में बहुराष्ट्रीय निगमों का एकाधिकारिक नियंत्रण समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) क्या औषधि उद्योग में सहकारी एककों को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकारी/भारतीय क्षेत्रों (जिसके बाद में अन्य बातों के साथ साथ सहकारी एकक शामिल होंगे) के विस्तार को प्रोत्साहन देने और विदेशी क्षेत्र के विस्तार का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे हैं :—

(1) औषधों के श्रेणीवार निदेशक तैयार किए गए हैं जिसके अन्तर्गत कुछ औषध केवल सरकारी/भारतीय क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित किए जायेगें ।

(2) खुली सूची में भी उत्पादन योजनाओं की स्वीकृति में इन क्षेत्रों के लिए परस्पर वरीयता ।

(3) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के जरिए अनिवार्य प्रपुज औषधों की बढ़ती हुई संख्या का उत्पादन ।

(4) सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये विदेशी फर्मों को सामान्यत: औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाते जब तक उनके साथ प्रपुज औषधों का उत्पादन नहीं किया जाता जबकि भारतीय फर्मों को कुछ पैरामीटरों के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों के उत्पादन के बिना अतिरिक्त सूत्रयोग क्षमता की अनुमति दी जाती है।

(5) विदेशी फर्मों से कहा गया है कि अधिक मूल स्तरों से प्रपुज औषधों का उत्पादन करें और अपने प्रपुज औषध उत्पादन का उचित भाग देश में गैर संगठित सूत्रयोग कर्त्ताओं को उपलब्ध कराए जैसे कि क्षमता में विस्तार अथवा कार्य-कलाप को लेने के लिए स्वीकृति हेतु शर्त लगी हुई है और जहां अनिवार्य समझा जाता है उचित निर्यात दयित्व भी लगाया जाता है ।

(6) विदेशी औषध कम्पनियों का नियन्त्रण अगर भूमिका सहित औषध उद्योग के पूरे विस्तार की नीति पर हाथी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर शीघ्र निर्णय लेने की सम्भावना है?

(ख) जबकि सहकारी क्षेत्र में औषध निर्माता कार्यकलाप को प्रोत्साहन देने के लिए इस समय इस मंत्रालय में कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और उससे संबंधित नीति का प्रश्न अधिकतर सरकार की सामान्य औद्योगिक नीति और उसे क्षेत्र के लिए उनके द्वारा भमिका के लिए की गई परिकल्पना पर आधारित होगा।

रेलवे विकास कार्यक्रम

4748. श्री के० मालन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सिफारिश पर 1978-79 से 1982-83 तक आगामी पांच वर्षों के लिए एक विस्तृत रेल विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए रेलवे का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस दल के सदस्य कौन कौन हैं और इसके कार्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम नीचे दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं:--

क्रम सं०	नाम और पद	प्रतिनिधि	
1.	श्री के० एस० राजन, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	रेल मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री एम० जी० नायर, निदेशक, रेलवे योजना	रेल मंत्रालय	सदस्य एवं आयोजक
3.	श्री एस० चट्टोपाध्याय, वि० का० अ०	ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)	सदस्य
4.	श्री बी० सिन्हा, संयुक्त सचिव	ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)	सदस्य
5.	श्री जी० बी० सिंह, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)	सदस्य
6.	श्री आर० के० डांग, संयुक्त सचिव	इस्पात व खान मंत्रालय	सदस्य
7.	श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निदेशक	उद्योग मंत्रालय	सदस्य
8.	श्री के० पी० सिंह, संयुक्त आयुक्त (संचलन)	कृषि व सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग)	सदस्य
9.	श्री एन० पी० वर्मा, संयुक्त आयुक्त (उर्वरक)	कृषि व सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य
10.	श्री एस० एम० केलकर, संयुक्त सचिव	पेट्रोल व रसायन मंत्रालय (रसायन व उर्वरक विभाग)	सदस्य
11.	श्रीमती लतासिंह, निदेशक		सदस्य
12.	श्री एस० केथारामन, कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वयन समिति	पेट्रोल व रसायन मंत्रालय (पेट्रोल विभाग)	सदस्य
13.	श्री एस० आर० शाह, निदेशक	वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
14.	श्री टी० वी० सुन्दरराजन, निदेशक परिवहन अनुसंधान	नौवहन व परिवहन मंत्रालय	सदस्य
15.	श्री एन० ए० ए० नारायणन, उप सचिव (परिवहन)	नौवहन व परिवहन मंत्रालय	सदस्य
16.	श्री एस० सी० मिश्र, अध्यक्ष (परिवहन)	योजना आयोग	सस्दय
17.	डा० एम० क्यू० डालवी०, यू० एन० डी० पी० सलाहकार	योजना आयोग	सस्दय
18.	डा० वाई० के० अलग, सलाहकार, सन्दर्भ योजना प्रभाग	योजना आयोग	सस्दय
19.	श्री आर० सी० शर्मा, संयुक्त निदेशक, परिवहन	योजना आयोग	सस्दय

2. रेलों पर कार्यकारी दल के लिए विचारणीय विषय निम्नलिखित है :—

(i) 1977-78 के अन्त तक रेलों की ढुलाई क्षमता तथा उसके उपयोग की समीक्षा करना जिसमें मन्द क्षमता की मात्रा तथा संचलन में स्थानिक रुप से खण्डीय और टर्मिनल अड़चनों पर प्रकाश डाला जायेगा ।

(ii) आगामी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के प्रत्येक वर्ष में माल यातायात के लिए परिवहन की आवश्यकताओं का यथार्थवादी आकलन करना । यह आकलन रेलों द्वारा ढोयी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं जैसे कोयला, इस्पात कारखानों के लिए तैयार इस्पात और कच्चा सामान, निर्यात के लिए लोह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, खाद्यान्न, पेट्रोल और तेल तथा स्नेहक, रेलवे का सामान तथा अन्य सामान्य माल के सम्बन्ध में किया जायेगा । परिवहन की आवश्यकताओं का आकलन प्रारम्भिक टन भार तथा मीटरिक टन किलोमीटर दोनों के अनुसार किया जा सकता है । ऐसा माल यातायात के प्रत्याशित प्रतिमान तथा वहन दूरी को ध्यान में रखकर किया जायेगा ।

(iii) आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि 1978-83 के प्रत्येक वर्ष में (क) उपनगरीय और (ख) अनुपनगरीय यात्री यातायात की आवश्यकताओं का आकलन करना । अनुपनगरीय यातायात के मामले में गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने तथा लम्बी दूरी के यात्री यातायात की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा ।

(iv) उपभोक्ता तरजीह, सेवा की लागत आदि के आधार पर रेल, सड़क परिवहन तथा तटीय जहाजरानी के लिए माल और यात्री यातायात निर्धारित करने के लिए नीति संरचना सम्बन्धी सुझाव देना ।

(v) आकलित यात्री और माल यातायात के लिए चल-स्टाक की आवश्यकता के अनुरुप पंचवर्षीय योजना 1978-83 की अवधि में रेलों के उत्पादन कारखानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में चल-स्टाक के उत्पादन के कार्यक्रम की सिफारिश करना ।

(vi) 1977-78 के अन्त तक उपलब्ध होने वाली क्षमता तथा यातायात की प्रक्षिप्त आवश्यकता को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजना अवधि 1978-83 के प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न योजना शीर्षकों जैसे चल-स्टाक, लाइन क्षमता के काम आदि के अन्तर्गत रेलवे का विकास कार्यक्रम तथा उन पर होने वाले व्यय को प्रतिपादित करना । चूंकि रेल परियोजनाओं के पूरा होने में लम्बा समय लगता है । इसलिए कार्यकारी दल इसे दस वर्ष की अवधि के परिप्रेक्ष्य में मान सकता है ।

(vii) संस्तुत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन में योजना अवधि के दौरान तथा उनके पूरा हो जाने के बाद कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों में होने वाली सम्भावित सीधी नियुक्तियों को श्रमिक दिनों में बनाना ।

(viii) पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए सभी प्रकार के सामान और उपस्कर की आवश्यकता बताना तथा यह बताना कि वे कितनी मात्रा में देशी साधनों से बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों से अलग-अलग प्राप्त हो सकेगा तथा कितनी मात्रा में निर्यात करना होगा ।

(ix) विकासात्मक रेल लाइनों में निवेश के सम्बन्ध में अपनाने के लिए नीति की सिफारिश करना ।

CONVERSION OF CHETAK EXPRESS INTO A SUPER EXPRESS TRAIN.

†4749. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the 'Chetak Express' train into Super Express train keeping in view the importance of Udaipur (Rajasthan) from historical, religious and tourism point of view;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard; and

(c) if not, the action being taken by Government to minimise the time taken by the Chetak Express at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Speeding up of 15/16 Chetak Express has not been found operationally feasible under the existing conditions of track and traction.

CONFIDENTIAL REPORTS OF X-RAY TECHNICIANS SPOILED

†4750. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Northern Railways the confidential Reports of those X-Ray technicians, who are transferred from one place to another frequently, are spoiled;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the reasons for doing such an injustice to the low paid X-Ray technicians of Firozepur division ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद को बोनस

4751. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड इलाहाबाद को मुगल सराए पर पार्सल उठाने धरने का ठेका देते समय उन्हें 4 प्रतिशत बोनस की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि सोसाइटी द्वारा मजदूरों को 1976-77 वर्ष के लिये अभी तक कोई बोनस नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस सोसाइटी का सर्वे-सर्वा केवल एक ही व्यक्ति है और इसे सचिव के लाभ के लिए चलाया जा रहा है/ थी और उसने आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक आय जमा कर ली है; और

(घ) सरकार का स्थिति को सुधारने के लिये और दलित वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे में, समझौते द्वारा एक श्रमिक सहकारी समिति को पार्सल सप्लाई ठेका देते समय, कार्य-निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की कुल संख्या तथा उस क्षेत्र के नैमित्तिक श्रमिकों की दर को ध्यान में रखते हुए, परिचालन की अलग-अलग मदों के लिए दरें निकाली जाती हैं। यह मात्रा दर 10 प्रतिशत निगरानी/पर्यवेक्षण प्रभारों और 4 प्रतिशत बोनस के कारण बढ़ा दी जाती है, जो वास्तव में सोसायटी द्वारा सोसायटी के लिए उपयोग किये जाने वाले मामूली लाभ की गुंजाईश की द्योतक है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

PROVISION OF RUNNING ROOMS AT STATIONS OTHER THAN JUNCTIONS

†4752. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the purpose of providing running rooms at the stations other than the Junctions is to minimise overtime to the running staff; and

(b) whether it is also a fact that these running rooms are not being utilised because of not changing the running staff ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. Running rooms are provided at stations to facilitate the running staff to take rest on completion of their duty.

(b) Most of the running rooms are utilised by the staff.

POST OF X-RAY TECHNICIAN IN BIKANER RAILWAY HOSPITAL

†4753. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a post of X-Ray technician in the scale of Rs. 330—560 in Bikaner Railway Hospital but the patients are being sent out from the Bikaner Railway Hospital regularly for getting themselves X-Rayed; and

(b) the number of free passes issued for them by the Railway Medical Department during the last three years and the total number of such passes issued to far and the financial loss suffered by the Railway Department thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. There was a post of X-Ray Technician in the scale of Rs. 330—560 in Bikaner Railway Hospital. The patients are not being sent out regularly from Bikaner for getting themselves X-rayed. However, whenever any X-ray machine of a railway hospital goes out of order, patients are and have to be referred to other Hospitals for getting themselves X-rayed.

11—1028LSS/77

(b) No passes were issued to the patients and there has been no financial losses on this account either.

OVER BRIDGE AT MADAN MAHAL RAILWAY CROSSING

†4754. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to construct an over bridge at Madan Mahal railway crossing in Jabalpur;

(b) the obstacles in the way of construction of this over bridge; and

(c) when this over bridge is likely to be constructed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Proposals for over-bridges are to be sponsored by the State Govt./Road Authority together with an undertaking by them to bear a portion of the cost as per extent rules. No proposal has so far been received from them for the construction of a road overbridge at Madan Mahal.

(c) Does not arise.

बम्बई से इटारसी, जबलपुर, इलाहाबाद होकर दिल्ली तक रेल गाड़ी का चलाया जाना

4755. **श्री शरद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से इटारसी-जबलपुर-इलाहाबाद होकर दिल्ली तक रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आगामी कुछ वर्षों में इस रेल लाइन पर एक नई रेलगाड़ी का चलाया जा सकना सम्भव होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) इस प्रकार की गाड़ी चलाना फिलहाल मार्गवर्ती लाइन क्षमता के अभाव और टर्मिनलों पर पर्यन्त सुविधाओं के अपर्याप्त होने के कारण परिचालन की दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

PROPOSAL TO INTRODUCE LOCAL TRAIN BETWEEN MEDAGHAT AND SIHORA IN JABALPUR

†4756. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to introduce a local train between Medaghat and Sihora in Jabalpur; and

(b) the time by which decision is likely to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन

4757. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग को, जो अधिक खनिजों की संभावना का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सर्वेक्षण कर रहा है, कोई रेलवे लाइन न होने की वजह से कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो रेल लाइन की कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या लाइनों के निर्माण के लिए उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर उनका मंत्रालय विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सीधी जिले में ऐसी रेल लाइन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) संसाधनों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में फिलहाल नयी लाइन के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग

4758. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आगामी कुछ वर्षों में देश में अल्कोहल पर आधारित उद्योग की स्थापना के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के विकास पर सिफारिशें करने के लिये फरवरी, 1977 में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस रिपोर्ट में आगामी कुछ वर्षों में उपलब्ध होने वाले अल्कोहल की अतिरिक्त मात्राओं को प्रयोग में लाने के लिए अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी गुंजाइश का संकेत किया गया है । रिपोर्ट में बतलाई गई गुंजाइश को ध्यान में रखकर अल्कोहल पर आधारित रसायनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्रों पर निर्णय किया जायेगा ।

सरकार ने आई० डी० पी० एल० को निकोटिनामाइट तथा अल्कोहल पर आधारित अन्य रसायनों के निर्माण के लिए बिहार में मुजफ्फरनगर नामक स्थान पर एक नये प्लांट,

जिस पर 898 लाख रुपयों का निवेश होना है, की स्थापना की स्वीकृति दे दी है । इस प्लांट में निम्नलिखित रसायनों के निर्माण का विचार है :—

रसायन	प्रस्तावित क्षमता /प्रति वर्ष (मी० टनों में)
1	2
निकोटिनामाइड	300
निकोटिनिक एसिड	500
एसिटलडिहाइड	7500
मिथायल ईथल पायरिडिन	1200
एसिटिक एसिड	4500

बल्क औषधियों का आयात

4759. **श्री गोविन्द मुंडा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी तथा कितनी मात्रा में 'बल्क' औषधों का आयात किया गया ;

(ख) इस अवधि में देश में किन-किन औषधों का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया तथा उनके उत्पादन के लिए मदवार कितनी मात्रा में कच्ची सामग्री का आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि आत्मनिर्भता तथा विदेशी मुद्रा के अभाव के नाम पर, उनके मंत्रालय के उच्च अधिकारी हमारे देश में बहुराष्ट्रीय फर्मों का उनकी गलत ढंग से अतिरंजित क्षमताओं को नियमित करके, पक्ष लेना चाहते हैं ; और

(घ) इन विदेशी फर्मों के साथ उदारता का व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मात्रा और मूल्य दर्शाते हुए जिन्स-वार आयात का प्रकाशन, महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना और सांख्यकी, कलकत्ता द्वारा उनके मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ फोरेन ट्रेड आफ इंडिया वोल्यूम-2 इम्पोर्टस नामक पुस्तिका में किया जाता है ।

(ख) इस समय देश में निर्मित प्रपुंज औषध के उत्पादन से संबंधित आंकड़े रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा जी० टी० डी० की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं । ये रिपोर्टें संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । प्रपुंज औषध-वार कच्चे माल के आयात के आंकड़े

रखने की कोई प्रथा नहीं है । इन प्रपुंज औषधों के निर्माण में योग किए जाने वाले आयातित रसायन कच्चे माल की संख्या सैकड़ों म है और ऐसे प्रपुंज औषधों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मद-वार ब्यौरे एकत्र करने में लगने वाला समय और परिश्रम इतना अधिक है कि उसको संभावित परिणामों के अनुरुप नहीं माना जा सकता।

(ग) और (घ) औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति की रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति 8-5-75 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी, में विदेशी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन किए जाने के मामले के बारे में सिफारिश की गई है इन सिफारिशों पर अग्रिम स्तर पर विचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय की घोषणा करने की सम्भावना है ।

कुनीन पर आधारित औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

4760. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुनीन पर आधारित औषधियों के मूल्य में 100 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी है, यदि हां, तो वृद्धि की यह अनुमति किन-किन औषधियों पर दी गई है और इसके क्या कारण है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि देश में मलेरिया के पुनः फैल जाने के कारण इस निर्णय का गरीब लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) कुनीन साल्ट्स का तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल, सरकारों, जिनके अपने सिनकोना बाग हैं के विभागीय कारखानों, द्वारा, उत्पादन किया जाता है। इन सरकारों ने शिकायत की है कि विश्व मार्केट में निर्यातों पर जितना मूल्य उन्हें मिलता है उसकी तुलना में उन्हें मई, 1975 में निर्धारित देशीय मूल्यों पर हरजाना नहीं मिलता और उन्हें अपनी उत्पादन लागत भी पूरी नहीं मिलती । नेशनल मलेरिया अरेडीकेशन प्रोग्राम की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में कुनीन साल्ट्स की अधिकतम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 28-9-77 को यह निर्णय लें लिया गया था कि विस्तृत लागत व तकनीकी जांच होने तक प्रत्येक इन लवणों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दोनों विभागों द्वारा वसूल की गई कम से कम निर्यात मूल्य के 75 प्रतिशत तक देश में अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाए ।

2. पहले विद्यमान बिक्री मूल्य आदि अब निर्धारित किए गए मूल्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	औषध का नाम	28-9-77 से पहले बिक्री मूल्य रुपये कि० ग्रा०	अब निर्धारित किए गए बिक्री मूल्य रुपये कि० ग्रा०
1.	कुनीन सल्फेट	420	788
2.	कुनीन एच० सी० एल०	479	1088
3.	कुनीन डिहीड्रोक्लाराइड	518	974

3. कुनीन साल्ट्स पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य अब स्वीकृति संशोधित मूल्यों के आधार पर पुनः निर्धारित किए जायेंगे ।

4. कुनीन साल्ट्स मलेरिया की बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं और देशी उत्पादन का बड़ा हिस्सा एन० एम० ई० पी० के अधीन एन्टी मलेरिया अभियान के लिए प्रयोग किया जाता है ।

5. क्लोराक्यून फोस्फेट जो चयन औषध है, का प्रयोग मलेरिया के अनुमानित इलाज के लिए किया जाता है। सीसी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला के आधार पर स्टेट कैमिक्लस एण्ड फार्मेस्यूटीकल लिमिटेड के 475 रुपये प्रति कि० ग्रा० के लिए वास्तविक मूल्य के स्थान पर इस औषध के बारे में वितरण 428 रुपये प्रति कि० ग्रा० के पूल्ड मूल्य पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता इस मूल महत्वपूर्ण औषध को सस्ते दाम पर प्राप्त कर सकें ।

6. कुनीन और उसके साल्ट्स की 1976-77 में कुल भीतरी खपत लगभग 8 मी० टन जबकि क्लोटोक्यून की 367 मी० टन की खपत थी । अत: प्रतिकुल प्रभाव की कोई आशंका नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पुनर्नियोजन

4761. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में सरकारी सेवा का प्राइवेट सैक्टर में पुनर्नियोजन प्राप्त हुआ है; और

(ख) उन पदों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जहां वे पुनर्नियोजित हुए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में, जिन्हें सरकारी नियोजन प्राप्त हो गया है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में जो प्राइवेट सैक्टरों में नियोजित हैं, भारत में रजिस्ट्रीकृत लगभग 46,000 कम्पनियों से संबंधित अभिलेख सरकार द्वारा इस रूप में नहीं रखे जाते हैं कि यह जानकारी इकट्ठी की जा सके। 46,000 कम्पनियों से इस जानकारी को इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उस परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगा जिसके प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

विगत चार महीनों के दौरान मारे गये तथा घायल हुए रेल कर्मचारी

4762. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत चार महीनों के दौरान बहुत से रेल कर्मचारी घायल हो गये थे तथा मारे गये थे जब कि ये कर्मचारी बोनस, महंगाई भत्ते का वेतन में विलय करने आदि की अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे ?

(ख) यदि हां, तो उन्होंने देश के सभी भागों में ऐसे कितने प्रदर्शन किये थे;

(ग) उनके प्रदर्शनों के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेल कर्मचारियों से उसी मांग पत्र पर विचार करने के लिये कहा है जो उन्होंने वर्तमान उद्योग मंत्री के नेतृत्व में वर्ष 1974 में सरकार के सम्मुख पेश किया था; और

(ङ) क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोई व्यक्ति नहीं मरा। हालांकि 22 सितम्बर, 1977 को दिल्ली में रेल कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच हुए झगड़े में 21 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) विभिन्न मांगों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में अनुबंध संलग्न है।

विवरण

6 सूची मांग पत्र के बकाया प्रश्नों से सम्बन्धित स्थिति

(1) बोनस : सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका व्यापक अध्ययन कर लेने के बाद ही सरकारी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के संबंध में विचार किया जायेगा।

(2) मंहगाई भत्ता : यह एक सामान्य मामला है जिस पर अकेले रेल मंत्रालय कोई विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ऐसा व्यापक मुद्दा है जिस पर सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए निर्णय लेना होगा। 1-9-77 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने की घोषणा सरकार 16-11-77 को पहले ही कर चुकी है।

(3) केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों में मिलने वाले वेतनों के साथ समानता : इस मद का बहुत कुछ संबंध वेतन, आय और कीमतों की नीति से है और इस पर सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा गहराई से विचार किया जा रहा है।

(4) नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करना : यद्यपि नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आदर्श स्थिति को तत्काल प्राप्त करना सम्भव नहीं है, फिर भी नियमित पदों पर समाहित किये जाने आदि के मामले के संबंध में नैमित्तिक श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की गयी है और की जा रही है।

(5) आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यानों की सप्लाई : जो मुद्दे उठाये गये हैं उन पर रेल मंत्रालय अकेला विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके संबंध में सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में सामूहिक निर्णय लेना होगा।

(6) रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये : रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि, सेवाओं की शर्तों के अनुसार पारम्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है। यद्यपि रेलें मूलतः एक जन-सेवा की प्रकृति की हैं, तथापि उनके सामाजिक एवं सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार उन्हें स्वयं चला रही है।

रेल कर्मचारियों द्वारा सरकारी दस्तावेज हटाये जाने का आरोप

4763. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों तथा पार्सल उतारते-चढ़ाने का ठेका प्राप्त एक सहकारी समिति के सेक्रेटरी द्वारा सरकारी दस्तावेज हटाये जाने के बारे में एक संसद् सदस्य से 14 अक्तूबर, 1977 की कोई शिकायत प्राप्त हुई है :

(ख) क्या उस शिकायत के साथ उक्त समिति के सेक्रेटरी के हस्तलिखित पत्रों की फोटो प्रतिलिपियां भी संलग्न है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सांठगांठ सिद्ध होती है जिसके कारण उनकी सरकारी गोपनीय बातों का पता चल जाता है;

(ग) क्या इसकी जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए सतर्कता और/अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इस मामले की पूरी पूरी जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद में कुलियों को नियमित करने का काम पुनः उसी प्रकार रोक देने रद्द कर देने का है जिसका संकेत सेक्रेटरी के पक्ष में लिखे गये पत्रों की फोटो प्रतिलिपियों में दिया गया है, जो अपने पिछले सम्बन्धों के कारण बहुत ही साधन सम्पन्न और प्रभावशाली बन चुका है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

AWARD OF CONTRACTS FOR TEA STALLS

4764. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the persons who have been awarded contracts for tea stalls and for the sale of other articles at railway stations since August, to date indicating the names of railway stations in this regard;

(b) the procedure followed for awarding contracts for the sale of articles at railway stations and in trains;

(c) whether the policy adopted in this regard during the congress rule is still being followed or whether any changes have been made therein;

(d) whether orders have also been given direct by Railway Board in some cases; and

(e) if so, the details of such cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(b) Applications are invited through press notifications and notices displayed at conspicuous places at railway stations. The applications are then scrutinised by a Screening Committee consisting of 2 or more officers taking into consideration, the suitability, experience, financial standing etc. of the candidates. The Screening Committee recommends suitable candidates on merit to the competent authority, who after taking into consideration the recommendation of Screening Committee, awards the contract to the most suitable person.

(c) There is no change in the policy referred to in the reply to part (b) of the Question.

(d) & (e). Catering/vending contracts are not allowed by the Railway Board.

In case of complaints or if some irregularities come to notice, suitable action is taken by the Board including reversing of the decision of the Railway Administration. There is no case of direct allotment by the Board without going through the normal procedure.

रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण

4765. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा तथा अन्य स्थानों में सार्वजनिक सरकारी खर्चे पर किन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) क्या किसी अधिकारी को उसकी आयु सीमा के बाद प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसा उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही ह और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

SALE OF ARTICLES AT RAILWAY STATIONS

4766. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the policy laid down during the tenure of the former Railway Minister, Late Shri Lalit Narayan Mishra for the sale of articles at Railway Stations was changed;

(b) the details of the changes made in the policy and whether the changes were not approved by the former Railway Minister, Shri Kamlapati Tripathi;

(c) the policy followed at present for giving such contracts and the decision taken in regard to the cases of the persons who were given contracts by the former Minister direct under his orders; and

(d) whether Government propose to formulate such a policy under which the corruption prevalent in giving contracts and the practice of bribing is put to an end ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes, a change was made in respect of the tenure of Catering and Vending contracts.

(b) Prior to 1973, the catering and vending contracts were allotted for a term of three years in the case of Refreshment rooms and vending contracts and for a term of five years in the case of Restaurant and dining/pantry/buffet cars. If the performance was satisfactory, these contracts were renewed from time to time.

In the year 1973, when late Shri Lalit Narayan Mishra was Minister for Railways, it was decided that after a contractor had completed two terms *i.e.* 6 years in the case of vending contracts and Refreshment Rooms and 10 years in the Restaurant and Dining/Pantry/Buffet cars, the contracts should not be renewed automatically but fresh applications should be invited irrespective of the contractors' performance and normal procedure followed to award the contract. The existing contractors were also eligible to apply. In the year 1975, the whole policy was reviewed and with the approval of the then Minister foi Railways, Shri Kamlapati Tripathi the procedure in force prior to 1973 was reintroduced.

(c) For the award of catering/vending contracts, applications are invited through press notifications and notices displayed at conspicuous places at railway stations. The applications are then scrutinised by a Screening Committee consisting of 2 or more officers taking into consideration, the suitability, experience, financial standing etc. of the candidates. The Screening Committee recommends suitable candidates on merit to the competent authority, who after taking into consideration the recommendation of the Screening Committee, awards the contract to the most suiable person.

Detailed investigations into catering contracts at various stations in Bombay area including those which were allotted under the direct orders of the former Minister of Railways are still under investigation by the Vigilance Dirctorate of the Railway Ministry. It has been decided to maintain 'status quo' till the enquiries are completed.

(d) No change in the present procedure of awarding catering/vending contracts is contemplated as this is functioning satisfactorily.

मंत्री का परिचय

MINISTER INTRODUCED

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धन्ना सिंह गुलशन का परिचय सदन से कराता हूं।

गृह मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE-QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE HOME MINISTER

श्री वयालार रवि : गृह मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। यह शिकायत कि टेलीफोनों को सुना जाता है जनता पार्टी के सदस्यों यहां तक कि रक्षा मंत्री की ओर से आई है। आप इस मामले को गृह मंत्री के पास टिप्पणी के लिए भेजा है। मेरा अनुरोध है कितनी गम्भीर बात पर आप अपना निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व अध्यक्ष के पूर्व निदेश के अनुसार उसे गृह मंत्री के पास भेजा जा रहा है उनकी टिप्पणी आने पर उस पर विचार करूंगा।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने स्वयं इस मामले की जांच की है। यह सब आरोप गलत है। टेलीफोन व्यवस्था में कुछ खराबी थी। टलीफोन सुनने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : हमारे दल के सदस्यों की बात सुनी जाती है और उनके टेली-फोन सुने जाते हैं। तथा पीछा किया जाता है। प्रधान मंत्री इसे गंभीरता से लें।

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना गलत है कि मैंने इससे गम्भीरता से नहीं लिया है। कार्यभार संभालते ही मैंने जिनके फोन सुने जाएं उनकी सूची मांगी थी और उसमें बिना मेरी अनुमति के और नाम जोड़ने से मना कर दिया था। उस सूची को मैंने देखा है और ऐसा कुछ होने का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय को समय आने पर लेंगे।

श्री ए० बाला पजनौर : प्रधान मंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। बहुत से राज्यों में राज्य सरकारें लगभग 16 लोगों की राजनीतिक बातों को टेलीफोन पर सुनती हैं और उन पर निगरानी रखती है। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री हमें स्वतंत्रता का आश्वासन दें।

श्री मोरारजी देसाई : यदि किसी व्यक्ति के टेलीफोन सुने जाते हैं तो वह स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा जाता वरन स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अब प्रधान मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया है तब आप अपना निर्णय गृह मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा करे बिना दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (44TH AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : संविधान (44वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा और मतदान होने के कारण कार्यसूची में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब ध्यानाकर्षण अन्त में आधे घंटे की चर्चा से पहले लिया जाएगा। मैंने नियम 377 के अंतर्गत कुछ सदस्यों को चर्चा उठाने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कुछ सदस्यों का सुझाव है कि मतदान 4 वजे हो।

श्री वयालार रवि : मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं परन्तु हमारा एक सुझाव है कि चर्चा के समाप्त होते ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

CHOWDHRY BALBIR SINGH: My basic objection to the 42nd Amendment is that it was made during the extended term of the Fifth Lok Sabha which was illegal. If that amendment is challenged in a court of law it will be declared void.

As regards the inclusion of the words "socialist and secular" in Preamble, it is meaningless. There are countries in the world which call themselves democratic republics yet the people of these countries want to run away from there. In our constitution it is provided that education will be compulsory. But what we find after 30 years is that the number of illiterates have gone up. Similarly, there is a provision in the constitution regarding prohibition. But we find to-day that the number of wine addicts has gone up. Therefore, mere change in nomenclature is not going to help us.

What was done during the Emergency is a very sordid tale. Houses were pulled down, 'samadhis' were demolished and temples were razed to the ground simply because land could be found for the use of the relatives of the then Defence Minister.

The election of 1977 was not an ordinary election; it was a referendum in which the people have given the verdict that they are against the outrageous amendments made in the constitution by Shrimati Gandhi and therefore, all these amendments should be nullified.

श्री ओ० वी० अलगेसन : यह आलोचना की गई कि यह विधेयक सदन में टुकड़े करके रखा जा रहा है । इस महत्वपूर्ण कार्य को, दो किस्तों में लाने से मुझे कोई खराबी इसमें नजर नहीं आती । बिधि मन्त्री ने वचन दिया है कि वह 42वें संशोधन के अन्य सभी पहलुओं को बाद में व्यापक रूप में लायेंगे हम इसके लिए सहमत हो गये हैं ।

कल सदन में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है । इस विधेयक के समर्थन में विपक्ष का सम्पूर्ण समर्थन मिला है । लेकिन इस सहयोग से हमें क्या मिला ? हमारा निरादार हुआ । हमें गालियां दी गईं । एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि इस पर मतदान करते समय हमने सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया और कि हम बदले की भावना से यह कर रहे हैं । क्या सत्ताधारी दल को विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ? हमने 42वें संशोधन की इसलिये जांच आरम्भ की क्योंकि देश में आम चुनावों के कारण जनमत ही बदल गया है । अतः हमें सरकार के प्रस्तावों से पहले ही इसकी जांच करनी पड़ी । कांग्रेस पार्टी ने यह किया है लेकिन जिस तरह से कल सत्ताधारी दल ने हमारे साथ व्यवहार किया हमारा बड़ा कटु अनुभव रहेगा । मुझे आशा है भविष्य में सत्ताधारी दल ठीक और उचित व्यवहार करेगा ।

आपात स्थिति के मामले में भी हमारा यही मत रहा है कि हम आन्तरिक आपात स्थिति भी नहीं चाहते हैं । इस सम्बन्ध में सरकार का यह प्रस्ताव है कि भारत के किसी भाग या क्षेत्र में सशस्त्र क्रांति होने पर ही आपात स्थिति लागू की जायगी । हमतो इस पर भी सहमत नहीं हैं । हम यह महसूस करते हैं कि जिस उपबन्ध के कारण पिछली सरकार ने आपात स्थिति लगाई और जिससे अवांछित परिणाम निकले वे संविधान या सांविध पुस्तक में नहीं आने चाहिएं ।

कल यह कहा गया था कि पिछली सरकार ने न्यायपालिका का अनादर किया और इसकी स्वतन्त्रता समाप्त की । लेकिन न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी किसी और ने नहीं की । न्यायापालिका की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता उसी के हाथों में है । न्यायपालिका तथा उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को यह देखना चाहिए कि वे अपने क्रियात्मक स्तर को बनाये रखे और अपनी प्रतिष्ठा का किसी तरह से निरादर न होने दें । यह काम संसद का नहीं है चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो । संसद न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भंग नहीं कर सकती ।

न्यायपालिका विशेषकर उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कार्यात्मक स्तर को बनाये रखे और अपनी प्रतिष्ठा का किसी तरह से निरादर न होने दें। संसद चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो वह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को भंग नहीं कर सकती।

फिर अनुच्छेद 31(घ) को अत्यन्त कठोर उपबन्ध के रूप में रखा गया है। यदि यह उपबन्ध आवश्यक समझा गया है तो इसलिये क्योंकि 30 वर्ष के बाद भी इस देश में पृथकतावादी तत्व कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें सतर्क होना पड़ा और सतर्क होना पड़ेगा। अनुच्छेद 31(घ) के पीछे यही तर्क है। यदि विधि मंत्री यह आश्वासन दें कि अवैध गतिविधियां निवारण अधिनियम पृथकतावादी तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त होगा तो हमें सन्तोष हो जायगा।

फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : During emergency our democratic structure was badly mauled and the 42nd Amendment has been used as an instrument of excesses. Now after the mandate given by the people of the country in the last General Elections the Janata Party has not only to rescind the abnormous provision of the 42nd Amendment, but also has to take such steps whereby democracy could flourish in this country in the days to come.

So far as the question of amendment in the fundamental rights is concerned, the Supreme Court in the Keshvanand Bharati case has given the verdict that while they can be amended the basic structure of the Constitution can not be changed. Now as regards basic structure, in my opinion, the fundamental rights are its essential Part. Therefore these rights shall have to be restored. But unfortunately we have not been able to do it in this present Bill. It is, therefore, necessary that whenever an amendment is brought forth in future this would be taken care of.

The most important feature of this Bill is that it seeks to do away with the provision made in the Constitution in respect of the anti-national activities. A new clause 31-D, which has been added by the 42nd Amendment is being deleted. This is a welcome step.

Secondly this Bill seeks to restore jurisdiction and independence of the High Courts and the Supreme Court. This is also a welcome step. But it would have been still better if a comprehensive Bill is brought to restore the independence of Judiciary.

As regards the role of opposition, we want to give it all importance and respect. This is rather essential in a democracy. At the same time the opposition should also realise that they should not indulge in unwarranted and unnecessary criticism of the Government. Articles 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 and 32 in the Fundamental Rights Chapter are the foundation on which our democratic structure is standing. It is a base of our democracy. We should, therefore, ensure that they are not amended in future.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : I can only half heartedly congratulate the Law Minister for bring this very small piece of amendment. But I congratulate the Congress Members whole-heartedly for supporting this Bill. I would also like to dissociate myself from the criticism that has been made about their conduct, since they have now realised their past mistake and are now prepared to make amend, for it they deserve all praise.

The Janata Party in their election manifesto has clearly declared. "As a party wedded to the ideals of freedom and democracy it believes that fearlessness is of the essence. It will, therefore, take immediately steps to free the people from the bondage of fear and restore them the fundamental freedom and to the Judiciary its rightful role. To generate fearlessness and to revive democracy the Janata Party Government will seek to rescind the 42nd amendment. In view of this assurance given to the people Government should have brought forward a Comprehensive Bill annulling the 42nd Amendment in full. Even if such a Bill could not be passed for lack of support

from the Congress, at least the people would know that we have made an attempt in the promised direction.

We are very much against the manner in which the 42nd Amendment has been passed and we condemn it. We, therefore, demand that the whole of the amendment should be repleaded. It is not proper to return name of the provisions on the ground that they are good. After all they have been passed by adopting a wrong course. It is, therefore, necessary that a comprehensive amendment Bill is brought before this House soon whereby the whole of the 42nd Amendment is repealed.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : विपक्ष को बोलने के लिए समुचित समय दिया जाना चाहिए । मैं दोपहर के भोजन काल के दौरान नहीं बोलूंगा । क्योंकि उस समय सदन में कोई सदस्य होगा ही नहीं । आप विपक्ष के बिना ही इसे पास कर सकते हैं अतः मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री अरबिन्द बाला पजनोर (पांडिचेरी) : यहां बोलना हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को समय दिया जायगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : अन्त में हमें एक-एक-दो-दो मिनट का समय दिया जायगा ।

श्री सुशील कुमार धारा (तामलुक) : इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय में पूर्ण बेंच गठित की गई थी । जिसे भंग कर दिया गया है । अब पता नहीं यह कब गठित होगी ।

अनुच्छेद 31(घ) राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और राष्ट्रविरोधी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए है । यदि बहुमत में आने वाले लोगों की कोई अन्य धारणा या उद्देश्य हो तो वे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रविरोधी घोषित कर सकते हैं । वे किसी भी संस्था को राष्ट्र विरोधी कह सकते हैं । अतः इस अनुच्छेद का निरसन किया जाना ही उचित है ।

संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में राजधानी में एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी उस समय हुई थी जब हम जेल में थे । उस विचार गोष्ठी में आचार्य कृपलानी ने कहा था कि 42वां संशोधन संविधान में सुधार करता है और न ही कोई संशोधन करता है बल्कि यह उसे समाप्त करता है यह सच है कि 42वें संशोधन के दौरान कांग्रेस प्रशासन ने संविधान का अन्त ही कर दिया था । अतः यह संशोधन समाप्त कर दिया जाना चाहिए हमारे विधि मंत्री द्वारा यह विधेयक लाया जाना उचित ही है और इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री रागावलू मोहनरंगम (चेंगलपट्ट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में यह संशोधन आवश्यक है । संविधान वैधानिक दस्तावेज ही नहीं बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज भी है जिसमें जन साधारण की इच्छायें और आकांक्षाएं परिलक्षित होनी चाहिए और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का साधन होना चाहिए ।

अनुच्छेद 31(घ) का लोप किया जाना आवश्यक है । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी वैधानिक कार्मिक संघ अथवा राजनीतिक गतिविधियों के लिए कार्यवाही की जा सकती है । अहिंसक प्रदर्शन और कर्मचारियों की उचित मांगें भी इस अनुच्छेद के तहत आती हैं । राष्ट्रविरोधी कामों में लगे लोगों से निपटने के लिए वर्तमान विधान पर्याप्त है ।

अनुच्छेद 131(क) के द्वारा उच्चतम न्यायालय को ही यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्रीय कानों की वैधता पर विचार कर सके । मुझे प्रसन्नता है कि विधि मंत्री इस उपबन्ध को भी समाप्त कर रहे हैं । अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

आपात काल के दौरान 42वें सशोधन विधेयक के द्वारा जितने भी संशोधन किए गए हैं उन्हें तुरन्त समाप्त कर दिया जाय क्यों न्याय विलम्ब करना न्याय न देने के बराबर ही है ।

न्यायालयों में पड़े सभी मामले शीघ्रता से निपटाए जाने चाहिऐं । उच्चतम न्यायालय में हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं । अतः इन सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए और अधिक न्यायधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिएं ।

SHRI GANGA SINGH (Mandi) : Sir, The Constitution of a country is the most important document. Our Constitution was framed in two years. It is, therefore necessary that any amendment to it is made after careful consideration.

As regards the 42nd Amendment, it was made at a time when the normal term of Parliament had expired and we were lining under very extraordinary conditions. There was no proper discussion on the amendment either in the Parliament or outside. During the elections the main issue we had put before the people was that we shall do away with this amendment. This Bill has been brought forward in accordance with that promise. So it is a welcome step.

The Parliament should be the political mirror of the country. It should represent the feelings of the people. Unfortunately in our country while the Lok Sabha represents the feelings of the people the Rajya Sabha lagged behind in this respect. It is because this is a permanent body, one-third of its members retiring every two years. In order to make Rajya Sabha truly representative of public opinion it is necessary that at least fifty per cent of its members retired immediately after Lok Sabha elections so that at least fifty per cent new blood could come in.

In the 42nd Amendment the most objectionable provision was Article 31D, under which all dissent has been shut down. The Government deserves to be congratulated for deleting these provisions.

The other thing which has been done in the 42nd Amendment is to do away with Judicial review. This power should be restored to the Supreme Court. There is no such provision in this present Bill. I hope Government will do it when a comprehensive amendment Bill is brought forward.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अध्यक्ष महोदय इस सदन की यह परम्परा रही है कि विपक्ष को एक विशेष दर्जा दिया जाता है । वाद विवाद आरम्भ करने के लिए विपक्ष को ही बुलाया जाता है । लेकिन इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान इस परम्परा का उल्लंघन किया गया है और वाद-विवाद आरम्भ करने के लिए सत्ताधारी दल को ही बुलाया गया है । अतः विभिन्न दलों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया जाना चाहिए ।

श्री ओ० वी० अलगेसन : हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है · · · · ·
(व्यवधान)

श्री पी० जी० मावलंकर : विपक्ष को अधिक समय मिलता रहा है और सत्ताधारी दल के सदस्यों को कम समय मिलता रहा है क्योंकि मन्त्री महोदय के भाषण में सत्ताधारी दल के विचार समविष्ट होते हैं अतः समय पर राशन नहीं लगाया जाय।

श्री सी० एम० स्टीफन : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मेरे दल ने अधिक समय लिया है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे कोई रियायत नहीं मांगता सारा समय जनता पार्टी को ही दे दिया जाय। हम और अधिक नहीं बोलेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरंचीकील) : सदन में पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष आया है। इस सदन में कुछ परम्पराओं का पालन किया जाता रहा है कि विपक्ष को बोलने के लिए अधिक समय मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा यदि सदस्य समय का पालन करें। कई सदस्य तो मेरे घंटी बजाने के बाद तक भी बोलते रहते हैं...... (व्यवधान)

श्री वी० अरुणाचलम (तिरूनेलवेली) : परम्परा तोड़ने का आरोप लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय इस आरोप पर अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि किसी भी परम्परा का उल्लघंन नहीं किया गया है। हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब संसद में अनेक छोटे-2 ग्रुप हुआ करते थे उस समय यह परम्परा थी कि सभी विरोधी ग्रुपों को चर्चा आरम्भ करने का अवसर दिया जाता था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यहां तो प्रत्येक व्यक्ति अलग से बोलना चाहता है।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमान यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री स्टीफन तथा कुछ अन्य सदस्यों को यह भ्रम हो गया है कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार विरोधी दलों को पूर्ण अवसर देने के लिए तैयार है। वास्तव में हम उन सभी परम्पराओं को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का भ्रम दूर हो गया होगा।

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar) : Sir, the Government deserves congratulations for undoing a portion of the Forty-Second Amendment Act through this Bill. As a matter of fact, the Forty Second Amendment was a halt on our democratic set up.

This obnoxious amendment was brought about to curb personal liberty, put an end to the independence of judiciary, and to perpetuate one person's rule in the country. By this amendment not only the judiciary's independence was curtailed, but even the Judges of the Supreme Court and High Courts were made to deliver their judgement in accordance with the wishes of the Government.

After the bitter experience of arbitrary rule during Emergency, the question before the country to consider is whether there should be a Government with unbriddled powers which could do anything it liked? What balancing powers should be enjoyed by the Parliament and the Judiciary in a democracy? Is the Parliament empowered to destroy the basic structure of the Constitution? In the next amending Bill, the Government should specifically clarify these things and enumerate the changes that can be made by the Parliament.

I welcome the deletion of the clause introduced by the previous Government about anti-national activities. As a matter of fact, this clause was introduced by that Government to strike terror and let loose refression on the people for meeting its own selfish ends.

The last general elections have proved beyond any doubt that absolute power rests only with the people and the people have given their clear verdict on the 42nd Amendment. So I want to submit that the Minister should bring a comprehensive Bill in the next Session so as to remove this blot.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : 42वां संशोधन आपातकालीन प्रशासन का बड़ा ही बदसूरत बच्चा है। यह मनमाने प्रशासन की बहुत की कुटिल और विकृत उपज है। आपातस्थिति के बाद संविधान की भावना का हनन कर दिया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में संशोधन ही नहीं किया था वरन् उसे समाप्त ही कर दिया गया था। पिछली सरकार ने पांचवीं लोक सभा में सामान्य संवैधानिक सरकार के सभी स्वरूपों पर विराम लगा दिया था। इसलिए अब विधि मन्त्री को चाहिए कि वे समूचे 42वें संविधान संशोधन को विधि पुस्तिका से हटा दें।

सैंकड़ों लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उसका कहना है कि 42वां संशोधन पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी यही कहा गया था। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को एक कठपुतली मात्र बना दिया गया और न्यायपालिका को कार्यपालिका के हाथ का खिलौना और लोगों को संसद का गुलाम। क्या सरकार इसे संविधान में बनाए रखना चाहती है ?

विधि मन्त्री और जनता पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि इसकी अच्छी बातों को न हटाया जाए। श्रीमति गांधी काफी चतुर थीं और उन्होंने इसमें ऊपर से अच्छी लगने वाली कुछ बातें भी रख दी थीं। पर हम उन्हें भी क्योंकर रखें ? साधन और साध्य साथ-साथ चलने चाहिएं। सरकार का निश्चय वैधानिक दृष्टि से सही और तकनीकी रूप से ठोस हो सकता है परन्तु यह नैतिकता की दृष्टि से अवांछनीय और राजनीतिक दृष्टि से अबुद्धिमत्तापूर्ण है। सरकार उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में कम से कम एक पैरा ऐसा क्यों-नहीं जोड़ देती कि 42वां संशोधन अमुक कारणों से गलत था और सरकार छोटे-छोटे विधान नहीं लाएगी। विधि मन्त्री के वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है।

सभी यह मानते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। परन्तु इसके स्थान और स्वतंत्रता को सर्वथा बिगाड़ दिया गया और अन्ततः समाप्त ही कर दिया

गया । इसलिए यह प्रसन्नता की बात है कि उसे उसका उचित स्थान फिर से दिया जा रहा है । अनुच्छेद 226 को यथाशीघ्र ठीक किया जाना चाहिए। बहुसंख्यक न्यायाधीशों के निर्णय का उपबन्ध बड़ा हास्यस्पद है ।

राष्ट्र विरोधी अनुच्छेद 31घ का लोप करने के लिए विधि मन्त्री बधाई के पात्र हैं । निश्चय ही यह अनुच्छेद काफी आपत्तिजनक था ।

श्री राम जेठमलानी : मैं अनिच्छे से विधेयक का समर्थन करता हूं । जनता सरकार अब 42वें संशोधन में कुछ गुण दोष खोज रही है जिन्हें चुनाव के समय हमने नहीं देखा। 42वें संशोधन में खराबी के अलावा और कुछ नहीं है । यह केवल अत्याचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था । कानूनी सहायता देने का कांग्रेसियों को बड़ा घमण्ड था और हमारे विधि मन्त्री भी उससे प्रभावित हो गए हैं । पिछले 75 वर्ष से हम गरीबों को कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर चर्चा करते आ रहे हैं । एक के बाद एक आयोग ने इस पर विचार किया है । 1973 के पहले वर्षों में और आपात काल के दौरान भी कानूनी सहायता देने का उपयोग न्यायाधीशों ने निःशुल्क यातायात व्यय लेने में किया तथा इसका उपयोग श्रीमति इन्दिरा गांधी ने विरोधी वकीलों को बदनाम करने के लिए किया । इसका उपयोग सत्ताधारी दल की राजनीतिक सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए भी किया गया । इसलिए मेरा विचार है कि यदि हम कुछ सीमित विधानों के लिए कांग्रेस का सहयोग लेते हैं, तो हम बुराई के साथ समझौता करते हैं ।

श्री ए० बाला पिजनौर : श्रीमान जी प्रायः किसी भी सदस्य को सदन में किसी प्रकार की छड़ी आदि लाने की अनुमति नहीं होती है । परन्तु श्री राजनारायण प्रायः अपनी लोहे की छड़ी सदन में साथ लाते हैं । मैं भी अपनी छड़ी साथ लाना चाहता हूं क्योंकि मैं उसके बिना चल नहीं सकता । आप कृपया इसके बारे में अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बाद में विचार करूंगा ।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : सदन के लगभग सभी सदस्यों ने चर्चा में जो अभूतपूर्व रुचि दिखाई है और जो विभिन्न सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । मैंने अभी श्री मावलंकर तथा श्री जेठमालानी के भाषणों तथा तर्कों को भी सुना । 42वें संशोधन को बदसूरत बच्चे की संज्ञा दी गई है ··· (व्यवधान)

श्री शांति भूषण : निदेशक सिद्धान्त अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते । हमें सोचना चाहिये कि इनके उद्देश्य क्या हैं । किसी भी सदस्य ने जोड़े गये निदेशक सिद्धांतों के बारे एक भी शब्द नहीं कहा है । मैं सभा के विचारार्थ कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया गया है, वह की गयी कल्पनाओं के विपरीत है। इन संशोधनों को लाने का उद्देश्य यह है कि अनेक सदस्यों ने इस सम्बन्ध में हुई वार्ता का सराहना की है । हम अन्य दलों द्वारा कुछ समय पहले की गई कुछ गलतियों को भी ठीक करना चाहते हैं और साथ-साथ स्वस्थ परम्परायें भी पैदा करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे इस कदम की सराहना की है ।

यह पहली सरकार है जिसने विरोधी दल के नेताओं का सम्मान किया है और केबिनेट मंत्रियों की सुविधायें दी हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम विरोधी दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी सिद्धान्तों के अनुसार ही काम करेगी। हम विरोधी दलों से वार्ता भी करना चाहते हैं और अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम भी करना चाहते हैं। इसीलिये हम दो विधेयक ला रहे हैं। एक विधेयक वह है जिसके बारे में कोई मतभेद नहीं। हम केवल अपने बचनों को ही पूरा नहीं करना चाहते बल्कि संविधान संशोधन करते समय आपत्तिजनक प्रावधान भी हटाना चाहते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : दो विधेयक क्यों लाये जायेंगे ? एक ही विस्तृत विधेयक लाने के लिये हम वचनबद्ध हैं।

श्री वयालार रवि : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने वार्ता इस आधार पर नहीं की कि हम इस अथवा उस सदन में बहुमत मे हैं। हमारा यह रवैया इस कारण नहीं है कि उस सदन में हमारा बहुमत है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री शांति भूषण : ऐसे मामलों में इस या उस सदन में बहुमत का प्रश्न नहीं उठता। बातचीत का आधार प्रजातांत्रिक ही है। अतः मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी प्रकार की ब्लैकमेल का परिणाम नहीं है।

कहा गया है कि 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को एक कठपुतली बना दिया है। यह सर्वविदित है कि पंडित नेहरू के समय में जब डा० राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, यह विवाद उठा था। उस समय दो महान संविधान विशेष सर्वश्री शीतलवाद और कृष्णस्वामी अय्यर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की वह स्थिति नहीं है जो राज्यपाल की राज्य में है। राष्ट्रपति एक सांवैधानिक राजाध्यक्ष मात्र है जिसे मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करना पड़ता है। 42वें संशोधन के बाद भी यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों वाली पीठ के सामने गया था जिसने एक मत से यह निष्कर्ष निकाला का भारत का राष्ट्रपति मात्र राज्याध्यक्ष है और वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करने को बाध्य है। अतः 42वें संशोधन से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक का समर्थन करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मतदान 4 बजे होगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड सिंहभूम का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम, बिहार के वर्ष 1976—77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम, बिहार का वर्ष 1976—77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1407/77]

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबंध स्कीम) 1970 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 पर चर्चा के दौरान 5 दिसम्बर, 1977 को वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध स्कीम), 1970 के खण्ड 3 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या एफ० 9/33/77 बी० ओ० आई० ।

(दो) केनरा बैंक के निदेशक की नियुक्ति के बारे में दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या एफ० 9/26/77 बी० आई० ओ० ।

(तीन) सिंडिकेट बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या एफ० 9/29/77-बी० ओ० आई० ।

(चार) यूनियन बैंक ग्राफ इण्डिया के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या एफ०/9/30/77 बी० ग्रो० ग्राई० ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1410/77]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्नों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है ग्रौर इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1411/77]

रेलवे में भर्ती तथा पदोन्नति हेतु ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जनजातियों के के लिए ग्रारक्षित स्थानों के बारे में प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए ग्रर्द्ध वर्ष के लिये रेलवें में भर्ती तथा पदोन्नति ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जनजातियों के लिये ग्रारक्षित स्थानों पर उनकी नियुक्ति के बारे में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1416/77]

लोक प्रतिनिधित्व ग्रधिनियम, 1950 के ग्रन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) तीसरा संशोधन ग्रादेश, 1977 तथा उसके ग्रन्तर्गत जारी ग्रधिसूचनाएं

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV) : I beg to lay on the Table :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व ग्रधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) तीसरा संशोधन ग्रादेश 1977 (हिंदी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 दिसम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 735(ङ) में प्रकाशित हुग्रा था ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1417/77]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 789 (ङ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान-सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की अनुसूची 28 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं ।

(दो) सां० आ० 791 (ङ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान-सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 21 में निर्वाचन क्षेत्रों के वर्णन में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल० सं० टी० 1418/77]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

37वां, 39वां, 57वां, 60वां और 61वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) फरक्का बांध परियोजना पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 196वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन ।

(2) तूतीकोरिन में नई बन्दरगाह पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 208वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 39वां प्रतिवेदन ।

(3) रेल परिचालन और व्यय पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 224वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 57वां प्रतिवेदन ।

(4) रक्षा सेवाओं पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 23वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 59वां प्रतिवेदन ।

(5) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 225वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 60वां प्रतिवेदन ।

(6) निगम कर और आयकर—एक समीक्षा—पर समिति (पांचवीं लोक सभा) के 186वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 61वां प्रतिवेदन ।

विधेयक–पुरःस्थापित
Bills--Introduced

विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक,

Electricity (Supply) amendment bill

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक

CUSTOM TARIFF (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सतीश अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक—जारी

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL—Contd.

श्री ओ० वी० अलगेसन (अर्कोनाम) **:** श्री छागला ने गुजरात उच न्यायालय के न्यायाधीश ए० डी० देसाई की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की निन्दा की है। श्री वी० एम० तारकुण्डे के सभापतित्व में उच्चतम न्यायालय बार संघ ने भी उनकी नियुक्ति पर असहमति प्रकट की है। यदि कभी मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में लिया जाए तो दूसरे स्थान पर न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना थी। परन्तु यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और इसलिए यह नियुक्ति की गई। यदि ऐसी बात है तो यह स्थिति बड़ी ही खेदजनक है।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कारण बताया है कि काम का भार बहुत बढ़ गया है। यह ऐसा घिसा पिटा तर्क है जो हर बार सरकार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते समय देती है। इतना पिछड़ने के क्या कारण हैं इसका कोई उल्लेख नहीं किया

गया है । यह कहा गया है कि न्यायाधीश 4-1/2 घण्टे काम करें और अवकाश लम्बे न हों। यह बहुत ही उचित प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार को देना चाहिए । कोई तब तथ्यों को यह कह कर नहीं छिपा सकता कि न्यायाधीश प्रतिष्ठित लोग हैं और उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता । हमें यह कहने का पूरा अधिकार है कि न्यायाधीश प्रतिदिन एक निश्चित घण्टे तक काम करें ।

उच्च न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की भर्ती होती है। यह एक चिन्ता की बात है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता और व्यक्तित्व अपेक्षा से कम होता है ।

दूसरे उच्च न्यायालयों की बहुत सी प्रक्रियाएं स्वस्थ नहीं हैं । बार के प्रति वहां तनिक भी आदर नहीं है भाई-भतीजावाद और पक्षपात खुले रूप में बरता जाता है। कुछ मामलों में बड़ी कम आयु के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है । वे उस पीठ पर 20 वर्ष से भी अधिक समय तक बैठेंगे। क्या एक ही आदमी का उसी पीठ पर कई दशक तक बैठना स्वस्थ परम्परा है ?

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में काम का भार कम करने के लिए श्रम न्यायाधिकरणों का सुझाव दिया गया । 42वें संशोधन में यह विचार रखना कोई बुरा काम नहीं था । इससे सरकार उच्चतम न्यायालय के काम को बड़ी सीमा तक कम कर सकेगी।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थना करता हूं । यह सच है कि न्यायालय में न्यायाधीन पड़े मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा कुछ मुकदमे निपटाए जा सकते हैं । लेकिन किस हद तक मुकदमे निपटाए जा सकते हैं यह कई बातों पर निर्भर है । केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना ही समुचित नहीं है बहुत हद तक यह कार्य उनकी योग्यता पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त काम के स्वरूप, उसकी मात्रा तथा न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके पर भी यह निर्भर है ।

यह निर्विवाद है कि उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक प्रतिभावान लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता है । किसी न किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस पद को लेने पर समुचित आर्थिक लाभ नहीं होता । जब तक समुचित आर्थिक लाभ नहीं दिए जाएंगे देश में अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए आकर्षित नहीं होंगे ।

वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उत्तम बात यह होगी कि विद्यमान ढांचे के अन्तर्गत ही कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे सर्वोच्च न्यायालय में बकाया पड़े मुकदमों को निपटाया जा सके । उच्चतम न्यायालय नियम बनाता है जिसके अनुरूप वह डिविजन बैंचों का गठन करता है । इस सम्बन्ध में निर्णय न्यायाधीश मुख्य करता है लेकिन मामले में उचित सुझाव देने हेतु सरकार और संसद दोनों का पर्याप्त अधिकार है। बकाया पड़े मुकदमों को निपटाने का सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि श्रम न्यायालयों के गठन हेतु विशेष बैंचों की नियुक्ति की जाए और उनकी अध्यक्षता वे अनुभवी न्यायाधीश करें जिन्होंने इस विषय में विशेष

दक्षता प्राप्त की हो । किसी किस्म की विशेषज्ञता से काम जल्दी निपटाने में महायता मिलेगी। इसका दूसरा लाभ यह होगा कि इससे निर्णयों में एकरूपता होगी।

जहां तक आचार संहिता बनाने की प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधान बनाने के बजाय बेहतर यही होगा कि इस सम्बन्ध में बार के सदस्य तथा न्यायाधीश मिलकर एक संहिता तैयार करें।

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनैलवेली) : यह विधेयक जिसका उद्देश्य 1956 के उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या बढ़ा कर 17 करना है, स्वागत-योग्य है । उच्चतम न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमें न्यायाधीन पड़े हैं । 1960 में दाखिल किए जाने वाले मुकदमों की प्रति न्यायाधीश वार्षिक औसत 265 थी । इस विधेयक के पारित होने के बाद भी कार्य भार घटेगा नहीं । इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रत्येक न्यायाधीश के पास एक साल में औसतन 480 मुकदमें होंगे। अत: किसी भी न्यायाधीश द्वारा इतने अधिक मुकदमें निपटाना बिलकुल असंभव है । या तो हमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए या ऐसा कोई विकल्प खोजना चाहिए । जिससे लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना मुकदमों की संख्या कम की जा सके । न्यायपालिका के काम में तेजी लाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है । सेवानिवृति, तबादले, निधन, अथवा पदोन्नति के कारण कुछ पद रिक्त हुए हैं । इन पदों को भरने में असाधारण विलम्ब लगाया जाता है । न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उसकी पदोन्नति के मामले में भूतपूर्व सरकार द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती रही है उस पर अभी भी काफी विवाद है । वकीलों ने चुनाव के समय जनता पार्टी का साथ दिया इसलिए सरकार का उनके प्रति कुछ स्वाभाविक झुकाव लक्षित होता है । हाल ही में न्यायाधीशों का चयन संदेह के अवशेषों का निराकरण करने में सहायक नहीं है ।

न्याय आर्थिक रूप से आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए । न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सभी शिकायतों का निराकरण नहीं हो सकता लेकिन इससे मुकदमों को शीघ्र निपटाने में अवश्य सहायता मिलेगी।

प्रैस में और अन्य मंचों पर कई बार कहा गया है कि अच्छा वेतन और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में बार के प्रसिद्ध वकील न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के लिए आकर्षित नहीं होते । उसमें प्रतिभाशाली लोग नहीं आना चाहते । परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की योग्यता में कमी हुई है। जब स्थिति ऐसी है तो मात्र न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से न्यायपालिका की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अत: बार के प्रतिभावान लोगों को न्यायपालिका में लेने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं।

SHRI BRIJ BHUSHAN TEWARI (Khalilabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. It is a matter of pleasure that the Bill has received support from all sides of the House. As we are aware, 67 posts of High Court Judges were vacant as on 1-7-1977. There are as many as 1,14,000 cases pending in Allahabad High Cour alone and 10,427 petitions were pending under Art. 32 in the Supreme Court. This is so because the previous regime did not fill the vacancies despite increasing the number of Judges in the Supreme Court. The reasons therefor are not far to seek. Talent was no longer a rare commodity, what the then Law Minister sought for the new incumbents was loyalty towards the then Government's policies and implicit faith in the leadership

of Mrs. Gandhi. Thus he acted to destroy the independence of judiciary for demoralising it.

The Janata Party is determined to undo all such influences as have been exerted to undermine and demoralise the Judiciary in the past and the present measure is one such step in this direction. I will also take this opportunity to urge upon Government to amend the Civil Procedure Code and make new rules so that cases thereunder are disposed of immediately.

My hon. friend, Shri Nathwani has referred to a code of ethics proposed for Judges during emergency. Many Judges, Bar Associations and even some Members of the Janata Party have opposed it. If any such rules are to be made, this should be done after mutual consultation and consent.

It appears that a conspiracy to push this code of ethics through is on and the same forces that toed the dectational line of the former Government are active again. We should be vigilant against them and the Government should take all possible steps to maintain the independence of Judiciary in the country.

Justice is very costly today and therefore apart from providing free legal aid to the poor the court fee should be reduced.

It has been felt that the courts have been generous in their outlook towards property rights as compared to right to liberty. The Judiciary should adopt a liberal attitude towards fundamental rights and right to liberty in the present atmosphere.

With these words I strongly support this Bill and hope that it will receive support from all sections of the House.

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण यह दिखता है कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमें भारी संख्या में न्यायाधीन पड़े हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से निश्चय ही अधिक मुकदमे निपटाए जा सकेंगे लेकिन इससे समस्या का पूरी तरह हल नहीं होगा। न्यायिक प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिए ताकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन पड़े मुकदमों की संख्या कम की जा सके।

बकाया मुकदमों की संख्या में वृद्धि होने का एक कारण यह भी है कि नए दाखिल किए जाने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग राजनीतिक रूप से सचेत हो गए हैं। वह अब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अवगत हैं। बकाया मुकदमों के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हर कोई न्यायाधीश अपने हिसाब से फैसला देता है। अतः हमें प्रिवी कौंसिल की भांति नीति अपनानी चाहिए कि केवल एक ही फैसला होगा यदि कोई विमति न्याय निर्णय होगा तो मुख्य न्यायाधीश की उस पर राय ले ली जाए अतः अधिक से अधिक दो फैसले होने चाहिएं एक बहुमत का फैसला और एक अल्पमत का फैसला। उच्चतम न्यायालय के नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।

बैंच में कुछ विशेष कानूनों में दक्ष विशेषज्ञों को चुना जाना चाहिए। हमें ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए जो श्रमिक कानूनों और कम्पनी कानूनों के विशेषज्ञ हों। यदि विशेषज्ञ उपलब्ध हों तो ऐसे मामले केवल उन्हें ही सौंपे जाने चाहिएं। जब यह विधेयक कानून बन जाए तो बकाया मुकदमों को निपटाने के लिए उच्चतम/न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस दौरान भविष्य में न्यायिक प्रशासन में सुधार करने के लिए तरीके खोजे जा सकते हैं।

फैडरल कोर्ट के जमाने से अब तक के समय में न्यायाधीशों की योग्यता में समुचित ह्रास हुआ है। इसका एक कारण तो यह है कि वकील लोग न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य सुविधाओं से आकर्षित नहीं होते। अन्य कारण शायद यह है कि सेवानिवृत्ति की आयु तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ समुचित नहीं हैं।

भर्ती का जो वर्तमान तरीका है शायद उसकी वजह से भी प्रतिभावान लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी पदोन्नति के संबंध म कुछ सही सिद्धान्त होने चाहिएं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा। प्रत्येक न्यायाधीश को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। उसे संविधान के दर्शन से सहमत होना चाहिए और न्याय देते समय उसे अपने विचारों को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आंच नहीं आए। सरकार को देश समग्र न्यायिक पद्धति के कार्यकरण की भी समीक्षा करनी चाहिए।

जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है विधि मंत्री ने कहा है कि विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर विचार करे और उचित प्रक्रिया का सुझाव दे।

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने का तरीका सही तरीका नहीं है। समूची न्यायिक पद्धति को इस प्रकार सुचारू बनाना है कि सभी को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar): This Bill aims at reducing the number of pending cases in the High Courts and the Supreme Court. This objective cannot be achieved till the laws are simplified. People should be educated to settle their disputes among themselves. An official or non-official machinery can be devised to achieve this purpose. Mere increase in the number of Judges will not do.

The entire system of law should be reviewed. Speedy and cheap Justice should be delivered to the people. Ceiling on the fees charged by the Supreme Court Advocates should also be fixed. The Law Minister should assure the countrymen that the law system ensuring speedy and cheap justice to the people will be evolved at the earliest.

The administration of the Judiciary should be efficient. It cannot be denied that some Judges of the Supreme Court contributed towards strengthening the dictatorship during Emergency. The Judiciary is not supposed to dance to the wishes of the ruling party. No retired Judge should be appointed in a Commission as it may only lead to corruption.

A reference has been made in regard to formulating a code of conduct for the Judges. Code of conduct should be formulated on the basis of exchange of views. It should not be applied forcibly. Persons with impartial outlook and keeping away from the temptations of the ruling party should be appointed Judges.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID *on the Table*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बहुगुणा कुछ कहना चाहते हैं।

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मुझे खेद है कि पत्रों को सभा-पटल पर रखे जाने के समय मैं यहां उपस्थित नहीं था।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति; जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 742 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 1408/77]

(2) (एक) तेल उद्योग विकास निगम, 1975 के नियम 29(2) (ङ) के साथ पठित तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 1409/77]

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं जनेश्वर मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1976-77 के तथा उसकी सहायक कंपनी हाइड्रोकार्बन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षण लेखे (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 1412/77]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 1413/77]

(ख) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1414/77]

(ग) (एक) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 1415/77]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश की संख्या) संशोधन विधेयक—जारी

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL—Contd.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक को लाने में असाधारण विलम्ब हुआ है, लेकिन इसके लिये भूतपूर्व सरकार ही जिम्मेवार है ।

न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बनाई जाने वाली आचार संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है । यह बहुत अजीब सी बात लगती है कि प्रस्तावित आचार संहिता केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये बनायी जा रही है और यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगी । लेकिन यदि यह आचार संहिता सभी न्यायालय के लिए बनाई जाए तो भी मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुई]

DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair.*

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सरकार इस मामले में अपने हाथ सशक्त करना चाहती है । शायद वह इस विषय पर विधान भी बनाना चाहती है । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ कहा था वह सही नहीं है ।

न्यायाधीशों को राष्ट्रपति बहुत ऊंची योग्यता के आधार पर नियुक्त करते हैं । उनसे यह आशा की जाती है कि वे जो निष्ठा की शपथ लेते हैं, उस पर पूरा उतरेंगे, उसी प्रकार जैसे संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान के प्रति ली गयी निष्ठा की शपथ के प्रति पूरे उतरेंगे । यदि किसी अन्य कर्तव्य संहिता का निर्माण किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के चयन पर आक्षेप सा लगता है । संहिता में परिमाप वही रहने चाहिएं

जैसा कि संविधान में दिया गया है। किसी न्यायाधीश को हटाने की भी विशेष प्रक्रिया है। अतः मेरा विचार है कि किसी प्रकार की कर्तव्य संहिता बनाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं। विधि-मंत्री हमें बतायें कि क्या उन्होंने एसी कोई प्रस्थापना को माना है कि नये नियुक्त हुए न्यायाधीश इस तरह का कोई आश्वासन दें जिसकी कि कर्तव्य संहिता के अन्तर्गत अपेक्षा हो।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव से मैं सहमत हूं लेकिन उनकी नियुक्ति के लिये सरकार को कुछ सिद्धान्त नियत करने चाहिएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार के संदेह की गुंजायश न रहे। उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के बारे में संवैधानिक अनुच्छेद 124 का कड़ाई से पालन किया जाए। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के बीच परामर्श के साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राज्यों के न्यायाधीशों के साथ भी परामर्श किया जाना चाहिये। परामर्श जरूरी है यद्यपि उनकी सलाह मानना जरूरी नहीं। परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति उचित तरीके से चुनाव कर सकते हैं। परामर्श के विषय में विस्तार से जनता को नहीं बताया जाना चाहिये।

कहा गया है कि केवल वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अन्य चीजें बराबर होने पर, वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए। सरकार के पास विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सूची हो जिन्हें बैंच के लिए नियुक्त किया जा सकता हो और यदि योग्य न्यायाधीश काफी हों तो वरिष्ठतम योग्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। इस बारे में सरकार को विधि आयोग के साथ भी विचार करना चाहिये।

श्री वसंत साठे (अकोला): उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने का स्वागत है। लेकिन मेरे विचार से केवल तीन न्यायाधीश बढ़ाना काफी नहीं क्योंकि मुकदमों की बढ़ती हुयी संख्या के कारण और अधिक न्यायाधीशों की जरूरत होगी और फिर मामले लम्बित पड़े रहेंगे। इसलिये तीन से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किये जायें।

न्यायपालिका की वचनबद्धता और न्यायालयों की स्वतंत्रता खत्म किये जाने के बारे में कई बार कहा गया है। लेकिन इस सरकार ने पहला कार्य यह किया है कि सभी सिद्धान्तों को ताक में रख कर एक व्यक्ति विशेष को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत कर दिया। श्री देसाई के शपथ ग्रहण के समय उच्चतम न्यायालय की बार ऐसोसियेशन ने भाग नहीं लिया और सभी न्यायाधीशों द्वारा गुजरात में काला दिवस मनाया गया। श्री देसाई को प्रधानमंत्री का भतीजा होने के कारण ही यह तरक्की दी गई है। क्या यह भाई-भतीजावाद और पक्ष-पात नहीं है ? वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ का, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना था, अतिलंछन किया गया ताकि उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश को लाया जा सके। जिन न्यायाधीशों को बार का विश्वास न हो उन्हें आगे लाने की प्रथा बंद की जाए। यह गलत है। ये पहले हों**

****कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये ।

श्री वसंत साठे : मुझे यही कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिये इस पर मत विभाजन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है: पक्ष में 313; विपक्ष में 1 ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ । संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार विधेयक अपेक्षित बहुमत से, संशोधित रूप में पास हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक पर आगे विचार आरम्भ करते हैं । माननीय मंत्री ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : इस विधेयक के उपबन्धों को जिन सदस्यों ने पूर्ण समर्थन दिया है, मैं उन सभी का आभारी हूं । यह प्रश्न उठाया गया है कि उच्चतम न्यायालय अलग बैंच में क्यों नहीं बैठ सकती । इस सुझाव से तो और उलझनें पैदा हो जायेंगी । देश का उच्चतम न्यायालय होने के कारण उसे अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता । यदि उसे भी काफी बड़ा बना दिया गया तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कोई अन्तर न रह जायेगा । फिर तो संविधान द्वारा उसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वही समाप्त हो जायेगा । इसलिए देश के विभिन्न भागों में उसकी शाखाएं खोलना व्यावहारिक नहीं है ।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय में की गई एक नियुक्ति का उल्लेख किया गया है । दो नियुक्तियों में से एक पर कुछ विवाद उठा है । स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उनका चयन किया गया और हम न्यायपालिका की आजादी के प्रति वचनबद्ध हैं । लेकिन यह ठीक ही कहा गया है कि परामर्श का अर्थ निर्देश देना नहीं है । उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालयं के मुख्य न्यायाधीश आदि से परामर्श का यह अर्थ

नहीं कि सरकार उनकी बात मामने को वाध्य है । लेकिन इन संवैधानिक निकायों के परामर्श पर बहुत सावधानी-पूर्वक विचार की जरुरत है और जब तक प्रभावी कारण न हो उसे यूं ही नहीं टाला जा सकता ।

अनुच्छेद 124 के अधीन परामर्श सम्बन्धी कुछ बातें कही गई हैं। यह पूछा गया कि क्या केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही पूछा जाना चाहिये या अन्य न्याया-धीशों से भी पूछा जाये । शायद पहली बार सरकार ने इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों से पूछा है । उन्हें विशेष पत्र लिख कर अनुच्छेद 124 की और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार ने कहा कि उनके क्या विचार हैं ? उसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों ने आपस में सलाह करके एकमत से यह निर्णय लिया और उसी के आधार पर न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की गई थी ।

जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श का सम्बन्ध है पंडित नेहरु तक ने यह अनुभव किया था कि चयन के मामले में चूंकि सभी मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आ जाते हैं इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करना उचित नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं कि किसी उचित मामले में हम उनसे परामर्श नहीं कर सकते लेकिन, उसे एक नियम नहीं माना जा सकता ।

न्यायिक आचार संहिता का भी उल्लेख हुआ है । लेकिन हम यह नहीं समझते कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाना सरकार कर काम है । सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं किया । उच्च पदासीन व्यक्ति के कुछ कर्त्तव्य होते हैं । यदि वह अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करना चाहता है तो सरकार बीच में कैसे आ सकती है ? तथापि यदि किसी स्तर पर आपसी चर्चा के बाद वह व्यक्ति कोई सुझाव देता है तब सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उस पर विचार करे । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसे स्वीकार ही कर ले । लेकिन न्यायपालिका के सुझावों पर सरकार अवश्य विचार करेगी ।

यह सुझाव दिया गया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह वचन दें या शपथ लें कि वे डाक्टरी सलाह के बिना सार्वजनिक स्थान पर या घर में शराब नहीं पीयेंगे । सरकार ने वचन लेने सम्बन्धी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया और न ही ऐसे वचन के लिए सरकार से कोई सलाह ली गई थी । किसी न्यायाधीश की नियुक्ति और उससे वचन लेने के मामले बिल्कुल अलग हैं ।

मद्य निषेद सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तों से सभा भली भांति परिचित है । सरकार का यह प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि वह शराब न पीता हो या नियुक्ति के बाद शराब न पीये और उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाए जो इस बात के लिए तैयार हों । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

पहले यह निर्णय किया गया कि इस प्रस्ताव के बारे में न्यायपालिका से सलाह की जाये। अत: भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया। अभी उन्होंने अपना अन्तिम निर्णय नहीं बताया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुविचारित राय मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा। उच्च न्यायालयों से परामर्श करके ही वह अपना विचार बतायेंगे। विभिन्न मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सुझाये गये व्यक्तियों से सूछा गया है ताकि सरकार को जरूरी जानकारी मिल सके।

एक सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या न्यायाधीश पर्याप्त कार्य करते हैं और क्या यह देखने की जरूरत है कि क्या न्यायाधीश अपने कर्त्तव्य ठीक तरह से निभा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी व्यक्ति है। वे आधी रात तक काम करते हैं। उच्च न्यायालयों में भी कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जो बहुत कार्य करते हैं और कुछ कुछ उतना काम नहीं करते।

न्याय प्राप्ति में होने वाले असाधारण विलंब के सम्बन्ध में इस सभा के तथा जनता के जो विचार है उनसे न्यायाधीश अच्छी तरह अवगत है और आशा है वह अपना काम बखूबी निभाएंगे और इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। यह सन्देह करने का कोई कारण नहीं कि देश के न्यायाधीश अपना कर्त्तव्य ठीक तरह नहीं निभाते या पूरा ध्यान नहीं देते। मुझे विश्वास है कि वे न्याय प्राप्ति में होने वाले असाधारण विलम्ब को दूर करने तथा बकाया मुकद्दमों के शीघ्र निपटान हेतु अच्छी तरह विचार करके कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगे।

अनुच्छेद 136 के बारे में भी उल्लेख किया गया है। विधि आयोग ने कहा है शायद अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत हस्तक्षेप की शक्ति अत्यधिक व्यापक है इसलिए उच्चतम न्यायालय इस मामले की जांच नहीं कर सका। इस मामले पर भी विचार करने की आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय कानून के विकास का भी महत्वपूर्ण कार्य निभाता है ताकि विभिन्न उच्च न्यायालय भिन्न-भिन्न दिशाओं में नहीं चले।

श्री नाथवानी ने विशेषज्ञ बैंच के बारे में भी उल्लेख किया है यह मामला उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से संबधित है और वह निश्चय ही स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। लोकतंत्र में लोगों को न्यय प्राप्ति का मात्र अधिकार ही नहीं होना चाहिए अपितु उन्हें न्याय शीघ्र तथा उचित समय में प्राप्त होना चाहिए इस कार्य में बहुत वर्ष या दशक नहीं लगने चाहिएं। अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर मुकदमें का फैसला हो जाना चाहिए।

माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि उच्चतम न्यायालय/न्यायधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खुजराहो) : में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओ० पी० त्यागी (बहराइच) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : This Bill seeks to raise the number of Judges of the Supreme Court to 17. It will be sufficient if the number is raised only to 15.

After the passage of the constitution 44th Amendment Bill, special majority of Judges will not be required to consider constitutional issues. Therefore more Judges are not required.

Disposal of cases will not be expedited merely by increasing the number of Judges. If our administration functions properly there will be less litigation also executive and Judiciary should be seperated. This will also reduce litigation.

Judges should not write very long judgements also Judges should work for more time. They should also work during summer vacation which they are getting now. If all these measures are taken then 15 Judges will be enough.

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 5 बजे अवश्य विचार किया जाए ।

सभापति महोदय : कार्यसूची के अनुसार पहले नियम 377 के अंतर्गत वक्तव्य फिर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा बाद में आधे घंटे की चर्चा होगी ।

MATTERS UNDER RULE 377

(1) विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन

SHRI UGRASEN (Deoria) : I want to draw the attention of the House to the demands of the employees of Willingdon Hospital, New Delhi for the redressal of which they have undertaken a relay fast by 24 hours. The Willingdon Hospital workers' union have submitted their demands to the Health Ministry on 27th Nov. 1977. Some of these demands have been accepted by the Ministry but the officers of the Hospital are not prepared to accept them. Now the employees are sitting on 'dharna' undertaking a relay fast and are holding demonstrations at the gate which is causing great inconveniences to the patients as well as doctors.

The first demand of the employees is that they should be provided with residential quarters. Their other demand is for framing recruitment rules as they exist in other Government establishments. They also want selection grades to be provided. Above all they want that there should be a negotiating machinery between the employees and administrative officers so that proper liasion is established between the two these demands are being made since 1973 but nothing has been done so far. It is high time the Health Minister pays attention to it and consider their case sympathetically.

(2) मजदूरों के क्वार्टरों के लिए असम चाय बागानों की श्रमिकों की हड़ताल

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : पिछली बाढ़ों के दौरान आसाम में काफी मकानों को क्षति पहुंची । आसाम में चाय बागानों के प्रबंधकों के लिए अनिवार्य है कि वे श्रमिकों के रहने के लिए मकान बनवाएं । उन्होंने 15 वर्ष पूर्व इस बात का वचन दिया था । लेकिन ईंटों सीमेंट आदि मकान निर्माण की सामग्री की कमी के कारण वह यह कार्य नहीं कर पाए हैं । कोयले और सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण ईंटों का उत्पादन अपर्याप्त है । अब कोयला मिलता है, पर अब बगान श्रमिकों के मकानों के लिए सीमेंट नहीं मिलता । कारखानों

द्वारा चाय उद्योग के लिए आवंटित सीमेंट को कलकत्ता में क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है जिसके कारण सर्दी के मौसम में मकानों के निर्माण और मरम्मत का कार्य रुका पड़ा है।. इसलिए वाणिज्य मंत्रालय से कहा जाए कि बाढ़ से क्षति-ग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सीमेंट अवश्य उपलब्ध हो और वह कार्यालय बागान श्रमिकों के मकानों के लिए आवश्यक सीमेंट जारी करें।

(तीन) गोआ के मछेरों की शिकायतें

श्री एडु० आर्डो फैलीरो : संघ राज्य क्षेत्र गोआ में मछेरों के दो वर्गों के बीच हिंसात्मक झगड़ों से बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उनका उत्तरदायित्व पूरे तौर से स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार पर है।

ऐसा कानून है कि मत्स्य नौका स्वामी 5 कदम से आगे नहीं जा सकते क्योंकि इतनी जगह देशी नौकाओं को आवंटित की गई है। इसके बावजूद देशी नाविकों को वहां मछली नहीं पकड़ने दी जाती। इस कारण वहां झगड़े होते हैं।

मैंने पिछले सत्र के दौरान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था और उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि उपाय किए जाएंगे और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से पारम्परिक मछेरे भूख हड़ताल पर हैं। स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने उनकी उचित मांगों के लिए कोई उपाय नहीं किया। केन्द्रीय सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके तत्काल उपाय करे। गृह मंत्री और कृषि मंत्री को चाहिए कि वे इन गरीब पारम्परिक मछेरों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल और ठोस उपाय करें। उन्हें इस मामले की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

(4) बिहार में नमक की कमी और नमक के मूल्यों में वृद्धि

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa) : I want to draw the attention of the House and the Government to the continued shortage and consequent high price of salt in Bihar. For the last 20 days salt has disappeared from the markets and the result is that the price has gone up to Rs. 2 per kilo. This storage of salt has created a serious situation in the State. Salt is the biggest necessity of poor people who cannot afford to have vegetables of dal in their meals. They take rice and bread just with a little salt. So the high price and non-availability of salt has created a serious situation for them. The Commerce Minister should pay immediate attention to this matter and see that the difficulty of the people is removed.

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुजरात में उकाई स्थित तापीय विद्युत संयंत्र में विस्फोट का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरियंकील) : मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : उकई ताप-विद्युत् केन्द्र गुजरात बिजली बोर्ड के नियन्त्रण में है। यह बोर्ड गुजरात सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य-संचालन करता है।

2. उकई में 120–120 मेगावाट की दो यूनिटें प्रचालनाधीन हैं। प्रत्येक टर्बाईन को उसकी अपनी यूनिट के बायलर से ही स्टीम दी जाती है। ये यूनिटें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड ने सप्लाई की हैं। पहली यूनिट को मार्च, 1976 में और दूसरी यूनिट को जून, 1976 में चालू किया गया था। 210 मेगावाट की एक अन्य यूनिट का उत्थापन किया जा रहा है।

3. गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उकई ताप-विद्युत् केन्द्र के बायलर नं० 1 के ऊपरी भाग के शिरोपरि कोयला बंकर में 15 दिसम्बर, 1977 को लगभग 2.40 बजे अपराह्न में विस्फोट हुआ। यद्यपि संयंत्र को कोई क्षति नहीं पहुंची किन्तु दो कर्मचारियों को हल्की चोटें आईं। संयंत्र सामान्य तौर पर काम कर रहा है। राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

श्री वयालार रवि: इस तरह के विस्फोट और दुर्घटनाएं आम हो रही है। यह कोई अकेली घटना नहीं है गत दो महीनों में संसद ने देश के विभिन्न भागों में हुए ऐसे विस्फोटों के बारे में चर्चा की है। ऐसा संदेह है कि राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी तोड़ फोड़ की कार्य-वाहियां कर रहे हैं। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। यह इसे गंभीरता से नहीं ले रहीं। यह बहुत गंभीर मामला है और समग्र राष्ट्र के लोगों से संबंधित है। गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों तथा इन संयंत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा है।

कुछ दिन पहले मैंने बड़ौदा हैवी वाटर संयंत्र में हुए विस्फोट के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था। विस्फोट के दौरान टेलीफोन की तारें कट गई और जिन लोगों को ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए था वे वहां नहीं थे। सारी घटना इस बात की सूचक है कि कुछ लोग ऐसे संयंत्रों के सामान्य कार्यकरण को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं। सरकार इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही। देश के विभिन्न बिजली घरों की सुरक्षा हेतु आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो। यह मामला स्थानीय गुप्तचर विभाग को सौंपने के बजाय केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो को सौंप दिया जाए।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : माननीय सदस्य ने काफी सुझाव दिये हैं। जहां तक उनके प्रश्न के अंतिम भाग का संबंध है राज्य सरकार मामले की जांच हेतु हर संभव कदम उठा रही है। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो जाती तब तक यह कहना बहुत कठिन है कि यह तोड़ फोड़ की कार्यवाही थी या इस विस्फोट का कोई अन्य कारण था।

ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न बिजली बोर्डों को कुछ निर्देश दिए हैं और वह उनका पालन कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : देश में ऐसी विस्फोट की घटनाएं आम हो रही हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं केवल सरकारी प्रतिष्ठानों में ही हो रही हैं और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आपने कहा है कि विस्फोट कोयला बंकर में हुआ लेकिन विस्फोट कन्वेयर बैल्ट में हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार तोड़ फोड़ की गंभीरता समझती है। क्योंकि यह निश्चय ही तोड़ फोड़ की कार्यवाही है। मंत्री महोदय गृह मंत्रालय के परामर्श से देश के बिजली संयंत्रों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा कि मैंने पहले बताया सरकार द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति को बिजली संयंत्र में तब तक नहीं जाने दिया जाता जब तक उसकी अच्छी तरह जांच नहीं कर ली जाती। यदि वहां विस्फोट होता तो फिर कुछ और ही स्थिति होती। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि यह सब कुछ तोड़ फोड़ के कारण हुआ है। पहले यह क्रूसर में जाता है और फिर यह बंकर में जाता है जहां यह चूर्णित होता है। फिर भी जब तक पुलिस सही जानकारी नहीं देती है तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना है। यह मुख्य रूप से पन-बिजली परियोजना है। किन्तु क्योंकि पानी का स्तर समान रूप से नहीं रहता इसलिए उन्हें यह विद्युत परियोजना आरम्भ करनी पड़ी। इस परियोजना को तैयार करने में विदेशी फर्म ने बहुत पैसा कमाया। यह सब कांग्रेस की मेहरबानी है।

मैं पूछना चाहता हूं कि प्रस्फोटक क्या होता है। यदि आप ग्रेनेड को खोल दें और तो प्रस्फोटक फट जायेगा। हर्ष की बात है कि कर्मचारियों ने इसकी जांच करने में पहल की और उन्हें कुछ प्रस्फोटक मिले हैं। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि कोयला क्रूसर के द्वारा निकलता और प्रस्फोटक क्रूसर के द्वारा निकलता तो फिर प्रस्फोटक का तत्काल विस्फोट हो जाता।

क्रूसर का दबाव केवल कुछ हजार पौंड होता है। इसलिए यदि डेटोनेटर क्रूसर से गुजरता तो इसमें विस्फोट हो जाता और क्रूसर को इतनी क्षति पहुंचती कि उसकी मरम्मत भी न हो सकती। रेल दुर्घटना में राज्य सभा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति मरे थे उनका श्रीमती गांधी से संपर्क था।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया है। यह बहुत ही गंभीर आरोप है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लगाया जा रहा है जो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सकता।

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्य, श्री बसु से अनुरोध है कि वह इस तरह का गंभीर आरोप नं लगाएं। इस सभा की यह परम्परा रही है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कभी कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया गया है, जो कि सभा में नहीं रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री वयालार रवि : आप यह बात सभा के बाहर कह सकते हैं।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) **:** प्रक्रिया नियमों के नियम 353 में यह बात स्पष्ट है कि किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना दिए बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक आरोप नहीं लगाया जा सकता ताकि मंत्री जांच करके उस बारे में उत्तर दे सके। उन्हें इस बारे में सूचना मंत्री जी को देनी चाहिए।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : He has not made any wild allegation. You know that the activities of Sabotage are going on in the country. He has only demanded to make enquiry into these activities of sabotage. This allegation is not against any body. For instance there is not any representative of Anand Margees here and therefore nothing should be mentioned about them in the House. But if Mr. Basu has any doubt about Smt. Gandhi and her associates and he is asking for enquiry, then it is not a wild allegation.

MR. CHAIRMAN : You can say something about the Congress Party or Anand Margies, but it does not mean you mention the name of a particular person. Therefore you can not make any serious charge against the person who is not in the House to defend himself.

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश में तोड़ फोड़ की बहुत घटनाएं हो रही हैं और इनका उद्देश्य केन्द्र में जनता पार्टी को अपमानित करना है।

सभापति महोदय : वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गाड़ियां पटरियों से हटने तथा तोड़ फोड़ की अन्य घटनाएं हो रही हैं। और सारे काम कुछ राजनीतिक लोगों के हैं, कि कि जनता पार्ट को बदनाम करना चाहते हैं। आनन्द मार्गियों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके दल ने आनन्द मार्ग को धन दिया है। इसे साबित करने के लिए मेरे पास प्रमाण है।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : इस महत्वपूर्ण मामले से कई बातें सामने आई हैं। उकई परियोजना नर्मादा के बाद सर्वाधिक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे सिंचाई भी होती है तथा बिजली भी प्राप्त होती है। इसलिए उस संयंत्र के बारे में तोड़ फोड़ की किसी आशंका पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अहमदाबाद से निकलने वाले "टाइम्स आफ इंडिया" में कुछ जानकारी प्रकाशित हुई है, जो कि दिल्ली के समाचार पत्रों में नहीं छपी है।

कर्मचारी छंटनी किए गए 123 कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। समाचार पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस के अनुसार इस विस्फोट में श्रमिकों का हाथ रहा है। जो लोग जांच कर रहे हैं, उनको ऐसा संदेह है कि इसमें श्रमिकों का

हाथ है। कांग्रेस दल पर निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं। नवम्बर में चार रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। दो मामले तो तोड़ फोड़ के सिद्ध हो चुके हैं और अन्य दो के बारे में भी इसी तरह की आशंका है। उत्तर प्रदेश में 20-11-77 को गैस टरबाइन संयंत्र में भी एक दुर्घटना हुई है। 25-11-77 को आकाशवाणी में आग लगी। 3-12-77 को हैवी वाटर सयंत्र में विस्फोट हुआ है। आरोप लगाया गया है कि उकई विस्फोट दुर्घटना में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कुछ लोगों का हाथ था। यह निराधार आरोप है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें किसी व्यक्ति अथवा दल का हाथ नहीं है। इतना कहने के बावजूद भी यदि किसी पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम भी इस तरह की तोड़ फोड़ की घटनाओं की निन्दा करते हैं। यदि सरकार तोड़ फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आती है तो हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : विभिन्न विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं। जब तक पुलिस पूरी जांच नहीं कर लेती तब तक मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि क्या यह तोड़ फोड़ के कारण हुआ है अथवा किसी अन्य कारण से। **(व्यवधान)** अब उकई सयंत्र में सभी सुरक्षा उपाय कर दिए गए हैं। और सयंत्र अब पूरी तरह सुरक्षित है।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या आपकी इस दुर्घटना में किसी दल अथवा व्यक्ति का हाथ होने की सम्भावना लगती है?

श्री पी० रामचन्द्रन : जिस रूप में डेटोनेटर पाया गया है, उससे कुछ सम्भावना लगती है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें श्रमिकों का हाथ है, किन्तु वहां श्रमिकों में असंतोष चल रहा है। किन्तु जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

सभा का अवमान

CONTEMPT OF THE HOUSE

सभापति महोदय : जैसा कि सभा को पता है कि श्री भगवान बक्श सिंह नामक व्यक्ति जो मार्डन वोकेशनल इंटर कालिज, लखनऊ में लेक्चरर हैं, ने 12.40 बजे दर्शक दीर्घा में नारे लगाये। वाच एैण्ड वार्ड के लोगों ने उसे तत्काल वहां से हटा दिया। उससे लिखित रूप में खेद प्रकट किया और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड के प्रेजीडेंट तथा चेयरमैन से आभूषण जब्त करने के बारे में

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : The present discussion is concerned with the one of greatest scandals during the emergency. I have an evidence to show that the ex-Prime Minister and Shri Bansi Lal and other capitalists connived with those who indulged in smuggling of diamonds and jewellery. Accounts had been opened in foreign banks with the sale money of smuggled goods.

The Minister should state what is the purpose of the visit of Shri Singhania who was closely connected with the ex-Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, Shri Sanjay Gandhi and the causes to Mauritius on 8-10-76, Smt. Indira Gandhi, Shri Bansi Lal and Shri Sanjay Gandhi and the other persons connected with them went to Mauritius the same day through Air India plane carrying with them boxes filled with gold, jewellary, diamonds etc. I would like to ask the Minister as to why customs authorities did not check them at that time. The Minister should state what are the contents of the statement made by Shri Singhania before the customs authorities in Mauritius. It should also be clarified whether Shri R. K. Dhavan had issued instructions not to check certain boxes. I would emphasize that the copies of F.I.R. registered by customs officers of Mauritius and the statement made by Shri Singhania should be laid on the table of the House.

Government should state as to why their passports were not impounded. The Minister should institute a C.B.I. enquiry into the whole scandal, get all the records and state to the House whether any oral instructions were issued and who were the officials involved in the affair.... (*interruption*)

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur) : Whenever any person travels by air, his luggage is entered in the ticket. I have been told that their two boxes were entered in their ticket. When he was caught, he said these are not my boxes. The question is that who these two boxes were intered in the air ticket and how they were loaded.

My second question is that when he came back to India whether the Government introgated him and tried to know how these boxes were intered in the air ticket.

My third point is that Air India flight landed just after 15 minutes when the flight of Smt. Indira Gandhi landed. I would like to say that these all things should be examined by the C.B.I. and find out the persons, involved in smuggling.

It has been stated in the reply that because these were their hand bags, therefore they were not checked. Whenever any person travel by air his luggage is checked by the custom authorities.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : It is a very important matter raised in the House Government should institute a enquiry of this matter. I would like to know the findings of the case.

I want to know whether Mr. Singhania registered any report about his third box. What was containing in that box.

I want to know whether the Government of Mauritius has given any information to the Government of India.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : I do not hesitate in saying that ex-Prime Minister, Smt. Indira Gandhi was responsible for all these misdeeds. Mr. Singhania was closely connected with her. It can not be denied that we have friendly relations with Mauritius.

The statement made by Mr. Singhania should be placed before the House so that we may know how much bungling was there.

SHRI AMBIKA PRASAD PANDEY (Banda) : Mr. Chairman, Sir, the question raised by Shri Gupta through this half-an-hour discussion is very important but the mention made by some of my friends against Ministers of some foreign countries.*......

We should, therefore, try not to make a mention of activities of Ministers abroad or those of foreign nationals so that our relations with other countries do not suffer.

I want to know whether the contents of suit cases brought by Shri Yadvendra Datt were similar and whether the first suit case was in the hand of Shri Singhania or whether it was in luggage ? Moreover, what are the findings of the case filed in this connection ? The hon. Minister should place all the facts of this incident before the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH CHANDRA AGGARWAL) : Madam, before I reply to the points raised by hon. Member, may I say that according to the material and information with us**......

In the reply given below most of the questions raised by Members have been covered.

लगता है कि आभूषणों की भारत से मारिशस के लिए तस्करी की गई। क्योंकि जिस बक्से में वे जेवरात थे उसे अपनाने से श्री सिंघानिया ने इन्कार कर दिया था और वहां के न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है इसलिए इस मामले में और जांच की आवश्यकता है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात की चर्चा की है कि मारिशस के सीमा शुल्क अधिकारी अर्थात् सर्वश्री वैंकटस्वामी लायनेट तथा दौरत पुलिस के समक्ष अपनी मूल गवाही से किस तरह मुकरे हैं। मारिशस के अधिकारी जिस तरह से विरुद्ध हुए इस मामले की मारिशस सरकार को जांच करनी चाहिए। हमारे द्वारा जांच करने से किसी अन्य देश के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों में हस्तक्षेप माना जायेगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को मामले का पता है। उन्होंने अब बताया है कि इस मामले में उन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं की है। लेकिन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा डी० आर० आई० विभाग के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इन्टरपोल, मारिशस से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की।

यह सही नहीं है कि अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जो भारत में इन्टरपोल के लिए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुख्या के रूप में कार्य कर रहे हैं, से इस मामले से सम्बन्धित और जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है। इसी दौरान एयर इण्डिया भी इस बात की जांच कर रहा है। वह बक्स कैसे मिल गया, जिसके कारण, श्री सीताराम सिंघानिया ने अपने बचाव में तर्क दिया, डी० आर० आई० ने सीमा शुल्क निदेशक (प्रीवेन्टिव) बम्बई से भी एयर इण्डिया में बक्सों के मिल जाने के बारे में स्थिति की जानकारी प्राप्त की है और इस पूरे मामले की बड़ी तेजी से जांच हो रही है।

---

*सभापति की अनुमति से कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
Expunged as ordered by the Chairman.

This covers the questions raised by Shri Gupta and others. Now I would like to throw some light on the facts of the case before and after the enquiry report.

Shri Sitaram Singhania travelled by Air India on 8-10-76 from Bombay to Mauritius with two suit cases and on the same day Smt. Gandhi also went there by a chartered flight. She arrived there earlier than Shri Singhania. Those two suit cases were not checked at Bombay and why this was not done is a matter that needs prove. The tags on Suit cases tally with the ticket number which shows that they belong to the some persons. This fact was admitted by the Custom authorities of Mauritius but they later changed then testimony in the Court. Shri Singhania was acquitted by that Court. After he had denied ownership of the second suit case he filed a complaint with Air India about his having not received one suit case. 10-12 days later one suit case was received from Nairobi and after going through its contents which were clothes and paped etc, he declared that was his suit case which was restored to him. The Air India is investigating the entire case.

I want to assure the House that this case is being thoroughly looked into and Director (Revenue Intelligence) has been entrusted with this case.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Whether instruction were given by Shri Dhawan that the luggage of persons accompanying Smt. Gandhi should not be checked ?

SHRI SATISH CHANDRA AGGARWAL : He had not asked this before. I will collect all the information and place it before the House.

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL—Contd.

सभापति महोदय : अब हम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक पर विचार करेंगे ।

SHRI RUPNATH SINGH YADAV (Pratapgarh) : Madan, through my Amendment No. 4 I propose that 25 per cent posts of Judges be reserved for Scheduled Castes and other backward sections of society. It is regrettable that there is not even a Single Judge and only three Scheduled Caste Judge in the High Courts. 99 per cent of the population is backward. They have been neglected during the last 30 years. The Janata Government should honour its commitment made in its election manifests that 25 per cent posts in Class I will be reserved for these people.

I, therefore, would like to say that this amendment be adopted so as to put an end to social and economic disparity.

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : The Law Commission has given the following opinion in regard to the appointment of Judges : "The question of appointment of persons as Judges of High Courts and Supreme Court was considered by the Law Commission in their 14th report. Regarding Supreme Court appointment, the Commission recommended that a Judge of the Supreme Court should have a tenure of at least 10 years. The Government in 1960 accepted the recommendation subject to the change that save in exceptional case the minimum should be ordinarily five years Clause 2 should be amended to provide that no person will be appointed as Judge of the Supreme Court who is more than 60 years of age at the time of appointment.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : Different suggestions have been made in regard to number of Judges in the Supreme Court. It has been suggested that the number should be 35. Another suggestion is that it should be 30. In another suggestion plea has been made to reduce the number to 15.

The Bill provides for 17 Judges. We think that for the present we should have 17 as the maximum number. Instead of coming again and again before the House we think that we should have this number. If there is need for having more than 17 Judges we should come again before Parliament.

Certain procedure has been laid down in the Constitution for the appointment of Judges. There is no mention about reservation in the relevant Article of the Constitution. Therefore, it is not possible to provide for reservation in the appointment of Judges through a legislation.

An amendment has suggested that no Judge above the age of 60 should be appointed to the Supreme Court. The Constitution does not lay down any such restriction. Therefore, it will be against the Constitution to impose this restriction through this legislation. However we appreciate the spirit behind this amendment. This thing is kept in view while making appointments.

श्री लक्ष्मीनारायण नायक द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment moved by Shri Laxmi Narain Nayak was, by leave, with drawn.

सभापति महोदय : मैं अब श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 5 moved by Shri Om Prakash Tyagi was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री विनायक प्रसाद यादव द्वारा पेश किया संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शान्ति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Our population is increasing and the number of pending cases is also large. Then the Law Minister has said that 'justice delayed is justice denied'. He has also said that 'justice hurried is justice buried'. In view of all these considerations the maximum number of Judges should be 21.

Articles 133 and 134 restrict the jurisdiction of the Supreme Court. The result is that both in civil and criminal cases poor people cannot have access to the Supreme Court. In view of Article 136, 80 per cent of special leave cases are dismissed in preliminary hearing. Thus the Supreme Court cannot give due justice to citizens as is expected of it. Powers of the Supreme Court which were restricted by Articles 133, 134, 136 and 142 have to be increased.

The Government want to clear the pending cases in three years. In view of this and in order to ensure that citizens get proper justice in due time the number of Judges of the Supreme Court should be increased to 21.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके उपबन्धों का स्वागत करता हूं । सम्भवत: वह नहीं चाहते कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश सीधे ही नियुक्त किये जायें । यदि न्यायाधीशों की संख्या बहुत बढ़ा ही दी जाये तो न्यायपीठ दुष्प्रयोजनीय हो जायेगी । उच्चतम न्यायालय का कार्यकरण तभी सफल सम्भव हो सकता है जबकि उसके न्यायाधीशों की संख्या न बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम हो ।

उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों तथा जिला स्तर के न्यायालयों के न्यायाधीशों की सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए । न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीशों को प्राप्त सुविधाओं पर ही निर्भर करती है ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है । हमें प्रसन्नता होगी यदि अधिक से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा प्रशिक्षण आदि के द्वारा न्यायाधीश बने । हम नहीं चाहते कि इस पद पर नियुक्ति का विशेषाधिकार तथा कथित उच्च जातियों को ही हो, ये नियुक्तियां जाति अथवा वर्ग के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाए ।

नागरिक दिन व दिन स्वयं को अधिक परेशान और असहाय अनुभव कर रहे हैं । यदि न्याय लोगों के हित में दिया जाना है तो न्यायाधीशों पर इस प्रकार काम करने पर जोर डाला जाए जिससे न्याय मिले ।

अधिकतर लोगों का यह विचार है कि विशेषकर उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश मामलों को सुनने के बाद दिए जाने वाले निर्णयों पर अधिक मेहनत नहीं करते और अधिक समय नहीं लगाते और न हीं अधिक विचार करते हैं । ऐसा करना उनके लिए आवश्यक है । इस ओर भी ध्यान दिया जाए ।

गुजरात, सौराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में बहुत से स्थानों में न्यायाधीशों को शौचालय आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं । मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें ।

मुकदमा लड़ने वालों के हितों उन्हें शीघ्र न्याय देने और महंगे न्याय की ओर भी ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री शीघ्रता से और सस्ता न्याय देने की बात कर रहे थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार की जिससे कम से कम भ्रष्टाचार हो, परन्तु दिलाने की अन्तिम जिम्मेदारी विधि मंत्री की है इस बात को ध्यान में रखा जाए। वे मात्र विधि मंत्री ही नहीं हैं, उन्हें संसद् और हमें इस बात को बताना है कि लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं। अतः उन्हें न्यायपालिका की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका से बड़ी विनम्रता से ब्यौरा यह कह कर मांग सकते हैं कि मुझे संसद को पूरी जानकारी देनी है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि वह गैर जिम्मेदारी से काम करे और उससे जवाब देही न की जायें। हम नहीं चाहते कि जब तक कोई भयंकर भूल कहा न करें न्यायाधीशों से कुछ कहा जाए। परन्तु क्योंकि उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें संसद् और लोगों को कोई जवाब देही नहीं करनी।

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Ferozabad): The Constitution-makers had accepted the principle of reservation for weaker sections of society. Unless the people belonging to weaker sections are appointed to high posts they will not be able to get justice.

It is essential to give adequate representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes in higher posts. The Minister should, therefore, provide for reservation of 25 per cent of posts of Judges in the Supreme Court for the suitable and qualified persons available amongst the Scheduled Castes and other socially backward classes.

श्री शांति भूषण : अधिक न्यायाधीश रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचा गया है। इसका अर्थ क्या यह है कि उच्च न्यायालयों में न्याय नहीं मिलता है और प्रत्येक मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए क्योंकि तब ही न्याय मिल सकता है? यदि ऐसी धारणा है तो यह बहुत गलत है क्योंकि उच्च न्यायालयों की परम्परा भी बड़ी महान रही है। उच्च न्यायालयों को व्यक्तिगत मामलों को निपटा देना चाहिए। यह काम उच्चतम न्यायालय का नहीं है। यदि यह काम उच्चतम न्यायालय करने लगे तो हम उसे उच्चतम न्यायालयों में बदल देंगे क्योंकि उच्च न्यायालय में जाने के बाद प्रत्येक मामला निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को सब उच्च न्यायालयों के बराबर आकार का रखना होगा। एक ही आकार और समान योग्यता वाले न्यायाधीशों युक्त दो न्यायालय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कोई न्यायालय हो भी तो, ऐसी अवस्था में न्यायालय में कुछ विशेष किस्म के मामलों की ही सुनवाई की जाए। ऐसा करके कि वह अपना उच्च स्थान और स्तर बनाए रख सकेगा। उच्चतम न्यायालय इस बात पर बड़ी गहराई से विचार कर रहा है कि अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमति देने की नीति के अपनाए जाने से उच्चतम न्यायालय वह काम नहीं कर सका है जिसके लिए वह गठित किया गया था।

न्यायाधीशों को सुविधाएं देने का प्रश्न उठाया गया। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 3500 रु० तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 4000 रु० वेतन के साथ साथ उन्हें सुसज्जित आवास और 300 रुपए का मोटर गाड़ी भत्ता दिया जाता है तथा उनकी पेन्शन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कोई यह

नहीं कह सकता कि उनकी स्थिति वैसी है जैसी कि वह चाहते हैं। भारत एक गरीब देश है। जो लोग-न्यायाधीश का पद स्वीकार करते हैं वे ऐसा राष्ट्रीय भावना से करते हैं। देश न्यायाधीश लोगों के हृदय में बसते हैं। सुविधाओं आदि में थोड़ी सी वृद्धि उनके लिए कुछ नहीं है। यदि हम उनकी सुविधाएं वेतन आदि बढ़ा दें, और यदि वे रुपए के प्रति अधिक रुझान रखते होंगे तो भी वे इस पद को पाने के इच्छुक नहीं होंगे।

यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बड़ी मेहनत से काम करते हैं परन्तु यही बात उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के न्यायाधीशों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु वहां भी ऐसे न्यायाधीश हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। आशा है नई परिस्थितियों में न्यायाधीश अपने कर्तव्य को समझेंगे और जनता के प्रति अपने उत्तर-दायित्व को यथाशक्ति निभाऐंगे।

यह कहा गया है कि न्यायाधीशों के स्वतंत्र रहने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अन्तःकरण और देश के कानून का ही सहारा लें। जहां तक किसी विशेष मामले में निर्णय का सम्बन्ध है वे कोई धारणा न बनाएं। यह देश अब इस बात के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को समाप्त नहीं किया जा सकता।

जहां तक निचले स्तर पर सुविधाएं देने की बात है यह सब जानते हैं कि निचली अदालतों की न्यायपालिका बड़ी विषम स्थितियों में काम करती हैं। इस बात के महत्व को अनुभव किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है। योजना आयोग आदि में न्याय के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है।

जहां तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रश्न है सरकार को प्रसन्नता होगी कि वे लोग देश की न्यायपालिका में ही नहीं वरन् उच्चतम पदों पर अधिक से अधिक संख्या में आएं। सदियों तक इन वर्गों की उपेक्षा की गई है। परन्तु अब ऐसा नहीं होगा। परन्तु जहां तक आरक्षण का प्रश्न है संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए अधिनियम में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। तथापि कि पूर्वगृह के कारण इन लोगो की उपेक्षा करना बहुत गलत होगा। हमें प्रसन्नता है कि जबकि पहले अनुसूचित जातियों के न्यायाधीश उच्च न्याया-लयों में नहीं वे अब वहां उनकी संख्या बढ़ी है तथा और न्यायाधीश भी नियुक्त किये जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन किया है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1977/1 पौष, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 22, 1977/Pausa 1, 1899 (Saka).

1028 LSS/77—200—31-3-78—GIPF